
MASALA MUNCH
PAPRIKA MUNCH
LITE BITES
Rrrip! A pack opens.
Fingers walk in.
A piece is lifted: dropped into mouth.
Eyes pop open. Lips crack into smiles.
Feet feel like dancing. It's the 'LITE BITES effect'.
It works wonders. Every time.
LITE BITES. In two exciting flavours.
PAPRIKA MUNCH and MASALA MUNCH.
Lite Bites


hey
They
hey freaked ou
MASALA MUNCH
LITE

सीनियर हायर सैकण्डरी

व्याकरण, काव्यांग एवं रचना

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के पाठ्यक्रमानुसार)

लेखक
शिवप्रसाद अग्रवाल
एम० ए० (हिन्दी), साहित्यरत्न, एल० टी०
(सेवा-निवृत्त प्राचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज, आगरा)

प्रथम संस्करण
1989

रतन प्रकाशन मन्दिर
पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता
अस्पताल मार्ग, आगरा-3

प्रथम संस्करण : 1989

मूल्य : 15·00 रुपये मात्र

प्रकाशक : रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा-2

प्रधान कार्यालय : 1/11, साहित्य कुञ्ज, आगरा-2

शाखाएँ : 21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज, दिल्ली-2
तिलक हाल लेन, मैस्टन रोड, कानपुर
खजूरी बाजार, गोराकुण्ड, इन्दौर
बिचून मार्केट, किशन पोल बाजार, जयपुर
इन्दिरा मार्केट, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ

प्रेमचन्द जैन द्वारा
प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस 1/11, साहित्य कुञ्ज, आगरा-2 में मुद्रित

दो शब्द

अपनी पुस्तक 'हिन्दी व्याकरण एवं रचना' की छात्र-प्रियता से प्रोत्साहित होकर मैं उसका पृथक् संस्करण सीनियर हायर सैकण्डरी कक्षा की छात्र-छात्राओं के हितार्थं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य हिन्दी एवं विशेष हिन्दी दोनों के पाठ्यक्रमानुसार सामग्री का समावेश किया गया है। परिशिष्ट में वर्ष 1989 की परीक्षा के अनिवार्य हिन्दी तथा विशेष हिन्दी के समस्त प्रश्नों के उत्तर समाविष्ट हैं।

यद्यपि 'रस' पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तथापि पद्य एवं गद्य के साहित्यिक सौन्दर्य से अवगत होने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। अतः 'रस' का सामान्य परिचय कराने के उद्देश्य से इसे प्रस्तुत संस्करण में स्थान दिया गया है।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास के केवल 'आदिकाल' एवं 'भक्तिकाल' पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। पर छात्र-छात्राओं का व्यापक हित ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत संस्करण में हिन्दी-साहित्य के समस्त कालों का सामान्य किन्तु संक्षिप्त परिचय कराया गया है।

प्रस्तुत संस्करण में आठ विषय हैं—

(1) शुद्धिकरण, (2) संक्षिप्तीकरण, (3) पत्र-लेखन, (4) निबन्ध-लेखन, (5) छन्द, (6) अलंकार, (7) रस और (8) हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास।

प्रत्येक विषय का प्रतिपादन सरल एवं सुबोध शैली में किया गया है। प्रत्येक बात को भली-भाँति समझाने की चेष्टा की गयी है। इसके लिए उदाहरण भी दिये गये हैं। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में अभ्यासार्थ अधिकांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके उत्तर दिये गये हैं।

प्रस्तुत संस्करण को सब प्रकार से उपयोगी बनाया गया है। यह छात्र-छात्राओं को बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी यदि कोई कमी रह गयी हो, तो अध्यापक-बन्धुओं एवं पाठकों से सुझाव आमन्त्रित हैं।

अन्त में छात्र-छात्राओं को परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ।

2/32 स्वदेशी बीमा नगर, शिवप्रसाद अग्रवाल
आगरा-282002 (लेखक)

पाठ्यक्रम

सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा

(क) अनिवार्य हिन्दी : 100 अंक

व्याकरण—संक्षिप्तीकरण, शुद्धिकरण (वर्ण-सम्बन्धी, संधि, समास, विशेषण-विशेष्य, लिंग, वचन, विभक्ति, पुनरुक्ति, प्रत्यय एवं विरामचिह्न-सम्बन्धी)। 10 अंक

पत्र-लेखन—प्रतिवेदन, प्रस्ताव, शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय पत्र आदि। 5 अंक

निबन्ध-लेखन—(सामान्य विज्ञान) यथा—

मेरी प्रिय आदर्श पुस्तक, भारतीय समाज में नारी, छात्र अनुशासन, राष्ट्र-निर्माण में युवकों का योगदान, राष्ट्रभाषा हिन्दी, मेरा प्रिय कवि, समाचार-पत्र एवं बदलते जीवन-मूल्य, जीवन में वन, नयी शिक्षा-नीति, परम्परा एवं आधुनिकता आदि। 15 अंक

योग 30 अंक

(ख) विशेष हिन्दी : 100 अंक

छन्द—दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, रोला, उल्लाला, मालिनी, छप्पय, द्रुत-विलम्बित, शिखरिणी, वसंततिलका, सवैया एवं कुंडलिया। 4 अंक

अलंकार—(i) **शब्दालंकार** : अनुप्रास, यमक, श्लेष (ii) **अर्थालंकार** : उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, विभावना, विरोधाभास, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, अपन्हुति, प्रतीप, दृष्टान्त, निदर्शना, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय। 4 अंक

आदिकाल एवं भक्तिकाल 20 अंक

(सामान्य परिचय)

योग 28 अंक

विषय-सूची

खण्ड 4 । निबन्ध लेखन

कतिपय निबन्ध

1
शुद्धिकरण

भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ध्यान रहे कि न शब्दों के रूप अशुद्ध हों और न वाक्यों की रचना अशुद्ध हो। नीचे भाषा-सम्बन्धी अशुद्धियों पर विस्तार-पूर्वक विचार किया जा रहा है।

(क) शब्द-शुद्धि अथवा वर्तनी-शुद्धि

वर्ण-सम्बन्धी

ऋ—र्

(1) यदि धातु के आगे भूत कृदन्त का प्रत्यय त हो या भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय ति हो तो ऋ का एयोग करना चाहिए। जैसे—**गृहीत, अनुगृहीत, कृत, मृत, संगृहीत** शब्दों में भूत कृदन्त के त प्रत्यय के कारण **ऋ** का प्रयाग किया गया है।

प्रकृति, तृप्ति शब्दों में भाववाचक संज्ञा के ति प्रत्यय के कारण ऋ का प्रयोग हुआ है।

(2) यदि धातु के आगे कृदन्त का प्रत्यय **ता, अन, आ, तव्य** हों तो र् का प्रयोग करना चाहिए। जैसे—

ग्रहीता, ग्रहण, द्रष्टा, द्रष्टव्य शब्दों में क्रमानुसार **ता, अन, आ**, तथा **तव्य** कृदन्त-प्रत्ययों के कारण **र्** का प्रयोग हुआ है।

(3) अतिपय अन्य शब्दों के लिखने में भी ऋ एवं र् की त्रुटि की जाती है। जैसे—

अशुद्ध	**शुद्ध**
अनुगृह	अनुग्रह
द्रष्टि	दृष्टि
प्रथक्	पृथक्
बृज	ब्रज
श्रंगार	शृंगार
शृद्धा	श्रद्धा

ऋ—रि

कतिपय शब्द लिखने में ऋ और रि की त्रुटि की जाती है। जैसे—

अशुद्ध	**शुद्ध**
रिषि	ऋषि
रितु	ऋतु
रिण	ऋण

ए—ये

(1) क्रिया के आदर-प्रदर्शक रूप में ए का प्रयोग ठीक समझा जाता है। जैसे—आइए, बैठिए, पढ़िए, लिखिए।

(2) सामान्य भूतकाल की क्रिया के अन्त का **आ** और **या** सामान्य और संभाव्य भविष्यत् काल में क्रमशः ए और **ये** हो जाते हैं। जैसे—

सामान्य भूत	सामान्य भविष्यत्	संभाव्य भविष्यत्
छूआ	छुएगा	छुए
सोया	सोयेगा	सोये

[पर **ये** के स्थान पर **ए** का प्रयोग भी प्रचलित है।]

(3) चाहिए क्रिया और इसलिए तथा लिए अव्ययों में ए लिखना चाहिए, **ये** नहीं। अतः चाहिये, इसलिये, लिये लिखना ठीक नहीं है।

क्ष—छ

संस्कृत के शब्दों (तत्सम शब्दों) में प्रायः क्ष और हिन्दी में उनके परिवर्तित रूपों (तद्भव शब्दों) में छ का प्रयोग होता है। किन्तु अच्छी भाषा लिखने के लिए क्ष का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे—

तत्सम शब्द	तद्भव शब्द
क्षमा	छमा
क्षति	छति
क्षीर	छीर
लक्ष्मी	लछमी
क्षुद्र	छुद्र
क्षोभ	छोभ

[स्मरण रहे कि संस्कृत के कतिपय शब्द ऐसे भी हैं जिनमें **छ** का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे—

छात्र, इच्छा, छत्र, छिद्र, स्वच्छ, तुच्छ।

ट—ठ

(1) जिन शब्दों के अन्त में **इष्ठ** प्रत्यय होता है उनके अन्त में ठ लिखा जाता है। जैसे—

बलिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गरिष्ठ।

(2) ट से अन्त होने वाले कतिपय शब्द ये हैं—

इष्ट, अनिष्ट, संतुष्ट, हृष्ट, मिष्टान्न, सृष्टि।

ड़—ढ़

ये वर्ण किसी शब्द के आदि में नहीं आते, केवल बीच या अन्त में आते हैं। आदि में आने पर इनकी बिंदी हट जाती है। जैसे—

लड़का, बड़ा, चढ़ाई, गढ़, डाकू, ढकना।

[स्मरण रहे कि अंग्रेजी के शब्दों में **ड** के नीचे बिंदी नहीं लगायी जाती। जैसे—रेडियो, रेडार।]

त्व—त्त्व

(1) जिन शब्दों के अन्त में त हों उनके साथ त्व प्रत्यय जोड़ने पर त्+त्व=त्त्व हो जाता है। जैसे—

महत्+त्व=महत्त्व
तत्+त्व=तत्त्व
सत्+त्व=सत्त्व

[पर इन शब्दों का **महत्व**, तत्व, **सत्व** रूप प्रचलित हो गया है।]

(2) अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों के अन्त में त्व ही लिखा जाता है। जैसे—

गुरुत्व, पुरुषत्व, सतीत्व, बन्धुत्व।

ण—न

क्ष की भाँति ण भी तत्सम शब्द लिखने में प्रयुक्त होता है और तद्भव शब्द लिखने में ण के स्थान पर न प्रयुक्त होता है! परन्तु अच्छी भाषा लिखने में ण का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे—

तत्सम शब्द	तद्भव शब्द
पुण्य	पुन्य
मणि	मनि
चरण	चरन
प्राण	प्रान
राणा	राना

[**स्मरण रहे** कि ण का शब्द के आदि में कभी प्रयोग नहीं होता।]

ब—व

इन अक्षरों का भेद उच्चारण से स्पष्ट हो जाता है। ब का उच्चारण होठों को बन्द करके किया जाता है और व का उच्चारण होठों को खोलकर किया जाता है। अतः तदनुसार पहचानकर शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे—

विद्या	बढ़ाई
वेद	बल
वैराग्य	बन्धु
व्याकुल	बुद्धि
व्रत	बीज

चन्द्र बिंदु (ँ) अनुस्वार (ं)

चन्द्रबिन्दु के स्थान पर इ, ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राओं अथवा स्वरों के साथ अनुस्वार लगाया जा सकता है, **अ, आ, उ, ऊ,** की मात्राओं अथवा स्वरों के साथ नहीं। जैसे—सिंचाई, ईंधन, में, हैं, पुरुषों, कँगूरा, कुँजड़ा, गूँज, नाँद,। यहाँ प्रथम पाँच शब्द लिखने में अनुस्वार का और शेष चार शब्द लिखने में चन्द्रबिन्दु लगाया गया है।

मात्रा-सम्बन्धी अशुद्धियाँ

कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
कवियत्री	कवयित्री
आधीन	अधीन
पैत्रिक	पैतृक
सप्ताहिक	साप्ताहिक
व्यवहारिक	व्यावहारिक
गुरू	गुरु
प्राप्ती	प्राप्ति
जायगीं	जायेंगी
होगें	होंगे
आंधी	आँधी
सुंघनी	सुँघनी
हंसना	हँसना
दांत	दाँत
पूंछ	पूँछ

ह्न-न्ह, ह्म-म्ह, ह्ल-ल्ह, ह्व-व्ह

ह्न के स्थान पर न्ह, ह्म के स्थान पर म्ह, ह्ल के स्थान पर ल्ह और ह्व के स्थान पर व्ह का गलत प्रयोग बहुत प्रचलित है जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
चिन्ह	चिह्न
ब्राम्हण	ब्राह्मण
आल्हाद	आह्लाद
आव्हान	आह्वान

पंचम अक्षर (ङ, ञ, ण, न, म,)

पंचम अक्षर (ङ, ञ, ण, न, म) अपने ही वर्ग के अक्षरों से मिलते हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार (ं) का भी प्रयोग किया जा सकता है, न का प्रयोग नहीं। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध		शुद्ध
गन्गा	गङ्गा	या	गंगा
अन्चल	अञ्चल	या	अंचल
पन्डित	पण्डित	या	पंडित
कन्पन	कम्पन	या	कंपन

य-ये-ए

सामान्य भविष्यत् काल की क्रियाओं के अन्य पुरुष एक वचन में कई रूप प्रचलित हैं। जैसे—

प्रथम रूप	द्वितीय रूप	तृतीय रूप
जायगा	जायेगा	जाएगा
खायगी	खायेगी	खाएगी

पर प्रथम रूप अधिक ठीक है।

म्म-त्त-य्य

रेफ (˚) वाले शब्द में जिस स्थान पर रेफ लगा होता है वहाँ द्वित्व प्रयोग (म्म, त्त, य्य आदि) गलत समझा जाता है। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
चर्म्म	चर्म
शर्म्मा	शर्मा
कर्त्ता	कर्ता
कर्त्तव्य	कर्तव्य
दिनचर्य्या	दिनचर्या
कार्य्य	कार्य

रेफ (˚) अगले अक्षर के ऊपर लगाना चाहिए, पीछे के अक्षर के ऊपर नहीं।

अशुद्ध	शुद्ध
आर्दश	आदर्श
आर्शीवाद	आशीर्वाद
आर्कषण	आकर्षण

लिंग-सम्बन्धी

लिंग-सम्बन्धी अशुद्धियों के कई कारण हैं। जड़ (निर्जीव) वस्तुओं के नामों को न पुल्लिग कहा जा सकता है और न स्त्रीलिंग। हिन्दी में सर्वनामों का अपना कोई लिंग नहीं होता। लिंग के शुद्ध प्रयोग के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए।

(1) प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार और अप्राणी (निर्जीव) वाचक संज्ञा शब्दों का लिंग व्यवहार एवं रूप के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान का साधारण नियम है कि जो शब्द पुरुष (नर) का बोध कराये वह पुल्लिग होता है और जो शब्द (मादा) का बोध कराये वह स्त्रीलिंग होता है।

(2) सर्वनाम का लिंग उससे सम्बन्धित संज्ञा के अनुसार होता है।

(3) विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है।

(4) क्रिया और अव्यय का लिंग उनसे सम्बन्धित संज्ञाओं के अनुसार होता है। कर्त्ता कारक के साथ ने का प्रयोग न होने पर क्रिया का लिंग कर्त्ता के अनुसार और ने का प्रयोग न होने पर क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होता है, कर्त्ता के अनुसार नहीं।

कुछ उदाहरण लीजिए—

शिशु	(प्राणीवाचक संज्ञा) पुल्लिग	
हाथी	(प्राणीवाचक संज्ञा) पुल्लिग	
बकरी	(प्राणीवाचक संज्ञा) स्त्रीलिंग	
पक्षी	(प्राणीवाचक संज्ञा) पुल्लिग	
दही	(अप्राणीवाचक संज्ञा) पुल्लिग	
मुरारी ने कहा कि वह नहीं जायगा।	सर्वनाम	पुल्लिग
अर्चना ने कहा कि वह नहीं जायगी।	सर्वनाम	स्त्रीलिंग
काला घोड़ा (विशेष्य)	विशेषण	पुल्लिग

काली घोड़ी (विशेष्य)	विशेषण	स्त्रीलिंग
मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ।	क्रिया	पुल्लिंग
मैंने पुस्तक पढ़ ली।	क्रिया	स्त्रीलिंग
घर के सामने सांप है	सम्बन्ध-बोधन अव्यय	पुल्लिंग
यह पुस्तक बहुत अच्छी है	क्रिया विशेषण अव्यय	स्त्रीलिंग

वचन-सम्बन्धी

निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखने से वचन-सम्बन्धी अशुद्धियों से बचा जा सकता है।

(1) एक वचन पुल्लिंग शब्द के अन्त का आ एक वचन स्त्रीलिंग में ई और बहुवचन पुल्लिंग में ए हो जाता है जैसे—

एक वचन पुल्लिंग	एक वचन स्त्रीलिंग	बहु वचन पुल्लिंग
जुआ		जुए
हुआ	हुई	हुए
छुआ	छुई	छुए
लोटा	—	लोटे

(2) एक वचन पुल्लिंग शब्द के अन्त का या एक वचन स्त्रीलिंग में यी और बहु वचन पुल्लिंग में ये हो जाता है। जैसे—

एक वचन पुल्लिंग	एक वचन स्त्रीलिंग	बहु वचन पुल्लिंग
नया	नयी	नये
आया	आयी	आये
गया	गयी	गये

(पर या के स्थान पर ई तथा ये के स्थान पर ए का प्रयोग भी प्रचलित है।)

(3) एक वचन स्त्रीलिंग आकारान्त, उकारान्त, औकारान्त शब्दों के साथ बहुवचन में ए जुड़ जाता है जैसे—

एक वचन	बहु वचन
आवश्यकता	आवश्यकताएँ
गौ	गौएँ
भाषा	भाषाएँ
वस्तु	वस्तुएँ

(4) एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अन्त की मात्रा ई को बहुवचन में इ में बदलकर उसके साथ याँ जोड़ दिया जाता है। पर अन्त में यदि मात्रा इ हो तो कोई परिवर्तन न करके याँ जोड़ दिया जाता है। जैसे—

एक वचन	बहु वचन
रोटी	रोटियाँ
हानि	हानियाँ

(5) एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अन्त की मात्रा अ बहु वचन में बदलकर एँ (ें) हो जाती है। जैसे—

एक वचन	बहु वचन
बहिन	बहिनें

(6) कई शब्दों का प्रयोग सदैव बहुबचन में ही होता है जैसे—हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आँसू।

विशेषण-विशेष्य-सम्बन्धी

विशेषण और विशेष्य-सम्बन्धी कतिपय अशुद्धियाँ निम्नांकित हैं—

	अशुद्ध	शुद्ध
विशेषण	आवश्यकीय	आवश्यक
,,	निरपराधी	निरपराध
,,	विश्वासनीय	विश्वसनीय
,,	पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
,,	निर्दोषी	निर्दोष
,,	साहित्यक	साहित्यिक
,,	शुद्धताई	शुद्धता
,,	सौजन्यता	सौजन्य
,,	सदूपयोग	सदुपयोग
,,	सुगन्धि	सुगन्ध
,,	सौदामिनी	सौदामनी

विभक्ति-सम्बन्धी

विभक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए—

(1) विभक्तियों को संज्ञा से पृथक् लिखना चाहिए। जैसे—राम ने, पेड़ पर, वन्दना की।

(2) विभक्तियों को सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखना चाहिए। जैसे—मैंने उसको, आपसे।

प्रत्यय-सम्बन्धी

प्रत्यय-सम्बन्धी कतिपय अशुद्धियाँ निम्नांकित हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
सौन्दर्यता	सौन्दर्य
मान्यनीय	माननीय
दुष्टताई	दुष्टता
गुरुताई	गुरुता
नीलमा	नीलिमा
बलिष्ट	बलिष्ठ
बुद्धिवान्	बुद्धिमान्

उपसर्ग-सम्बन्धी

उपसर्ग-सम्बन्धी कतिपय अशुद्धियाँ निम्नांकित हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
अभिष्ट	अभीष्ट

सत्जन	सज्जन
दु:र्जन	दुर्जन
दुसाहस	दु:साहस
नि:सार	निस्सार
सम्बाद	संवाद

सन्धि-सम्बन्धी

संधि-सम्बन्धी कतिपय अशुद्धियाँ निम्नांकित है—

अशुद्ध	शुद्ध
उपरोक्त	उपर्युक्त
अत्याधिक	अत्यधिक
उज्वल	उज्ज्वल
महोषधि	महौषधि
पुनरोक्ति	पुनरुक्ति
तदन्तर	तदनन्तर
सद्चरित्र	सच्चरित्र
अभिसेक	अभिषेक
निरावलम्ब	निरवलम्ब
निरोग	नीरोग
सुक्ति	सूक्ति

समास-सम्बन्धी

समास सम्बन्धी कतिपय अशुद्धियाँ निम्नांकित हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
सपत्नी	सपत्नीक
दिवारात्री	दिवारात्रि
लब्धप्रतिष्ठा	लब्धप्रतिष्ठ
त्रिनेत्री	त्रिनेत्र
पेटभर	भरपेट

कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अच्छर	अक्षर	अध्यात्मिक	आध्यात्मिक
अत्याधिक	अत्यधिक	अविभावक	अभिभावक
अध्यन	अध्ययन	अभिसेक	अभिषेक
अनाथिनी	अनाथा	अभीष्ठ	अभीष्ट
अनुग्रह	अनुग्रह	अभ्यार्थी	अभ्यर्थी
अनुग्रहीत	अनुगृहीत	अर्ध	अर्द्ध

अलंकारिक	आलंकारिक	ऐक्यता	ऐक्य, एकता
अस्नान	स्नान	अंतर्ध्यान	अंतर्धान
असमर्थ	असमर्थ	आँख	आँख
आकांछा	आकांक्षा	कनिष्ट	कनिष्ठ
आग्या	आज्ञा	कर्त्तव्य	कर्तव्य
आचरन	आचरण	कलस	कलश
आदर्णीय	आदरणीय	कवयत्री, कवियत्री	कवयित्री
आद्रता	आर्द्रता	कसौठी	कसौटी
आधीन	अधीन	कृतध्नी	कृतघ्न
आयू	आयु	कैलाश	कैलास
आरोग्यता	आरोग्य	कौतूहल, कौतुहल	कुतूहल
आलस्यता	आलस्य	क्षत्रपति	छत्रपति
आल्हादित	आह्लादित	क्षात्र	छात्र
आवश्यकीय	आवश्यक	खन्ड	खंड, खण्ड
आवश्यक्ता	आवश्यकता	गती	गति
आव्हान	आह्वान	गदहा	गधा
आर्शीवाद	आशीर्वाद	गरिष्ट	गरिष्ठ
इस्कूल	स्कूल	गिरजा	गिरिजा
ईर्षा	ईर्ष्या	गुरू	गुरु
उच्छवास	उच्छ्वास	गौरवता	गौरव
उछ्रंखल	उच्छृंखल	गृहणी	गृहिणी
उच्छिष्ठ	उच्छिष्ट	गृहण	ग्रहण
उज्वल	उज्ज्वल	ग्यान	ज्ञान
उत्कर्ण	उत्कर्ष	घनिष्ट	घनिष्ठ
उदारतापन	उदारता	घबड़ाहट	घबराहट
उद्देश	उद्देश्य	घुटुना	घुटना
उपस्थिती	उपस्थिति	चच्छु	चक्षु
उपरोक्त	उपर्युक्त	चाहिऐ	चाहिए
उपलक्ष	उपलक्ष्य	चिनौती	चुनौती
उप्तन्न, उतपन्न	उत्पन्न	चिन्ह	चिह्न
उलंघन	उल्लंघन	चेष्ठा	चेष्टा
ऊषा	उषा	छठवाँ	छठा
एकत्रित	एकत्र	छत्री, क्षत्री	क्षत्रिय
एतिहासिक, इतिहासिक	ऐतिहासिक	जाग्रति	जागृति
एसा	ऐसा	जिजमान	यजमान
ऐक	एक	ज्योत्सना	ज्योत्स्ना

झूंठ	झूठ	पुनरोक्ति	पुनरुक्ति
टिकिट	टिकट	पुनःजन्म	पुनर्जन्म
तत्कालिक	तात्कालिक	पुन्य	पुण्य
तदन्तर	तदनन्तर	पुष्टी	पुष्टि
तदोपरोन्त	तदुपरान्त	पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
तरुन	तरुण	पैत्रिक	पैतृक
तलाब	तालाब	पन्डित	पण्डित, पंडित
त्रगुण	त्रिगुण	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित
तैय्यार	तैयार, तय्यार	प्रतीच्छा	प्रतीक्षा
दुस्कर	दुष्कर	प्रत्युत्	प्रत्युत
दुरावस्था	दुरवस्था	प्रथक्	पृथक्
द्रश्य, दृष्य	दृश्य	प्रथ्वी	पृथ्वी, पृथिवी
दुख	दुःख	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी
दृष्टा	द्रष्टा	प्रणम	प्रणाम
द्रष्टि	दृष्टि	प्रदेशिक	प्रादेशिक
द्वारिका	द्वारका	प्रमाणिक	प्रामाणिक
धर्म्म	धर्म	प्रशाद	प्रसाद
धोका	धोखा	प्रसंनता	प्रसन्नता
नर्क	नरक	प्रसंशा, प्रशंशा	प्रशंसा
नारि	नारी	प्राप्ती	प्राप्ति
निरपराधी	निरपराध	विलम्ब	विलम्ब
निरोग	नीरोग	बुद्धवार	बुधवार
निर्दयी	निर्दय	बृटिश	ब्रिटिश
निर्दोषी	निर्दोष	बृज	ब्रज
निष्कर्ण, निश्कर्ष	निष्कर्ष	ब्राम्हण	ब्राह्मण
निःकपट	निष्कपट	भक्ती	भक्ति
नृसंश	नृशंस	भेंस	भैंस
परस्थिति	परिस्थिति	भृष्टाचार	भ्रष्टाचार
परणित, परिणित	परिणत	मनहर	मनोहर
परीच्छा	परीक्षा	मतेक्य	मतैक्य
परियाप्त	पर्याप्त	मध्यान्ह	मध्याह्न
पारितोषक	पारितोषिक	महत्वता	महत्व, महत्ता
पुरषार्थ	पुरुषार्थ	महातम, महात्म्य	माहात्म्य
पराकाष्ठा	पराकाष्टा	मान्यनीय	माननीय, मान्य
पुरष्कार	पुरस्कार	मिष्ठान्न	मिष्टान्न
पश्चाताप	पश्चात्ताप	मुकट	मुकुट

मैथली	मैथिली	सदृश्य	सदृश
यथेष्ठ	यथेष्ट	सदोपदेश	सदुपदेश
योगीराज	योगिराज	सन्मान	सम्मान
रक्खा	रखा	सन्मुख	सम्मुख
रितु	ऋतु	सन्यासी	संन्यासी
रचियता	रचयिता	सबों	सब
रात्री	रात्रि	सम्राज्य	साम्राज्य
लक्षमण	लक्ष्मण	सम्वत	संवत्
लब्धप्रतिष्ठा	लब्धप्रतिष्ठ	सम्वाद	संवाद
लिऐ	लिए	सहस्त्र	सहस्र
वादाविवाद	वादविवाद	साशन	शासन
वाहनी	वाहिनी	साइन्स	साइंस
विकाश	विकास	सानिध्य	सान्निध्य
विद्वता	विद्वत्ता	सामर्थ	सामर्थ्य
विद्याध्यन	विद्याध्ययन	साम्यता	समता, साम्य
विविधि	विविध	साहित्यक	साहित्यिक
विस्वास, विस्वाश	विश्वास	सामिग्री	सामग्री
विश्वासनीय	विश्वसनीय	विशेषताऐं	विशेषताएँ
विशेश	विशेष	सुगंधि	सुगंध
वेस	वेश	सुक्ति	सूक्ति
व्यत्ति	व्यक्ति	सुसुप्ति	सुषुप्ति
व्यवहारिक	व्यावहारिक	सुश्रूषा	शुश्रूषा
ब्योपार	व्यापार	सृष्टा	स्रष्टा
व्यंग	व्यंग्य	सौजन्यता	सौजन्य
शर्म्मा	शर्मा	सैकंड्री	सैकंडरी
शिफारिस	सिफारिश	सौदामिनी	सौदामनी
शुद्धताई	शुद्धता	सौहाद्र, सौहार्द्र	सोहार्द
श्रद्धा	श्रद्धा	सौंदर्यता	सौंदर्य
शंसोधन	संशोधन	सोंपना	सौंपना
श्मसान	श्मशान	संग्रहीत	संगृहीत
श्राप	शाप	संघटन	संगठन
श्रीयुत्	श्रीयुत	संतुष्ठ	संतुष्ट
श्रोत	स्रोत	संसारिक	सांसारिक
श्रंखला	शृंखला	स्मर्ण	स्मरण
श्रंग	शृंग	स्थाई	स्थायी
श्रंगार	शृंगार	स्मृद्धि	समृद्धि
श्वसुर	श्वशुर	स्रष्टि, सृष्टी	सृष्टि

स्वयम्बर	स्वयंवर	हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप
स्वर्गिय	स्वर्गीय	हार्द्रिक	हार्दिक
स्वस्थ्य	स्वस्थ	हिन्दुस्थान	हिन्दुस्तान
स्वास्थ	स्वास्थ्य	हिरण	हरिण
स्त्रीयाँ	स्त्रियाँ	हिन्सा	हिंसा
हनूमान	हनुमान		

(ख) वाक्य-शुद्धि

पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति-सम्बन्धी

पुनरुक्ति-सम्बन्धी अशुद्धियों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
(1) वह कल **वापस लौट** आया।	(1) वह कल **वापस** आ गया अथवा वह कल **लौट** आया।
(2) प्रातःकाल का **समय** घूमने के लिए अच्छा होता है।	(2) प्रातःकाल घूमने के लिए अच्छा होता है।
(3) **कृपया** सहायता देकर **अनुगृहीत** करें।	(3) **कृपया** सहायता करें अथवा सहायता देकर **अनुगृहीत** करें।
(4) न्यायाधीश ने हत्यारे को **मृत्युदण्ड** की **सजा** दी।	(4) न्यायाधीश ने हत्यारे को **मृत्युदण्ड** दिया।
(5) धन के अभाव की **पूर्ति** कैसे **पूरी** होगी ?	(5) धन के अभाव की पूर्ति कैसे होगी ?
(6) यह कैसे **सम्भव हो सकता** है।	(6) यह कैसे **सम्भव** है अथवा यह कैसे हो सकता है ?

विराम चिह्न-सम्बन्धी

विराम चिह्न-सम्बन्धी अशुद्धियों के कतिपय उदाहरण निम्नांकित है—

अशुद्ध	शुद्ध
(1) कैसी सत्यता है इस उक्ति में।	(1) कैसी सत्यता है उस उक्ति में !
(2) हाय, अब रोने से क्या होगा।	(2) हाय ! अब रोने से क्या होगा ?
(3) लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।	(3) लोकमान्य तिलक ने कहा था, "स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।"
(4) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की गणना छायावादी कवियों में की जाती है।	(4) सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की गणना छायावादी कवियों में की जाती है।
(5) किसी ने ठीक ही कहा है। जननी-जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।	(5) किसी ने ठीक ही कहा है— "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।"

विभक्ति-सम्बन्धी **ने का प्रयोग**

कर्ताकारक की ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के केवल सामान्य, आसन्न पूर्ण और संदिग्ध भूत कालों के कर्तृवाच्यों में होता है। जैसे--

(1) लड़के ने पुस्तक पढ़ी। (सामान्य भूत)

(2) लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। (आसन्न भूत)

(3) लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी। (पूर्ण भूत)

(4) शायद लड़के ने पुस्तक पढ़ी हो। (संदिग्ध भूत)

इस नियम के उल्लंघन करने पर निम्नांकित अशुद्धि होती है--

अशुद्ध	शुद्ध
(1) हाथी जल में खूब स्नान किया।	(1) हाथी ने जल में खूब स्नान किया।
(2) वह खूब खाना खाया।	(2) उसने खूब खाना खाया।

अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग कभी नहीं होता। इस नियम के उल्लंघन के उदाहरण निम्नांकित हैं--

(1) मैंने वहाँ जाऊँगा।	(1) मैं वहाँ जाऊँगा।
(2) मैंने हँसा।	(2) मैं हँसा।
(3) इन्होंने बातें करते हैं।	(3) ये बातें करते हैं।
(4) उसने न बोला।	(4) वह न बोला।
(5) उसने रात भर जागा।	(5) वह रातभर जागा।

को का प्रयोग

को विभक्ति का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है और सम्प्रदान कारक के साथ भी होता है। जैसे--

(1) मैंने मोहन को व्याकरण पढ़ाया। (गौण कर्म के साथ)

(2) मैं राजीव को खिलौना लाया। (सम्प्रदान कारक के साथ)

पर का, की, के सम्बन्ध कारक की विभक्तियों के स्थान पर को का गलत प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे---

अशुद्ध	शुद्ध
(1) वह प्रत्येक बात को आँकड़ों से समर्थन करता है।	(1) वह प्रत्येक बात का आँकड़ों से समर्थन करता है।
(2) मेरी चाची को लड़का हुआ है।	(2) मेरी चाची के लड़का हुआ है।
(3) उनको काम करने की इच्छा नहीं है।	(3) उनकी काम करने की इच्छा नहीं है।
(4) इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो।	(4) इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो।

सम्बन्ध कारक की विभक्तियों का, की, के, का प्रयोग

सम्बन्ध कारक की विभक्तियों का कभी-कभी गलत प्रयोग किया जाता है। जहाँ अन्य विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए वहाँ का, की, या के का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध
(1) उसने अपनी पत्नी का गला घोंट कर मार डाला।	(1) उसने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार डाला।
(2) मोहन ने अपने मित्र की दावत दी	(2) मोहन ने अपने मित्र को दावत दी।
(3) तुम्हारी बात-चीत से मेरे काम की हानि होती है।	(3) तुम्हारी बात-चीत से मेरे काम में हानि होती है।
(4) व्यापार में सेठ मटरूमल के कोई घाटा नहीं हुआ।	(4) व्यापार में सेठ मटरूमल को कोई घाटा नही हुआ।

कहीं-कहीं सम्बन्ध कारक की विभक्तियों के प्रयोग में लिग-सम्बन्धी अशुद्धि पायी जाती है ! नियम यह है कि यदि विभिन्न लिंग के शब्दों में सन्धि अथवा समास हो और उनके पहले सम्बन्ध कारक की कोई विभक्ति आये तो विभक्ति का लिंग संधि अथवा समास के परवर्ती अंश के अनुसार होगा, पूर्ववर्ती अंश के अनुसार नहीं। जैसे —

अशुद्ध	शुद्ध
(1) रमेश की इच्छानुसार कार्य हुआ	(2) रमेश के इच्छानुसार कार्य हुआ।
(2) रामायण हमारीं भक्ति-ग्रन्थ है।	(2) रामायण हमारा भक्ति-ग्रन्थ है।
(3) जनकपुर के नर-नारियाँ राम का रूप देखकर मुग्ध हो गये।	(3) जनकपुर की नर-नारियाँ राम का रूप देखकर मुग्ध हो गयीं।
(4) परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रिय राजाओं को जला दिया।	(4) परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रिय राजाओं को जला दिया।

एक ही कारक के अनेक संज्ञा-शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग

(क) यदि एक वाक्य में कई संज्ञा शब्दों में एक ही कारक हो तो विभक्ति अंतिम शब्द के साथ लगायी जाती है। जैसे —

(1) हरी, गोपाल और रमेश ने खाना खा लिया।

(2) हरी, गोपाल और रमेश को बुलाओ।

(3) हरी, गोपाल और रमेश से काम लीजिए।

(4) हरी, गोपाल और रमेश की परीक्षा कल आरम्भ होगी।

(ख) यदि वाक्य के कई सर्वनाम शब्दों में एक ही कारक हो तो उन शब्दों में से प्रत्येक के साथ विभक्ति लगायी जाती है। जैसे —

(1) आपने और मैंने यह पुस्तक लिखी है।

(2) वह आपको और मुझको देखकर भाग गया।

(3) उसने आपसे और मुझसे बहुत से काम निकाले।

(4) उसमें और मुझमें कोई भेद-भाव नहीं है।

विभक्ति का अभाव अथवा अनावश्यक प्रयोग

कहीं-कहीं विभक्ति का प्रयोग न करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
(1) राजीव घर नहीं है।	(1) उमेश घर पर नहीं है;

(2) तुमको परिश्रम करना चाहिए।	(2) तुम्हें परिश्रम करना चाहिए।
(3) क्या आप भोजन कर लिये हैं ?	(3) क्या आपने भोजन कर लिया है।
(4) स्वतन्त्रता-सेनानियों ने जेल की यातनाओं को सहा।	(4) स्वतन्त्रता सेनानियों ने जेल की यातनाएँ सहीं।

क्रिया के लिंग-वचन

(क) जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, तब क्रिया के लिंग-वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे—

लड़का पुस्तक पढ़ता है। — लड़की पुस्तक पढ़ती है।

लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। — लड़कियाँ पुस्तक पढ़ती हैं।

(ख) जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है परन्तु कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, तब क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे—

(1) लड़के ने पुस्तक पढ़ी। — लड़की ने पुस्तक पढ़ी।

(2) लड़के ने पुस्तकें पढ़ीं। — लड़की ने पुस्तकें पढ़ीं।

(ग) जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का तब क्रिया का लिंग पुल्लिग होता है जैसे—

(1) लड़के ने पुस्तक को पढ़ा। — लड़की ने पुस्तक को पढ़ा।

(घ) जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का तब क्रिया एक वचन में प्रयुक्त होती है जैसे—

लड़के ने पुस्तकों को पढ़ा। — लड़कों ने पुस्तकों को पढ़ा।

(ङ) यदि किसी वाक्य में एक वचन के ने-रहित और से जुड़े हुए समान लिंग के कई कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग कर्ताओं का-सा होगा। जैसे—

(1) राम और श्याम जा रहे हैं। — (2) गाय और बकरी जा रही हैं।

अपवाद—

(क) यदि उन कर्ताओं से पृथकत्व का भाव प्रकट हो तो क्रिया एक वचन में प्रयुक्त होगी। जैसे—

(1) एक घोड़ी और एक जा रही भैंस है।

(2) राजधानी में राजा और उसका एक मन्त्री रहता है।

(ख) यदि वे कर्ता भाववाचक संज्ञायें हों तो क्रिया एकवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे—

(1) मेरी बुद्धि और शारीरिक शक्ति क्षीण हो गयी है।

(2) उसमें नम्रता और सादगी नहीं है।

(च) यदि किसी वाक्य में एक वचन के ने-रहित और से हुड़े जुए भिन्न लिंग के कई कर्ता हों तो क्रिया पुल्लिग बहुवचन में होगी। जैसे—

(1) गाय और बैल जा रहे हैं।

(2) बैल और गाय जा रहे हैं।

(छ) यदि किसी वाक्य में भिन्न वचन के ने-रहित और से जुड़े हुए भिन्न लिंग के कई कर्ता हों तो क्रिया पुल्लिग बहुवचन में होगी। जैसे—

(1) लड़का और लड़कियां जा रहे हैं।
(2) लड़कियां और लड़का जा रहे हैं।
(3) लड़के और लड़कियां जा रहे हैं।
(4) लड़कियां और लड़के जा रहे हैं।
(5) लड़के और लड़की जा रहे हैं।
(6) लड़की और लड़के जा रहे हैं।

(ज) यदि किसी वाक्य में एक से अधिक **समान लिंग** के ने-रहित **और** से जुड़े हुए कर्ता हों तथा उनके अन्त में कोई **समुदायवाचक शब्द** हो, तो क्रिया **बहुवचन** में होगी और उनका **लिंग कर्ताओं के समान** होगा। जैसे—

(1) राम और श्याम दोनों जा रहे हैं।
(2) गाय और बकरी दोनों जा रही हैं।

(झ) यदि किसी वाक्य में एक से अधिक **भिन्न लिंग** के ने-रहित **और** से जुड़े हुए कर्ता हों तथा उनके अन्त में कोई **समुदायवाचक** शब्द हो, तो क्रिया **पुल्लिंग बहुवचन** में होगी। जैसे—

(1) कलम, कागज और किताब सब रखे हैं।
(2) कलम, किताब और कागज सब रखे हैं।

(ञ) यदि किसी वाक्य में समान लिंग के कई ने रहित **और** से जुड़े हुए कर्ता **एकवचन** में हों, किन्तु उन सबसे एक भाव अथवा समुदाय का बोध हो, तो क्रिया एक वचन में होगी और उनका लिंग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे—

(1) धन और धान्य सुख प्रदान करता है।
(2) नम्रता और सुशीलता मानव को सुशोभित करती है।

(ट) यदि किसी वाक्य के भिन्न-भिन्न पुरुषों के ने-रहित **और** से जुड़े हुए कर्ताओं में एक **उत्तम पुरुष** हो तो क्रिया **उत्तम पुरुष बहुवचन** में होगी और यदि वे केवल मध्यम तथा अन्य पुरुष हों तो क्रिया **मध्यम पुरुष की बहुवचन** में होगी। जैसे—

(1) मैं और तुम वहाँ चलेंगे।
(2) तुम और वह कहाँ जा रहे हो?
(3) तुम और मैं वहाँ चलेंगे।
(4) वह और तुम कहाँ जा रहे हो?

(ठ) यदि किसी वाक्य में ने-रहित **या** से जुड़े हुए कर्ता आयें तो उनकी क्रिया अन्तिम कर्ता के लिंग-वचन के अनुसार होगी। जैसे—

(1) गाय या घोड़ा जा रहा है।
(2) घोड़ा या गाय जा रही है।
(3) लड़के या लड़कियां जा रही हैं।
(4) लड़कियां या लड़के जा रहे हैं

(ड) यदि किसी वाक्य में ने रहित कर्ता अथवा उद्देश्य के लिंग-वचन **विधेय-पूरक** के लिंग-वचन से भिन्न हों तो क्रिया के लिंग-वचन कर्ता अथवा उद्देश्य के लिंग-वचन के अनुसार होंगे। जैसे—

(1) बेटी पराये घर का धन होती है।
(2) गुलाब का फूल आनन्द की वस्तु होता है।

[**स्मरण रहे** कि एक से अधिक ने-रहित कर्ताओं के सम्बन्ध में जो नियम ऊपर बताये गये हैं वे एक से अधिक को-रहित कर्म पर भी लागू होते हैं, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो।]

अव्यय के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. मेरे मन के **अन्दर** कोई बुरी बात नहीं है।	1. मेरे मन **में** कोई बुरी बात नहीं है।
2. वह आपके **ऊपर** विश्वास करता है।	2. वह आप **पर** विश्वास करता है।
3. आप तीन घण्टे **पीछे** क्यों आये हैं ?	3. आप तीन घण्टे **बाद** क्यों आये हैं ?
4. यह मेरा **सादरपूर्वक** निवेदन है।	4. यह मेरा **आदरपूर्वक** निवेदन है।

सर्वनाम के कतिपय अशुद्ध प्रयोगो का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. **सबों** ने उसको पीटा।	1. **सब** ने उसको पीटा।
2. **मेरे को** भूख नहीं है।	2. **मुझको** भूख नहीं है।
3. यह कार्य **तेरे से** नहीं होगा।	3. यह कार्य **तुझसे** नहीं होगा।
4. **वह** कविता सुना रहे थे।	4. **वे** कविता सुना रहे थे।
5. चलो, **अपन** वहाँ चलें।	5. चलो **हम** वहाँ चलें।
6. यह **कौन की** किताब है ?	6. यह **किसकी** किताब है ?
7. तुम **तुम्हारा** काम करो।	7. तुम **अपना** काम करो।
8. **मैंने** आज जयपुर जाना है।	8. **मुझको** आज जयपुर जाना है।

विशेषण के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. पुलिस ने **निरपराधी** व्यक्ति को पकड़ लिया।	1. पुलिस ने **निरपराध** व्यक्ति को पकड़ लिया।
2. उसके **अत्याधिक** उत्तर गलत हैं।	2. इसके **अत्यधिक** उत्तर गलत हैं।
3. माता-पिता **पूज्यनीय** होते हैं।	3. माता-पिता **पूजनीय** होते हैं।
4. मैं पूर्णतया **निर्दोषी** हूँ।	4. मैं पूर्णतया **निर्दोष** हूँ।
5. रावण बहुत **निर्दयी** था।	5. रावण बहुत **निर्दय** था।

लिंग के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. दही **खट्टी** है।	1. दही **खट्टा** है।
2. **मेरा** जेब खाली है।	2. **मेरी** जेब खाली है।
3. **लंकी** अहल्या का राम ने उद्धार किया।	3. **कलंकिनी** अहल्या का राम ने उद्धार किया।
4. मैं **अपने** धुन में चला जा रहा था।	4. मैं **अपनी** धुन में चला जा रहा था।
5. कहानी साहित्य **की** अंग है।	5. कहानी साहित्य **का** अंग है।

6.	आपने जो किताब भेजे हैं वे बहुत अच्छे हैं।	6.	आपने जो किताब भेजी हैं वे बहुत अच्छी हैं।

वचन के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

1.	स्वयंवर में अनेक राजे पधारे।	1.	स्वयंवर में अनेक राजा पधारे।
2,	उसके निबन्ध में अनेकों त्रुटियाँ थीं।	2.	उसके निबन्ध में अनेक त्रुटियाँ थीं।
3.	वहाँ सभी वर्ण के लोग उपस्थित थे।	3.	वहाँ सभी वर्णों के लोग उपस्थित थे।
4.	मन्त्रियों का नाम बताइए।	4.	मन्त्रियों के नाम बताइए।
5.	मैंने चार आम खाया।	5.	मैंने चार आम खाये।
6.	मेरा प्राण संकट में है।	6.	मेरे प्राण संकट में हैं।
7.	मैंने अपना हस्ताक्षर पहले ही कर दिया है।	7.	मैंने अपने हस्ताक्षर पहले ही कर दिये हैं।
8.	आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है।	8	आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं।

क्रिया के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

	अशुद्ध		शुद्ध
1.	आपने गलत निर्णय लिया है।	1.	आपने गलत निर्णय किया है।
2.	अब आप घर जाओ।	2.	अब आप घर जाइए।
3.	कल से वह कठोर परिश्रम करने आ रहा है।	3.	कल से वह कठोर परिश्रम करेगा।
4.	परीक्षा में उत्तीर्ण होना परिश्रम पर निर्भर करता है।	4.	परीक्षा में उत्तीर्ण होना परिश्रम पर निर्भर होता है।
5.	उसने अब परिश्रम करने का संकल्प लिया है।	5.	उसने अब परिश्रम करने का संकल्प किया है।
6.	क्या आपने भोजन खा लिया।	6.	क्या आपने भोजन कर लिया।
7.	अब दक्षिण के लोग हिन्दी की शिक्षा ले रहे हैं।	7.	अब दक्षिण के लोग हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
8.	उसके हाथ की वस्तु आम था।	8.	उसके हाथ की वस्तु आम थी।
9.	पुलिस की गोली खाकर डाकू मर गया।	9.	पुलिस की गोली लगने से डाकू मर गया।

योजक शब्द-प्रयोग की कतिपय अशुद्धियों का संशोधन

	अशुद्ध		शुद्ध
1.	जब राम ने रावण का वध कर दिया, तो बन्दरों को बहुत आनन्द हुआ।	1.	जब राम ने रावण का वध कर दिया तब बन्दरों को बहुत आनन्द हुआ।

2. यदि वह मांगता तब मैं अवश्य देता।	2. यदि वह कुछ मांगता तो मैं अवश्य देता।
3. बालक इसलिए गिर पड़ा कि वह कमजोर था।	3. बालक इसलिए गिर पड़ा, क्योंकि वह कमजोर था।
4. जैसा बोओगे उसी प्रकार का काटोगे।	4. जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
5. आप इसी समय चले जाइए, क्योंकि गाड़ी मिल जाय।	5. आप इसी समय चले जाइए, जिससे गाड़ी मिल जाय।
6. परिश्रम करो जिससे कि पास हो जाओ।	6. परिश्रम करो जिससे पास हो जाओ।
7. यह वही व्यक्ति है जो कि कल आया था।	7. यह वही व्यक्ति है जो कल आया था।
8. जो दस बजे तक आ जायगा सो उपस्थित समझा जायगा।	8. जो दस बजे तक आ जायगा वह उपस्थित समझा जायगा।
9. जहाँ तुम्हें बुलाया गया है उसी जगह तुम जाओ।	9. जहाँ तुम्हें बुलाया गया है वहीं तुम जाओ।

सम्बन्धी शब्दों की क्रमभंगता की कतिपय अशुद्धियों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. कोई गाँव का आदमी यह नहीं चाहता है।	1. गाँव का कोई आदमी यह नहीं चाहता है।
2. अधिकांश हिन्दी के लेखक निर्धन हैं।	2. हिन्दी के अधिकांश लेखक निर्धन हैं।
3. सीता एक मोतियों का हार पहिने है।	3. सीता मोतियों का एक हार पहिने है।
4. रमेश के खेल की शहर भर में प्रसिद्धि है।	4. रमेश के खेल की प्रसिद्धि शहर भर में है।
5. विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ थीं।	5. मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थीं।

विरोधी शब्दों के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. शायद आज वर्षा अवश्य होगी।	1. शायद आज वर्षा हो या आज वर्षा अवश्य होगी।
2. इसमें संदेह है कि वह परीक्षा में अवश्य पास हो जायगा।	2. इसमें संदेह है कि वह परीक्षा में पास हो जायगा।
3. यह विषय बड़ा छोटा है।	3. यह विषय बहुत छोटा है।

प्रयास-लाघव के कतिपय अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. उसका स्वभाव गोपाल का-सा है।	1. उसका स्वभाव गोपाल के स्वभाव का-सा है।

2. उसकी बुद्धि **मुझसे** अच्छी है।	2. उसकी बुद्धि **मेरी बुद्धि से** अच्छी है।
3. मैं वाराणसी गया और वहाँ गंगाजी में स्नान किया।	3. मैं वाराणसी गया और वहाँ **मैंने** गंगाजी में स्नान किया।
4. वह कवि-सम्मेलन में पहुँचा और पहुँचते ही कविता पढ़ी।	4. वह कवि-सम्मेलन में पहुँचा और पहुँचते ही **उसने** कविता पढ़ी।

वाक्य-रचना की कतिपय अशुद्धियों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. वह आदमी जो कल यहाँ आया था उसके आज चोरी हो गयी।	1. जो यहाँ कल आया था उस आदमी के आज चोरी हो गयी।
2. अब आप पुरानी बातों, जो बीत चुकी हैं, पर चर्चा न करे।	2. जो बीत चुकी हैं उन पुरानी बातों पर अब चर्चा न करें।
3. बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया।	3. बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया।
4. जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे परीक्षा में पास नहीं होगे।	4 जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक परीक्षा में पास नहीं होगे।
5. इसके पहले कि मैं उसे रोक सकूँ वह भाग गया।	5. मैं उसे रोक सकूँ इसके पहले ही वह भाग गया।

विविध अशुद्ध प्रयोगों का संशोधन

अशुद्ध	शुद्ध
1. महादेवीजी **विद्वान** एवं **कवि** थीं।	1. महादेवीजी **विदुषी** एवं **कवयित्री** थीं।
2. सीताजी रामचन्द्रजी की **स्त्री** थीं।	2. सीताजी रामचन्द्रजी की **पत्नी** थीं।
3. इन्दिरा गांधी की हत्या से सारे देश में **दुःख** छा गया।	3. इन्दिरा गांधी की हत्या से सारे देश में **शोक** छा गया।
4. 'रामचरितमानस' हिन्दी का **बहुमूल्य** ग्रन्थ है।	4. 'रामचरितमानस' हिन्दी का **अमूल्य** ग्रन्थ है।
5. स्वर्ण **अमूल्य** धातु है।	5. स्वर्ण **बहुमूल्य** धातु है।
6. **बन्दूक** एक आवश्यक सुरक्षा-**शस्त्र** है।	6. **बन्दूक** एक आवश्यक सुरक्षा-**अस्त्र** है।
7. व्यायाम स्वास्थ्य के लिए **उपयोगी रहेगा**।	7. व्यायाम स्वास्थ्य के लिए **उपयोगी** सिद्ध होगा।
8. दोनों लड़कों में पहला **श्रेष्ठतम** है।	8. दोनों लड़कों में पहला **श्रेष्ठतर** है।
9. यह बालक आपकी **प्रतीक्षा** में सो गया।	9. यह बालक आपकी **प्रतीक्षा करता-करता** सो गया।
10. उसकी **सौभाग्यवती** कन्या का विवाह कल होगा।	10. उसकी **आयुष्मती** कन्या का विवाह कल होगा।

11. कल उसकी आयु पच्चीस वर्ष की हो जायगी । 11. कल उसकी अवस्था पच्चास वर्ष की हो जायगी ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(1) निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द शुद्ध है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए—

(क) सौन्दर्यता (ख) अत्याधिक (ग) साहित्यिक (घ) विश्वासनीय । ( )

(2) निम्नांकित शब्दों में से कौनसा शब्द अशुद्ध है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए—

(क) अनुगृह (ख) मध्याह्न (ग) प्रदर्शनी (घ) शृंगार । ( )

(3) निम्नांकित शब्दों में से जो शब्द अशुद्ध हो उसे शुद्ध करके सामने के कोष्ठक में लिखिए –

(क) आरोग्य (ख) उपरोक्त (ग) उत्कर्ष (घ) कृतघ्न । ( )

(4) निम्नलिखित शब्दों में से कौनसा शब्द शुद्ध है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए—

(क) सौजन्यता (ख) सन्यासी (ग) श्रद्धा (घ) वृज । ( )

(5) निम्नांकित शब्द-रूपों में से वर्तनी की दृष्टि से कौनसा रूप शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—

(क) अभिसेक (ख) अभिशेक (ग) अभिषेक । ( )

(6) निम्नांकित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौनसा शब्द शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—

(क) ज्योत्सना (ख) श्रंगार (ग) रचयिता (घ) आर्शीवाद । ( )

(7) निम्नांकित शब्दों में से कौनसा शब्द पुल्लिग नहीं है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए —

(क) पुत्र (ख) सन्तान (ग) तीतर (घ) पात्र । ( )

(8) निम्नांकित में से कौनसा शब्द स्त्रीलिंग है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—

(क) सौन्दर्य (ख) दही (ग) हाथी (घ) कपास । ( )

9. निम्नलिखित शब्दों में से कौनसा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए —

(क) कवियत्री (ख) निर्दोष (ग) दुरवस्था (घ) ईर्ष्या । ( )

10. निम्नांकित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौनसा शब्द शुद्ध नहीं है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए —

(क) अभ्यार्थी (ख) उच्छृंखल (ग) शाप (घ) सहस्र । ( )

11. निम्नांकित शब्द-रूपों में से वर्तनी दृष्टि से कौनसा रूप शुद्ध है ? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए –

(क) पुरष्कार (ख) पुरुस्कार (ग) पुरस्कार (घ) पुरश्कार । ( )

12. निम्नांकित वाक्यों में शब्दों के क्रम की दृष्टि से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए —

(क) हमने एक मोतियों का हार खरीदा था।
(ख) एक हमने मोतियों का हार खरीदा था।
(ग) हमने खरीदा था मोतियों का एक हार।
(घ) हमने मोतियों का एक हार खरीदा था।
(ङ) हमने खरीदा था एक मोतियों का हार। ( )

13. निम्नांकित वाक्यों में से वचन की दृष्टि से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—
(क) युवावस्था में मनुष्य अनेक भूल करता है।
(ख) युवावस्था में मनुष्य अनेक भूलें करता है।
(ग) युवावस्था में मनुष्य अनेकों भूल करता है।
(घ) युवावस्था में मनुष्य अनेकों भूलें करता है। ( )

14. निम्नांकित वाक्यो में से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—
(क) बालक, वृद्ध और स्त्रियाँ सब मेला देखने जा रहे हैं।
(ख) यह निबन्ध की पुस्तक मेरे को दे दो।
(ग) एकाध परीक्षार्थियों ने सही उत्तर दिया है।
(घ) उसने कई इतिहासिक एकांकी लिखे हैं।
(ङ) राम, मोहन या श्याम कल मेरे घर आयेंगे। ( )

15. निम्नांकित वाक्यों में से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—
(क) आपकी पुत्री विद्वान है।
(ख) श्याम और मोहन खेल रहे हैं।
(ग) सबों ने मिलकर बेचारे नरेश को पीटा।
(घ) मैंने आपको अमूल्य अँगूठी दी थी।
(ङ) आपने तो मेरा प्राण संकट में डाल दिया है। ( )

16. निम्नांकित वाक्यों में से पुनरुक्त शब्दों को हटाकर इन्हें शुद्ध करके लिखिए—
(क) वह प्रातःकाल के समय आया।
(ख) उसे मृत्युदण्ड की सजा मिली है।
(ग) मेरे पास केवल एक मात्र कलम है।
(घ) दोनों भाइयों को परस्पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए।

17. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए—
(क) परोपकार आनन्द की वस्तु होती है।
(ख) 'रामायण' हमारी भक्ति-ग्रन्थ है।
(ग) बेटी पराये घर का धन होता है।
(घ) ब्रज कृष्ण की लीला-स्थल है।

18. निम्नलिखित वाक्यों को पुनरुक्ति-सम्बन्धी अशुद्धि हटाकर शुद्ध लिखिए—
(क) कृपया मेरी सहायता करने की अनुकम्पा करें।
(ख) पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को परस्पर एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए।
(ग) सोचते-सोचते उसने घर जाने का विचार किया।

(घ) गुरुजी राज-प्रासाद में राजकुमारों को पढ़ाते हैं। ( )

19. निम्नलिखित वाक्यों में कौनसा वाक्य सही है? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—

(क) दमयन्ती राजा नल की स्त्री थी।
(ख) सबों ने सही कहा कि उसका भाग्य फूट गया है।
(ग) आप आधा घण्टा पीछे क्यों आये हो ?
(घ) युवावस्था में अनेक भूलें होती हैं। ( )

20. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए—

(क) सदाचार सत्संग पर निर्भर करता है।
(ख) वह कल दिल्ली से वापस लौट आया।
(ग) एकमात्र पुत्र के निधन से माता-पिता दुःखसागर में डूब गये।
(घ) शिकारी की गोली खाकर हिरन मर गया।

21. निम्नलिखित वाक्यों में से कौनसा वाक्य अशुद्ध है? उसको शुद्ध करके लिखिए—

(क) सुरक्षा के लिए बन्दूक नामक अस्त्र की आवश्यकता होती है।
(ख) मुझको निश्चय रूप से कुछ नहीं मालूम है।
(ग) इसमें मेरी और आपकी क्या गलती है ?
(घ) दरिद्रता के समान संसार में अन्य दुःख नहीं है।

22. निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए—

(क) वह गुनगुने गरम पानी से स्नान करता है।
(ख) समाज की वर्तमान मौजूदा परिस्थिति शोचनीय है।
(ग) विद्यार्थियों ने प्रधानाध्यापकजी को माँग-पत्र प्रदान किया।
(घ) अहिंसा परम धर्म है। ( )

23. निम्नलिखित वाक्यों में से कौनसा वाक्य सही है? उसका क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिए—

(क) मैंने चार बजे तक आपकी प्रतीक्षा देखी।
(ख) इसका उत्तरदायित्व हम सब लोगों के ऊपर है।
(ग) महात्मा गांधी का दर्शन करके में बहुत प्रसन्न हुआ।
(घ) यदि आप आ सकें तो आपकी बड़ी कृपा हो। ( )

24. निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाँटकर उसे शुद्ध करके लिखिए—

(क) इस शुभ कार्य में आप भी योगदान दीजिए।
(ख) उसका कथन विश्वसनीय है।
(ग) कार्य पूरा होने में अभी विलम्ब होगा।
(घ) लड़की फूट-फूट कर रो रही थी।

25. निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया की अशुद्धि दूर करके इन्हें पुनः लिखिए—

(क) अब उसने सिगरेट न पीने का संकल्प लिया है।
(ख) उस छात्र ने अपराध के लिए क्षमा-याचना माँगी।
(ग) मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ।
(घ) आपने बहुत शीघ्र भोजन खा लिया।

26. निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की अशुद्धि हटाकर इन्हें पुनः लिखिए—

(क) आप ही बतलाइए, मेरे से क्या भूल हुई है।
(ख) मैंने आज दिल्ली जाना है।
(ग) आप आपका काम कीजिए।
(घ) अपन को भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए।

27. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण की अशुद्धि हटाकर इन्हें पुनः लिखिए—
(क) न्यायालय से निरापराधी व्यक्ति को दण्ड मिला है।
(ख) निर्दयी व्यक्ति को सब लोग घृणा करते हैं।
(ग) परीक्षार्थी ने अत्याधिक परिश्रम किया।
(घ) वह पूर्णतः निर्दोषी है।

28. निम्नलिखित वाक्यों में से विभक्ति की अशुद्धि हटाकर इन्हें पुनः लिखिए—
(क) लुटेरे ने पथिक का गला घोंटकर मार डाला।
(ख) विद्यार्थी को योग्यता बढ़ाने के लिए कई पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए।
(ग) वह रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी किया।
(घ) रावण ने वन में सीताजी को हरण कर लिया।

29. निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय की अशुद्धि हटाकर इन्हें पुनः लिखिए—
(क) मेरे मन के अन्दर तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।
(ख) मुझको आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है।
(ग) मैं सविनयपूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ।
(घ) यह स्त्री बड़ी मोटी है।

30. निम्नलिखित वाक्यों को समास या सन्धि की अशुद्धि का निवारण करके पुनः लिखिए—
(क) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(ख) निरोग शरीर ही सच्चा धन है
(ग) प्रधानाचार्यजी सपत्नी उत्सव में पधारे।
(घ) गुरु के सदोपदेश कल्याणकारी होते हैं।

31. निम्नलिखित वाक्यों को प्रत्यय की अशुद्धि हटाकर पुनः लिखिए—
(क) उसकी सौजन्यता प्रसिद्ध है।
(ख) हनुमानजी बलिष्टतम थे।
(ग) 'रामायण' की महत्वता कौन नहीं जानता ?
(घ) उसकी दुष्टताई की सर्वत्र निन्दा हो रही है।

32. निम्नलिखित वाक्यों को विराम-सम्बन्धी अशुद्धि दूर करके पुनः लिखिए—
(क) हाय ! रोने से क्या होगा।
(ख) रामचरितमानस हिन्दी की श्रेष्ठतम रचना है।
(ग) गोविन्द ने कहा अरे यह कैसा अनोखा दृश्य है।
(घ) तुम माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते।

33. निम्नलिखित वाक्यों में से योजक शब्दों की दृष्टि से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए—
(क) जैसा करोगे उसी प्रकार का फल पाओगे।
(ख) यदि वह माँगता तब मैं अवश्य देता।

(ग) जहाँ तुम्हें बुलाया गया है उसी स्थान पर तुम्हें पहुँचना चाहिए।

(घ) आप अविलम्ब प्रस्थान करें, जिससे गाड़ी मिल जाय। ( )

34. निम्नलिखित वाक्यों में से कौनसा वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध है ? उसे शुद्ध करके लिखिए—

(क) यह संदूक बहुत छोटा है।

(ख) यह वही मनुष्य है जो कल आया था।

(ग) अब आप उन बातों, जो बीत चुकी हैं, को भूल जाइए।

(घ) शिकारी की गोली लगने से हिरन के प्राण-पखेरू उड़ गये।

35. निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयास-लाघव की अशुद्धि वाला वाक्य शुद्ध करके लिखिए—

(क) मेरा मित्र शायद आज आये।

(ख) व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

(ग) वह स्टेशन पहुँचा और शीघ्र टिकट खरीदा।

(घ) अब आप घर जाइए।

उत्तर—1. (ग), 2. (क), 3 (उपर्युक्त), 4. (ग), 5. (ग), 6 (ग), 7. (ख) 8. (घ), 9 (क), 10. (क), 11. (ग), 12. (घ), 13. (ख), 14. (क), 15. (ख), 16. (क) वह प्रातःकाल आया। (ख) उसे मृत्युदण्ड मिला है या उसे मृत्यु की सजा मिली है। (ग) मेरे पास केवल एक कलम है या मेरे पास एकमात्र कलम है। (घ) दोनों भाइयों को परस्पर नहीं लड़ना चाहिए या दोनों भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। 17 (क) परोपकार आनन्द की वस्तु होता है। (ख) 'रामायण' हमारा धर्म-ग्रन्थ है। (ग) बेटी पराये घर का धन होती है। (घ) ब्रज कृष्ण का लीला-स्थल है। 18. (क) कृपया मेरी सहायता करें या मेरी सहायता करने की अनुकम्पा करें। (ख) पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को परस्पर मित्रता का व्यवहार करना चाहिए या पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को आपस में मित्रता का व्यवहार करना चाहिए (ग) उसने घर जाने का विचार किया (घ) गुरुजी प्रासाद में राजकुमारों को पढ़ाते हैं। 19. (घ), 20. (क) सदाचार सत्संग पर निर्भर है। (ख) वह कल दिल्ली से वापस आया या वह कल दिल्ली से लौट आया। (ग) एकमात्र पुत्र के निधन से माता-पिता शोक-सागर में डूब गये। (घ) शिकारी की गोली लगने से हिरन मर गया। 21. (ख) मुझको निश्चित रूप से कुछ नहीं मालूम है। 22. (घ), 23. (घ), 24. (क), इस शुभ कार्य में आप भी योगदान कीजिए। 25. (क) अब उसने सिगरेट न पीने का संकल्प किया है। (ख) उस छात्र ने अपराध के लिए क्षमा-याचना की। (ग) मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। (घ) आपने बहुत शीघ्र भोजन कर लिया। 26. (क) आप ही बताइए, मुझसे क्या भूल हुई है। (ख) मुझे आज दिल्ली जाना है। (ग) आप अपना काम कीजिए। (घ) हमको भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। 27. (क) न्यायालय से निरपराध व्यक्ति को दण्ड मिला है। (ख) निर्दय व्यक्ति को सब घृणा करते हैं। (ग) इस परीक्षार्थी ने अत्यधिक परिश्रम किया। (घ) वह पूर्णतः निर्दोष है। 28. (क) लुटेरे ने

पथिक को गला घोंटकर मार डाला। (ख) विद्यार्थी को योग्यता बढ़ाने के लिए कई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। (ग) उसने रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी की। (घ) रावण ने वन में सीताजी का हरण कर लिया। 29. (क) मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। (ख) मुझको आप पर पूर्ण विश्वास है। (ग) मैं विनयपूर्वक (या सविनय) आपसे निवेदन कर रहा हूँ। (घ) यह स्त्री बहुत मोटी है। 30. (क) उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए। (ख) नीरोग शरीर ही सच्चा धन है। (ग) प्रधानाचार्यजी सपत्नीक उत्सव में पधारे। (घ) गुरु के सदुपदेश कल्याणकारी होते हैं। 31. (क) उसकी सज्जनता (या सौजन्य) प्रसिद्ध है। (ख) हनुमानजी बलिष्ठतम थे। (ग) 'रामायण' का महत्व (या की महत्ता) कौन नहीं जानता ? (घ) उसकी दुष्टता की सर्वत्र निन्दा हो रही है। 32. (क) हाय ! रोने से क्या होगा ? (ख) 'रामचरितमानस' हिन्दी की श्रेष्ठतम रचना है। (ग) गोविन्द ने कहा, "अरे ! यह कैसा अनोखा दृश्य है !" (घ) तुम माता-पिता की सेवा क्यों नहीं करते ? 33. (घ) 34. (ग) अब आप उन बातों को भूल जाइए, जो बीत चुकी हैं। 35. (ग) वह स्टेशन पहुँचा और उसने शीघ्र टिकट खरीदा।

खण्ड 2
संक्षिप्तीकरण

अपठित गद्यांश का सारांश अथवा पद्यांश का भावार्थ लिखना **संक्षिप्तीकरण** कहलाता है।

सार, सारांश, भाव एवं भावार्थ शब्द लगभग समानार्थी हैं। इनमें प्रमुखता का भाव है। फल में जो स्थान रस का है वही स्थान रचना में सार, सारांश, भाव अथवा भावार्थ का है। संक्षिप्तीकरण में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए—

(1) यह संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो। इसका आकार गद्यांश अथवा पद्यांश के आकार से छोटा हो। यह गद्यांश अथवा पद्यांश का लगभग तिहाई हो।

(2) इसमें मुख्य विचारों और भावों को ही स्थान दिया जाय, अनावश्यक और व्यर्थ बातें न लिखी जायें। इसके लिए आवश्यक है कि गद्यांश अथवा पद्यांश को तीन-चार बार पढ़ा जाय और मुख्य विचार तथा भाव वाले अंशों को रेखांकित कर लिया जाय।

(3) फिर रेखांकित विचारों एवं भावों को अपनी भाषा में लिखा जाय।

(4) यह अन्य पुरुष में लिखा जाय।

नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

संक्षिप्तीकरण के अतिरिक्त अपठित के अन्तर्गत गद्यांशों के शीर्षक, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उनके आश्रित प्रश्न भी पूछे जाते हैं।

शीर्षक— शीर्षक गद्यांश अथवा पद्यांश-रूपी वृत्त का केन्द्र होता है। वह मूल भाव का द्योतक होता है। वह आकर्षक तथा यथासम्भव छोटा होना चाहिए।

रेखांकित अंशों की व्याख्या— इसमें समझाने का प्रयास किया जाय और भाव स्पष्ट किये जायें। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्द लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा।

आश्रित प्रश्नों के उत्तर - ये गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित हों, कहीं बाहर उनके उत्तर न खोजे जायें। उनमें व्यर्थ की कोई बात न लिखी जाय। भाषा अपनी हो।

गद्यांश

(1)

प्रगतिवाद की दृष्टि में काव्य नंदन-कानन का कल्पित तरु नहीं बल्कि वह हमारी ही दुनियाँ का आम्रवृक्ष है जो शिशिर और बसंत के स्पर्श से क्रमशः विषादित और आह्लादित हुआ करता है। साहित्य अमरावती में प्रवाहित होने वाली कोई पीयूष-

धारा नहीं, बल्कि वह हमारे ही हिमालय से कल-कल स्वर करती हुई हमारी ही धरती पर बहने वाली मन्दाकिनी की शीतल-उष्ण धारा है, जिसमें हमारे हृदय की आशाएँ, अभिलाषाएँ तरंगित होती रहती हैं। साहित्य स्वर्ग की सुर-सभा में निनादिन होने वाली उर्वशी के तरल नूपुरों की मादक झंकार नहीं, बल्कि वह हमारे ही प्राणों के पुलकित वन में बजने वाली व्याकुल विपंची है, जो सुख-दुःख के तारों से झंकृत हुआ करती है। साहित्य इसी ठोस धरती की चीज है। साहित्य की यथार्थवादी व्यावहारिक व्याख्या होनी चाहिए, आदर्शवादी अलौकिक परिभाषा नहीं। दिनभर के संघर्ष से जी चुराकर रात में विचरने वाले कवि 'निशिचर' नहीं तो क्या हैं ? हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो हमें अपने वास्तविक रूप से परिचित कराये।

प्रश्न—(क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

उत्तर— **(क) सारांश**

प्रगतिवाद के अनुसार साहित्य में हमें जीवन का काल्पनिक आदर्श रूप देखने को नहीं मिलना चाहिए। उसमें हमें जीवन के वास्तविक रूप की झाँकी मिलनी चाहिए। उसमें दुनियाँ के सामान्य सुख-दुःख-समन्वित जीवन का चित्रण होना चाहिए, अलौकिक जीवन का चित्रण नहीं, जिसमें दुःख का कोई स्थान नहीं हैं।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'प्रगतिवाद की दृष्टि में काव्य'।

(2)

भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख-दुःख में छाया की भाँति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्द्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग-लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म-बलिदान द्वारा समय-समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढ़ा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को भी हारना पड़ा है। सती सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला एवं भक्तश्री मीरा की दिव्य झाँकियाँ प्रेरणा के स्रोत हैं और पुरुष को चेतना तथा जागरण का संदेश देती हैं। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का **जीवन-कुसुम सुवासित होता** है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।

प्रश्न—(क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

उत्तर— **(क) सारांश**

भारत की नारी में त्याग, बलिदान, साहस और सेवा के अलौकिक गुण होते हैं। वह पुरुष की अर्द्धांगिनी, गृहलक्ष्मी तथा देवी के नाम से विभूषित की जाती है। उसके आत्मबलिदान ने पुरुष को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसमें देवता रहते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति का विश्वास है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'भारतीय नारी की महत्ता।

(ग) **जीवन-कुसुम सुवासित होता है**—यह आलंकारिक भाषा है। यहाँ जीवन

को कुसुम कहा गया है। भाव यह है कि फूल की सुगन्ध की तरह जीवन में श्रेष्ठता का समावेश होता है।

(3)

कृष्ण के चरित्र में जो थोड़ा-बहुत लोक-संग्रह दिखायी पड़ता है उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस ओज और उत्साह से तुलसीदासजी ने मारीच, ताड़का, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है उस ओज और उत्साह से सूरदासजी ने वकासुर, अघासुर, कंस आदि के वध और इन्द्र के गर्व-मोचन का वर्णन नहीं किया है। शक्ति, शील और सौंदर्य भगवान् की इन तीन विभूतियों में से सूर ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को सीमित रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान के लोक-रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ने की। श्रद्धा या महत्व-बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही सूर की उपासना सख्य भाव की कही जाती है।

प्रश्न – (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(क) **सारांश**

सूरदासजी का हृदय कृष्णजी के लोक-रक्षक स्वरूप से नहीं आकृष्ट हुआ। उन्होंने प्रेम के आलम्बन सौंदर्य को ही अपने काव्य का विषय बनाया। कृष्णजी के शील अथवा शक्ति की ओर उनका ध्यान नहीं गया। कृष्णजी की शक्ति के प्रति श्रद्धा न होने के कारण सूरदासजी की भक्ति सखाभाव की कही जाती है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'सूर की भक्ति-भावना'

(4)

राजस्थान की भूमि वीर-प्रसू है। वीर-विभूति महाराणा प्रताप, वीर-शिरोमणि महारानी पद्मिनी प्रभृति वीर-वीरांगनाओं के बलिदानों की आहुतियों ने स्वतन्त्रता का शृंगार तथा आर्य-संस्कृति का मस्तक ऊँचा किया है। भक्ति-क्षेत्र में भी राजस्थान की कीर्ति-पताका गगन-स्पर्शी है। जनमानस को आप्लावित करने वाले भजनों की गायिका भक्त-श्री मीरा की पावन संगीत-लहरा से क्या कुटीर, क्या प्रासाद सभी ओत-प्रोत हैं। धन्य है यह वसुन्धरा ! इसकी रज में पद्मिनी और प्रताप की भस्म की पावनता तथा मीरा की भक्ति-भावना की सुरभि विद्यमान है, **जो हृदय-तंत्री के झंकृत करने के लिए पर्याप्त है।** इस तीर्थ-भूमि का प्रत्येक रेणु-कण अदम्य साहस, अपूर्व त्याग, अद्वितीय शौर्य, अनुपम बलिदान एवं अलौकिक भक्ति का दर्पण और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(क) **सारांश**

राजस्थान की भूमि अनुपम वीर-वीरांगनाओं की जननी है। भक्ति-क्षेत्र में भी

इसका यशस्वी योगदान रहा है। इसका कण-कण अद्वितीय वीरता, अपूर्व त्याग, महान् साहस, सराहनीय बलिदान और उत्कृष्ट भक्ति-भावना से ओत-प्रोत तथा प्रेरणा-दायक है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'राजस्थान का गौरव ।

(ग) **जो हृदय-तन्त्री को झंकृत करने के लिए पर्याप्त हैं**—जो हृदय को प्रभावित करने के लिए काफी है। यहाँ आलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए हृदय को तंत्री (तारों का बाजा) कहा गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार उँगलियों से तंत्री बजने लगती है है उसी प्रकार पद्मिनी और प्रताप की भस्म की पावनता तथा मीरा की भक्ति-भावना से मानव-हृदय आंदोलित हो उठता है, प्रभावित हो जाता है।

(5)

आज का एकांकी नाटक जीवन के किसी अंग की संक्षिप्त किन्तु चुभती हुई समीक्षा है। जीवन के किसी महत्वपूर्ण पक्ष पर एक बार ही तीव्र प्रकाश फेंककर उसकी समस्त अभिव्यंजना पाठकों के मन तक पहुँचाना एकांकी का उद्देश्य है। घने बादलों के बीच में सहसा बिजली चमक जाय और एक क्षण के लिए सम्पूर्ण दृश्य आंखों में उतर आये, यही एकांकी की कला है। चाहे किसी आदर्श की प्रतिष्ठा हो अथवा किसी यथार्थ का मूल्यांकन हो, **एकांकी घटना में प्राण डालकर उसे वृक्ष की भाँति पुष्पित कर देता है।** यों कहिए कि वह ऐसी बसन्त ऋतु के समान है जिसमें प्रत्येक वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हो उठता है।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(क) सारांश

एकांकी नाटक में जीवन के किसी महत्वपूर्ण अंग को संक्षिप्त एवं प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उसकी सफलता इसी में है कि वह किसी आदर्श अथवा यथार्थ घटना को सजीवता तथा सुन्दरता प्रदान कर दे।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'एकांकी का लक्षण'।

(ग) **एकांकी घटना में प्राण डालकर उसे वृक्ष की भाँति पुष्पित कर देता है**—एकांकी नाटक किसी घटना को सजीव बनाते हुए उसे विकसित करता है और उसमें सुन्दरता का समावेश करता है। यहाँ आलकारिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है। घटना को वृक्ष के समान कहा गया है। जिस प्रकार माली पौधे को खाद एवं जल की सहायता से विकसित करके उसमें फूल उत्पन्न करता है उसी प्रकार एकांकी नाटककार किसी घटना को लेकर उसका चित्रात्मक वर्णन करता हुआ उसे विकसित करता है और उसे रोचक बनाता है।

अभ्यासार्थ कतिपय गद्यांश

(1)

किसानों और मजदूरों की झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल वंशी बजाता मिलेगा। किसी धूल-भरे हीरे की कनी में उस सिरजनहार को देखो। पददलित अछूत की छाया में उस लीला-बिहारी के दर्शन करो। दीनबन्धु का निवास स्थान दीन हृदय है। दीन-दुर्बल का दिल दुखाना भगवान का मंदिर ढहाना है। दीन की आह में प्रेमी को अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। प्रेमी का हृदय दीनों का भवन है। दीनों का हृदय दीन-

बन्धु भगवान का मंदिर है और भगवान का हृदय प्रेमी का निवास-स्थान है। दरिद्र-सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है। दीनदयालु ही आस्तिक है। दीन-दुःखियों के दरिद्र का मर्मी ही महात्मा है। गरीबों की पीर को जानने वाला ही सच्चा पीर है।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(2)

मानवीय जीवन को चिरंजीव करने वाला, संजीवनी का-सा प्रभाव रखने वाला अनुशासन आज केवल एक व्यक्ति, देश एवं राष्ट्र की सीमा के अन्दर ही आवश्यक नहीं, वरन् जहाँ तक अमरत्वमयी शक्ति का क्षेत्र विस्तृत करे वहीं तक यह मानव एवं उसके देश की उन्नति के लिए भी उपयोगी है। वास्तव में अनुशासन उस दीपक के समान है जो भूले-भटकों को मार्ग दिखाता है। इसके प्रकाश में सादगी, सदाचार, विनय, साहस आदि मानवीय गुणों में चार चाँद लग जाते हैं। अनुशासन-पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(3)

प्रजातन्त्र सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को सर्वाधिक महत्व देता है। यह राज्य को मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन मात्र समझता है, राज्य को अपने आप में साध्य नहीं मानता। यही कारण है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम उन्नति का जितना अवसर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली में प्राप्त होता है उतना किसी अन्य शासन-प्रणाली में नहीं। प्रजातन्त्र मनुष्य की व्यक्तिगत स्वाधीनता का संरक्षक है और लोगों की पारस्परिक सहिष्णुता पर आधारित है। इसलिए आजकल **इसे भावी संस्कृति और समृद्धि के युग का अग्रदूत माना जाता है।**

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीषक लिखिए।

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(4)

जीवन का वास्तविक आनन्द मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है। जो सुबह से शाम तक अपना खून-पसीना एक करते हुये कर्म-क्षेत्र में डटा रहता है, चिन्ताएँ उससे दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का समय नहीं मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति को किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उसे अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाये क्यों? वह जानता है कि उसके पास दो हाथ हैं, जिनसे भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति सदैव आत्म-निर्भर होता है। कठिनता को सरलता में बदल सकने की शक्ति का उसमें स्वतः विकास होता है।

प्रश्न (क) उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए।

(ख) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(ग) परिश्रमी व्यक्ति आत्मनिर्भर क्यों होता है ?

(5)

राष्ट्र की अखंडता सर्वोपरि है। अखंडता केवल भौगोलिक ही नहीं वरन् वैचारिक भावात्मक एवं सांस्कृतिक भी हो। **अखंडता तो राष्ट्र की आत्मा है** जिसे टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अखंडता राष्ट्र की नींव है जिस पर सुख, समृद्धि एवं प्रगति का भव्य प्रासाद खड़ा किया जाता है। अतएव भाषा, प्रान्त, धर्म अथवा जाति के नाम पर देश की अखंडता को दाँव पर लगाना न केवल अनुचित है वरन् दुर्भाग्य-पूर्ण भी। देश की अखंडता तो इन सब संकीर्णताओं के ऊपर है और सभी धर्मों, जातियों, प्रान्तों और भाषाओं को उनकी उन्नति के पूर्ण अवसर प्रदान करती है जिससे कि वे जुड़ें, न कि टूटकर बिखर जायें।

(क) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(ख) राष्ट्र की अखंडता का क्या महत्व है ?

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

पद्यांश

(1)

चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ।
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ।।
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि ! डाला जाऊँ।
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ।
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक।।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

उत्तर **(क) भावार्थ**

फूल देवताओं की स्त्रियों का श्रृंगार, प्रेमी की माला का अंग, महाराजाओं के मृत शरीर की शोभा अथवा देवताओं की पूजा की सामग्री नहीं बनना चाहता। वह तो भारत-माता पर बलिदान होने वाले वीरों के चरण स्पर्श करना चाहता है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'पुष्प की अभिलाषा'।

(2)

उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती।
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

जो मनुष्य सबको स्नेह करता है और मानव-कल्याण हेतु अधिक से अधिक कष्ट सहता है, वह महान है। ऐसे उदार व्यक्ति का यश चारों ओर फैल जाता है और उसका सर्वत्र आदर होता है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'मानव-जीवन की सार्थकता'

(3)

झोंपड़ी झुकाकर तुम अपनी,
ऊँचे करते हो राज द्वार,
हे ग्राम-देवता ! नमस्कार।

तुम जन-गन-मन अधिनायक हो।
तुम हँसो कि फूले-फले देश।
आओ सिंहासन पर बैठो।
यह राज्य तुम्हारा है अशेष।

उर्वरा भूमि के नये खेत
के नये धन्य से सजे वेश।
तुम भू पर रह कर भूमि-भार,
धारण करते हो मनुज शेष।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

उत्तर (क) भावार्थ

किसान ग्राम-देवता के रूप में अभिनंदनीय है। वह स्वयं त्यागमय जीवन व्यतीत करता हुआ साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के सुख की योजना करता है। वह जन-प्रतिनिधि है और सर्वोच्च पद का अधिकारी है। वह शेषनाग की भाँति धरती द्वारा प्रदत्त कष्ट सहता है।

(ख) **भूमि-भार धारण करते हो मनुज-शेष**—जिस प्रकार शेषनाग पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण करते हैं उसी प्रकार तुम धरती के कष्ट सहते हो, अर्थात् सांसारिक कष्ट (भोजन, वस्त्रादि के) सहते हो। 'मनुज-शेष' में रूपक अलंकार का सौंदर्य है।

(2)

भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ।
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ।
जाति धर्म या सम्प्रदाय का, नहीं भेद-व्यवधान यहाँ।
सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ।
राम रहीम बुद्ध-ईसा का, सुलभ एक-सा ध्यान यहाँ।
भिन्न-भिन्न सब संस्कृतियों के गुण-गौरव का ज्ञान यहाँ।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

भारतवर्ष में जाति, धर्म अथवा सम्प्रदाय का भेदभाव नहीं है, प्रत्येक का समान सम्मान है। सबको अपने-अपने धर्मानुसार ईश्वर की उपासना का अधिकार है। यहाँ भिन्न-भिन्न संस्कृतियों की प्रतिष्ठा है।

(ख) उपयुक्त शीर्षक है 'भारत में समता'

(5)

निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
मृत्यु एक है **विश्राम-स्थल**।
जीव जहाँ से फिर चलता है,
धारण कर नवजीवन-सम्बल।
मृत्यु एक सरिता है जिसमें,
श्रम से कातर जीव नहाकर,
फिर नूतन धारण करता है,
कायारूपी वस्त्र बहाकर॥

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(ग) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

उत्तर (क) भावार्थ

मृत्यु से किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। उससे तो जीव को विश्राम मिलता है। जीव तरोताजा होकर, नया शरीर धारण करके फिर नया जीवन आरम्भ करता है।

(ख) मृत्यु एक है विश्राम-स्थल—मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचकर जीव की थकान मिटती है। उसे जीवन में कभी आराम नहीं मिलता, क्योंकि वह सदा काम में लगा रहता है। आराम तो उसे मरने पर ही प्राप्त होता है।

(ग) उपयुक्त शीर्षक है 'मृत्यु की महिमा'।

अभ्यासार्थ कतिपय पद्यांश

(1)

यहीं कहीं पर बिखर गयी वह, भग्न विजय-माला-सी।
उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति-शाला-सी।
सहे बार पर बार अन्त तक, लड़ी वीर बाला-सी।
आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी।
बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से।
मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से॥

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(2)

साकार दिव्य गौरव विराट,
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल।
मेरी जननी के हिम-किरीट,
मेरे भारत के दिव्य भाल।
तू मौन त्याग, कर सिंहनाद,
रे तपी ! आज तप का न काल।
नवयुग शंख-ध्वनि जगा रहो,
जागो नगपति ! जागो विशाल।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
(ख) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(3)

नीलाम्बर परिधान, हरित पट पर सुन्दर है।
सूर्य चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है।
नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे-मंडल हैं।
बन्दी बिविध विहंग, शेषफन सिंहासन है।
करते अभिषेक पयोद हैं।
बलिहारी इस वेश की।
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही।
सगुण मूर्ति सर्वेश की।

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
(ख) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(4)

तुम हो धरती के पुत्र, न हिम्मत हारो।
श्रम की पूँजी से, अपना काज सँवारो।
श्रम की सीपी में ही, वैभव ढलता है।
तब स्वाभिमान का दीप, स्वयं जलता है।
मिट जाता है सब दैन्य, स्वयं ही क्षण में।
छा जाती है नव दीप्ति, धरा के कण में।
जागो ! जागो ! श्रम से नाता तुम जोड़ो।
पथ चुनो ! कर्म का, अलस-भाव तुम छोड़ो॥

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।
(ख) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

(5)

हे नवयुवाओ ! देशभर की दृष्टि तुम पर है लगी।
है मनुज-जीवन की तुम्हीं में ज्योति सबसे जगमगी।
दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में ?
देखो कहाँ क्या हो रहा है आज कल संसार में।
दो पथ, असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं।
पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं।
पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी।
यदि तुम न सँभलोगे अभी तो, फिर न सँभलोगे कभी ॥

प्रश्न (क) उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(ख) कवि द्वारा नवयुवकों को कौन-कौन से दो मार्ग बताये गये हैं ?

(ग) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।

खण्ड 3
पत्र-लेखन

(क) प्रतिवेदन

किसी महत्वपूर्ण मामले की जाँच-पड़ताल अथवा किसी समस्या के समाधान हेतु नियुक्त आयोग या समिति की निष्कर्षात्मक आख्या **प्रतिवेदन** कहलाती है। इसको अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। जैसे—

इन्दिरा गांधी की हत्या की जाँच-पड़ताल के लिए भारत सरकार ने ठक्कर आयोग की नियुक्ति की थी, जिसने अपना प्रतिवेदन सरकार को अर्पित कर दिया। उसी के आधार पर सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और चलाये जा रहे हैं।

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि का प्रश्न हल करने के लिए वेतन आयोग नियुक्ति किया था और ससके प्रतिवेदन के अनुसार कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि की गयी।

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट, इलाहाबाद की खण्डपीठ प्रदेश के पश्चिम भाग में कहाँ स्थापित की जाय? इस समस्या के समाधान हेतु जसवन्तसिंह आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को अर्पित कर दिया। उस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

इसी प्रकार चुरहट लॉटरी के मामले की जाँच के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक जाँच-आयोग की नियुक्ति की है, जिसके पीठासीन अधिकारी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं। इस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सरकार अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी।

प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आयोग या समिति द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लिये जाते हैं, तथ्यात्मक साक्ष्य एकत्र किया जाता है तथा मामले का भली भाँति मंथन किया जाता है।

प्रतिवेदन को न्यायालय के निर्णय (Judgement) का स्थान तो नहीं दिया जाता, किन्तु उसके आधार पर न्यायालय में मुकदमा चलाने में सुविधा होती है। तथ्यों की छान-बीन पर आधारित होने के कारण प्रतिवेदन का बड़ा महत्व है। जहाँ प्रतिवेदन का सम्बन्ध किसी कानूनी कार्यवाही से नहीं होता वहाँ वह सरकार को संतुलित, तथ्य-परक एवं न्याय-संगत परामर्श देता है, जिससे सरकार उचित निर्णय करने में समर्थ होती है।

प्रतिवेदन के कतिपय नमूने

(1) परीक्षा-पद्धति में सुधार हेतु विशेषज्ञ-समिति का प्रतिवेदन

वर्तमान परीक्षा-पद्धति दूषित है। इससे योग्य परीक्षार्थियों की छांट नहीं होती, परीक्षार्थियों का सही मूल्यांकन नहीं होता। इसमें निम्नांकित दोष हैं—

बाह्य परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के ज्ञान की जांच दो-तीन घण्टे की अवधि वाले प्रश्न-पत्रों के माध्यम से की जाती है, उसके ज्ञान के मूल्यांकन में वर्ष भर पढ़ाने वाले अध्यापकों का कोई हाथ नहीं होता। आवश्यकता इस बात की है कि छात्र की दो परीक्षाएँ एक त्रैमासिक और दूसरी षट्मासिक उसके अपने विद्यालय में उसको पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा ली जायें और इस प्रकार की गृह-परीक्षाओं के लिए कम से कम चालीस प्रतिशत अंक निर्धारित किये जायें। शेष साठ प्रतिशत अंकों में शैक्षिक वर्ष के अन्त में बाह्य परीक्षा आयोजित की जाय। जो अध्यापक वर्ष भर छात्र को पढ़ाता है वह उसके ज्ञान से सुपरिचित होता है और उसकी योग्यता का सही मूल्यांकन कर सकता है। अतः त्रैमासिक और षट्मासिक गृह-परीक्षाएँ आवश्यक हैं।

दूसरा दोष यह है कि लम्बे उत्तरात्मक कतिपय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर परीक्षार्थी रटकर तैयार कर लेता है। वह पूरी पाठ्य सामग्री का अध्ययन न करते हुए उनके अंश पर आधारित प्रश्नोत्तरों के लिए गैस पेपर्स अथवा नोटों की शरण लेता है और मौलिक पुस्तकों की उपेक्षा करता है। इससे वह परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लेता है, पर ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाता। आवश्यकता इस बात की है कि प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हों। इसके लिए प्रश्न-पत्र में अधिक से अधिक संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाय और लम्बे उत्तरात्मक प्रश्नों को कम से कम स्थान दिया जाय। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को कई इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जायें।

तीसरा दोष श्रेणी-निर्धारण का है। उदाहरण के लिए 59% अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को द्वितीय श्रेणी तथा 60% अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाती है। परीक्षक के पास अंक प्रदान करने के लिए कोई ऐसी तुला अथवा माप-दण्ड नहीं होता जिसके द्वारा वह परीक्षार्थी के ज्ञान के इतने सूक्ष्म अन्तर का पता लगा सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि श्रेणी प्रदान करना समाप्त किया जाय और उत्कृष्टता का मापदण्ड प्राप्तांकों का प्रतिशत रखा जाय।

चौथा दोष नकल का है, जिसके परिणाम-स्वरूप परीक्षा खिलवाड़ हो गयी है। परीक्षार्थी निगरानी करने वाले अध्यापकों की सहायता से निर्भय होकर नकल करते हैं। कहीं-कहीं तो परीक्षा के केन्द्र-व्यवस्थापक की साठ-गाँठ से खुले आम नकल करायी जाती है और इसके लिए परीक्षार्थियों से पैसा लिया जाता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार पनप रहा है और निकृष्ट परीक्षार्थी नकल की कृपा से उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को मात दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नकलची परीक्षार्थियों तथा नकल में योगदान करने वाले अध्यापकों को कठोर दण्ड देकर नकल का उन्मूलन किया जाय और परीक्षा की पवित्रता की रक्षा की जाय। इसी में राष्ट्र का कल्याण निहित है।

दिनांक...............

ह० अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति

(2) शिक्षितों की बेरोजगारी के उपचार हेतु विशेषज्ञ-समिति का प्रतिवेदन—

आज हमारे राष्ट्र के समक्ष बेरोजगारी की भयानक समस्या विद्यमान है। इससे हमारी युवा-शक्ति का हनन ही नहीं हो रहा है, बल्कि अपव्यय भी हो रहा है। भारत-

माता के न जाने कितने नौनिहाल बेरोजगारी से ऊबकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं, न जाने कितने चोरी, डकैती, राहजनी, अपहरण और यहाँ तक कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों की शरण लेते हैं। सचमुच बेरोजगारी हमारे राष्ट्र के लिए कलंक है और इसका उपचार नितान्त आवश्यक है।

इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगार-परक बनायी जाय। विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने के स्थान पर कोई ऐसा व्यवसाय विद्यार्थियों को सिखाया जाय जिसे शिक्षा समाप्त करने के बाद वे अपनी जीविका के उपार्जन का साधन बना सकें। रोजगार-परक शिक्षा के अभाव में आज हमारे नवयुवक बेकारी की महाव्याधि से पीड़ित हैं, दर-दर नौकरी के लिए भटकते फिरते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसे प्राप्त करके कोई व्यक्ति दो जून का खाना जुटाने में भी समर्थ न हो सके? अब प्रश्न उठता है कि रोजगार-परक शिक्षा का सूत्रपात्र किस कक्षा से किया जाय? हमारा मत है कि कक्षा 11 से इसका आरम्भ किया जाय।

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या रोजगार-परक शिक्षालयों में प्रवेश का आधार विद्यार्थी की स्वेच्छा होगी अथवा सरकार उच्च शिक्षा को प्रतिबन्धित करेगी तथा विश्वविद्यालय के द्वार केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे? हमारा मत है कि सरकार को इस प्रकार का प्रतिबन्ध अवश्य लगाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से न केवल विद्यार्थियों का वैयक्तिक हित होगा, वरन् राष्ट्र को भी जन-सेवा के लिए सक्षम नागरिक उपलब्ध होंगे।

यह भी उचित होगा कि वर्तमान शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये जायें और स्वरोजगार हेतु ब्याजरहित पूँजी की व्यवस्था की जाय, जिससे यंत्रादि आवश्यक उपकरण क्रय किये जा सकें। प्रशिक्षण के लिए प्रति विकास-खण्ड में एक या दो ऐसे उद्योगों का चयन किया जाय जिनके लिए कच्चा माल समीपस्थ क्षेत्र में उपलब्ध हो।

प्रत्येक जनपद में कम से कम एक रोजगार-परक अथवा व्यवसाय-परक शिक्षालय स्थापित करना उचित होगा, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा हो। इस शिक्षालय में सम्बन्धित जनपद की स्थानीय परिस्थितियों एवं परम्परागत उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए दो-तीन व्यवसायों की शिक्षा दी जाय।

दिनांक...............

ह० अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति

(3) जनसंख्या-नियंत्रण समिति का प्रतिवेदन—

हमारे देश में तीव्रतापूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके परिणाम-स्वरूप देश की संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हमारे देश के लिए अभिशाप बनी हुई है और यह विकास के प्रयासों तथा सुपरिणामों को मटियामेट कर रही है। यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गयी तो हमारी प्रगति बालू की दीवार के समान सिद्ध होगी, जिसे जनसंख्या-वृद्धि की लहरें मिटाती रहेंगी। अतः इस सम्बन्ध में हमारे सुझाव निम्नांकित हैं—

शिक्षा का विस्तार किया जाय तथा स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय।

अशिक्षा के कारण ही लोगों में अन्धविश्वास और रुढ़िवादिता की प्रवृत्ति पनपती है। सन्तान को ईश्वरीय देन मानते हुए अशिक्षित लोग अधिक सन्तान के दुष्परिणाम समझने में असमर्थ होते हैं। विशेषकर अशिक्षित स्त्रियाँ अधिक सन्तान को जन्म देती हैं। अतः स्त्री-शिक्षा का प्रसार करके जन्मदर को कम किया जा सकता है। प्रोत्साहन हेतु स्त्री-शिक्षा निःशुल्क की जाय।

विवाह-सम्बन्धी कानून का सख्ती से पालन कराया जाय। यद्यपि भारत सरकार द्वारा लड़की के विवाह की न्यूनतम अवस्था अठारह वर्ष तथा लड़के के विवाह की न्यूनतम अवस्था इक्कीस वर्ष निर्धारित है, तथापि इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। कई प्रदेशों में बाल-विवाह प्रचलित है। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। उसका पालन कराना भी आवश्यक होता है। यह दायित्व सरकार पर है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्धारित अवस्था से कम अवस्था में विवाह करने पर उचित दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म, परम्परा अथवा रिवाज के आधार पर किसी को बाल-विवाह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मत है कि अब तो लड़की एवं लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम अवस्था बढ़ाकर क्रमशः इक्कीस तथा पच्चीस वर्ष कर देनी चाहिए।

आत्मसंयम और नैतिक शिक्षा भी जनसंख्या सीमित रखने के उत्तम साधन हैं। मानसिक संयम से शारीरिक संयम प्राप्त होता है और मानसिक संयम के लिए नैतिक शिक्षा परमावश्यक है। अतः नैतिक शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए।

परिवार-नियोजन का विशेष महत्व है। इसके अनुसार दंपति द्वारा अपने बच्चों की संख्या दो तक सीमित रखना तथा दो बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त समयान्तर रखना है। ऐसा करना परिवार एवं समाज दोनो के लिए लिए हितकर है। गत बारह वर्षों के सतत प्रयास के उपरान्त भी अभी परिवार-नियोजन-कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। यद्यपि इस कार्यक्रम पर करोड़ों रुपये प्रति वर्ष व्यय किये जाते हैं तथापि ग्रामीण जनता ने इसे नहीं अपनाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि दूरदर्शन आदि साधनों से इस कार्य-क्रम का देश के कोने-कोने में प्रचार किया जाय और परिवार-नियोजन के विविध उपायों जैसे—निरोध, नसबन्दी, लूप, कॉपर टी, ऑपरेशन आदि को पुरस्कार एवं प्रलोभनों द्वारा जनप्रिय बनाया जाय। गरीब दंपति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

दिनांक...............

ह० अध्यक्ष, जनसंख्या-नियंत्रण समिति

अभ्यासार्थ प्रश्न

(1) प्रतिवेदन में आप क्या समझते हैं? माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर में सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की सामूहिक नकल की जाँच हेतु नियुक्त जाँच-समिति का प्रतिवेदन लिखिए।

(2) जयपुर के निकट घटित भीषण रेल-दुर्घटना की जाँच हेतु नियुक्त जाँच-समिति का प्रतिवेदन लिखिए।

(3) राजस्थान सरकार ने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की है। आप उसके अध्यक्ष हैं। इस समिति का प्रतिवेदन तैयार कीजिए।

(4) राजस्थान प्रदेश के आर्थिक उत्थान हेतु एक आयोग का गठन किया गया है। आप उसके अध्यक्ष हैं। इस आयोग का प्रतिवदन लिखिए।

(5) ग्राम पंचायतों को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से आपकी राज्य-सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग का प्रतिवेदन लिखिए।

(ख) प्रस्ताव

किसी संगठन (छात्र-संसद्, शिक्षक-संघ, साहित्य-परिषद, मजदूर-संघ, बजाज-कमेटी, किसान-यूनियन आदि) द्वारा किसी विषय पर प्रकट सामूहिक निश्चय **प्रस्ताव** कहलाता है। यह सर्वसम्मति अथवा बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ नमूने देखिए—

(1) छात्र-संसद् द्वारा पारित शोक-प्रस्ताव

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूँदी को छात्र-संसद् हिन्दी की अनन्य कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती हुई परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा शोक-संतप्त परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

दिनांक 12-9-87

मदनमोहन
सचिव, छात्र-संसद्,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूँदी

(2) माध्यमिक शिक्षक-संघ, राजस्थान द्वारा पारित वेतन-वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षक-समुदाय राजस्थान निरन्तर बढ़ती हुई महँगाई से त्रस्त है। वर्तमान वेतनमान शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं। अतः निश्चय हुआ कि सरकार वर्तमान वेतनमानों में उचित वृद्धि करे, जिससे शिक्षक अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ हो सकें।

दिनांक
3-1-89

मंत्री,
माध्यमिक शिक्षक संघ,
राजस्थान, जयपुर

3) अखिल भारतीय राष्ट्र-भाषा हितैषी संघ द्वारा पारित अंग्रेजी-विरोधी प्रस्ताव

राष्ट्र भाषा हितैषी संघ को यह कहते हुए क्षोभ है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के कतालीस वर्ष व्यतीत होने पर भी हमारा राष्ट्र अंग्रेजी की दासता से मुक्त नहीं हुआ और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) की परीक्षाओं के लिए अभी तक ग्रेजी अनिवार्य विषय है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी न जानने वाले अनेक मेधावी रीक्षार्थी उक्त सेवा से वंचित हो जाते हैं। अतः निश्चय हुआ कि भारतीय प्रशासनिक वा की परीक्षाओं से अंग्रेजी हटाने के लिए व्यापक अन्दोलन किया जाय।

दिनांक
11-10-88

सचिव,
अखिल भारतीय राष्ट्र-भाषा हितैषी संघ,
नयी दिल्ली

(4) साहित्य-परिषद द्वारा पारित अभिनन्दन हेतु प्रस्ताव

साहित्य-परिषद, गाँधी स्मारक विद्यालय, नवलगढ़ की यह बैठक अपने सदस्य ब्रजमोहन द्वारा प्रदेश स्तरीय वादविवाद-प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हर्षोल्लास प्रकट करती है। निश्चिय हुआ कि आगामी रविवार को 3 बजे अपराह्न विद्यालय-भवन में उनका अभिनन्दन किया जाय।

दिनांक — मन्त्री

12-12-88 — साहित्य-परिषद,

गाँधी स्मारक विद्यालय, नवल गढ़

(5) राजस्थान नागरिक सेवा-समिति द्वारा पेयजल संकट निवारण हेतु प्रस्ताव

राजस्थान नागरिक सेवा-समिति प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में पेयजल-संकट के समाचार से व्यथित है। अतः निश्चय हुआ कि सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह तुरन्त उन जनपदों में इस संकट के निवारणार्थ आवश्यक कार्यवाही करे।

यह भी निश्चय हुआ कि एक प्रतिनिधि-मण्डल शीघ्रातिशीघ्र मुख्य मन्त्रीजी से मिलकर उनका व्यक्तिगत ध्यान इस संकट की ओर आकृष्ट करे और इसके निवारणार्थ अधिक से अधिक साधन जुटाने का आग्रह करे।

दिनांक — मन्त्री,

4-5-88 — राजस्थान नागरिक सेवा समिति,

उदयपुर

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. गो-रक्षा हेतु अखिल भारतीय गो-सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा द्वारा पारित प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें गोवध के दुष्परिणाम बताते हुए भारत-सरकार से गोवध पर अभिलम्ब प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया हो।
2. छात्र-अभिभावक संघ, राजस्थान द्वारा पारित प्रस्ताव लिखिए जिसमें शिक्षा-मन्त्री राजस्थान से विद्यालयों में छात्रों को पेयजल एवं बिजली के पंखों की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया हो।
3. राजस्थान नारी-कल्याण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव लिखिए जिसमें राजस्थान के शिक्षा-मन्त्री से विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा-व्यवस्था की माँग गयी हो।
4. उत्तर-प्रदेश हिन्दी हित-रक्षक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें मुख्यमन्त्री से यह अनुरोध किया गया हो कि शासकीय पत्र-व्यवहार में केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाय।
5. शिक्षक संघ, राजस्थान द्वारा पारित प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन-पारिश्रमिक में वृद्धि की माँग की गयी हो।

(ग) शासकीय पत्र

जो पत्र किसी अधिकारी को लिखा जाता जाता है वह शासकीय कहलाता है। इसका विषय नौकरी, प्रबन्ध या शिकायत होता है। इस प्रकार का पत्र लिखने में निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखान चाहिए।

आदि—सर्वप्रथम **सेवा** में लिखकर पाने वाले अधिकारी का पद एवं **पता** लिखते हैं। प्रशस्ति में **महोदय** लिखा जाता है।

मध्य—इसका आरम्भ **सविनय निवेदन है कि** से किया जाता है और आगे विषय-सम्बन्धी बात लिखी जाती है।

अन्त—अन्त में **प्रार्थी** अथवा निवेदक लिखकर दूसरी पंक्ति में भेजने वाला अपना **नाम** तथा **पता** लिखता है। प्रधानाचार्य को सम्बोन्धित पत्र में विद्यार्थी **प्रार्थी** के स्थान पर **आपका आज्ञाकारी शिष्य** लिखता है। फिर अन्तिम पंक्ति मे पत्र का दिनांक लिखा जाता है।

शासकीय पत्रों का वर्गीकरण निम्नांकित है—

(1) प्रार्थना-पत्र (आवेदन-पत्र)

(2) अधिकारी का उत्तर

(3) शिकायती पत्र

(4) अधिकारी का अधिकारी को पत्र।

कुछ नमूने देखिए—

(1) प्रार्थना-पत्र (आवेदन-पत्र)

(क) प्रधानाचार्य को (अवकाश हेतु)

सेवा में :

श्रीमान् प्रधानाचार्य,

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

सीकर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई साहब का विवाह आगामी 15 मार्च को सम्पन्न होगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए मैं 14 मार्च को घर पहुंचना चाहता हूँ। 17 मार्च को वापस आ जाऊँगा।

अतः प्रार्थना है कि श्रीमान् मुझे दिनांक 14, 15, और 16 मार्च का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक
12-3-89

आपका आज्ञाकारी शिष्य,
आलोक, कक्षा 12 स

प्रधानाचार्या को रुग्णावकाश हेतु

सेवा में :

माननीय प्रधानाचार्या,

राजकीय बालिका विद्यालय,

बयाना।

महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं अस्वस्थ हूँ। सारे शरीर में पीड़ा हो रही है और ताप-मान 102° है। आशा है, स्वस्थ होने में तीन दिन लग जायेंगे।

अत: प्रार्थना है कि श्रीमान् मुझे दिनांक 10, 11 तथा 12 सितम्बर का रुग्णावकाश स्वीकार करने की कृपा करें ।

दिनांक 10-9-88

आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या,
वीणा दुबे कक्षा 10 अ

प्रधानाचार्य को शुल्क-मुक्ति हेतु

सेवा में :

श्रीमान् प्रधानाचार्य,
चमड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय,
चित्तौड़गढ़ ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं श्रीमान् के विद्यालय से छात्र के रूप में हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ । यह परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और मेरे प्राप्तांक 72% हैं ।

मैं एक निर्धन पिता का पुत्र हूँ । उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है । वे एक दुकानदार के यहाँ मुनीम हैं । मेरे दो भाई बहिन और हैं । वे भी पढ़ रहे हैं । पिताजी के अतिरिक्त परिवार में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है । ऐसी दशा में उन्हें मेरी शिक्षा का भार वहन करना असहनीय हो रहा है ।

अध्ययन के अतिरिक्त शिक्षेत्तर कार्य-कलाप में भी मेरी रुचि है । विद्यालय की फुटबॉल टीम में मेरा नाम है । गत वर्ष की वादविवाद-प्रतियोगिता में मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था ।

मैं एक अनुशासन-प्रिय छात्र हूँ । मुझे अनुशासन-प्रियता का प्रमाण-पत्र श्रीमान् के कर कमलों से मिल चुका है ।

अत: प्रार्थना है कि श्रीमान् मुझे शिक्षण-शुल्क से मुक्त करने की महती कृपा करें ।

दिनांक
6-8-88

आपका आज्ञाकारी शिष्य,
अनिल कुमार अग्रवाल,
कक्षा 12 ब

प्रधानाचार्य को स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र हेतु

सेवा में :

श्रीमान् प्रधानाचार्य,
जगदीश उच्च माध्यमिक विधालय,
सूरतगढ़ ।

महोदय,

सविनय निबेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानान्तरण भरतपुर को हो गया है । वे कल अपने पद का कार्य भार सौंप देंगे । उनकी प्रबल इच्छा तो यह थी की मैं

आप जैसे आदर्श गुरु की छत्र-छाया में रहकर यहीं शिक्षा प्राप्त करता रहता, परंतु वे मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं समझते ।

अतः प्रार्थना है कि मुझे स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र प्रदान करने की कृपा करें । इसके लिए निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा कर दिया गया है ।

मुझे आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं अमूल्य मार्ग-दर्शन से वंचित होने का बहुत दुःख है । अध्ययन-अवधि में मुझसे यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें ।

आपका आज्ञाकारी शिष्य,

शैलेन्द्र,

कक्षा 11 अ

नगर पालिका प्रशासक को नौकरी हेतु

सेवा में :

श्रीमान प्रशासक,

नगर पालिका,

जोधपुर ।

महोदय,

'राजस्थान पत्रिका' में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ कुछ क्लर्कों के स्थान रिक्त हैं, जिनके लिए आवेदनपत्र आमंत्रित किए गये हैं । मैं उनमें से एक के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहता हूँ । मेरी योग्यता निम्नांकित है—

मैंने वर्ष 1983 में राजकीय इंटर कालेज, आगरा मे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की ।

तदुपरान्त इसी विद्यालय से वर्ष 1985 में इंटर परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की ।

दुर्भाग्यवश पिताजी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण मेरी पढ़ाई छूट गयी, क्योंकि परिवार की आर्थिक दशा बिगड़ गयी । विवश होकर मुझे अपने को किसी नौकरी के योग्य बनाने की चिन्ता हुई । मुझे टाइप करने के कार्य में रुचि थी । अतः मैंने छः महीने टाइप करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया । मैं प्रति मिनट 40 शब्द टाइप कर सकता हूँ । इसके बाद मैंने डी० ए० वी० इंटर कालेज, आगरा में एक वर्ष तक एक क्लर्क की अस्थायी रिक्ति में कार्य किया ।

मेरी जन्मतिथि 18 अगस्त 1967 है । मैं एक स्वस्थ एवं सच्चरित्र नवयुवक हूँ ।

मैं आपको वचन देता हूँ कि जो कार्य मुझे सौंपा जायगा उसे मैं पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ सम्पन्न करूँगा ।

अतः प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी नगर पालिका में सेवा करने का अवसर प्रदान करने की महती कृपा करें । इसके लिए मैं आपका अतीव आभारी होऊँगा ।

योग्यता एवं चरित्र-सम्बन्धी निम्नलिखित पाँच प्रमाणपत्रों की फोटो-प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ—

(1) हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र

(2) इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र

(3) प्राधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, आगरा का चरित्र-प्रमाणपत्र

(4) टाइप-प्रशिक्षण-प्रमाणपत्र

(5) प्रधानाचार्य डी॰ ए॰ वी॰ इंटर कालेज, आगरा द्वारा प्रदत्त अनुभव प्रमाण-पत्र।

संलग्न—5 प्रार्थी,

दिनांक 10 मई, 1988 विष्णुकुमार चौहान

358, राजा की मंडी, आगरा।

जिला शिक्षा अधिकारी को अवकाश हेतु

सेवा में :

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी,

शिक्षा विभाग,

उदयपुर।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ हूँ। मेरे सिर में दर्द रहता है और मुझे भूख नहीं लगती। चिकित्सा करा रहा हूँ। चिकित्सक महोदय का मत है कि मेरे पूर्ण स्वस्थ होने में पन्द्रह दिन लगेंगे।

अतः प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का रुग्णावकाश स्वीकार करने की कृपा करें।

चिकित्सक-प्रमाणपत्र संलग्न है।

सधन्यवाद,

संलग्न—चिकित्सक-प्रमाणपत्र प्रार्थी,

दिनांक 18-4-89 प्रमोद कुमार,

लिपिक,

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय,

उदयपुर।

सचिव, लोकसेवा अयोग को नौकरी हेतु

सेवा में :

श्रीमान् सचिव,

लोकसेवा आयोग, राजस्थान,

अजमेर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि दैनिक 'नवज्योति' के दिनांक 2 मई, 1989 के अंक में

प्रकाशित लोकसेवा आयोग, राजस्थान का प्रशिक्षित स्नातिकाओं की आवश्यकता-सम्बन्धी विज्ञापन पढ़कर मैं हिन्दी-अध्यापिका के पद हेतु अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी योग्यता का विवरण निम्नांकित है—

शैक्षिक योग्यता

(1) हाईस्कूल परीक्षा, 1982 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परीक्षा के विषय थे हिन्दो, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, नागरिक शास्त्र, कला और संस्कृत।

(2) इण्टर परीक्षा, 1984 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परीक्षा के विषय थे—हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला और मनोविज्ञान।

(3) बी० ए० परीक्षा 1986 आगरा विश्वविद्यालय से द्वितीय क्षेणी में उत्तीर्ण की। प्राप्तांक 58% थे। परीक्षा के विषय थे हिन्दी, संस्कृत, सामान्य अंग्रेजी और मनोविज्ञान।

(4) बी० एड० परीक्षा 1988 आगरा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में कक्षाशिक्षण में द्वितीय तक लिखित परीक्षा में प्रथम क्षेणी प्राप्त हुई।

अध्यापन-अनुभव

मैं क्वीन विक्टोरिया बालिका इंटर कालेज, आगरा में जुलाई 88 से हिन्दी-अध्यापिका के एक अस्थायी पद पर कार्य-रत हूँ। मेरे कार्य का मूल्यांकन उक्त कालेज के प्रबन्धक महोदय के प्रमाण-पत्र की फोटो-प्रति से हो जायगा।

मुझे सांस्कृतिक कार्य-कलाप में रुचि है। मेरे निर्देशन में क्वीन विटोरिया इंटर कालेज, आगरा की बालिकाओं ने इस वर्ष जिला स्तरीय अभिनय-प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मेरी जन्मतिथि 12 अक्टूबर 1966 है।

मैं अपनी योग्यता-सम्बन्धी चार प्रमाणपत्रों तथा अध्यापक-अनुभव-सम्बन्धी एक प्रमाणपत्र की फोटो-प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ।

मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया तो मैं पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ अपना कार्य सम्पन्न करूँगी और छात्राओं की शिक्षा-दीक्षा के लिए अपने को पूर्णतः समर्पित कर दुंगी।

संलग्न—5 प्रमाणपत्र

दिनाक 5 मई, 1988

प्रार्थिनी,
कुमारी निर्मला भटनागर
626, सिविल लाइन्स, आगरा।

प्रधानाचार्या को एस०टी०सी० ट्रेनिग हेतु

सेवा में :

माननीय प्रधानाचार्या,
महिला प्रशिक्षण विद्यालय,
उदयपुर।

महोदया,

सादर निवेदन है कि मैंने वर्ष 1988 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की हायर सैकण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इस परीक्षा में मुझको 60% अंक प्राप्त हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से ही मैंने वर्ष 1986 में सैकण्डरी स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 60% प्राप्त किये।

माता-पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हूँ।

मुझको अध्यापन-कार्य में विशेष रुचि है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि आप मुझे अपने विद्यालय में प्रविष्ट करके प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपने जीवन का स्वप्न साकार कर सकूँ।

इस आवेदन-पत्र के साथ मैं सैकण्डरी स्कूल परीक्षा एवं हायर सैकण्डरी परीक्षा के अपने प्रमाण-पत्रों तथा अंक-तालिकाओं की फोटो-प्रतियाँ संलग्न कर रही हूँ।

दिनांक 31-5-89

प्रार्थिनी,
सुचित्रा शर्मा
125, अशोक नगर, उदयपुर।

मुख्यमन्त्री को आर्थिक सहायता हेतु

सेवा में,

मानमीय मुख्यमन्त्री,
राजस्थान शासन,
जयपुर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं जैसलमेर का निवासी हूँ। दुर्भाग्यवश इस वर्ष हमारे क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई। अनावृष्टि के फल-स्वरूप न तो खेत जोते जा सके और न बुआई हो सकी। अतः खेतों से अन्न का एक दाना भी उपलब्ध नहीं हुआ। इसके कारण मनुष्यों और पशुओं के प्राण संकट में फँस गये हैं। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। लोग अपने घर छोड़कर रोजी-रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं। पशु मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं। स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

अतः संकट की इस घड़ी में आपसे प्रार्थना है कि आप शीघ्रातिशीघ्र इस क्षेत्र के निवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। कोई ऐसी कार्य-योजना क्रियान्वित करें जिसमें भूखे मर रहे लोगों को श्रम के बदले अनाज दिया जाय। पेयजल संकट निवारणार्थ हेंडपम्प लगवाये जायें। पशुओं की जीवन-रक्षा हेतु बाह्य प्रदेशों में चारा पहुँचाने की व्यवस्था की जाय।

ये सब कार्य युद्ध-स्तर पर अविलम्ब करने की कृपा की जाय, जिससे अकाल ही काल के गाल में जाने से लोगों एवं पशुओं को बचाया जा सके।

सधन्यवाद,
दिनांक 2-5-89

प्रार्थी,
रामसेवक
अध्यक्ष,
पंचायत परिषद, जैसलमेर।

जिलाधीश को लगान मुक्ति हेतु

सेवा में :

श्रीमान् जिलाधीश,

भीलवाड़ा ।

महोदय,

सविनय विवेदन है कि इस वर्ष अनावृष्टि के कारण हम शाहपुरा-निवासी किसानों के खेतों में कुछ भी पैदावार नहीं हुई है । आजकल हम बहुत दुःखी हैं । दाने-दाने को तरस रहे हैं । हमारे मवेशियों के लिए चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है । हमारे गाँव पर दैवी संकट विकराल रूप धारण करके आया है, जिससे सारे गाँव में हाहाकार मचा हुआ है । ऐसी बिषम परीस्थिति में हम लगान देने में असमर्थ हैं ।

अतः प्रार्थना है कि आप सरकार से हमारे गाँव को अकाल-ग्रस्त घोषित करके हमको लगान से मुक्त कराने की कृपा करें । इस संकट में हमें आपका ही सहारा है ।

इस कृपा के लिए हम आपके आभारी होंगे ।

दिनांक 8-5-89 प्रार्थी,

1. रामप्रसाद, मन्त्री
सूखा सहायक समिति,
शाहपुरा
2. कालीचरण पंच इत्यादि

मुख्यमंत्री को सिचाई-व्यवस्था हेतु

सेवा में :

माननीय मुख्यमंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

महोदय,

सविनय विवेदन यह है कि आगरा जनपद के अन्तर्गत विकास खंड, जगनेर डाँग क्षेत्र है । यह क्षेत्र सिचाई के साधनों से वंचित है । यहाँ न कोई नहर है और न कोई नलकूप । कुओं में भी जल की कमी है । यहाँ तक कि ग्रीष्म ऋतु में कुएँ सूख जाते हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप पेयजल की समस्या उठ खड़ी होती है ।

इस विषम स्थिति से डाँग क्षेत्र के कृषकों का जीवन कंटकाकीर्ण है । उनकी कृषि का एक मात्र सहारा वर्षा का जल है । यदि इन्द्रदेव की कृपा हो जाती है तो उनके खेत लह-लहाने लगते हैं, अन्यथा अनावृष्टि के कारण उनकी फसल चौपट हो जाती है और वे दाने-दाने के लिए तरसने लगते हैं । दैवी प्रकोप से उनकी आशाओं पर तुषारपात हो जाता है ।

आज के वैज्ञानिक युग में जब आकाश पर विजय प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं तब भूमि को दैवेच्छा पर क्यों छोड़ना चाहिए ? क्या इस क्षेत्र की भूमि की पिपासा शान्त करने के लिए शासन के पास कोई योजना नहीं है ? यदि नहीं, तो प्रार्थना है कि श्रीमान् शीघ्र इस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से एक सिंचाई-योजना तैयार करें और उसे यथाशीघ्र क्रियान्वित करें, जिससे डाँग क्षेत्र के किसानों के कष्ट समाप्त हों और उनका जीवन सुखी हो ।

मेरा एक सुझाव यह है कि डाँग क्षेत्र की छोटी-छोटी बरसाती नदियों को एक बाँध से रोका जाय और फिर नहर निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

इस पुण्य कार्य के लिए डाँग क्षेत्र के जन-जन की शुभ कामनाएँ श्रीमान् को प्राप्त होंगी।

सधन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक 7-4-89 रूपकिशोर शर्मा

मंत्री,

जिला किसान सभा, आगरा।

(2) अधिकारी का उत्तर

मुख्यमंत्री उ० प्र० द्वारा मंत्री, किसान सभा, आगरा को प्रेषित

प्रेषक : वैयक्तिक सहायक,

मुख्यमंत्री, उत्तर-प्रदेश शासन,

लखनऊ

सेवा में :

श्री रूपकिशोर शर्मा,

मंत्री,

जिला किसान सभा, आगरा

पत्र संख्या ग (3) /89-90/155 दिनांक 15-4-89

महोदय,

आगरा जनपदीय डाँग क्षेत्र के लिए सिंचाई-व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित आपके दिनांक 7-4-89 के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्रीजी के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और यथाशीघ्र कोई-न-कोई सिंचाई-व्यवस्था की जायगी।

भवदीय,

राधाकृष्ण शर्मा

वैयक्तिक सहायक, मुख्यमंत्री,

उ० प्र० शासन, लखनऊ।

[सहायक निदेशक, परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार, रानी बाजार, बीकानेर को प्रेषित]

प्रेषक : सहायक निदेशक,

परिवहन विभाग,

राजस्थान शासन, बीकानेर।

प्राप्ति-कर्ता : श्री सुरेन्द्रकुमार,

रानी बाजार,

बीकानेर।

पत्रांक क (5)/89-90/132 दिनांक 6-7-89

विषय : अवर लिपिक-पद पर नियुक्ति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र दिनांक 3-6-89 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नियुक्ति अवर लिपिकीय पद पर अस्थायी रूप से कर दी गयी है। आप अपना कार्यभार इस कार्यालय में उपस्थित होकर पन्द्रह दिन के अन्दर सँभाल लें, अन्यथा आपके स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जायगी।

ह० दीनदयाल श्रीवास्तव
सहायक निदेशक,
परिवहन विभाग,
राजस्थान शासन, बीकानेर,

[**प्रधानाचार्या, महिला प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर द्वारा सुचित्रा चौहान, 125, अशोक नगर उदयपुर को प्रेषित**]

प्रेषक : प्रधानाचार्या,
महिला प्रशिक्षण विद्यालय,
उदयपुर।

प्राप्ति-कर्ता : कुमारी सुचित्रा चौहान,
125, अशोक नगर, उदयपुर।

पत्रांक चयन / 89-90 /15 दिनांक 20-6-89

विषय : एस० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चयन

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-5-89 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि एस० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु आपका चयन कर लिया गया है। आप अपने मूल प्रमाण-पत्र लेकर इस विद्यालय में दिनांक 1-7-89 को उपस्थित हों।

ह० प्रधानाचार्या,
महिला प्रशिक्षण विद्यालय,
उदयपुर।

(3) शिकायती पत्र
डाक-सम्बन्धी

सेवा में :

श्रीमान डाकपाल,
धौलपुर।

महोदय,

निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र का डाकिया डाक बाँटने में असावधानी बरतता है। वह न निर्धारित समय पर डाक बाँटने का कष्ट करता है और न आवाज लगाता है। चुपचाप घर के बरामदे में डाक पटक जाता है। इससे डाक खो जाने की आशंका रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्धारित समय पर आवाज लगाकर डाक का वितरण किया जाय।

अतः प्रार्थना है कि आप सम्बन्धित डाकिये को सचेत करने की कृपा करें कि वह भविष्य में अपना कर्तव्य-पालन दायित्वपूर्वक करे।

सधन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक 5-10-88

कुंजबिहारी लाल

सेठ बाजार, बाड़ो।

पुलिस-सम्बन्धी

सेवा में :

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,

भरतपुर।

महोदय,

निवेदन है कि कोतवाली-प्रभारी श्री राजसिंह के दुर्व्यवहार से जनता अति दुःखी है। वे गरीब लोगों को डरा-धमका कर झूठी गवाही देने के लिए विवश करते हैं और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपराधियों से साँठ-गाँठ करके अपराधों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनका इस प्रकार का रवैया देखकर सिपाही भी जनता को तंग करते हैं। वे दुकानदारों से सौदा उधार ले जाते हैं और पैसा माँगते समय आँख दिखाते हैं। ट्रक वालों को रोककर उनसे मुट्ठी गरम करते हैं।

अतः प्रार्थना है कि आप हमारी शिकायत की जाँच करके कोतवाली-प्रभारी को दण्डित करने की कृपा करें और उनका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दें।

सधन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक 18-9-88

(1) रामस्वरूप, मंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, भरतपुर।

(2) मुरारीलाल, सदस्य, नगर परिषद, भरतपुर।

(3) मदनलाल सौदागर इत्यादि।

गन्दगी-सम्बन्धी

सेवा में :

श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी,

नगर परिषद, अजमेर।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे क्षेत्र मदार गेट में बड़ी गंदगी रहती है। गलियों एवं नालियों की नित्य सफाई नहीं की जाती। यद्यपि नगर परिषद ने गलियों को बुहारने, नालियाँ साफ करने तथा कूड़े की ढेरियाँ उठाने के लिए पृथक्-पृथक् मेहतर नियुक्त किये हैं, तथापि वे अपना कार्य नियमित रूप से नहीं करते। सप्ताह में एक दो बार ही उनके दर्शन होते हैं। इस लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का कारण निर्भयता है। सुना है, जमादार और सैनिटरी इन्सपेक्टर मेहतरों से प्रतिमाह उनके वेतन का कुछ अंश रिश्वत के रूप में लेते हैं। तभी तो मेहतरों के कार्य की निगरानी नहीं की जाती।

परिणाम-स्वरूप स्थान-स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों में गन्दगी भरी पड़ी है। सड़ी-गली वस्तुएँ इधर-उधर बिखरी हैं। उन पर मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, सड़ांध फैल रही है दुर्गन्ध के कारण प्राणायाम साधना पड़ता है। यदि शीघ्र सफाई नहीं की गयी तो कोई संक्रामक रोग फैलने की आशंका है।

अतः प्रार्थना है कि आप हमारे क्षेत्र की सफाई-व्यवस्था हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिसकी हमें आप जैसे कर्मठ अधिकारी से पूर्ण आशा है।

सधन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक 3-5-89

नरेन्द्र रावत

61, मदार गेट, अजमेर

सड़क की मरम्मत-सम्बन्धी

सेवा में :

श्रीमान अध्यक्ष नगर परिषद,

आदर्श नगर (अजमेर)

महोदय,

निवेदन है कि हमारे नगर की कई सड़कों की दशा शोचनीय है। उनमें स्थान-स्थान पर गड्ढे हो गये हैं और गिट्टियाँ निकल आयी हैं। भारी यातायात के कारण ये जन-मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कई वर्ष से मार्ग-निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

फल-स्वरूप राहगीरों को बड़ा कष्ट होता है। साइकिलों, मोटरों, रिक्शों और ताँगों की दौड़धूप में क्षतिग्रस्त सड़कों से दुर्घटना की आशंका रहती है। आज एक मोटर का पहिया गाँधी मार्ग के एक गड्ढे में फँसकर निकल गया। दुर्घटना बाल-बाल बची। पैदल चलने वाले पथिक प्रायः ठोकर खाकर गिर जाते हैं।

अतः प्रार्थना है कि आप सड़क-निर्माण विभाग के अभियन्ता को आदेश दें कि वह शीघ्र क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायें जिससे जन-जीवन का खतरा दूर हो जाय। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदर्श नगर की सड़कें आदर्श होनी चाहिए।

सधन्यवाद,

प्रार्थी,

दिनांक 17-2-89

सुशील कुमार

मंत्री, नागरिक-कल्याण समिति,

आदर्श नगर (अजमेर)

गुण्डा-गर्दी-सम्बन्धी

सेवा में :

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,

नागौर।

महोदय,

निवेदन यह है आजकल हमारे क्षेत्र में पुरानी बस्ती में रज्जो नामक गुण्डा सक्रिय है। उसने सारे क्षेत्र में उत्पात मचा रखा है। उसके उत्पात के कारण बहूबेटियों का घर से

बाहर निकालना कठिन है, क्योंकि वह उन्हें छेड़ने का कुप्रयास करता है। वह शराब पीकर इधर-उधर हल्ला मचाता रहता है और कुकृत्य करता है। वह जुआरी भी है। संभ्रान्त व्यक्तियों ने उसे समझाने की भरसक चेष्टा की, पर वह किसी की बात नहीं मानता। वह सारे क्षेत्र के निवासियों के लिए बला है। उससे सभी आतंकित हैं। उसने हमारे क्षेत्र की सुख-शांति भंग कर रखी है।

अतः प्रार्थना है कि आप रज्जो के विरुद्ध शीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे हम लोगों को उसकी गुण्डागर्दी से मुक्ति मिले।

प्रार्थी,

(1) शिव नारायन अग्रवाल

दिनांक 11-12-88

(2) मुहम्मद अली

(3) हरिश्चन्द्र शर्मा

इत्यादि।

(4) अधिकारी का अधिकारी को पत्र

प्रधानाचार्य का जिला शिक्षा अधिकारी को

प्रेषक : प्रधानाचार्य,

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

जयपुर।

सेवा में :

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी,

जयपुर।

पत्र संख्या प(7) / 88-89/ 15 दिनांक 22-7-88

विषय : श्री वंशीधर माथुर सहायक अध्यापक की कर्तव्य-हीनता।

महोदय,

मुझे यह लिखते हुए खेद है कि हमारे विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री वंशीधर माथुर का कार्य असन्तोषजनक है। उनमें कर्तव्य-निष्ठा का अभाव है। वे न तो शिक्षा कार्य में रुचि लेते हैं और न ठीक समय पर विद्यालय में उपस्थित होते हैं। जब कभी मैं उनकी कक्षा में पहुँचा तभी मैंने उनको कार्य-विरत पाया। उनके द्वारा पढ़ाये जा रहे विषय में छात्र कमजोर हैं। उनके विषय का हाईस्कूल परीक्षाफल भी निम्न कोटि का है। सचेत करने पर भी उनके कार्य में कोई सुधार दृष्टिगत नहीं हो रहा है।

अतः विवश होकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि श्रीमान् उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करने की कृपा करें और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही भी करें।

भवदीय,

ब्रजमोहन पंत

प्रधानाचार्य,

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

जयपुर।

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रधानाचार्य को

प्रेषक : जिला शिक्षा अधिकारी,
जयपुर

सेवा में :
प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
जयपुर

पत्र संख्या ज्ञा(11) / 88-89 / 127 दिनांक 2‌1-8-89

विषय : श्री वंशीधर माथुर, सहायक अध्यापक की कर्तव्य-हीनता

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक प (7) / 88-89 / 15 दिनांक 22-7-88 के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि आप कृपया एक सप्ताह के अन्दर श्री वंशीधर माथुर से कर्तव्य-हीनता का स्पष्टीकरण लेकर उसे मेरे पास उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
गिरिजा कुमार सिंह शेखावत
जिला शिक्षा अधिकारी,
जयपुर।

अध्यापक का प्रबन्धक को

प्रेषक : कृपाशंकर मिश्र,

सहायक अध्यापक,
गाँधी स्मारक विद्यालय, नवलगढ़

सेवा में :
प्रबन्धक,
गाँधी स्मारक, विद्यालय नवलगढ़
द्वारा : प्रधानाचार्य,
गाँधी स्मारक विद्यालय, नवलगढ़

महोदय,

निवेदन यह है कि मेरी नियुक्ति जोधपुर विश्व विद्यालय में हिन्दी-व्याख्याता के पद पर हो गयी है। मुझे वहाँ 15 नवम्बर तक कार्य-भार सँभालना है।

अतः प्रार्थना है कि मेरा त्याग-पत्र शीघ्र स्वीकार करते हुए मुझे कार्य-भार से मुक्त कराने की कृपा करें, जिसमें मैं निर्धारित दिन तक जोधपुर विश्वविद्यालय में कार्य-भार सँभाल सकूँ।

खेद है कि मैं आप जैसे सहृदय एवं कार्य-कुशल अधिकारी की अधीनता में मुझे अधिक समय करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यह विद्यालय फूलता-फलता रहे और प्रगति-पथ पर अग्रसर हो। यही मेरी शुभ कामना है।

सधन्यवाद,

दिनांक 5·11-88

भवदीय,

कृपा शंकर मिश्र

सहायक अध्यापक गांधी स्मारक विद्यालय,

नवलगढ़

अर्द्ध शासकीय पत्र

जो शासकीय पत्र अधिकारी को नाम से सम्बोधित किये जाते हैं, पद से नहीं वह अर्द्ध शासकीय कहलाता है। इस प्रकार का पत्र अधिकारी का वैयक्तिक ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, जिससे विषय का निस्तारण तुरन्त हो सके।

अर्द्ध शासकीय पत्र-लेखन-विधि में थोड़ी सी भिन्नता है। शासकीय पत्र की भाँति इसमें प्रेषक और सेवा में को स्थान नहीं दिया जाता, केवल भेजने वाले व अधिकारी का पता लिखा जाता है। महोदय के स्थान पर प्रिय महोदय अथवा प्रिय लिखकर अधिकारी का नाम लिखा जाता है। अन्त में बाईं ओर अधिकारी का नाम एवं पद लिख दिये जाते हैं। कतिपय नमूने देखिए —

प्रधानाचार्य का जिला शिक्षा अधिकारी को

प्रधानाचार्य,

राजकीय इण्टर कालेज आयरा।

अर्द्ध शासकीय पत्रांक प(5) / 88-89 / 6 दिनांक 28-7-88

प्रिय श्री बहुगुणा,

कृपया मेरे पत्र संख्या प (5) / 88-89 / 3 दिनांक 9-7-88 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैंने आपसे कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में पाँच अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश की अनुमति माँगी थी। अभी तक मुझे यह अनुमति नहीं प्राप्त हुई है, जिससे प्रवेश-कार्य समाप्त नहीं हो सका है। मैं चाहता हूँ कि यह कार्य 31 जुलाई तक अवश्य समाप्त हो जाय और 1 अगस्त से विधिवत् शिक्षण-कार्य आरम्भ हो।

अतः निवेदन है कृपया तुरन्त अनुमति प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

लक्ष्मी नारायण रावत

श्री मोहनचन्द्र बहुगुणा,

जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।

जिलाधीश का मुख्यमन्त्री को

जिलाधीश,
चूरू

अर्द्ध शासकीय पत्रांक अ० शा० (ग) / 88-89 / 31 दिनांक 10-2-89

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 17 फरवरी को कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया था, जिसे पुलिस की त्वरित कार्यवाही से निष्फल कर दिया गया। स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है। असामाजिक तत्वों को बन्दी बनाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवचरण माथुर,
मुख्यमन्त्री,
राजस्थान शासन, जयपुर।

भवदीय,
विक्रमसिंह चौहान

विविध पत्र

उपर्युक्त पत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक पत्र हैं—प्रमाण-पत्र, सूचना, विज्ञापन, समाचार-पत्र के सम्पादक को पत्र, विदाई-पत्र, और अभिनन्दन-पत्र। इन पत्रों के नमूने देखिए—

प्रमाण-पत्र

शांतिप्रसाद, शुक्ल एम० एल०, बी० एड०
प्रधानाचार्य

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
गंगानगर
दिनांक 10-7-89

मुझे यह प्रमाणित करते हुए हर्ष है कि श्री सीताराम शर्मा की गणना हमारे विद्यालय के मेधावी एवं सच्चरित्र छात्रों में है। इन्होंने वर्ष 1985 से 1989 तक इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। ये सदैव कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे हैं। इन्होंने सैकेण्डरी परीक्षा, 1987 हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1988 तथा सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1989 तीनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा में इन्होंने 79% अंक प्राप्त करके इस जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

श्री शर्मा निबन्ध-लेखन तथा वाद-विवाद-कला में कुशल हैं। इन्होंने इनकी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। खेल-कूद में भी ये रुचि लेते रहे हैं। विद्यालय की फुटबॉल टीम में इनका नाम है।

श्री शर्मा विनम्र, आज्ञाकारी, अनुशासन-प्रिय, अध्यवसायी एवं शिष्ट नवयुवक हैं। विद्यालय को इन पर गर्व है।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शांतिप्रसाद शुक्ल
प्राधानाचार्य,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डी० ए० वी० माध्यमिक विद्यालय, अजमेर की प्रबन्ध-समिति का चुनाव दिनांक 15 जनवरी 1989 के अपराह्न 3 बजे विद्यालय-भवन में सम्पन्न होगा। चुनाव में वे सदस्य ही भाग ले सकते हैं जिनका सदस्यता-शुल्क दिनांक 15 अक्टूबर 1988 तक कोषाध्यक्ष के पास जमा हो जायगा।

मंत्री,

दिनांक 1 10-88 डी० ए० वी० माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि साहित्य परिषद, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर बसन्त पंचमी दिनांक 10 फरवरी को रात्रि के 8 बजे एक कवि-सम्मेलन की आयोजन कर रही है, जिसमें राजस्थान के ही नहीं अन्य प्रदेशों के प्रमुख कवियों को भी आमंत्रित किया गया है, कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता हास्य रस-सम्राट काका हाथरसी करेंगे। समस्त साहित्य-प्रेमियो से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कविताओं का आनन्द लें और कवि-सम्मेलन को सफल बनायें।

मंत्री,

दिनांक 8-2-88 साहित्य परिषद,

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

सवाई माधोपुर।

विज्ञापन

राष्ट्रीय विद्यालय, जयपुर को स्नातक वेतनमान में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता-सम्पन्न एक हिन्दी-अध्यापक की आवश्यकता है। राजस्थान शासन द्वारा स्वीकृत वेतन प्रदान किया जायगा। प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-8-88 तक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की फोटो-प्रतियों सहित प्राधानाचार्य को प्राप्त हो जाने चाहिए। तदुपरांत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

मंत्री,

दिनांक 16-8-88 राष्ट्रीय विद्यालय, जयपुर

समाचार – सम्पादक को पत्र

(सम्पादक, अमर उजाला, आगरा को)

महोदय,

मैं आपके जन-हितैषी समाचार-पत्र के माध्यम से शिक्षा-मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षाओं में इस वर्ष खुल्लम-खुल्ला हो रही नकल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कतिपय केन्द्र-व्यवस्थापक परीक्षा आरम्भ होने से पहले ही प्रश्न-पत्रों के लिफाफे खोल लेते हैं और एक प्रश्न-पत्र निकालकर उसके प्रश्न हल करवाकर उन्हें उन परीक्षार्थियों में बाँट देते है जो उन्हें पैसा देते हैं। सुना गया है कि इस अनुचित कार्य के लिए प्रति परीक्षार्थी से एक हजार रुपये तक प्राप्त किया जाता है और प्राप्त धनराशि इस घृणित धन्धे में संलग्न अध्यापकों में बाँट ली जाती है। इस

प्रकार ये परिक्षायें खिलवाड़ बन रही हैं। क्या शिक्षा-मंत्री तुरन्त कड़ी कार्यवाही करके इस खुले आम हो रही नकल को रुकवायेंगे और दोषी व्यवस्थापकों, अध्यापकों तथा नकलची परीक्षार्थियों को कठोर दण्ड दिलवायेंगे, जिससे भविष्य में वे यह कुत्सित कार्य करने का दुस्साहस न कर सकें ?

आनन्दबिहारी श्रीवास्तव

दिनांक 16-3-89 मंत्री,

जिला भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, आगरा।

विदाई-पत्र

(प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण पर)

श्री गिरिजानन्दन घोष

प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर

के कर-कमलों में सादर समर्पित

मान्यवर !

आज अपराह्न हम छात्रगण अत्यधिक दुःख के साथ आपको विदा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विदाई-पत्र प्रस्तुत करते समय हमारे हृदय विषाद से ओत-प्रोत हैं एवं इनमें श्रद्धा उमड़ रही है। आपने हमारे इस विद्यामन्दिर की जो सेवा की है और हम छात्रों के प्रति जैसा मधुर तथा पितृवत् व्यवहार किया है, उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपमें कितनी विद्वत्ता, कितनी प्रबन्ध-पटुता कितनी अध्यापन-कुशलता है। इस प्राचीन विद्यामन्दिर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हुए आपने जिस न्यायप्रियता, जिस कर्तव्य-निष्ठा, जिस लगन, जिस अध्यवसाय, जिस कर्मठता, जिस सहृदयता, जिस सद् व्यवहार का परिचय दिया है उससे क्या अध्यापक, क्या छात्र, क्या नागरिक, क्या अधिकारी सभी के हृदयों पर आपकी अमिट छात्र विद्यमान है। आपका विद्यानुराग धन्य है !

मानवरत्न !

अध्यापक से भी अधिक आपका मानव-रूप आदरणीय है। आप सद्गुणों की साक्षात मूर्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके सम्पर्क में आया है आपके मृदुल व्यवहार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। आपका मुस्कराता हुआ मुख, मधुर वाणी, सरल स्वभाव, दयालुता, स्नेहार्द्रता एवं सहानुभूति आपकी सर्वप्रियता के कारण हैं। आपने-अपने आचरण से 'आचार्य' पद को सार्थक किया है। आपका-सा साहस, आपकी-सी सहनशीलता अन्य व्यक्तियों में नहीं देखी गयी है। कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति में भी आप कभी विचलित नहीं हुए और धैर्यपूर्वक विद्यालय, अध्यापकों एवं छात्रों की हित-रक्षा में संलग्न रहे। आज तक आपके मुख पर क्रोध की झलक नहीं देखी गयी। आपका हृदय कुसुम-सा कोमल है और उससे प्यार की पवित्र धारा प्रवाहित होती रहती है। आज हम आपके स्नेह एवं आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं। इसका हमें अपार दुःख है।

पूजनीय !

इस विद्या-मन्दिर को आपने अपनी सतत साधना, निःस्वार्थ सेवा तथा कठोर परिश्रम से उन्नति के शिखर पर आसीन किया है। आज इसका स्थान जनपद में सर्वोपरि है। आज

इसका परीक्षाफल सर्वोत्कृष्ट है। आज इसकी ख्याति प्रदेश भर में है। इस गौरव का श्रेय आपको है। आपकी कीर्ति-पताका भगवती वीणापाणि के कर-कमलों को सुशोभित कर रही है।

आचार्य-शिरोमणि !

यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज आप हमको छोड़कर अन्य विद्यालय में जा रहे हैं। हमारे नेत्रों के सामने से आप भले ही चले जायँ, पर हृदय से बाहर नहीं हो सकते। आपकी मधुर स्मृति हमारे मष्तिस्क में सदैव विराजती रहेगी। आशा है, आप भी हमें कभी नहीं भूलेंगे और कभी-कभी दर्शन देते रहेंगे।

विद्वर !

आपका वियोग असह्य है। आपको विदा देते हुए हमारे हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, कण्ठ रुद्ध हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है।

आपका जीवन सुखी हो और आप उन्नति के मार्ग में अग्रसर होकर माँ भारती की आराधना करते हुए चिरायु हों, यही हमारी कामना है।

हम हैं,

दिनांक 21-7-88 आपके आज्ञाकारी शिष्य,

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर के छात्र

श्री मुरलीधर शर्मा,

प्रधानाचार्य, महात्मा गाँधी हायर सैकण्डरी स्कूल, कोटा

के कर-कमलों में सादर समर्पित

मान्यवर !

आज राष्ट्रपति-पुरस्कार-प्राप्ति के पुनीत एवं मंगलमय अवसर पर हम छात्रगण आपका सादर अभिनन्दन करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे हृदय उल्लास से ओत-प्रोत हैं। राष्ट्रपतिजी द्वारा आपके विद्यानुराग, आदर्श आचरण एवं राष्ट्र-सेवा की महत्ता के कारण आपको जो सम्मान प्रदान किया गया है उससे हमारा विद्यालय गौरवान्वित हुआ है। हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम आप सरीखे आचार्य-शिरोमणि की छत्र-छाया में अपना छात्र-जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

विद्या-वारिधि !

आपकी अनुपम योग्यता एवं क्षमता की धाक सारे प्रदेश पर जमी हुई है। आपके कार्यकाल में इस विद्यालय का सर्वांगीण विकास हुआ है। आपकी विद्वत्ता, अध्यापन-कुशलता तथा प्रबन्ध-पटुता के फलस्वरूप इस विद्यालय के परीक्षा-परिणाम सर्वोत्कृष्ट हैं। यह उपलब्धि आपकी साधना, आपकी लगन, आपके अध्यवसाय से सम्भव हुई है।

आचार्य-रत्न !

आप सद्गुणों की साक्षात मूर्ति हैं। आपके सद्व्यवहार की सभी सराहना करते हैं। आपने अपने उत्कृष्ट आचरण से 'आचार्य' पद को सार्थक किया है। आपकी

निष्ठा, आपकी न्याय-प्रियता, आपकी स्नेहार्द्रता, आपकी दयालुता, आपकी मृदुलता की अमिट छाप हमारे हृदय-पटल पर अंकित है। आपने अपने जीवन में भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'सादा जीवन उच्च विचार' उतारा है।

राष्ट्र-निर्माता !

आपने प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित इस विद्यालय में राष्ट्रीयता का बीज वपन किया है। राष्ट्रहित पर स्वहित का बलिदान आपके जीवन का आदर्श है और इसी आदर्श की अवतारणा आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। आप स्वयं राष्ट्र-सेवा-व्रत के व्रती हैं और हमको भी राष्ट्र-सेवा का पुनीत पाठ पढ़ा रहे हैं। आपने इस विद्यालय की व्यवस्था में लोकतान्त्रिक मान्यताओं को साकारता प्रदान की है और अनेक स्वस्थ परम्पराओं को प्रतिष्ठित किया है। पाठ्येतर कार्य-कलाप के माध्यम से आप हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु प्रयत्नशील हैं, जिससे हम राष्ट्र के विकास एवं उत्थान में सक्रिय योगदान करने में समर्थ हो सकें। आप सचमुच राष्ट्र की विभूति हैं।

श्रद्धेय !

आप हमारे विद्यालय के गौरव, हमारे विद्यालय के प्राण हैं। आपकी कर्तव्य-परायणता एवं साधना के फलस्वरूप यह विद्या-मन्दिर आज सारे जनपद में शीर्षस्थ है और इसकी ख्याति प्रदेश भर में है।

हृदय-सम्राट !

हम आपका नतमस्तक अभिनन्दन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु प्रदान करे। आपकी कीर्ति-पताका भगवती वीणापाणी के कर-कमलों को सुशोभित करती रहे तथा आप राष्ट्र-कल्याण में निरन्तर सक्रिय बने रहें। यही हमारी कामना है।

दिनांक 1-3-89 हम हैं,

आपके प्रिय शिष्य,

महात्मा गांधी हायर सैकण्डरी स्कूल, कोटा के छात्र

1. निरन्तर अनुपस्थिति के कारण हुए जुर्माने को माफ करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना-पत्र लिखिए।
2. एक स्थानीय विद्यालय के साथ मैत्री-मैच खेलने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्ति हेतु प्रार्थनापत्र लिखिए।
3. राजस्थान बोर्ड की हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1989 के विशेष हिन्दी के द्वितीय प्रश्नपत्र की क्लिष्टता के सम्बन्ध में असन्तोष प्रकट करते हुए दैनिक 'नवज्योति' के सम्पादक को एक पत्र लिखिए।
4. लोक-सेवा-आयोग, राजस्थान शासन, अजमेर के सचिव के रूप में दैनिक 'नव ज्योति' में प्रकाशनार्थ विज्ञापन तैयार कीजिए।
5. नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा के मंत्री के रूप में 'अमर उजाला' में प्रकाशनार्थ सभा की चुनाव-सम्बन्धी सूचना तैयार कीजिए।
6. पुलिस के विरुद्ध दुर्व्यवहार-सम्बन्धी शिकायती पत्र जिला पुलिस अधीक्षक को लिखिए।

7. अध्यापक-पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र शिक्षा-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को लिखिए।
8. विद्यालय की सीनियर हायर सैकण्डरी कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखिए।
9. नौकरी हेतु सहायक अधीक्षक, वन विभाग, राजस्थान शासन, भरतपुर को आवेदन-पत्र लिखिए।
10. गन्दगी का शिकायती पत्र अध्यक्ष, नगर परिषद, उदयपुर को लिखिए।
11. जिलाधीश, जोधपुर को परीक्षा-अवधि में लाउडस्पीकर बजाने की निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवेदन-पत्र लिखिए।
12. लोकदल के अध्यक्ष श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के असामयिक निधन पर मंत्री, नागरिक संघ, धौलपुर की हैसियत से शोक-सभा की सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ लिखिए।
13. अपने विद्यालय की द्वादश कक्षा के छात्रों की विदाई हेतु विदाई-पत्र लिखिए।
14. अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की हैसियत से ज़िला शिक्षा अधिकारी को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें किसी अध्यापक की शिकायत की गयी हो।
15. अपने विद्यालय में पधारने के अवसर पर शिक्षा-निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान के लिए अभिनन्दन पत्र तैयार कीजिए।

खण्ड 4
निबन्ध-लेखन

निबन्ध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचार प्रकट किये जाते हैं । कोई लेखक छोटा निबन्ध लिखता है और कोई बड़ा । छोटा निबन्ध अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबन्ध में सुन्दरता की रक्षा नहीं हो सकती । संक्षेप में विचार प्रकट करना ही निबन्ध की विशेषता होती है । इसी में उसकी सफलता अन्तर्निहित है ।

निबन्ध के दो अंग होते हैं—(1) विचार-समूह (सामग्री) और (2) शैली । यद्यपि निबन्ध की सफलता बहुत कुछ सुन्दर शैली पर निर्भर है, तो भी सामग्री की उपयोगिता स्वीकार करनी ही पड़ेगी । शरीर को कितना ही क्यों न सजाया जाय, पर प्राणों के अभाव में उसमें सुन्दरता का समावेश नहीं हो सकता ।

विचार-समूह (सामग्री)

किसी विषय पर लेखनी चलाने से पहले सामग्री जुटाने के लिए उस पर मनन करना चाहिए । मनन करने पर जो विचार मस्तिष्क में आयें उन्हें लिख लिया जाय । क्या ? क्यों ? कैसे ? आदि प्रश्नवाचक शब्द ही ज्ञान-भण्डार को खोलने की कुँजियाँ होते हैं और विचार उत्पन्न कराते हैं । इन प्रश्नों के उत्तर ही निबन्ध की सामग्री होंगे ।

रूप-रेखा

इन प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से निबन्ध की रूप-रेखा बनानी चाहिए । रूप-रेखा में दो बातों का ध्यान रखा जाय—(1) अनावश्यक एवं विषय से असम्बन्धित बातों को स्थान न दिया जाय । (2) विचारों को बिन्दुरूप में क्रमबद्ध लिखा जाय ।

रूप-रेखा में सम्मिलित आदि के बिन्दु को 'प्रस्तावना' और अन्त के बिन्दु को 'उपसंहार' नाम दिया जाय ।

शैली

शैली में सबसे अधिक महत्व भाषा का है । निबन्ध की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए । शब्द ही सरल न हों, वाक्य-रचना भी सरल हो । यथा-संभव छोटे-छोटे वाक्य लिखे जायँ ।

भाषा का अन्य गुण प्रवाह है । वाक्यों में सहज सम्बन्ध हो । वे एक-दूसरे से शृंखला की कड़ियों की भाँति जुड़े हों । भाषा सशक्त हो । इसके लिए वाक्य के जिस अंश पर जोर देना हो उसे वाक्य के अन्त में रखा जाय । प्रश्नवाचक अथवा विस्मयादि बोधक वाक्य से भी भाषा में अच्छी शक्ति आ जाती है । वाक्य के आदि अथवा अन्त में एक या अनेक शब्दों की आवृत्ति भी भाषा को शक्ति प्रदान करती है । जैसे—

(1) भारत की वर्तमान समस्याओं का समाधान नैतिक उत्थान में ही है। (जोर दिया जाने वाला वाक्यांश 'नैतिक उत्थान' वाक्य के अन्त में)

(2) पन्द्रह अगस्त का स्वतन्त्रता-दिवस किसे आह्लादित नहीं करेगा ? (प्रश्न वाचक वाक्य)

(3) कैसे रमणीय दृश्य हैं ! (विस्मयादि बोधक वाक्य)

(4) **जब** मिट्टी से सोना उत्पन्न करने वाले तपस्वी को भर-पेट भोजन मिलेगा, **जब** इस अर्द्ध-नग्न योगी को तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र मिलेगा, **जब** इस ग्राम-देवता के कष्टों का अन्त होगा तभी हमारा देश समृद्ध होगा। ('जब' शब्द की आवृत्ति उपवाक्यों के आदि में)

(5) भारतवर्ष को एक राष्ट्र बनाने वाले **आप ही हैं**, भारत-माता की सूखी नसों में रक्त का संचार करने वाले **आप ही हैं**, देश के नर-नारी, बालक-युवा-वृद्ध सबके हृदय-सम्राट **आप ही हैं**। ('आप ही हैं' शब्दों की आवृत्ति उपवाक्यों के अन्त में)

अलंकारों एवं मुहावरों के प्रयोग भाषा को रोचक तथा रमणीय बनाते हैं। जैसे—

(1) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर मेरा **मन-मयूर** नृत्य करने लगा। ('मन-मयूर' में रूपक अलंकार का प्रयोग)

(2) विदेशी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना **टेढ़ी खीर** है। ('टेढ़ी खीर' मुहावरे का प्रयोग)

भावुकता के समावेश से भाषा में प्रभावोत्पादकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि विचारों में भावात्मक पुट हो। जो कुछ कहा जाय उसे भाव से लपेट कर कहा जाय, जिससे वह पाठक के हृदय को स्पर्श करे। जैसे—स्वतन्त्रता-संग्राम में देश के न जाने कितने सपूत हँसते-हँसते फाँसी के झूले पर झूल गये।

सूक्तियों के प्रयोग से शैली अधिक सुन्दर हो जाती है। निबन्ध में विचारों की पुष्टि में यदि किसी फबती हुई सूक्ति का प्रयोग किया जाय तो उसकी शोभा में वृद्धि हो जाती है। जैसे— देश-प्रेम शीर्षक निबन्ध में स्वदेश की महत्ता के प्रतिपादन के लिए "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" सूक्ति का प्रयोग। पर ध्यान रहे कि सूक्तियों का प्रयोग अधिक न हो। निबन्ध में तो लेखक के अपने विचारों की प्रधानता होनी चाहिए।

प्रस्तावना

निबन्ध आरम्भ करने का ढंग विशेष महत्व रखता है। अतः इसे अधिक से अधिक रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए निबन्ध को उपयुक्त दृश्य या वातावरण, वार्तालाप, अच्छी उक्ति, भूमिका, घटना आदि से आरम्भ करना चाहिए। जैसे—

(1) "हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में।
हे मातृभूमि ! तुझको निरख मग्न क्यों न हों मोद में ?"

उक्ति से देश-प्रेम का निबन्ध आरम्भ किया जा सकता है।

(2) शरद ऋतु का सुहावना समय है। रंग-विरंगे पुष्प वनस्थली की शोभा बढ़ा रहे हैं। पक्षी मधुर स्वर से चहचहा रहे है। मंजुल लताएँ वृक्षों के साथ अठखेलियाँ कर रही हैं। ऐसी सुरम्य बेला में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है।

इस वातावरण से निबन्ध का श्री गणेश किया जा सकता है।

(3) बाट जोहते-जोहते अन्त में वह दिन आ गया जब मेरी हायर सैकण्डरी परीक्षा समाप्त हुई और मुझे घर आने का स्वर्णिम अवसर मिला। कितना उल्लास था

मेरे हृदय में ! मैंने अविलम्ब यात्रा की तैयारी की।

इस घटना से यात्रा-वर्णन का निबन्ध आरम्भ किया जा सकता है।

उपसंहार

उपसंहार प्रभावोत्पादक होना चाहिए। इसके अन्तर्गत निबन्ध का सारांश लिखा जाय, निष्कर्ष निकाला जाय, विषय का महत्व या प्रभाव बताया जाय, सुधार के लिए अपील की जाय अथवा फबती हुई उक्ति को स्थान दिया जाय।

वास्तव में निबन्ध-लेखन एक कला है। इसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त सुझावों के अनुसार पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है।

(1) मेरा प्रिय कवि

(गोस्वामी तुलसीदास)

रूपरेखा

(1) प्रस्तावना—आविर्भाव के समय की परिस्थितियाँ

(2) गोस्वामी तुलसीदास की प्रियता के प्रमुख कारण—

(क) कविता की उत्तमता (ख) भक्ति की उदारता

(ग) नीति और मर्यादा (घ) समाज-कल्याण

(3) उपसंहार—गोस्वामीजी की महत्ता

"कलि-कुटिल जीव-निस्तार-हित बालमीकि तुलसी भयो ॥"

नाभादासजी की इस उक्ति के अनुसार आदि कवि महर्षि बाल्मीकि कलियुग के पापियों का उद्धार करने के लिए तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने संस्कृत के काव्य 'रामायण' की हिन्दी में 'रामचरितमानस' नाम से अवतारणा करके राम-रसायन का प्रसाद हिन्दुओं के घर-घर में पहुँचाया। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव हुआ उस समय हिन्दू-जाति निराशा के गर्त में डूबी हुई थी, हिन्दू धर्म तथा हिन्दुओं पर मुसलमान शासक अत्याचार करते थे और वे पराधीन बने हुए दीनतापूर्वक सब कुछ सह लेते थे। उनके आँसू तक पोंछने वाला कोई न था। ऐसी दयनीय परिस्थितियों में अवतीर्ण होकर गोस्वामीजी ने हिन्दुओं के भग्न होते हुए हृदय को सँभाला और 'रामचरितमानस' में दुष्ट दलनकारी भगवान राम के अद्वितीय सौन्दर्य-शील-शक्ति-समन्वित स्वरूप की झाँकी कराके उनके जीवन में सरसता का संचार किया। आज 'रामचरितमानस' प्रत्येक हिन्दू का कण्ठहार बना हुआ है। इसी के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मेरे प्रिय कवि हैं।

गोस्वामीजी की प्रियता का एक कारण है इनकी कविता की उत्कृष्टता, जिसके कारण ये हिन्दी-साहित्य में सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं। मानव-हृदय पर जैसा विस्तृत अधिकार इनका देखा जाता है वैसा अधिकार अन्य किसी हिन्दी-कवि का नहीं। राम-कथा के मार्मिक स्थलों की मर्मस्पर्शी व्यंजना इनकी भावुकता का परिचय कराती है। मानव-अन्तःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का उद्घाटन इन्होंने अपने काव्य में किया है। माता कौशल्या के समक्ष भाई भरत की आत्मग्लानि की व्यंजना का एक नमूना देखिए—

"जो पै हौं मातु मते महँ ह्वै हौं।
तौ जननी ! जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वैहौं ?"

भरतजी रामजी से मिलने के लिए चित्रकूट गये हैं। वहाँ पहुँचने पर उनके हृदय में प्रेम एवं संकोच के भावों में जो द्वन्द्व होता है उसकी व्यंजना तुलसी की पीयूषवर्षी वाणी में कितनी मार्मिक है, देखिए—

"मन अगहुंड़ तन पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर।
गढ़त गोड़ मनों सकुच-पंक मँह, कढ़त प्रेम-बल धीर॥"

गोस्वामीजी ने भिन्न-भिन्न व्यापारों में संलग्न व्यक्तियों की मुद्राओं तथा प्राकृतिक दृश्यों के बड़े सजीव चित्र खींचे हैं। इन्होंने कविता की तत्कालीन प्रचलित समस्त शैलियों में सफलतापूर्वक रचनाएँ की हैं। कविता के बाह्यांग, उक्ति का अनूठापन, अलंकार एवं भाषा का जैसा सुन्दर स्वरूप इनकी कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रजभाषा और अवधी दोनों काव्य-भाषाओं पर इनका समान अधिकार देखा जाता है। इनकी-सी प्रौढ़, सुव्यवस्थित, सजीव तथा रसानुकूल भाषा बहुत थोड़े कवियों की रचनाओं में मिलती है। इनका शब्द-चयन सुन्दर है। लक्ष्मण-परशुराम संवाद तथा रावण-अंगद संवाद में अनूठी उक्तियों के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं।

सबसे बड़ी विशेषता है वर्णनीय विषय की। मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने काव्य का विषय बनाकर इन्होंने अपनी कुशल लेखनी से उनकी जीवन-गाथा की सुधा-धारा प्रवाहित की और उसमें हिन्दू-जाति को स्नान कराके उसके दुःख दूर किये। विभिन्न घटनाओं से सुसम्बद्ध कथा-प्रवाह स्वच्छन्द निर्झरिणी के समान आगे बढ़ता गया है।

गोस्वामीजी की प्रियता का अन्य प्रमुख कारण है इनकी भक्ति-पद्धति, जिसने जन-जन को मुग्ध कर रखा है। इन्होंने अपनी राम-भक्ति में हिन्दू-धर्म के विभिन्न पक्षों का समन्वय करके शैवों, वैष्णवों, शाक्तों और कर्म-मार्गियों के झगड़ों का अन्त कर दिया और धर्म को अधिक चलता हुआ रूप प्रदान दिया। 'विनयपत्रिका' में इन्होंने गणेश, सूर्य, देवी, भैरव, शिव आदि देवी-देवताओं की स्तुति करके अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। 'रामचरितमानस' में यहाँ तक कह दिया है—

"शिवद्रोही ममदास कहावै, सो नर मोहि सपनेहु नहिं भावै॥"

इनकी भक्ति की आधार शिला है आचरण की शुद्धता। इसकी श्रेष्ठता का ही यह प्रभाव है कि आज राम-नाम प्रत्येक हिन्दू की जिह्वा पर नाचता है और घर-घर में राम की उपासना होती है। राम-नाम हिन्दू जीवन में ऐसा ओतप्रोत हो गया है कि सम्पति में, विपत्ति में, घर में, वन में जहाँ देखिए वहीं वह विद्यमान है। यहाँ तक कि उसने हमारी अभिवादन-प्रणाली में भी स्थान प्राप्त कर लिया है। तभी तो हम मिलने पर 'राम-राम' या 'जैरामजी की' कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं।

गोस्वामी जी की प्रियता का अन्य प्रमुख कारण है नीति एवं मर्यादा में आस्था। शृंगार रस की जैसी शिष्ट एवं मर्यादित व्यंजना इन्होंने की है वैसी अन्य किसी कवि ने नहीं। राजा जनक की पुष्प वाटिका में कुमारी सीता के आभूषणों की मधुर ध्वनि सुनकर तथा उनको देखकर रामचन्द्रजी के हृदय में प्रेम-भाव की उद्भावना होती है। उसकी व्यंजना स्वयं रामजी के मुख से सुनिए—

"मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व विजय कहँ कीन्ही॥
× × × ×
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा॥
सो सब कारन जान बिधाता। फरकहिं सुभग अंग सुनु भ्राता॥
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग धरहिं न काऊ॥
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी॥"

रामजी द्वारा बालि का बध तथा शिवजी द्वारा काकभुशुंडि को शाप मर्यादा-पालन के उत्तम उदाहरण हैं। बालि ने अपने अनुज सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बनाया। काकभुशुंडि ने गुरु को प्रणाम नहीं किया। दोनों को दंडित करना मर्यादा की दृष्टि से आवश्यक था। वास्तव में रामचन्द्रजी के आदर्श चरित्र में मानव-हृदय की पवित्र से पवित्र वृत्ति, आचरण का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वरूप, मर्यादा का भव्य से भव्य रूप प्रस्फुटित हुआ है। रामजी ने किस प्रकार समुद्र एवं परशुराम को क्षमा किया, किस प्रकार हनुमानजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, किस प्रकार सुग्रीव एवं विभीषण पर कृपा की, किस प्रकार परशुराम के समक्ष विनम्र वचन कहे, किस प्रकार धीरता एवं गंभीरता के साथ वन में दुःख सहे, किस प्रकार आततायी राक्षसों का वीरतापूर्वक वध किया, यह देखकर हमारा मन उल्लसित होता है। अनुज लक्ष्मण और भरत के प्रति उनका व्यवहार भ्रातृ-स्नेह, माता कैकयी और कौशल्या का आज्ञापालन मातृभक्ति तथा पिता दशरथ का आज्ञा-पालन पितृभक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी पत्नी सीता पातिव्रत-धर्म की सजीव मूर्ति हैं। उनके पिता दशरथ सत्यव्रत के साक्षात् स्वरूप हैं। उनके अनुज भरत और लक्ष्मण सेवा तथा त्याग के आदर्श पात्र हैं।

गोस्वामीजी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है समाज-कल्याण। इनके आविर्भाव के समय हिन्दू-समाज की दयनीय दशा थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। ऐसी भयावह स्थिति में अवतीर्ण होकर इन्होंने हिन्दू-जाति की रक्षा की, उसमें संजीविनी शक्ति का संचार करके उसे नवजीवन प्रदान किया। समाज की सुव्यवस्था के लिए इन्होंने बड़ों का आदर, छोटों के प्रति प्रेम, विद्वानों का सम्मान, वीरों के प्रति श्रद्धा, अत्याचारियों का दमन आदि को आवश्यक ठहराया। राष्ट्र की भिन्न-भिन्न इकाइयों को संगठित करके एकता के सूत्र में पिरोने की उपादेयता प्रतिपादित की। राजा का आदर्श इन शब्दों में प्रस्तुत किया—

"मुखिया मुख सो चाहिए, खानपान कहँ एक।
पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक॥"

अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली की पुष्टि में इनकी निम्नांकित उक्ति दर्शनीय है—

"बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ॥
तुलसी प्रजा सुभाग तें भूप भानु सौ होइ॥"

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामीजी का हिन्दू-समाज पर अपार ऋण है। इनकी अनुपम प्रतिभा ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट होकर उसका समुज्ज्वल स्वरूप समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही कारण है कि इनकी-सी लोक-प्रियता किसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हुई है। इनकी कीर्ति-पताका हमारे देश में ही नहीं, अपितु सारे विश्व में फहरा रही है। इनके द्वारा प्रतिपादित मानवता का संदेश विश्व के कोने-कोने में गूंज रहा है। इनके द्वारा विकीर्ण आलोक सारे संसार को आलोकित कर रहा है। धन्य हैं गोस्वामी तुलसीदास और धन्य है वह जननी जिसके गर्भ से इन सरीखी अद्वितीय एवं महान् आत्मा आविर्भूत हुई! सचमुच—

"कविता करके तुलसी न लसे,
कविता लसी या तुलसी की कला।"

(2) देश-प्रेम

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—स्वदेश की महत्ता।

(2) देश-प्रेम की स्वाभाविकता।

(3) देश-प्रेम से देश की उन्नति।

(4) देश के प्रति हमारा कर्तव्य।

(5) कतिपय देश-प्रेमी महान् व्यक्ति।

(6) उपसंहार—हमें देश-प्रेमी होना चाहिए।

"जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है,
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है।"

सचमुच जिस व्यक्ति को अपने देश पर अभिमान न हो वह नर नहीं नर-पशु है और मृतक समान है। अहा ! जननी एवं जन्म-भूमि कितनी महान होती हैं। जिस माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, जिस देश के अन्न-जल से हमारा पालन-पोषण हुआ है, उससे बढ़कर क्या स्वर्ग भी हो सकता है ? जिस देश की जलवायु से हमारा शरीर विकसित हुआ है उस देश से क्या हम कभी उऋण हो सकते हैं ? उस पर तो प्राण तक न्यौछावर करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। निःसन्देह—

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" उक्ति अक्षरशः सत्य है।

यह बिलकुल स्वाभाविक है कि जहाँ मनुष्य निवास करता है उस स्थान को वह प्यार करता है, उसके प्रति उसके हृदय में अनुराग होता है। मनुष्य ही में नहीं, पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौधों तक में यह विशेषता पायी जाती है। गाय दिन भर जंगल में घूम-फिरकर सायं काल स्वयं अपने खूँटे पर आ खड़ी होती है। घोड़ा छूटकर अपनी घुड़साल में पहुँचता है। पक्षी दिन-भर मीलों का चक्कर काटकर सूर्यास्त के समय अपने घोंसले में आ जाते हैं। पेड़-पौधे भी अपनी जन्म-भूमि में जैसे फूलते-फलते हैं वैसे अन्य स्थानों पर नहीं। तभी तो चमन का अंगूर, कश्मीर का सेब, नागपुर का सन्तरा, इलाहाबाद का अमरूद तथा बम्बई का आम जैसा स्वादिष्ट होता है, वैसा और कही का नहीं। अपना बुरे से बुरा देश भी वहाँ के निवासियों को प्रिय होता है। सहारा रेगिस्तान का निवासी स्विटजरलैण्ड में रहना पसंद नहीं करता। विषवत रेखीय प्रदेश-वासी कश्मीर में नहीं रहना चाहता। सबको मातृभूमि की माटी प्रिय लगती है।

देश की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, देश-प्रेम नितान्त आवश्यक है। उसी देश का अभ्युत्थान हो सकता है जिसके निवासी देश-प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं. देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के सुख में अपना सुख, देश के दुःख में अपना दुःख, देश की शान्ति में अपनी शान्ति, देश के नाम में अपना नाम, देश की समृद्धि में अपनी समृद्धि समझते हैं। वही देश अपना सिर ऊँचा कर सकता है जहाँ के नर-नारी, बालक-वृद्ध सभी स्वदेश पर अपने स्वार्थों का ही नहीं अपने शरीर का भी बलिदान करने को उद्यत रहते हैं। संसार के वे देश जो समृद्धि के शिखर पर पहुँचे हैं देश-प्रेम के कारण ही इतने ऊँचे उठ सके हैं। रूस, अमरीका, जापान, आदि का इतिहास देश-प्रेम की गाथाओं से गौरवान्वित है।

हमारे देश की अवनति का मुख्य कारण हमारे हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम की कमी है। यहाँ देश की किसे परवाह है ? सबको अपनी-अपनी पड़ी है, सब अपने-अपने स्वार्थ में संलग्न हैं, सब अपना-अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देश-हित के लिए कोई

थोड़ा सा भी बलिदान, थोड़ा सा भी त्याग नहीं करना चाहता। इस निकृष्ट भावना के लिए हमें धिक्कार है ! क्या हमारे लिए यह लज्जा की बात नहीं है ? देश के प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ? वास्तव में यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम देश-हित को सर्वोपरि स्थान दें। देश पर संकट के बादल मँडराते समय उनके निवारण हेतु कमर कस-कर तैयार हो जायँ। उसकी रक्षा में प्राणों की आहुति तक दे दें। जब देशहित तथा स्व-हित में टकराव हो तब स्वहित का परित्याग कर दें। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत-माता की सेवा एवं आराधना में ही हमारे जीवन की सार्थकता है।

हर्ष की बात है कि सौभाग्यवश हमारे यहाँ कतिपय देश-प्रेमी आत्माओं का आविर्भाव हुआ, जिनकी गौरव-गाथाओं से हमारा इतिहास जगमगा रहा है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्दसिंह, महारानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम कौन नहीं जानता ? देश के हित के लिए उनके अनुपम त्याग, बलिदान एवं वीरता की गाथाओं से हमारा इतिहास ओत-प्रोत है। इन्होंने देश-प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित किया। देश की आजादी, स्वाभिमान तथा आन-बान की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इन पर हमें गर्व है। आधुनिक काल में अंग्रेजी सत्ता से जूझने वाले लोकमान्य तिलक, सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, महात्मा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस आदि ने देश-प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। ये भारत-माता के सपूत हमारे गौरव हैं, हमारे प्रेरणा-स्रोत हैं। ये आलोक-दीप देश की भावी पीढ़ियों का भी मार्ग-दर्शन करते रहेंगे। धन्य हैं ये भारत माता के पुजारी जिन्होंने देश प्रेम का मोहन मंत्र फूँका ओर भारत-माता की सूखी नसों में रक्त का संचार करके उसमें नवीन शक्ति, नवीन जीवन, नवीन स्फूर्ति उत्पन्न की !

इन महान व्यक्तियों के आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करके हमें देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए, निष्ठापूर्वक देश-हित में संलग्न होना चाहिए, देश-सेवा के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए, देश को सुखी एव समृद्ध बनाने के लिए योगदान करना चाहिए। वास्तव में देश की उन्नति में हमारा उन्नति, देश के कल्याण में हमारा कल्याण निहित है। देश है तो हम हैं। देश गिरेगा तो हम गिरेंगे। देश ऊपर उठेगा तो हम ऊपर उठेंगे। अतः हमें देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए। हम जियें तो देश के लिए, मरें तो देश के लिए। वह मानव-हृदय जो देश-प्रेम से आप्लावित नहीं है, जिसमें देश-प्रेम की सुरसरि प्रवाहित नहीं है, पत्थर है। किसी ने ठीक ही कहा है।

"वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं"

(3) मेरा प्रिय नेता अथवा आदर्श जन-नायक
(महात्मा गाँधी)

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—आविर्भाव के समय भारतवर्ष की दशा।
(2) प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा।
(3) दक्षिण अफ्रीका में।
(4) भारतीय स्वतन्त्रता के जनक।
(5) वध।
(6) आदर्श मानव।
(7) उपसंहार—महत्ता।

भारतमाता दासता की बेड़ियों में जकड़ी हुई कराह रही थी, विदेशी शासन के

अत्याचारों से पीड़ित होकर आठ-आठ आंसू रो रही थी। उसके करुण क्रन्दन से द्रवित होकर दीनबन्धु भगवान ने एक ऐसे महामानव की अवतारण की जिसने उसकी बेड़ियाँ काटकर उसकी शूखी नसों में रक्त का संचार किया, उसे नवजीवन प्रदान किया। यह महामानव, यह युग-पुरुष, यह दुबला-पतला अस्थिओं का ढाँचा घुटनों तक धोती, कन्धों पर चादर तथा हाथ में लाठी धारण करने वाला व्यक्ति था महात्मा गांधी जो त्याग, बलिदान एवं सेवा से भारतवर्ष के जन-जन का हृदय-सम्राट बन गया और 'बापू' नाम से विभूषित हुआ। यह गौतम बुद्ध की अहिंसा, और ईसा मसीह की करुणा लेकर अवतीर्ण हुआ। इसने अहिंसा एवं करुणा की पीयूष-वर्षा से जन-मानस को आप्लावित कर दिया।

महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबन्दर-निवासी एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गाधी था। इनके पिता कर्मचन्द राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई साधु स्वभाव की महिला थीं और पूजा-पाठ तथा व्रत-उपवास में बहुत निष्ठा रखती थीं। इन गुणों का बालक गाँधी पर बहुत प्रभाव पड़ा। 'सत्यहरिश्चन्द्र' और पितृ भक्ति-प्रधान 'श्रवण कुमार' नाटकों के प्रभाव से ये बाल्यावस्था में ही सत्य के पुजारी तथा मातृ-पितृ भक्त हो गये। इनका विवाह अल्पावस्थामें ही कस्तूरबा के साथ हो गया। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके ये बेरिस्टरी पढ़ने विलायत गये और बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौट आये।

बम्बई में एक वकील के रूप में इन्होंने व्यवसाय आरम्भ किया। कुछ समय बाद इन्हें पोरबन्दर की एक फर्म के मुकदमे की पैरवी के लिए अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ अदालत और रेल यात्रा में अपमानित होने पर इनकी आत्मा को बड़ी ठेस लगी। इन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को समूल नष्ट करने का प्रण कर लिया। मुकदमे का समझौता कराके इन्होंने भारतीयों की मान-मर्यादा के रक्षार्थ सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया। अन्त में सफलता प्राप्त करके ये स्वदेश लौट आये।

यहाँ की गरीबी और विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित जनता की दुर्दशा से ध्यथित होकर इन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन का सूत्रपात किया। रौलट एक्ट एवं जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड ने इनका हृदय विदीर्ण कर दिया। इन्होंने असहयोग आन्दोलन, नमक-सत्याग्रह और अन्त में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलनों द्वारा विदेशी शासन का अन्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी।

फिर इन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता तथा दलितोद्धार का विशेष प्रयास किया। किन्तु 30 जनवरी 1948 को एक नर-पिशाच ने इनकी जीवन-लीला समाप्त कर दी। इस दुर्घटना से सम्पूर्ण देश शोक-सागर में निमग्न हो गया। देश पर मानो वज्रपात हो गया। राष्ट्र के मानो प्राण निकल गये। भारत-माता का लाड़ला उससे छिन गया। वह फूट फूट कर विलाप करने लगी।

इन्होंने सत्य और अहिंसा को पूर्णतया अपने जीवन में उतारा था। धर्म, मर्यादा और नीति ने इनके जीवन को ही नहीं ओतप्रोत कर रखा था, बल्कि राजनीति को भी आच्छादित किया था। इनकी राजनीति धर्म की गोद में खेलती थी। वह सत्य एवं पवित्रता पर आधारित थी। उसमें चालाकी, झूठ, कुटिलता, कपट, धोखा, छल छिद्र आदि का कोई स्थान नहीं था। 'सादा जीवन, उच्च विचार' उनके जीवन का मूल मंत्र था। सेवा तथा त्याग इन्हें परम प्रिय थे। इन्होंने अस्तेय और अपरिग्रह को भी अपनाया था। वे आधुनिक काल के हरिश्चन्द्र, गौतम बुद्ध और ईसा थे। मानव मात्र के लिए इनके हृदय में अपार स्नेह था। इनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। ये महामानव

थे। तभी तो इनको महात्मा कहा जाता था। ये केवल राजनीति के नेता ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्र इनकी अनुपम प्रतिभा के आलोक से आलोकित हुए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें इनकी वाणी तथा लेखनी ने प्रवेश करके सुधार का सूत्रपात्र न किया हो। गाँव-सुधार, हरिजन-उद्धार, नारी-जागरण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, शिक्षा-सुधार आदि कल्याणकारी जन-कार्यों में इन्होंने यथासम्भव योगदान किया।

सचमुच महात्मा गाँधी भारत की महान् विभूति एवं देदीप्यमान रत्न थे। देश को इन पर नाज था, गर्व था। राष्ट्र के बिखरे हुए परिमाणुओं को संगठित करके इन्होंने उसे संजीवनी शक्ति प्रदान की। इसके लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। सच पूछिए तो इन्होंने भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया। इसके कंकाल को अनुपम आभा प्रदान की। तभी तो इन्हें 'राष्ट्रपिता' की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये मरकर भी अमर हो गये हैं। यद्यपि ये आज हमारे मध्य में नहीं है, तथापि इनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग हमारा कल्याण करता रहेगा, उनके सिद्धान्त हममें अनुपम शक्ति का संचार करते रहेंगे। इनका पावन संदेश हममें दिव्य ज्योति जगाता रहेगा और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहेगा। धन्य हैं महात्मा गांधी और धन्य हैं वह जननी जिसके गर्भ से महात्मा गाँधी सरीखी महान् आत्मा आविर्भूत हुई ! इसमें सन्देह नहीं कि—

"ऐसे महापुरुष वसुधा पर कभी-कभी ही आते हैं।
मानवता के लिए सभी कुछ अपना ही दे जाते हैं॥"

(4) मेरी प्रिय पुस्तक
(रामचरितमानस)

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—'रामचरितमानस' की रचना का उद्देश्य

(2) विशेषताएँ—

(क) साहित्यिक, (ख) धार्मिक, (ग) गार्हस्थ्य-सम्बन्धी, (घ) सामाजिक,

(ङ) राजनीतिक

(3) समन्वय की भावना

(4) उपसंहार-महत्ता

"स्वान्त : सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा—
भाषा निबन्ध मति मंजुल मातनीति।"

'रामचरितमानिस' के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की इस उक्ति से पुस्तक की रचना का उद्देश्य यह ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने अन्तःकरण के सुख के लिए आत्मानन्द हेतु इसकी रचना की। पर इनके अन्तःकरण को सुख तभी मिल सकता था जब इनके 'रामचरितमानस' से जन-हित होता, पापियों का उद्धार होता। वास्तव में इनकी अवतारणा ही आर्य-धर्म की रक्षा तथा 'कलि कुटिल जीव निस्तार' हेतु हुई थी। अतः इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र द्वारा 'रामचरितमानस' के माध्यम से लोक-कल्याण की योजना की।

'रामचरितमानस' हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इसकी साहित्यिक महत्ता

की समता अन्य कोई रचना नहीं कर सकती। काव्य के भाव-पक्ष एवं कलापक्ष दोनों की दृष्टि से यह अद्वितीय ग्रन्थ है। मावन-हृदय के विविध भावों की मार्मिक व्यंजना के साथ-साथ इस महाकाव्य में प्रबन्ध-पटुता, मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण, सजीव संवाद, चित्रात्मक वर्णन आदि विशेषताएँ दर्शनीय हैं। भाषा-सौष्ठव, अलंकार-छटा, उक्ति-वैचित्र्य, छन्द-विधान भी अनुपम हैं। इसमें नाटक और कविता साहित्य के इन दोनों अंगों का समावेश है। दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार के साहित्यिक रूप एक ही प्रकार की रचना में समाविष्ट हैं। यह विशेषता तुलसीदासजी की विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है।

धार्मिक दृष्टि से भी 'रामचरितमानस' की विशेषता उल्लेखनीय है। इस ग्रन्थ की रचना से पूर्व आर्य-धर्म का वास्तविक रूप आँखों से ओझल हो रहा था। सर्वत्र दंभ और आडम्बर का बोल बाला था। शैव, वैष्णव और शाक्त आपस से खूब लड़ते-झगड़ते थे। 'रामचरितमानस' में आर्यधर्म का चलता हुआ सामान्य रूप रखा गया है, जिसकी ओर जनता स्वतः आकर्षित होती है। इसमें राम-भक्ति की सुधा-धारा प्रवाहित हो रही है। इससे शैवों, वैष्णवों और शाक्तों के झगड़े शांत होते हैं। इसमें उदारता है, संकीर्णता नहीं। इसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है।

"शिवद्रोही ममदास कहावै। सो नर मोहि सपनेहुँ नहीं भावै"। राम की इस उक्ति से शिवजी की प्रतिष्ठा प्रदर्शित है। रामभक्त के हृदय में शिवजी के प्रति आदर होना चाहिए। इसी उदारता के कारण रामभक्ति का घर-घर प्रचार है। प्रत्येक हिन्दू की जिह्वा पर रामनाम नाचता है। सम्पत्ति में, विपत्ति में, घर में, बाहर जहाँ देखिए वहीं रामनाम है। यहाँ तक कि हमारी अभिवादन-प्रणाली में भी उसका स्थान है। उसने न जाने कितनों का उद्धार किया है, न जाने कितनों का बेड़ा भव-सागर से पार किया है।

'रामचरितमानस' गार्हस्थ्य-जीवन का पथ-प्रदर्शक ग्रन्थ है। इसमें गार्हस्थ्य-जीवन मर्यादा-समन्वित आदर्श रूप अंकित हुआ है। माता-पिता एव संतान, पति-पत्नी सास-बहू स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य आदि का पारस्परिक व्यवहार इस पुनीत ग्रन्थ में नैतिकता के उज्ज्वल आधार पर आदर्श रूप में प्रतिपादित हुआ है। गृहस्थों को पग-पग पर इस महत्वपूर्ण रचना से सदुपदेश मिलते हैं। यह ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है जिससे सम्पूर्ण गृहस्थ-जीवन आलोकित हो रहा है।

'रामचरितमानस' में समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के आधार पर हुई है। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा ही गोस्वामीजी की समाज-व्यवस्था है। इसके अनुसार समाज-रक्षा के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि समाज में बड़ों की प्रतिष्ठा हो, विद्वानों का सम्मान हो, पारस्परिक एकता हो।

'रामचरितमानस' का राजनीति की दृष्टि से भी महत्व है। किस प्रकार का पारस्परिक व्यवहार राजा और प्रजा में हो, किस प्रकार की शासन-व्यवस्था हो, किस प्रकार राजा प्रजा की रक्षा तथा सुख-समृद्धि का प्रबन्ध करे, किस प्रकार वीतराग महात्माओं का शासक पर नियंत्रण रहे, किस प्रकार प्रजा की सम्मति से राज-काज हो, किस प्रकार लोकमत का आदर हो, इन सब बातों की विवेचना 'रामचरितमानस' में सम्यक् प्रकार से हुई है। इसका आदर्श हैं 'रामराज्य' जिसमें प्रजा पूर्णतया सुखी थी और सब लोग प्रेमपूर्वक हिल-मिलकर रहते थे।

इस महान रचना की सबसे बड़ी विशेषता है, समन्वय की भावना। धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि क्षेत्रों के विरोधों को मिटाकर उनका समन्वित स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया गया है।

सचमुच 'रामचरितमामस' आर्य-संस्कृति, धर्म, दर्शन 'भक्ति' राजनीति, समाज-व्यवस्था और साहित्य का देदीप्यमान रत्न है। यह मेरा ही नहीं, प्रत्येक हिन्दू का सर्वप्रिय ग्रन्थ है। इसमें मानवीय आदर्शों का पवित्र संगम है। यह 'रामचरितमानस' का ही प्रभाव है कि प्रत्येक हिन्दू सदाचार की ओर उन्मुख होता है, पाप से डरता है, विपत्ति में धैर्य रखता है, गुरुजनों का आदर करता है, मर्यादा का पालन करता है, जीवन में आदर्शों की अवतारणा करता है, राम के प्रति श्रद्धा रखता है। 'रामचरितमानस' में अवगाहन करके, डुबकी लगाकर न जाने कितनों का उद्धार हो गया, न जाने कितने यमदूतों के फन्दों से मुक्त हो गये। धन्य है यह महान ग्रन्थ और धन्य हैं इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ! किसी ने ठीक ही कहा है—

"भारी भवसागर उतारतो कवन पार,
जौ पै यह रामायन तुलसी न गावतो।"

(5) आदर्श अध्यापक

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—राष्ट्र को आदर्श अध्यापक की आवश्यकता

(2) आदर्श अध्यापक के गुण—

(क) विद्वत्ता, (ख) अध्यापन-कुशलता, (ग) अध्ययन-शीलता, (घ) मृदुल स्वभाव, (ङ) छात्र-प्रियता, (च) सादगी, (छ) सच्चरित्रता।

(3) उपसंहार—आदर्श अध्यापक की महत्ता

राष्ट्र को सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है ? राष्ट्र का निर्माण कौन करता है ? मूर्ति का निर्माण कौन करता है ? मूर्तिकार। वह कुरूप एवं भद्दे पत्थर को काट-छाँटकर सुडौल तथा चिकना बनाता है, उसमें सुन्दरता भरता है और अपनी कला से उसे सजीव मूर्ति का रूप देता है। इसी प्रकार एक आदर्श अध्यापक हाड़-माँस के पुतले को अपनी कला से गढ़कर, उसके व्यक्तित्व को निखारकर, उसमें शिवं एवं सुन्दरं का समावेश कर उसे सुयोग्य नागरिक बनाता है। ये सुयोग्य नागरिक ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आदर्श अध्यापक राष्ट्र का निर्माता ठहरता है। राष्ट्र को सर्वाधिक आवश्यकता इसी की है। यह बच्चों का मानसिक विकास ही नहीं करता, ज्ञानवृद्धि में ही योगदान नहीं करता, वरन् उनमें सद्गुणों की अवतारणा भी करता है, उन्हें सच्चरित्र बनाता है। वही उन्हें मनुष्य कोटि से देव-कोटि में पहुँचाता है। वही उन्हें राष्ट्र के जगमगाते हुए रत्न बनाता है। सचमुच आदर्श अध्यापक राष्ट्र की निधि है।

आदर्श अध्यापक का सर्वप्रथम गुण विद्वत्ता है। यह अपने विषयों का पंडित और प्रतिभा-सम्पन्न हो। इसका छात्र-जीवन सराहनीय रहा हो। परीक्षाओं में सदैव इसका स्थान ऊँचा रहा हो। अपने एवं अन्य विद्यालयों के अध्यापक इसकी योग्यता का लोहा मानते हों। इसकी विद्वत्ता की धाक चारो ओर जमी हुई हो।

आदर्श अध्यापक में अध्यापन-कुशलता भी होनी चाहिए। यह अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुँचाने में समर्थ हो। इसकी अध्यापन-शैली रोचक हो। शुष्क से शुष्क विषय को भी रोचकता प्रदान करने की क्षमता इसमें हो। इसके समझाने का ढंग सरल एवं सुबोध हो। यदि यह अपने ज्ञान को छात्रों तक न पहुँचा सकेगा तो उन्हें शिक्षित करने में यह कृतकार्य न हो सकेगा।

अध्ययन-शीलता आदर्श अध्यापक का अन्य गुण है। जो समय मिले, उसे यह

स्वाध्याय में व्यतीत करे। अपना निजी पुस्तकालय रखे और विद्यालय के पुस्तकालय से भी अच्छी-अच्छी पुस्तकों का पठन करता रहे। नवीन पुस्तकों की खोज में रहे और उन्हें जुटाकर पढ़ता रहे। विद्यार्थी की भाँति जिज्ञासु हो और ज्ञान-वृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहे। अपने ज्ञान को समुद्र में बूंद के समान समझे। ऐसा विनम्र स्वभाव इसका हो। "विद्या ददाति विनयम्" के अनुसार यह अहंकार-रहित हो, अपने को तुच्छ समझें।

स्वभाव की मृदुलता भी आदर्श अध्यापक का प्रमुख गुण है। यह मृदुभाषी हो और अपने विद्यार्थियों के प्रति इसका व्यवहार मृदुल हो, जिससे वे निर्भयता के साथ अपनी कठिनाइयाँ इसके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। कमजोर विद्यार्थियों को कोई बात बार-बार समझाने में भी यह कभी क्रुद्ध न हो।

आदर्श अध्यापक छात्रप्रिय हो, इसके हृदय में अपने छात्रों के प्रति स्नेह हो। कोई छात्र कमजोर हो अथवा होशियार, नटखट हो अथवा सीधा-साधा सबके प्रति यह वात्सल्य भाव रखे। दुःख-दर्द में अपनी सुख-सुविधा का परित्याग करके अपने विद्यार्थियों की सहायता करे। परीक्षा में असफल छात्रों को सान्त्वना प्रदान करे और निराश न होने दे। सबकी मंगल-कामना करे।

आदर्श अध्यापक के जीवन का मूलमंत्र हो सादा जीवन, उच्च विचार। इसका भोजन, इसका खान-पान सादा हो। मिष्टान्न में उसे अधिक रुचि न हो। मिर्च-मसालेदार चटपटे भोज्य पदार्थों से यह कोसों दूर रहे। इसके वस्त्रों में भी सादगी हो। आकर्षक वेश-बूषा इसके जीवन का लक्ष्य न हो। यह बाह्य-सजावट एवं शृंगार में धन का अपव्यय न करे। क्रीम-पाउडर इसके मुख की, केश-विन्यास इसके सिर की और सूट-बूट इसके शरीर की शोभा न बढ़ाये। चटक-मटक, तड़क-भड़क तथा टीप-टाप से इसे घृणा हो। इसकी रहन-सहन में ठाठ-बाट और शांन-शौकत के लिए स्थान न हो। इसका स्वभाव सरल हो। इसकी आवश्यकताएँ कम हों।

यों तो मानव-मात्र के लिए ही सच्चरित्रता की आवश्यकता है, पर अध्यापक के लिए तो इसकी नितान्त आवश्यकता है। "आचारः परमोधर्मः" के अनुसार सदाचार मनुष्य का परम धर्म है। जो व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, किसी का अहित नहीं करता, किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, पर स्त्री से सम्बन्ध नहीं रखता, दयालु है, परोपकारी है वह पूर्ण धार्मिक होता है। जीवन में सदगुणों की अवतारणा ही सच्चा धर्म है। अध्यापक को आदर्श बनने के लिए सद्गुणों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह अपने विद्यार्थियों का चरित्र तदनुसार गढ़ सके। अध्यापक के चरित्र की छाप परोक्ष रूप से छात्रों पर पड़ती है। नित्य के सम्पर्क एवं संसर्ग के परिणामस्वरूप वे अपने अध्यापक के गुणों का, इसकी प्रवृत्तियों का अनुकरण स्वतः करने लगते हैं। विद्यार्थी-जीवन की अवस्था ऐसे कोमल होती है कि उस पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। सच पूछिए तो अध्यापक वह प्रकाश-पुंज है जो समस्त छात्रों के जीवन को आलोकित करता है। अतः इसका चरित्र आदर्श होना चाहिए।

सारांश यह कि आदर्श अध्यापक पारस के समान है। जिस प्रकार स्पर्श-मणि के सम्पर्क में आकर लोहा जैसी कुधातु भी चमचमाता हुआ सोना हो जाती है, उसी प्रकार आदर्श अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी मानव-रत्न बन जाता है। आदर्श अध्यापक संस्कार की सुरसरि है, राष्ट्र की संजीवनी बूटी है। तभी तो भारतीय संस्कृति में उसको निम्नांकित उक्ति के अनुसार परब्रह्म कहा गया है, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है —

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः।"

(6) चन्द्रलोक की मेरी काल्पनिक यात्रा

रूपरेखा –

(1) प्रस्तावना—अन्तरिक्ष में विज्ञान के बढ़ते कदम।
(2) मेरी चन्द्रलोक की काल्पनिक यात्रा—
(क) चन्द्रलोक के लिए प्रस्थान।
(ख) चन्द्रलोक में प्रवेश।
(ग) चन्द्रलोक से वापसी।
(3) उपसंहार—यात्रा का प्रभाव।

"भर न सकी कल्पना उड़ान,
पहुँचा जाय वहाँ विज्ञान।"

पृथ्वी पर तो विज्ञान नित्य नये करिश्मे दिखा ही रहा है। अब उसने अन्तरिक्ष में भी अपने करिश्मे दिखाना शुरू कर दिया है। आज वह कल्पना से भी ऊँची उड़ान भरकर चन्द्रलोक में पहुँच गया है। उसने मानव को चन्द्रलोक की सैर कराने का श्री गणेश कर दिया है। सर्वप्रथम रूस ने मानव को चन्द्रलोक में भेजने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहला व्यक्ति, जिसने चन्द्रलोक की यात्रा की, यूरी गागरिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 को उड़ान भरी थी। तदनन्तर अनेक व्यक्तियों ने चन्द्रलोक के लिए उड़ानें भरीं। उनमें एक महिला यात्री भी थी। 21 जुलाई 1969 को अमरीका के अपोलो—11 यान ने चन्द्रलोक के लिए उड़ान भरी। इसमें तीन यात्री थे—कमांडर नील, आर्मस्ट्रांग माइकल कालिन्स और एडविन एल्ड्रिन। इन्होंने ही सर्वप्रथम चन्द्रतल पर कदम रखा और चन्द्रलोक की सैर की।

मेरी भी लालसा हुई कि मैं चन्द्रलोक की यात्रा करूँ। अतः मैंने अपने चार मित्रों के साथ एक चन्द्रयान से चन्द्रलोक के लिए प्रस्थान किया। मन में बड़ी उमंग थी। मस्तिष्क में विचार-सागर उमड़ पड़ा। चन्द्रलोक कैसा होगा? वहाँ के दृश्य कैसे होंगे? वहाँ जीवन होगा या नहीं? वहाँ का जलवायु कैसा होगा? अपरिचित स्थान की यात्रा के कारण मैं भयभीत भी था। कहीं कोई दुर्घटना न हो जाय।

हमारे यान ने उड़ान भरी। वह आकाश का वक्षःस्थल चीरता हुआ अत्यन्त द्रुत गति से आगे बढ़ा। पलक मारते-मारते वह हजारों किलोमीटर ऊपर पहुँच गया और उसे चार लाख किलोमीटर दूर चन्द्रमा में पहुँचने में 100 घण्टे लगे। वहाँ से पृथ्वी चमकती हुई गेंद-सी दिखायी दे रही थी। चन्द्रलोक पर ऑक्सीजन नहीं है। अतः हम अपने साथ ऑक्सीजन ले गये थे। खाने-पीने की सामग्री भी यान में थी। पहुँचकर हमने कुछ खा-पीकर विश्राम किया।

चन्द्रयान की सीढ़ियों से हम धीरे-धीरे नीचे उतरे और चन्द्रलोक पर पैर रखा। हमें वहाँ चट्टानों, नदियों और मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। कवियों की कल्पना का सलोना चाँद जीवन-रहित एवं कुरूप निकला। अब क्या भविष्य में कवि चन्द्रमा को अमृत का भण्डार और सुन्दर स्त्री को चन्द्रमुखी कहेंगे? चन्द्रलोक में न तो कोई पशु-पक्षी दिखाई पड़ा और न कोई वृक्ष। मानव-जीवन का भी कोई चिह्न नहीं मिला। हम भारहीन होने के कारण कंगारू जानवर की भाँति उछल-उछलकर चल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उड़ रहे हों। शरीर का संतुलन ठीक नहीं था। कारण यह कि चन्द्रमा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण-शक्ति-क्षेत्र से परे है।

हमको चन्द्रमा के आकर्षण-रहित दृश्य देखकर बड़ी निराशा हुई। कवियों की कल्पना के आधार पर जो स्वप्न हमने संजोया था वह साकार नहीं हुआ। हम तो समझते थे कि चन्द्रलोक में अजीव सुन्दर नर-नारी देखने को मिलेंगे। पर वहाँ कोई नर-नारी दिखायी नहीं दिया। सुन्दरता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम एक दिन चन्द्रलोक में रह कर अपने यान से वापस और हम सकुशल प्रशान्त महासागर में उतरे।

इस प्रकार हमारी चन्द्रलोक-यात्रा सम्पन्न हुई। पर जिस उल्लास के साथ यात्रा आरम्भ की थी, वह उल्लास अब कहाँ था ? वास्तविक चन्द्रमा ने काल्पनिक चन्द्रमा की मानसिक छवि को ध्वस्त कर दिया।

(7) जब मैंने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की (1989)

अथवा

मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना

अथवा

मेरे जीवन का सर्वाधिक सुखद दिन

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—परीक्षाफल की लालसा
(2) परीक्षाफल-प्रकाशन की सूचना
(3) परीक्षाफल की घोषणा और प्रभाव
(4) हर्षोल्लास आदि
(5) कथा एवं ब्रह्मभोज की आयोजना
(6) उज्ज्वल भविष्य की कामना
(7) उपसंहार--स्वर्णिम जीवन का आरम्भ

जिस दिन मेरी सैकण्डरी स्कूल परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन से परीक्षा-फल की लालसा मेरे मन में उत्पन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने पर पिताजी मुझे अपने साथ कश्मीर की सैर के लिए ले गए। वहाँ हिमालय की शीतल गोद में मैंने विश्राम किया और अपने यहाँ की दुःखद लू से त्राण पाया। कश्मीर तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ प्रकृति का रम्यरूप किसके मन को मोहित नहीं करता ? वहाँ सूर्य की किरणों से चमकते हुए शैल-शृंगों में, जल-प्रपातों से निनादित वनस्थलियों में, मंजु कुंजों में, निर्मल जलराशि के कमनीय कलेवरों में, मनोरम उद्यानों में इतना आकर्षण है कि वे दर्शकों के नेत्रों को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। कश्मीर में जहाँ देखिए वहीं सौन्दर्य बिखरा पड़ा है, जहाँ देखिए वहीं प्रकृति-नायिका मुस्करा रही है। पर प्रकृति के शृंगार कश्मीर की अनुपम छटा भी मुझे अपने परीक्षा-फल की लालसा से विरत नहीं कर सकी। शनैः-शनैः मई मास व्यतीत हुआ और मैं घर लौटा। लालसा बलवती होने के कारण यह जानने के लिए कि परीक्षाफल किस दिन प्रकाशित होगा, मैं समाचार-पत्र टटोलने लगा।

मन को तब शांति मिली जब 'नव-ज्योति' समाचार-पत्र में यह समाचार पढ़ने को मिला कि सैकण्डरी स्कूल परीक्षा-फल 20 जून को प्रकाशित होगा। तभी से मैं उत्सुकता से 20 जून की बाट जोहने लगा। एक-एक दिन काटना दूभर हो गया। अन्त में 20 जून का दिन आ ही गया।

भोर होते ही मेरी आँखें खुल गयीं। शौचादि से निवृत्त होकर मैंने साइकिल पर समाचार-पत्र कार्यालय को प्रस्थान किया। वहाँ देखा कि असंख्य परीक्षार्थियों, अभिभावकों तथा समाचार-पत्र-विक्रेताओं का समुद्र उमड़ रहा है, पुलिस का सुप्रबन्ध है। स्कूटरों, साइकिलों और रिक्शाओं का अम्बार लगा है। घण्टा भर प्रतीक्षा करने के बाद प्रतीक्षित परीक्षा-अंक देखने को मिला। देखते ही मेरा दिल 'धक्-धक्' करने लगा। कहीं तृतीय श्रेणी न मिली हो। कहीं अनुत्तीर्ण न हो गया होऊँ।

पर अपना अनुक्रमांक प्रथम श्रेणी में देखकर मेरा मन-मयूर नृत्य करने लगा, हृदय हर्षोल्लास से तरंगित हो उठा। पर कितने ही परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होने के कारण फूट-फूटकर रोने लगे। हर्ष एवं विषाद के विरोधी भावों के दृश्य दिखायी देने लगे। सफल परिचित परीक्षार्थी एक-दूसरे को बधाई देने लगे।

मैं शीघ्र ही घर वापस आया। मैंने पिताजी के चरण-स्पर्श किए और उन्हें अपना परीक्षा-फल बताया। उन्होंने प्रफुल्लित होकर मिठाई के लिए पचास रुपये दिए। फिर मैंने माताजी की चरण-रज मस्तक पर धारण की। वे गद्-गद् हो गयीं और उन्होंने पुरस्कार-स्वरूप डेढ़ सौ रुपये घड़ी के लिए दिए। भाई-बहिन हर्ष में मुझसे लिपट गये। सारे दिन मित्रों का ताँता लगा रहा। सभी ने बधाई दी और मिठाई माँगी। मैंने सधन्यवाद सबका मुँह मीठा किया। उत्कृष्ट परीक्षा-फल ने मेरे जीवन में अत्यधिक आनन्द का संचार किया।

वास्तव में इस उत्तम परीक्षाफल का श्रेय मेरे गुरु-वर्ग को था, जिनके मार्ग-दर्शन के परिणामस्वरूप मुझे प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। अतः मैंने प्रत्येक अध्यापक के घर जाकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और नतमस्तक होकर उनके चरणों पर श्रद्धा-सुमन चढ़ाये। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मंगल-कामना की कि मैं भविष्य में भी इसी प्रकार सदा प्रथम श्रेणी प्राप्त करता हुआ जीवन-पथ पर अग्रसर होऊँ।

इस परीक्षाफल ने सारे घर में उत्सव जैसा उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। पिताजी ने इस उपलक्ष्य में सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया। भगवान का मण्डप केले के खम्भों, आम के पत्तों और रंग-बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। धोती अंगरखा और पगड़ी धारण किए हुए पंडितजी ने उपस्थित श्रोताओं को अपनी मधुर वाणी से कथा का रसास्वादन कराया, बीच-बीच में शंख और घण्टा की ध्वनि ने श्रवणों में अमृत उँडेल दिया। गायत्री-मंत्रोच्चारण के साथ हवन सम्पन्न हुआ। सुगन्धित शाकल्य की आहुतियों से अग्निदेव तृप्त हो गये। दान-दक्षिणा, पंचामृत तथा प्रसाद-वितरण के साथ कथा समाप्त हुई। तदनन्तर ब्रह्मभोज हुआ। ब्राह्मणों के आशीर्वाद एवं मंगल-कामना से मैं फूला नहीं समा रहा था और अपने अन्दर एक नवीन शक्ति का अनुभव कर रहा था।

उत्तम परीक्षा-फल ने मेरे हृदय को अपूर्व उत्साह से भर दिया और मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करने लगा, स्वर्णिम जीवन का स्वप्न देखने लगा। मेरे मन में डॉक्टर बनने की इच्छा बलवती हुई और मैंने हायर सैकण्डरी कक्षाओं में तदनुसार विषयों के अध्ययन की योजना बनायी। डॉक्टर बनकर आहत-पीड़ित जनता की सेवा करने का संकल्प किया। ईश्वर से प्रार्थना की कि वह मेरे इस संकल्प को साकार करे।

आज भी 20 जून का वह सुखद दिवस मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। आज

भी उसका स्मरण मेरे हृदय में अनिवर्चनीय आनन्द का संचार करता है। सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के उत्कृष्ट परिणाम से विभूषित उज्ज्वल दिन मेरी प्रेरणा का स्रोत बना और उसने मेरे जीवन को एक उत्तम दिशा दी। वह मेरे स्वर्णिम जीवन का प्रभात था, मेरी भावी नौका का कर्णधार था, मेरे सौभाग्य का पीयूष-वर्षो मेघा था। भगवती वीणापाणि ने उस दिन मेरा अभिषेक किया, मुझे अपने प्रसाद का पात्र बनाया। कौन भूल सकता है ऐसे दिन को ?

(8) आदर्श विद्यार्थी

रूपरेखा—

(1) विद्यार्थी-जीवन का महत्व।

(2) आदर्श विद्यार्थी के प्रमुख गुण—

(क) अध्यवसाय, (ख) एकाग्रता, (ग) संयम, (घ) जिज्ञासा, (ङ) सादगी

(3) शिक्षकों का आज्ञापालन तथा सम्मान।

(4) उपसंहार—आज का विद्यार्थी।

मानव को उच्चता की ओर उन्मुख करने वाला, मानसिक एवं आत्मिक उत्थान का पथ प्रशस्त करने वाला, ज्ञान-भण्डार का द्वार खोलने वाला, सदाचार का पाठ पढ़ाने वाला, नागरिकता के साँचे में ढालने वाला, राष्ट्र-निर्माण की नींव रखने वाला यदि कोई जीवन है तो वह है विद्यार्थी-जीवन। इसका विशेष महत्व है।

विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कतिपय गुणों की आवश्यकता होती है, जिनकी साधना से वह आदर्श विद्यार्थी बनकर अपने भावी जीवन में सुख एवं शान्ति का संचार कर सके और अपने राष्ट्र के कल्याण में योगदान कर सके। वह अध्यवसायी हो, कौए के समान सचेष्ट हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करे। बालू में से सभी तेल निकालने की चेष्टा करे, अध्ययन का अलख जगाये। जहाँ कहीं ज्ञान की किरण प्राप्त होने की आशा हो वहाँ पहुँचने में आलस्य न करे। जिस किसी से ज्ञान का एक कण भी मिल सके उसे ऊँच-नीच का विचार न करते हुए ग्रहण करे। किसी ने ठीक ही कहा है—

"उत्तम विद्या लीजिए, जदपि नीच पै होय।
परो अपावन ठौर पै, कंचन तजै न कोय।"

चित्त की एकाग्रता भी विद्यार्थी के लिए नितान्त आवश्यक है। वह मन को अध्यापक द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ पर तथा पाठ्य पुस्तक के अध्ययन पर केन्द्रित करे। बगुला के समान ध्यानावस्थित रहे।

वह संयमी हो। निद्रा, आहार एवं बिहार में संयम बरते। अल्पाहारी हो। कुत्ते के समान कम सोने वाला हो। मन पर नियंत्रण रखने वाला हो। समय का पाबन्द हो। नाच-रंग से दूर रहता हो। जो कभी इच्छा होने पर सिनेमा हॉल में आसन जमाता है, जो कभी मेले की सैर करने भागता है, जो कभी क्लब की ओर पैर बढ़ाता है, जो गप-शप में समय नष्ट करता है, वह क्या पढ़ेगा ?

विद्यार्थी में जिज्ञासा अवश्य हो। वह अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। क्या ? क्यों ? और कैसे ? द्वारा वह अध्यापकों से अपनी शंकाओं का समाधान कराता रहे। संकोचवश जो विद्यार्थी अपनी कठिनाई प्रकट करने में हिचकिचायेगा, वह कभी ऊँचा नहीं उठ सकेगा।

सादगी भी विद्यार्थी के लिए नितान्त आवश्यक है। उसका जीवन सादा हो। उसमें बाह्याडम्बर का समावेश न हो। शृंगार की आराधना में समय एवं धन दोनों का अपव्यय होता है। सच्चे विद्यार्थी के पास न फालतू समय होता है और न फालतू पैसा। उसे क्या आवश्यकता है सूट-बूट की ? उसे क्या आवश्यकता है क्रीम-पाउडर की ? ये सजावट के उपकरण उसे विलासिता की ओर अग्रसर करते हैं, उसे कुमार्गगामी बनाते हैं। अतः उसे इन्हें दूर से ही नमस्कार करना चाहिए।

विद्यार्थी में लगन व निष्ठा अवश्य हो। वह जिस कार्य को अपने हाथ में ले उसे पूर्ण मनोयोग के साथ सम्पन्न करे, कठिनाई उपस्थित होने पर उसका परित्याग न करे। आलस्य या प्रमाद के वशीभूत होकर किसी कार्य को अपूर्ण न छोड़े। "कालि करै सो आज कर, आज करै सो अब" के अनुसार वह प्रत्येक कार्य को शीघ्र से शीघ्र निबटाने की चेष्टा करे। विद्या-प्राप्ति में पूर्ण रुचि ले। विद्या के प्रति उसमें अनुराग हो। वह भगवती वीणापाणि का सच्चा पुजारी हो।

अनुशासन-प्रियता विद्यार्थी के लिए परमावश्यक है। चाहे कक्षा में शिक्षक हो या न हो, चाहे घर में माता-पिता हों या न हों, चाहे उसके आचरण को देखने वाला कोई हो या न हो वह सर्वत्र सदैव अनुशासन-बद्ध रहे। हुल्लड़, धक्का-मुक्की, मारपीट आदि अनुशासन-हीनता उसके व्यवहार में कभी कहीं न मिले। वह शिष्टाचार की परिधि से बाहर न निकले। झूठ न बोले और न मिथ्याचरण करे। छोटों के प्रति स्नेह, बराबर वालों के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति आदर भाव रखे। कभी किसी से लड़े-झगड़े नहीं। कभी किसी को तंग न करे। कभी किसी का अहित न करे। सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे।

आज्ञापालन का गुण भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। वह अपने शिक्षकों की आज्ञा-पालन करने में अपना गौरव समझे। इस विशेषता से वे उससे प्रसन्न रहेंगे और उनका आशीर्वाद उसे सरस्वती के प्रसाद का पात्र बनायेगा। गुरुओं का सम्मान करना यों तो सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, पर विद्यार्थी का यह विशेष कर्तव्य है। क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि जो उसे अन्धकार से प्रकाश में लाये, जो उसे मूर्ख से विद्वान बनाये, जो उसे कुधातु से कंचन बनाये उसके प्रति श्रद्धा रखे।

क्या आज के विद्यार्थी में उपर्युक्त गुण विद्यमान हैं ? क्या उसे हम आदर्श विद्यार्थी के नाम से विभूषित कर सकते हैं ? कदापि नहीं। आइए उसके जीवन की झाँकी करें। कैसा अनियमित एवं असंयमित है उसका जीवन ! प्रातःकाल देर से उठना, शौचादि से निवृत्त हुए बिना ही चारपाई पर चाय पीना, होटल में भक्ष्याभक्ष्य खाना, अँग्रेजियत का भक्त होना, किशोरियों की भाँति दिन में बार-बार बाल सँवारना, मुख पर क्रीम-पाउडर मलना, होठों में सिगरेट दबाकर धुँए के गुब्बारे उड़ाना, नाच-रंग में मस्त रहना, कक्षा में उपद्रव करना, पढ़ने-लिखने में रुचि न लेना, परीक्षा में नकल टीपना, पर्चे आउट करना, शिक्षकों का तिरस्कार करना आज के विद्यार्थी की प्रमुख विशेषताएँ हैं। फिर उससे क्या आशा की जाय ?

पर कल उसे राष्ट्र-नौका का कर्णधार बनना है, देश की बागडोर सँभालनी है। भगवान् उसे सद्बुद्धि दे जिससे वह भारत-माता का सपूत कहलाने का गौरव प्राप्त करे।

(9) किसी दुर्घटना का आँखों-देखा हाल
(रेल-दुर्घटना)

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—दुर्घटना का कारण

(2) दुर्घटना का वातावरण

(3) दुर्घटना-स्थल का कारुणिक दृश्य

(4) राहत कार्य एवं आहत-पीड़ितों का उपचार

(5) सरकार का दायित्व

(6) उपसंहार—प्रभाव

8 जुलाई 1988 का दिन था। घनघोर वर्षा हो रही थी। आकाश मेघों से आच्छादित था। अष्टमुदी झील जल से लबालब भरी थी। दोपहर का समय था। काले-काले बादलों ने सूर्य के प्रकाश का अपहरण कर लिया था। इसी समय 'आयलेंड-एक्सप्रेस' बेंगलूर से तिरुअनन्तपुरम् जा रही थी। अपराह्न डेढ़ बजे क्विलोन के निकट अष्टमुदी झील के पुल की ओर द्रुत गति से बढ़ रही थी तभी उसका इन्जिन पटरी से उतर गया। चालक ने तुरन्त ब्रेक लगाया। पर उसके डिब्बे पहले ही थोड़ा झुक चुके थे, जिसके कारण वह उस झील में गिर गयी। केवल इन्जिन, पहला और अन्तिम दो डिब्बे सुरक्षित रहे। उनमें से एक में मैं भी बैठा था। शेष नौ डिब्बों के गिर जाने के परिणाम-स्वरूप लगभग तीन सौ व्यक्तियों ने जल-समाधि ली तथा पाँच सौ से अधिक यात्री घायल हो गये। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। मेरा बाल भी बाँका नहीं हुआ। रेलवे के इतिहास में गत दस वर्षों की यह भीषणतम दुर्घटना थी।

इस दुर्घटना का कारण सम्भवतः पुल या रेल पटरियों की दुर्दशा थी। देश के विभिन्न स्थानों पर सत्तर-अस्सी वर्ष पुराने पुल हैं तथा बहुत से स्थानों पर रेल की पटरियाँ भी संतोषजनक दशा में नहीं हैं। अधिकारी मेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेनों की गति में वृद्धि तो करते जा रहे हैं, किन्तु कमजोर एवं जीर्ण पुलों तथा पटरियों को सुधारने-सँवारने अथवा बदलने की ओर उनका ध्यान नहीं है, यद्यपि रेल-सुधार हेतु गठित सरीन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस पर बहुत पहले विशेष ध्यान देने पर बल दिया था। यदि अधिकारियों ने इस रिपोर्ट पर समुचित ध्यान दिया होता, तो ऐसी दुर्घटना घटित नहीं होती।

दुर्घटना-स्थल का दृश्य बड़ा ही कारुणिक था। पीड़ित व्यक्तियों का विलाप हृदय-विदारक था। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपनी पत्नी। कोई बच्चा अपने पिता से हाथ धो बैठा तो कोई अपनी माता से। किसी माँ की गोद सूनी हो गयी तो किसी स्त्री की माँग का सिंदूर पुँछ गया। कुछ लोगों की जान तो बच गयी, पर उनका सामान झील में डूबकर लापता हो गया। गोताखोरों ने तीन सौ यात्रियों के शवों को झील से बाहर निकाला। उनके सम्बन्धी यात्री शवों से लिपट-लिपट कर करुण-क्रन्दन कर रहे थे, आठ-आठ आँसू रो रहे थे।

तुरन्त राहत-कार्य आरम्भ हुआ। हेलीकॉप्टरों द्वारा जीवन-रक्षक औषधियों-सहित चिकित्सकों एवं गोताखोरों की टीमें घटना-स्थल पर पहुँचायी गयीं। गोताखोरों ने डिब्बों में फँसे हुए यात्रियों के शवों को बड़ी कठिनाई से बाहर निकाला। चिकित्सकों ने घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के उपरान्त निकटस्थ अस्पताल भेजा। कई ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। कई की दशा चिन्ता-जनक थी। कई अचेतावस्था में थे। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु तिरुअनन्तपुरम् मेडीकल कॉलेज भेजा गया। शेष को

कुइलॉन जिला अस्पताल में प्रविष्ट किया गया। कुइलॉन में चिकित्सा हेतु तिरुअनन्तपुरम् कोट्टायम और अलप्पी मेडीकल कालिजों से डाक्टरों के दल प्रेषित किये गये। जीवित यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए केरल परिवहन निगम ने एर्नाकुलम् से कुइलॉन और तिरुअनन्तपुरम् के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की। आवश्यकतानुसार भोजन वस्त्र की भी व्यवस्था की गयी। केरल सरकार ने मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को पाँच-पाँच हजार रुपये की अनुग्रह-राशि देने की घोषणा की। प्रधानमन्त्री ने 'राष्ट्रीय राहत कोष' से तत्काल राहत पहुँचाने के लिए बीस लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की। रेलवे विभाग ने एक विशेष सूचना-केन्द्र कायम किया, जहाँ से मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को सूचना भेजी गयी। केरल के मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय रेलमन्त्री, केरल के पुलिस महानिदेशक और दक्षिणी नौ सेना कमान के वाइस एडमिरल भी दुर्घटना-स्थल पर पहुँचे और उन्होंने राहत एवं बचाव-कार्य अपनी देख-रेख में सम्पन्न कराया।

इस दुर्घटना ने सारे देश को शोक-सागर में निमग्न कर दिया। राष्ट्रपति, प्रधान-मन्त्री आदि ने शोक व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना प्रकट की। केरल सरकार ने दो दिन तक सार्वजनिक शोक मनाने की घोषणा की। इस दुर्घटना ने देशवासियों को चिन्तित कर दिया। क्या अब रेल द्वारा यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं रह गया है? देश के लाखों लोग प्रतिदिन रेल-यात्रा करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र यात्रा का सर्वसुलभ सस्ता साधन है, पर आये दिन रेल-दुर्घटना के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि अब रेल-यात्रा निरापद नहीं रह गयी है। इसका दायित्व रेल मंत्रालय तथा उससे सम्बन्धित अधिकारियों पर है, जिन्होंने रेल-दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तथा रेल-यात्रा को निरापद बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये। वे फ्रांस एवं पश्चिमी जर्मनी का अनुसरण करते हुए फास्ट और सुपर फास्ट ट्रेनें चलाने के लिए तो प्रयत्नशील हो गये, किन्तु यह जाँच-पड़ताल के लिए सचेष्ट नहीं हुए कि वर्तमान जीर्ण पुल तथा पटरियाँ तीव्रगति वाली ट्रेनों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। क्या वर्तमान रेल-मन्त्री में इतना नैतिक बल है कि वे इस भीषणतम रेल-दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर भूतपूर्व रेलमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री की भाँति त्यागपत्र दे दें? यदि नहीं, तो फिर इस रोमांचकारी हादसे से सबक लें और जन-जीवन की सुरक्षा हेतु रेलवे के आवश्यक सुधारों की दिशा में अग्रसर हों।

'आयलेंड-एक्सप्रेस' की इस लोमहर्षक भीषण दुर्घटना ने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया। दुर्घटना का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। यह कुटिल काल का अट्टहास था या मृत्यु का मूर्तिमान विराट रूप? प्रलय का तांडव नृत्य था अथवा नर-संहार की लीला? आज तक मैंने ऐसा हृदय-विदारक एवं भयानक अन्य दृश्य नहीं देखा है। आज भी उसकी विभीषिका के स्मरण मे मैं सिहर उठता हूँ।

(10) किसी मैच का आँखों-देखा वर्णन

फुटबाल-मैच

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—मैच देखने के लिए प्रस्थान।

(2) क्रीड़ा—क्षेत्र का दृश्य।

(3) खेल का आरम्भ।

(4) खेल का अन्त।

(5) उपसंहार—खेल का महत्व।

सितम्बर का महीना था और इतवार का दिन। कोई चार बजे होंगे। मैं अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था कि सहसा सहपाठी रमेश का पदार्पण हुआ। पारस्परिक अभि-

वादन के बाद रमेश ने कहा, "भाई ! आज तो हमारे विद्यालय का सेंट जॉन्स इं० का० से फुटबाल मैच है, चलो ना।' मैं सहमत हुआ। फिर क्या था ? दोनों ने अपनी-अपनी साइकिल उठायी और क्रीड़ा-क्षेत्र की राह ली।

पन्द्रह मिनट में हम क्रीड़ा-क्षेत्र पर पहुँच गये। सुहावना समय था। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। वृक्ष झूम रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। क्रीड़ा-क्षेत्र का दृश्य मनोरम था। चारो कोनों पर लाल-लाल झण्डियाँ फहरा रही थीं। किनारों पर दोनों कालेज के छात्रों तथा अन्य दर्शकों की भीड़ थो। कोई कोट पहिने था, तो कोई बुशर्शट। कोई पेंट डाटे था, तो कोई नेकर। कोई धोती धारण किये था, तो कोई पायजामा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा अध्यापकों के बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबन्ध था। पुरस्कार-वितरण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को आमन्त्रित किया गया था। वे दर्शकों के मध्य मंच पर विराजमान थे। उनके सन्निकट मेज पर शील्ड एवं पुरस्कार रखे थे। खोंमचे वाले पैसे सीधे कर रहे थे। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने-अपने विद्यालय की वर्दी पहने मैच के लिए तैयार खड़े थे।

आँखें यह दृश्य देखने में तल्लीन थीं कि रैफरी की सीटी की ध्वनि कानों में पड़ी। ध्वनि सुनते ही दोनों टीमों के कप्तान टौस के लिए रैफरी के निकट गये। टौस में सेंट जॉन्स इं० का० की टीम को सफलता प्राप्त हुई। अतः क्षेत्र के चयन का सुअवसर उसे उपलब्ध हुआ। दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने-अपने खिलाड़ियों को यथास्थान खड़ा किया। रैफरी की दूसरी सीटी के साथ खेल आरम्भ हुआ।

दोनों टीमें अच्छी थीं। अतः कड़ी प्रतियोगिता थी। खिलाड़ी उत्साहपूर्वक खेल रहे थे। दोनों टीमें एक-दूसरे पर गोल करने की जी तोड़ कोशिश कर रही थीं। पर आधे घण्टे तक किसी को सफलता नहीं मिली। कभी गेंद हमारी टीम के क्षेत्र में उछल रही थी, तो कभी विपक्षी टीम के क्षेत्र में। कभी वह हमारी टीम के क्षेत्र में चक्कर काट रही थी, तो कभी विपक्षी टीम के क्षेत्र में। दोनों टीमें उसे विपक्षी क्षेत्र में ले जाकर गोल करने का प्रयास कर रही थीं। एक बार गेंद बिपक्षी गोल में प्रविष्ट होने से बाल-बाल रह गयी। गोल-रक्षक बहुत सजग एवं फुर्तीला था। बड़ी तेजी से दौड़कर उसने गेंद को सिर से रोककर गोल की रक्षा की। इस पर सेंट जॉन्स इण्टर कॉलेज के छात्रों ने हर्ष-सूचक करतल-ध्वनि की। खेल ने जोर पकड़ा। विपक्षी टीम ने हमारी टीम को दबाना आरम्भ किया और अवसर पाकर गेंद को इस प्रकार किक किया कि वह गोल-रक्षक के पैरों के बीच से निकलकर गोल में जा पहुँची। फिर क्या था ? हम पर गोल हो गया। रैफरी ने सीटी बजा दी। विपक्षी छात्र फूले न समाये। करतल-ध्वनि से क्रीड़ा क्षेत्र को निनादित कर दिया। किसी ने हर्षोल्लास में अपनी टोपी उछाली तो किसी ने रूमाल। हमारी टीम तथा हम उदास हुए, पर हताश नहीं। अभी तो मैच का आधा समय भी व्यतीत नहीं हुआ था। हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करने लगे। हमारी टीम ने जोश पकड़ा, मानो उसमें नयी शक्ति का संचार हुआ हो। पर वह गोल उतार न सकी। थोड़ी देर बाद हाफटाइम हुआ। रैफरी ने सीटी बजायी। खिलाड़ियों ने अल्प विश्राम हेतु मैदान छोड़ा। सेंट जॉन्स कालेज के अध्यापकों और छात्रों ने अपने खिलाड़ियों की सराहना की। कई छात्र तो गोल करने वाले छात्र से लिपट गये। हमारे कालेज के क्रीड़ाध्यक्ष ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को खेल की त्रुटियाँ समझायीं और सावधानीपूर्वक पारस्परिक सहयोग से खेलने पर बल दिया। उन्हें शीतल पेय दिया गया। पन्द्रह मिनट के विश्रामोपरान्त रैफरी ने फिर सीटी बजायी। टीमों ने अपने क्षेत्र बदले और कप्तानों ने अपने खिलाड़ियों को यथास्थान खड़ा किया। रैफरी की दूसरी सीटी बजते ही खेल पुनः आरम्भ हो गया। हमारी टीम के खिलाड़ी सारी शक्ति लगाकर खेल रहे थे। थोड़ी देर तक तो

गेंद इधर-उधर नाचती रही, पर मौका पाते ही हमारी टीम के एक खिलाड़ी ने उसे ऐसा किक किया कि वह विपक्षी गोल के ठीक सामने गिरी और जैसे ही उछली हमारे दूसरे खिलाड़ी ने सिर मारकर उसे गोल के अन्दर प्रविष्ट कर दिया। अब क्या था ? गोल हो गया। रैफरी ने सीटी बजा दी। हमने तथा अन्य दर्शकों ने खूब तालियाँ बजायीं। हमारे हर्ष का पारावार न रहा। विपक्षी दल उदास हो गया। पर उसके किसी खिलाड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। खेल ने फिर जोर पकड़ा। किन्तु दो-एक खिलाड़ियों के फाउल खेलने के कारण विपक्षी टीम का खेल बिगड़ने लगा। मैच समाप्त होने में दो-चार मिनट ही शेष रह गये थे कि हमारी टीम ने फिर एक गोल कर दिया। अब तो विपक्षी टीम की हिम्मत टूट गयी। उसके हाथ-पैर फूल गये। रैफरी की लम्बी सीटी के साथ खेल समाप्त हुआ।

हमने तथा अन्य दर्शकों ने तालियों की झड़ी लगा दी। टोपियाँ और रूमाल उछाले गये। गोल करने वाले खिलाड़ी से मैं लिपट गया और उसे मैंने गोद में उठा लिया। खिलाड़ियों के मुख विजय-श्री से विभूषित थे। फल, सोड़ावाटर आदि से उनका सत्कार किया गया। हम सब हर्षोल्लास के सागर में निमग्न थे।

अन्त में जिला विद्यालय निरीक्षक ने खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पुरस्कार-वितरण किया और विजयी टीम को बधाई तथा पराजित टीम को सान्त्वना दी। दूसरे दिन प्रधानाचार्यजी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और मैच जीतने के उपलक्ष्य में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की। सचमुच विद्यार्थी-जीवन में खेलों की बड़ी उपयोगिता है। उनसे मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि व्यायाम के साथ-साथ अनुशासन, सहनशीलता, धैर्य, सहयोग, लगन, साहस आदि सद्‌गुणों की प्राप्ति भी होती है।

(11) "स्वावलम्बन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष"

अथवा

आत्म-निर्भरता

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—स्वावलम्बन की महत्ता।

(2) स्वावलम्बन से लाभ—

(क) उन्नति एवं समृद्धि, (ख) शांति (ग) आत्म-संस्कार, (घ) यश

(3) राष्ट्र का हित

(4) कतिपय स्वावलम्बी व्यक्ति

(5) उपसंहार—सारांश

स्वावलम्बन की महत्ता वर्णनातीत है। यह वह स्वर्गीय गुण है, जिसके समक्ष सफलता-देवी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इसमें वह शक्ति है जिससे कठिनाइयों के पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं। कोई बल स्वावलम्बन के बल के सामने नहीं टिक सकता। स्वावलम्बन के प्रताप से ही रूस, अमरीका, जापान आदि देश समृद्धि के शिखर पर पहुँचे हैं। इसी के कारण उनका सौभाग्यसूर्य विश्व भर को आलोकित कर रहा है।

स्वावलम्बन उन्नति का मूलाधार है। उत्थान का रहस्य है, समृद्धि की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो व्यक्ति किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने बल-बूते पर निर्भर रहता है, वह अवश्य ही उन्नति करता है। सफलता उसके पैर चूमती है। उन्नति स्वयं परिचारिका बनकर उसका मार्ग परिष्कृत करती है।" God helps those who help themselves" के अनुसार उसको ईश्वरीय सहायता भी स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत जो भाग्य का आश्रय ग्रहण करता है और स्वयं अपके हाथ पैर नहीं हिलाता, उससे ईश्वर रुष्ट रहता है। आलसी व्यक्ति

ही दैव का पल्ला पकड़ता है। वह कायर होता है और जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने में डरता है, जैसा कि निम्नांकित उक्ति से स्पष्ट है—

"कायर मनकर एक अधारा ।
दैव-दैव आलसी पुकारा ।"

स्वावलम्बन सुख का द्वार खोलता है। उन्नति और सुख का पारस्परिक सम्बन्ध है। जहाँ उन्नति होगी वहाँ सुख भी होगा। अतः स्वावलम्बन के परिणाम-स्वरूप जो उन्नति प्राप्त होती है वह सुख भी प्रदान करती है। उन्नति से कौन मूर्खी न होगा। ऊपर चढ़कर कौन फूला न समायेगा ? यदि किसी कारण-वश स्वावलम्बी व्यक्ति को सफलता न मिले और वह उन्नति से वंचित हो जाय तो वह सुख का अनुभव भले ही न करे पर संतोष का अनुभव अवश्य करेगा और संतोष उसके मन को शांति प्रदान करेगा। स्वावलम्बी व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएँ नहीं सतातीं। वह भूखा-नंगा नहीं रह सकता।

स्वावलम्बन आत्म-संस्कार की सीढ़ी है। इसकी साधना में संलग्न व्यक्ति इस प्रकार निखर जाता है जिस प्रकार अग्नि के ताप से स्वर्ण। "work is worship" के अनुसार परिश्रम ईश्वर की उपासना है। स्वावलम्बन परिश्रम-गर्भित होता है। परिश्रम के बिना स्वावलम्बन का अस्तित्व ही असंभव है। अतः स्वावलम्बन को ईश्वर की उपासना कहा जा सकता है। फिर इससे आत्म-संस्कार क्यों नहीं होगा ? फिर इससे आत्मोत्थान क्यों नहीं होगा ? इससे अध्यवसाय, धैर्य, दृढ़ता, लगन, श्रमशीलता, साहस आदि सद्गुणों के अभ्यास द्वारा आत्मा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी।

स्वावलम्बन से यश की प्राप्ति होती है, गौरव मिलता है। जब स्वावलम्बन का पल्ला पकड़कर कोई व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करने में सफल होता है तब दुनिया उसका लोहा मानती है। जब वह अपने बल-बूते पर अपूर्व उन्नति कर दिखाता है, तब सर्वत्र उसका आदर होता है। आजीवन तो ऐसा व्यक्ति प्रशंसा की पात्र रहता ही है, मृत्यु के उपरान्त भी उसकी यश-चन्द्रिका अपना प्रकाश छिटकाती रहती है। वह मरकर भी अमर हो जाता है।

स्वावलम्बी व्यक्ति केवल अपना ही हित नहीं करता, राष्ट्र का भी हित करता है। राष्ट्रोन्नति का सेहरा स्वावलम्बी व्यक्तियों के सिर पर ही बँधा है। उन्होंने ही राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। समाज-सुधारकों का जन्मदाता कौन है ? वैज्ञानिकों का जनक कौन है ? अन्वेषकों को कौन उत्पन्न करता है ? राष्ट्र-निर्माताओं की सृष्टि कौन करता है ? उन्तर है स्वाववम्बन। स्वावलम्बन की सतत साधना से ही राष्ट्र का कल्याण करने वाले सुधारक. वैज्ञानिक, विद्वान, शोधकर्ता, उद्धारक, कुशल प्रशासक, राष्ट्र-निर्माता आदि का आविर्भाव होता है। स्वावलम्बी व्यक्ति अपना खून-पसीना एक करके राष्ट्रोत्थान के पादप को सींचते हैं।

विश्व का इतिहास स्वावलम्बी व्यक्तियों की गौरव-गाथाओं से जगमगा रहा है। नैपोलियन का नाम कौन नहीं जानता ? स्वावलम्न द्वारा वह निम्न स्थिति से ऊपर उठकर महान् विजयी बना। एडीसन ने अपने ही बल-बूते एक हजार दो सौ प्रयोग करने के बाद विद्युत-बल्ब का आविष्कार किया, विद्युत से प्रकाश उत्पन्न किया। रैमजे मैकडोनल्ड स्वावलम्बन के सहारे मजदूर से इंग्लैड का प्रधान मंत्री बना। महात्मा गाँधी ने स्वावलम्बन की सहायता से भारत को अँग्रेजी शासन से मुक्त किया। इस कार्य के लिए उन्होंने किसी विदेशी शक्ति की सहायता नहीं ली। अपने देश वासियों के सहयोग से ही अस्त्र-रहित सघर्ष करके स्वतन्त्रता प्राप्त की। आत्म-निर्भरता के प्रबल प्रताप से उन्होंने विश्व को चकित कर दिया।

सारांश यह है कि स्वावलम्बन अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण है, वह बल, गौरव समृद्धि,

सुख, उन्नति, शांति, आदि के भवन का प्रवेश-द्वार है। हममें इस दिव्य गुण का अभाव है। हम अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहते, अपने हाथों से अपनी सहायता करना नहीं चाहते। हम दूसरों की सहायता के आकांक्षी रहते हैं। हम चाहते हैं कि जब दूसरे हमारी उँगली पकड़े, तब खड़े हों। उठने की सामर्थ्य होते हुए भी हम अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम परिश्रम से मुख मोड़ते हैं। विद्यार्थियों को देखिए, पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन-द्वारा ज्ञान प्राप्त न करके, इधर-उधर की सहायक पुस्तकों का आश्रय ग्रहण करके परीक्षा पास करना चाहते हैं। अकर्मण्य एवं आलसी बने रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम भाग्यवादी हैं, उद्योगवादी नहीं। दैव के गुलाम हैं, पुरुषार्थ के भक्त नहीं। साहसपूर्वक अपना पृथक् मार्ग निकालने की प्रवृत्ति हममें नहीं है। लीक-लीक चलना ही हमको रुचता है। तभी तो हम उन्नति के मार्ग में पिछड़े हुए हैं। आइए, अब स्वावलम्बन की उपासना करें, अपने जीवन में उसकी अवतारणा करें। स्वावलम्बन में बड़ी शक्ति है। सफलता इसके चरण चूमती है। उन्नति इसका अभिषेक करती है। सुख-समृद्धि इसका शृंगार करती है। यह अद्वितीय निधि है। सचमुच—

> "स्वावलम्बन की एक झलक पर
> न्यौछावर कुबेर का कोष।"

(12) "परहित सरिस धर्म नहिं भाई"

अथवा

"वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे"

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—मानव का आदर्श : परोपकार
(2) परोपकार से लाभ
  (क) आत्मानन्द, (ख) लोक-कल्याण, (ग) यश।
(3) परोपकारी कतिपय महान व्यक्ति।
(4) वर्तमान काल में परोपकार की आवश्यकता।
(5) उपसंहार—निष्कर्ष।

> 'परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय बहन्ति नद्यः।
> परोपकारार्थं दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरः॥"

वृक्ष किस लिए फलता है ? नदी किस लिए बहती है ? गाय किस लिए दूध देती है ? फूल क्यों खिलता है ? सूर्य क्यो उदित होता है ? बादल क्यों बनता है ? उत्तर है परोपकार के लिए। न वृक्ष स्वयं फल खाता है, न नदी स्वयं जल पीती है, न गाय स्वयं दूध पीती है, न फूल स्वयं को सुगन्ध एवं आनन्द देने के लिए खिलता है, न सूर्य स्वयं को प्रकाश एवं ऊर्जा देने के लिए उदित होता है, न बादल स्वयं की प्यास बुझाता है। सारी प्रकृति का अस्तित्व मानव का उपकार करने के लिए है। समस्त प्राकृतिक पदार्थों की सृष्टि मानव की सेवा के लिए हुई है। प्रकृति ने अपना सर्वस्व मानव पर निछावर कर दिया है, अपना अंग-अंग मानव-हित पर बलिदान कर दिया है। क्या इससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है ? क्या हमको भी मानव-हित में अपना योगदान करना चाहिए ? उत्तर है, हाँ। ईश्वर ने हमें यह शरीर परहितार्थ दिया है, स्वार्थ-साधन के लिए नहीं। हमारा जन्म "खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ" के लिए नहीं हुआ है, भोग-विलास के लिए नहीं हुआ है। मानव का आदर्श परोपकार है। परोपकार ही मानवता का शृंगार है, मनुष्यता का गौरव है, परलोक के लिए दिव्य सम्पदा है, आत्मा के लिए पौष्टिक रसायन है।

परोपकार से अनेक लाभ होते हैं। संसार में लाखों ही नहीं करोड़ों लोग दीन-दुःखी हैं। कोई भूखा मर रहा है, तो किसी के पास तन ढकने के लिए जीर्ण-शीर्ण वस्त्र तक नहीं हैं। गरमी, सरदी और बरसात से बचने के लिए किसी के पास छत की छाया नहीं है, तो घावों पर मरहम लगाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। कोई भूख से तड़प रहा है, तो कोई ठंड से ठिठुर रहा है। कोई दर्द से बिलबिला रहा है, तो कोई मानसिक पीड़ा से क्रन्दन कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को हमारी सहायता, सहानुभूति एवं संवेदना की आवश्यकता है। हमें उनके आँसू पोंछने चाहिए, उनके होठों पर मुसकराहट लानी चाहिए। तभी हमारी आत्मा को आनन्द मिलेगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा।

परोपकार से लोक-कल्याण भी होता है, 'एक पंथ दो काज' की कहावत चरितार्थ होती है. अपने लाभ के साथ-साथ समाज का भी लाभ होता है। आहत-पीड़ितों, दीन-दुःखियों तथा अभाव-ग्रस्तों की सहायता करने, डूबते हुए को बचाने, जीविका-हीन को जीविका प्रदान करने, कुमार्ग-गामी को सुमार्ग पर लाने, पददलित को ऊपर उठाने, पापी का वध करने और अधर्मी का दमन करने से लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में सच्चरित्रता, नीति और मर्यादा पनपती है, सुख की सुरसरि प्रवाहित होती है।

परोपकार यश का जनक है। जो व्यक्ति स्वार्थ के संकुचित घेरे से बाहर निकल कर परार्थ में जीवन व्यतीत करता है, उसकी सराहना होती है। जिस व्यक्ति ने सेवा और परोपकार का व्रत लिया है, उसका सर्वत्र आदर होता है। जिस व्यक्ति ने परहित पर सर्वस्व निछावर कर दिया है, उसका सभी सम्मान करते हैं। जीवन-लीला समाप्त होने के बाद, मरने के बाद वह अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति-पताका सदा फहराती रहती है। उसका आदर्श भावी पीढ़ियों में प्रेरणा का संचार करता रहता है।

विश्व का इतिहास परोपकार की गौरव-गाथाओं से जगमगा रहा है। राम राक्षसों से साधु-सन्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतीर्ण हुए। पापियों का विनाश करके उन्होंने लोक का कल्याण किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे चौदह वर्ष तक वन-वन भटकते फिरे और कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहे। गौतम बुद्ध ने मानव पीड़ा एवं दुःख का उपचार खोजने के लिए सुख-सज्जा से सुसज्जित महल तथा राज्य का परित्याग किया और वन में जाकर कठिन तपस्या की। सुकरात ने मानव-हित के लिए विष का प्याला पीया। ईसा दूसरों के उद्धार के लिए फाँसी के तख्ते पर चढ़े। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने शरीर का बलिदान स्वदेश के करोड़ों निवासियों के हितार्थ किया। महात्मा गाँधी ने आजीवन अपने शरीर को मानव-सेवा में खपाया और अन्त में उसी के लिए अपने सीने पर गोलियों की बौछार सही। उनका त्याग, उनका बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसका उज्ज्वल प्रकाश हमारे जीवन-पथ को आलोकित कर रहा है, हमारा मार्ग-दर्शन कर रहा है।

आज इस विज्ञान के युग में मानव भोगी और स्वार्थान्ध हो गया है। उसका संसार सिमिटकर उसके परिवार तक सीमित हो गया है। वह सदैव अपने और अपने परिवार के हित की बात सोचता है। इस दूषित मनोवृत्ति से समाज एवं राष्ट्र का बड़ा अहित हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जन-जन में परोपकार की भावना पैदा की जाय। इसके लिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम में परोपकारी महान व्यक्तियों की जीवन-गाथाओं तथा संस्मरणों का समावेश किया जाय, जिससे बालक-बालिकाओं में आरम्भ से ही इस सद्भावना की उत्पत्ति हो और नागरिक बनने पर यह सुविकसित हो जाय।

निष्कर्ष यह है कि परोपकार की महत्ता वर्णनातीत है। भारतीय संस्कृति सदैव परहित की भावना से ओत-प्रोत रही है। उसने इसे परम धर्म माना है और इसके द्वारा

विश्व को लोक-मंगल का संदेश दिया है। हमारे संत-महात्माओं का यही संदेश आज तक विश्व के कोने-कोने में इन शब्दों में गूँज रहा है—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥"

(13) भारतीय किसान

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—जेठ की दोपहरी।

(2) किसान का जीवन—

(क) कठिन परिश्रम एवं कष्ट, (ख) गरीबी, (ग) अशिक्षा, (घ) अधिक शोषण एवं अत्याचार।

(3) त्याग एवं तपस्या।

(4) उपसंहार—किसान का भविष्य।

अरे? यह कौन जेठ की दोपहरी में खलियान में कार्य-सलग्न है? इसके सिर पर न कपड़ा है और न पैरों मे जूते। शरीर नग्न है। एक फटी सी धोती कमर में लिपटी है। शरीर पर झुरियाँ हैं। आँखें बैठी हुई हैं। कपोल पिचके हुए हैं। पसीने की गंगा प्रवाहित हो रही है। यह है मिट्टी से सोना उत्पन्न करने वाला किसान। बड़ी गरमी पड़ रही है। सूर्य अग्नि वर्षा रहा है। भूतल तवा सा जल रहा है। लू कोड़े मार रही है। चारों ओर निस्तब्धता है। समस्त जीवधारी यत्र-तत्र आराम कर रहे है। पेड़ सो रहे हैं। छाया घबराकर उनके नीचे जा छिपी है। किन्तु अभागा किसान इस समय भी कठिन परिश्रम में जुटा है। इस बेचारे के ललाट पर विधाता ने आराम की रेखा ही नहीं बनायी है। फिर उसे आराम कैसे मिले?

किसान का जीवन कठोन परिश्रम का जीवन है, कठोन परिश्रम का साकार स्वरूप है। उसमें श्रम की साधना के साक्षात् दर्शन होते हैं। किसान पौ-फटते ही हल-बैल लेकर अपने खेत को प्रस्थान करता है। वह पहुँचकर किसी-न-किसी कार्य में दिन-भर जूटा रहता है। कभी जुताई करता है, तो कभी बुवाई। कभी निराई करता हैं, तो कभी सिंचाई। कभी खाद डालता है, तो कभी फसल काटता है। उसकी स्त्री भी कठिन परिश्रम करती है। जैसे—भोर होते ही चक्कीचलाना, कुएँ से पानी लाना दही बिलोना, बुहारी लगाना, बर्तन मलना, उपले थापना, भोजन बनाना आदि। घरेलू काम-काज में दिन भर व्यस्त रहती है। चक्की-चूल्हे से निवृत्त होकर रूखी-सूखी रोटियाँ लेकर बच्चों के साथ खेत पर पहुँचती है। वहाँ पति को भोजन कराती है और फिर स्वयं भोजन करती है। रूखे-सूखे भोजन से ही तृप्त होकर दोनों अपने-अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें न दही उपलब्ध है और न छाछ, न दूध उपलब्ध है और न घी।

किसान सभी ऋतुओं में कष्ट सहन करता है। वर्षा की झड़ी, ओलों की बौछार, शीत के कसाले, वायु के थपेड़े तथा गरमी की तपन उसके जीवन को कटंकाकीर्ण करते हैं, पर वह घबराकर अपनी श्रम-साधना से विरत नहीं होता।

यह कैसी विडम्बना है कि किसान जी-तोड़ परिश्रम करने पर भी गरीब रहता है! वह दूध-घी जुटाता है दूसरों के लिए। गेहूँ पैदा करता है दूसरों के लिए। बढ़िया कपास उत्पन्न करता है दूसरों के लिए। स्वयं इन पदार्थों से वंचित रहता है। उसके बच्चे दूध तथा मुलायम वस्त्रों के लिए तरसते हैं। उन्हें तो खाने के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जो

जैसे अनाज तथा पहनने के लिए खद्दर ही उपलब्ध है। कैसी विषमता है यह ! उसे कच्चे घास-फूस के घर में रहना पड़ता है। धनाभाव के कारण वह अपने रुग्ण बच्चों की उचित चिकित्सा नहीं करा सकता और न उनको पढ़ा-लिखा कर योग्य बना सकता है। लक्ष्मी जी की रुष्टता से वह ऋण-भार से दबा रहता है। मिट्टी से सोना उत्पन्न करने वाला किसान स्वयं आजन्म दरिद्र बना रहता है। विधि का कैसा विधान है यह !

किसान अशिक्षित होता है, क्योंकि शिक्षा का व्यय-भार वहन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। अशिक्षा का दुष्परिणाम होता है रूढ़िवादिता। अतः किसान प्रगतिशील नहीं होता। खेती के पुराने तौर-तरीकों से ही चिपटा रहता है। कृषि-सम्बन्धी नवीनतम अन्वेषणों-अनुसंधानों पर आधारित विधियों, उपकरणों तथा साधनों से लाभान्वित होने में आशंका करता है।

यही नहीं, अशिक्षा-जन्य अज्ञान के कारण किसान वित्तीय सहायतार्थ बैंकों का दरवाजा नहीं खटखटाता, बल्कि महाजनों के चंगुल में फँस जाता है। वे जौंक की तरह उसका आर्थिक शोषण करते हैं, उससे अधिक से अधिक सूद लेते हैं, लेखे-जांखे में भी बेईमानी करते हैं। एक बार उनके जाल में फँस जाने पर वह उनसे आजन्म पिंड नहीं छुड़ा पाता।

अज्ञानता से कारण विचारे किसान को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं। कभी महाजन परेशान करता है, तो कभी लेखपाल। कभी मुखिया तंग करता है, तो कभी सिपाही। चपरासी से लेकर पेशकार तक, मुंशी से लेकर वकील तक, बाबू से लेकर अफसर तक उसकी पसीने की कमाई पर हाथ साफ करते हैं। कभी उसकी कुर्की होती है, तो कभी उसकी फसल का नीलाम।

वास्तव में किसान का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन है। वह अधिकतम श्रम करता है, पर सुविधाएँ प्राप्त करता है न्यूनतम। वह योगी है, अनासक्त है, निष्काम है। उसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है। दूसरे की चुपड़ी रोटी देखकर उसकी जीभ नहीं ललचाती। दूसरे का विलास-उपकरण-सज्जित भवन उसके मन को नहीं लुभाता। दूसरे का रेशमी वस्त्र उसको आकृष्ट नहीं करता। दूसरे का मोहन भोग देखकर उसके मुँह में पानी नहीं भरता। वह संतुष्ट है अपनी रूखी-सूखी रोटियों से, अपनी पर्ण-कुटी से, अपने खद्दर के कुरते से, अपनी जीर्ण-शीर्ण धोती से। वह जितेन्द्रिय है। उसके शरीर पर न शीत का प्रभाव पड़ता है और न गरमी का। न लू का प्रभाव होता है और न घनघोर वर्षा का। उसका त्याग अनूठा है। न उसे नींद की चिंता रहती है और न भूख की। न उसे सुख की परवाह है और न आराम की। वह स्वय भूखा रहकर मानव मात्र का पेट भरता है। वह स्वयं अर्द्ध नग्न रहकर जन-जन का तन ढकता है। वह स्वयं कष्टों का आह्वान करता है दूसरों के सुख के लिए। वह स्वयं कठिन परिश्रम करता है दूसरों की समृद्धि के लिए।

ऐसे त्यागी किसान की सेवाओं का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे उपेक्षित ग्राम-देवता का सम्मान अभी तक राष्ट्र ने नहीं किया है। पर अब उसके दिन फिरे हैं और सरकार उसकी दशा सुधारने के लिए प्रयत्न-शील है। वास्तव में किसान ही राष्ट्रोत्थान का मूलाधार है। उसकी समृद्धि पर समूचे राष्ट्र की समृद्धि आधारित है। ऐसे मानव-रत्न को निम्नांकित शब्दों में हमारा अभिवादन है—

"झोंपड़ी झुका कर तुम अपनी,
ऊँचा करते हो राजद्वार,
हे ग्राम-देवता नमस्कार।"

(14) टेलीविजन (दूरदर्शन) का महत्व

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—विज्ञान की महान उपलब्धि
(2) टेलीविजन की विशेषताएँ—
(क) स्वाभाविक अभिनय, (ख) रोमांचकारी घटनाएँ, (ग) आकर्षक दृश्य, (घ) ज्ञानवृद्धि।
(3) मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन।
(4) उपसंहार—सारांश

आज से हजारों वर्ष पूर्व संजय ने राज-भवन में बैठे ही महाभारत के समर की समस्त घटनाएँ देखी थीं और महाराज धृतराष्ट्र को सुनायी थीं। इस बात को कपोल-कल्पित कहा जाता था। पर विज्ञान ने आज इसकी सत्यता टेलीविजन द्वारा प्रमाणित कर दी है। वह विश्व के कोने-कोने में घटित हो रही घटनाओं को तत्काल हमारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हैं। कैसा है विज्ञान का यह चमत्कार ! कैसा है विज्ञान का यह करिश्मा !

विज्ञान के इस वरदान से, विज्ञान की इस महान उपलब्धि से हमारा खूब मनोरंजन होता है। इसके द्वारा हमें नाटक का-सा सजीव अभिनय दखने को मिलता है। देश और काल की सीमाओं को लाँघकर यह ऐसा स्वाभाविक अभिनय प्रस्तुत करता है कि वह वास्तविक-सा प्रतीत होता है। तत्कालीन तथा तद्देशीय वेश-भूषा, आवास, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि की प्रदर्शित झाकियाँ वास्तविकता के रंग में रँग जाती हैं।

युद्ध लूट-मार, अग्निकाँड, जल-प्लावन, दंगे आदि की रोमांचकारी घटनायें टेली-विजन द्वारा सीधी प्रसारित की जाती हैं अथवा उनके चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें देखने के लिए घटना-स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। घर-बैठे ही उनका परिचय मिल जाता है। एक ओर कोई दुर्घटना घटित होती है, दूसरी ओर टेलीविजन उसका सीधा प्रसारण करता है। दर्शक मानो घटना स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हों।

टेलीविजन आकर्षक दृश्य भी दिखाता है। वह प्रकृति के विविध रूपों की छटा का अवलोकन करता है। उषा की लालिमा, वनस्थली की हरीतिमा, आकाश की नीलिभा मेघों की कालिमा, पुष्पों की सुषमा, हिमाच्छादित शैल-श्रृंगों की शोभा, कुंजों की सुन्दरता-चाँदी से श्वेत झरनों एवं शिलाओं की क्रीड़ा आदि मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। कोयल की कूक, पपीहे की पिउ-पिउ, चिड़ियों की चहचहाहट तथा सरिताओं का कल-कल स्वर सुनाता है। प्राकृतिक दृश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मनोहर दृश्य भी टेलीविजन द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। सरकस के साहसिक खेल दिखाये जाते हैं। जादूगरों की जादूगरी प्रदर्शित की जाती है. उनकी आश्चर्यजनक करामातों की झाँकी करायी जाती है। मदारियों के तमाशों की योजना की जाती है। विश्व की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नृत्यांगनाओं के हाव-भावपूर्ण भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। संगीत की स्वर-लहरी का प्रसारण किया जाता है। कभी सूर के पद सुनाये जाते हैं, तो कभी मीरा के। कभी लतामंगेशकर के फिल्मी गाने सुनाये जाते हैं, तो कभी सुरैया के।

टेलीविजन की अन्य विशेषता उनके द्वारा मानव की ज्ञान-वृद्धि है। वह देश-परदेश के जीवन, संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान, उद्योग, इतिहास, भौगोलिक स्थिति आदि का परिचय कराने का उत्तम एवं सरल साधन है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों का ज्ञान कराया जाता है। योगासन आदि व्यायाम के दृश्य उपस्थित करके उनका क्रियात्मक बोध कराया जाता है। रोगों से बचने के उपाय बताये जाते हैं। सामाजिक

कुप्रथाओं, धार्मिक अंधविश्वासों तथा हानिकारक परम्पराओं के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है। परिवार-नियोजन की उपयोगिता बतायी जाती है। पर्यावरण-प्रदूषण एवं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की हानियों का ज्ञान कराया जाता है। कृषि की उन्नति हेतु उत्तम बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, नवीन उपकरणों, उत्पादन-वृद्धि की तकनीक, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं आदि का परिचय कराया जाता है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन विश्व के कोने-कोने में घटित हो रही घटनाओं के समाचार प्रतिदिन कई बार प्रसारित करता है। विशेष एवं अत्यावश्यक समाचार शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित किये जाते हैं।

मनोरंजन का तो टेलीविजन नवीनतम सर्वोत्तम साधन है। यदि आप दिनभर कार्यालय में कार्य करके थक गये हों, यदि आप दिन-भर शारीरिक श्रम करके सुस्त हो गये हों, यदि आप दिन-भर लेन-देन में व्यस्त रहकर शिथिलता महसूस कर रहे हों, यदि दिनभर मानसिक परिश्रम करके आपका मन उचट गया हो, तो आप टेलीविजन की शरण में आइए। फिर देखिए उसके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम किस प्रकार आपका मनोरंजन करता है, किस प्रकार आनन-फानन में आपकी थकान मिटाता है। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, मधुर संगीत, मोहक नृत्य, सजीव अभिनय, रोचक घटनायें, मनोहर क्रीडायें आदि कार्यक्रम आपको आनन्द-सागर में निमग्न कर देगा, आपके हृदय की कली-कली खिला देगा। आपकी नेत्रेन्द्रिय एव कर्णेन्द्रिय तृप्त हो जायँगी। आपका मन चंगा हो जायगा।

पर टेलीविजन का मोह हानिकारक भी है। छात्र-छात्राओं का हर समय टेलीविजन कार्यक्रम देखते रहना उनके अध्ययन में बाधक सिद्ध होता है। हर समय टेलीविजन से चिपके रहने से उनकी पढाई-लिखाई चौपट होती है। आवश्यकता इस बात की है कि वे विवेक से काम लें और टेलीविजन विषयक आसक्ति को अपने अध्ययन में आड़े न आने दें।

सारांश यह हैं कि टेलीविजन विज्ञान का अनुपम उपहार है। इसने हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है कि हम घर बैठे ही दुनिया के कोने-कोने का दर्शन करने में समर्थ हो गये हैं। बलिहारी है विज्ञान की ! वह नित्य नवीन कुतूहल-वर्द्धक चमत्कार प्रस्तुत कर रहा है। आज उसने मानव को चन्द्रलोक तक पहुँचा दिया है। आज यह कल्पना से भी ऊँची उड़ान भर रहा है। सचमुच

'भर न सकी कल्पना उड़ान
पहुँचा आज वहाँ विज्ञान।"

(15) विज्ञान के चमत्कार

अथवा

विज्ञान की देन

अथवा

विज्ञान के आविष्कार

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—विज्ञान के बढ़ते कदम।

(2) विज्ञान के चमत्कार—

(क) यातायात-साधन, (ख) दूर संचार-साधन।

(ग) आमोद-प्रमोद-साधन

(घ) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-साधन।

(ङ) दैनिक आवश्यकता-पूर्ति-साधन।

(च) जन-संहार-साधन।

(छ) उपसंहार—अंतरिक्ष में प्रवेश।

यह विज्ञान का स्वर्ण-युग है। विज्ञान प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ द्रुतगति से आगे बढ़ता जा रहा है। आज उसने क्या थल, क्या जल, क्या वायु, क्या अग्नि, क्या प्रकाश, क्या आकाश सबको मानव का परिचारक बना दिया है। वह पर्वतों को लाँघ चुका है, समुद्रों को पार चुका है, आकाश के वक्षःस्थल को चीर चुका है, चन्द्रमा तक पहुँच चुका है। उसकी विजय-पताका सर्वत्र फहरा रही है। जिधर देखिए उधर ही उसके चमत्कारों की धूम मची हुई है। जिधर देखिए उधर ही उसके करिश्मे बिखरे हुए हैं। कुछ का परिचय निम्नांकित है —

विज्ञान की कृपा से मानव को यातायात के सुगम एवं सुखदायक साधन उपलब्ध हुए हैं। मोटर, रेल एवं जलयान की बात जाने दीजिए। द्रुतगामी वायुयान मिनटों में कहीं का कहीं पहुँचा देता है। वह चील की तरह आकाश में पंख फैलाता हुआ, नभ का वक्षःस्थल चीरता हुआ, गगन में गरजता हुआ हजारों मील प्रति घण्टा की रफ्तार से इधर-उधर दौड़ता रहता है। अब तो बन्दूक की गोली से भी अधिक गति से उड़ने वाला अंतरिक्ष यान भी आविष्कृत हो गया है।

दूर-संचार क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत चमत्कारों की सृष्टि की है। तार द्वारा संदेश भेजने की बात जाने दीजिए। टेलीफोन की सहायता से आगरा में बैठा हुआ मनुष्य सात समुद्र पार न्यूयार्क में बैठे हुए मनुष्य से उसी प्रकार बात कर सकता है जिस प्रकार अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से। बेतार के तार ने तो क्रान्ति उपस्थित कर दी है। वह क्षण भर में हजारों मील दूर संदेश पहुँचा देता है, तार की भी आवश्यकता नहीं होती। कैसा आश्चर्य है यह !

मानव के आमोद-प्रमोद के लिए विज्ञान ने एक से एक उत्तम साधन जुटाये हैं। टेप रिकॉर्डर से नाना प्रकार के सुरीले गाने विविध स्वर एवं लय में सुनकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। स्वर्गीय गायकों के गाने उन्हीं के स्वर एवं लय में सुन लीजिए। सिनेमा चकित करने वाले चमत्कार है। चित्रपट पर नाचते गाते उछलते-कूदते चित्रों को देखकर दाँतों ताले उँगली दबानी पड़ती है। भागते हुए घोड़े की टाप, चलती हुई मोटर की ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर हम दंग रह जाते हैं। चित्रों में वाणी एवं ध्वनि का समावेश कैसे हो जाता है ? रेडियो द्वारा घर बैठे ही संसार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायक का गायन और वाद्य-यंत्र का वादन सुना जा सकता है। अब टेलीविजन गायक का चित्र भी दिखा देता है। इस प्रकार विज्ञान के चमत्कार ने दृश्य-प्रसारण द्वारा रेडियो की कमी की पूर्ति कर दी है। अब क्या आवश्यकता रह गयी है सिनेमा-गृह जाने का कष्ट उठाने की ? घर बैठे ही टेली-विजन सिनेमा दिखा देगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी वैज्ञानिक उपलब्धियों में एक्स-रे का महत्वपूर्ण स्थान है। एक्स-रे ठोस एवं द्रव पदार्थों के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है। चिकित्सक इसी की सहायता से उदर, हृदय, फेंफड़ा आदि शरीर के आन्तरिक अंगों से सम्बन्धित रोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा रुग्ण अंग का चित्र खिंच जाता है। शल्य चिकित्सा का तो एक्स-रे मानो प्राण ही है। रुग्ण अंग को निकाल कर उसके स्थान पर नवीन अंग प्रतिस्थापन की वैज्ञानिक कला ने अंधों को नेत्र, लँगड़ों को पैर और हृदय एवं गुर्दे के रोगियों को जीवन-दान दिया है। अब परखनली शिशु का जन्म भी सम्भव हो गया है। कैसा कमाल है यह !

दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी विज्ञान ने मानव को अनेक साधन प्रदान किए हैं। बिजली सबसे अधिक आवश्यक एवं उपयोगी देन है। उसकी एक से एक अनूठी करामातें हैं। आज प्रकाश के लिए, खाना बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए, अग्नि

या दियासलाई की आवश्यकता नहीं है। आज पंखा झलने के लिए नौकर की आवश्यकता नहीं है। केवल बिजली का बटन दबा दीजिए, आनन-फानन में आपका काम हो जायगा। न तेल की आवश्यकता होगी न बत्ती की, न कोयले की, न दीपक की, न लकड़ी की। घर का कोन-कोना शुभ्र प्रकाश से जगमगा उठेगा। बिजली का चूल्हा खाना पका देगा। बिजली की अँगीठी चाय तैयार कर देगी। बिजली का पंखा हवा कर देगा। बिजली की घटी नौकर का काम कर देगी। वातानुकूलित कमरा शीत और ताप से रक्षा करेगा। धन्य है विद्युत देवी जिसने हमारी सेवा पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है।

भोजन, वस्त्र, निवास आदि आवश्यकताओं की पूर्ति-सम्बन्धी अनेक चमत्कार हैं, जिनका उपयोग कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में हुआ है। घड़ी, कैमरा आदि अन्य चमत्कार भी उल्लेखनीय हैं। निर्जीव किन्तु बोलने वाली घड़ी की सहायता से प्रत्येक कार्य निर्धारित समय पर सम्पन्न होता है। यही नहीं, अलार्म द्वारा वह रात्रि में निश्चित समय पर 'टन-टन की मधुर ध्वनि करती हुई जगा देती है। कैमरा पलक मारते-मारते चित्र उतार लेता है। इसकी सहायता से स्वर्गवास होने पर प्रियजनों की स्मृति-रक्षा संभव है।

विज्ञान ने जहाँ मानव की सुख-सुविधा के साधन जुटाये हैं, वहाँ जनसंहार के के विकराल साधन भी जुटाकर मानवता को चुनौती दी है। आज आकाश में चिनगारियों की भाँति छा जाने वाली गोलियों की वर्षा करने वाली मशीनगनें और रणभूमि को रक्त-रंजित करने वाले टेंक युद्ध-क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। विषैली गैसें क्षण-भर में प्राणान्त करती हैं। रडार लड़ाकू वायुयानों के चित्र पहले से ही प्रस्तुत करके सावधान करते हैं। सबसे भयानक एवं विध्वंसकारी हैं परमाणु तथा उद्जनबम। इन प्रलयंकारी अस्त्रों से पलभर में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी आज भी परमाणु बमों हैं। वहाँ की जनता, बिशाल अट्टालिकाएँ, लहलहाते हुए खेत और सुन्दर उद्यान पल भर में लापता हो गये। माताओं की गोदियों में किलकारी मारते हुए बच्चे सदैव के लिए सो गये। यही नहीं, गर्भस्थ शिशुओं पर भी उनका कुप्रभाव पड़ा। कोई अपंग हो गया और कोई विकलांग। वहाँ की रक्त-रंजित धरा आज भी करुण-क्रन्दन कर रही है। वास्तव में इन अस्त्रों की विभीषिकाओं ने संसार में त्राहि-त्राहि मचा दी है। अब तो महाप्रलयंकारी न्यूट्रान बम का भी आविष्कार हो गया है।

विज्ञान अन्तरिक्ष में भी प्रविष्ट हो गया है। उसने आकाश में कई कृत्रिम उपग्रहों की स्थापना की है। जिनका उद्देश्य मौसम परिवर्तन, भूमि-अंतर्निहित सम्पदा, विश्व-घटनाओं आदि की जानकारी कराना है। इनकी सहायता से तूफान बाढ़ आदि प्रकृति की विनाशकारी आपदाओं से जन-धन की रक्षा संभव है तथा प्राकृतिक तेल, गैस आदि के भूमिगत छिपे हुए भंडारों का पता लगाया जा सकता है। कैसा कमाल कर रहा है विज्ञान ! यही नहीं, अब वह मानव को चन्द्रमा की भी सैर करा रहा है। आज वह कल्पना की परिधि को भी लाँघ रहा है। सचमुच —

"भर न सकी कल्पना उड़ान,
पहुँचा आज वहाँ विज्ञान।"

(16) विज्ञान वरदान है या अभिशाप

अथवा

विज्ञान और मानव-कल्याण

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना—विज्ञान के बढ़ते कदम

(2) विज्ञान का वरदान स्वरूप : (क) यातायात साधन (ख) दूर संचार-साधन, (ग) आमोद-प्रमोद के साधन, (घ) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के साधन (ङ) दैनिक आवश्यकता पूर्ति के साधन !

(3) विज्ञान का अभिशाप-स्वरूप : जन-संहार-साधन।

(4) विज्ञान का मूल्यांकन।

(5) उपसंहार—सारांश :

[**नोट**—'विज्ञान के चमत्कार' शीर्षक निबन्ध के बिन्दु 1 और 2 की सभी बातें संक्षेप मे प्रस्तुत विषय के निबन्ध के बिन्दु 1, 2 और 3 के अन्तर्गत लिखने के बाद शेष बिन्दु 4 और 5 के अन्तर्गत निम्नांकित बातें लिखा जायँ।]

विज्ञान के उपर्युक्त दोनों प्रकार के स्वरूपों को देखते हुए अब उसका मूल्यांकन करना है। इस सम्बन्ध में यही कहना है कि विज्ञान स्वय में अभिशाप नहीं है। मानव की हिंसात्मक भावना, द्वेष एवं घृणा की मनोवृत्ति उसे अभिशाप बनाती है। वह तो एक शक्ति है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है, और दुरुपयोग भी। यदि विवेक से काम लिया जाय तो वह सदैव वरदान ही सिद्ध होगा, मानव के कल्याण में ही योगदान करेगा। अस्त्र-शस्त्रों एवं अन्य विनाशात्मक साधनों का निर्माण तथा आविष्कार अविवेक के द्योतक हैं।

सारांश यह है कि मानव कल्याण में ही विज्ञान की सार्थकता है। उसका उपयोग मानवता की रक्षा करते हुए मानव को आदर्शोन्मुख करने में होना चाहिए, मानव में "वसुधैव कुटुम्बकम्" की सद्भावना विकसित करने में होना चाहिए। अन्यथा मानव और पशु में अन्तर ही क्या रह जायगा ?

(17) मेरे जीवन का उद्देश्य

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—मानव-जीवन की सार्थकता

(2) मेरे जीवन का उद्देश्य और उसके अनुसार व्यवसाय-चयन के कारण

(क) सात्विक सादा जीवन (ख) मानसिक उत्थान (ग) आत्मिक उत्थान (घ) राष्ट्र निर्माण में योगदान (ङ) परोपकार एवं सेवा का उत्कृष्ट साधन।

(3) उपसंहार—महत्व

मानव जीवन एक दुर्लभ उपलब्धि है। चौरासी लाख योनियों में मानव-योनि को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। निस्संदेह मानव विधाता की अमूल्य रचना है। विधाता ने केवल मानव को ही बुद्धि प्रदान की है, जिससे वह अन्य जीवधारियों की भाँति भोगमय जीवन न व्यतीत करते हुए परमार्थ-साधना को अपने जीवन में स्थान दे। इसी में उसके जीवन की सार्थकता है।

अतः परमार्थ-साधना को ही मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है और तदनुसार व्यवसाय का चयन किया है। मेरी धारणा है कि अध्यापन-व्यवसाय से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, जो मानव को परमार्थ-साधन के पथ का पथिक बना सके। इसके कई कारण हैं।

पहला कारण है अध्यापक का सात्विक सादा जीवन। अध्यापक भोगविलास से कोसों दूर रहता है। "Eat, drink and be merry" उक्ति के अनुसार खाओ, पीयो और मौज उड़ाओ के जीवन-दर्शन में उसकी आस्था नहीं होती। वह तो "Plain living and high thinking" अर्थात् सादा जीवन और उच्च विचार के जीवन-दर्शन में विश्वास रखता है और इसी को अपने जीवन में उतारता है। भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन आदि में सादगी उसे प्रिय है। उसकी आवश्यकताएँ न्यून होती हैं। वह संतोषी प्रकृति का होता है। संतोष उसका धन है। उसकी मान्यता है, "नहिं धन धन है, परम धन तोषहि कहहिं प्रबीन"

सात्विकता के कारण ही हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अध्यापन कार्य का चयन किया था और गुरुकुलों की स्थापना की थी, जहाँ राजा से लेकर रंक तक के बच्चों को भेद-भाव बिना अध्ययन कराया जाता था। सांदीपनि, धौम्य, वसिष्ट, बाल्मीकि आदि मुनीश्वरों के नाम उल्लेखनीय हैं। सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण जैसे उच्च स्तर के और सुदामा जैसे निम्न स्तर के बालकों ने साथ-साथ शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुओं के सात्विक सादा जीवन की छाप विद्यार्थियों पर पड़ती है, जिससे उनका जीवन कुसुम सुवासित होता है। वैसे तो बच्चा स्वयं ही पवित्रता का साकार स्वरूप होता है, सात्विकता की सजीव मूर्ति होता है, किंतु अध्यापक के सात्विक वातावरण के संसर्ग से उसे और प्रेरणा मिलती है।

अध्यापन-व्यवसाय के चयन का अन्य कारण है मानसिक उत्थान। अध्यापक स्वाध्याय में संलग्न रहता है। स्वाध्याय से उसके ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है। विकसित मस्तिष्क से विवेक-बुद्धि प्राप्त होती है सुबुद्धि उपलब्ध होती है, जिससे सत्-असत् का बोध होता है, मानव कुमार्ग पर चलने से रुकता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। बड़े से बड़े विचारकों, बड़े से बड़े मनीषियों, बड़े से बड़े विद्वानों, बड़े से बड़े दार्शनिकों की कृतियों के अध्ययन से वह लाभान्वित होता है, उसका ज्ञान भंडार बढ़ता है, उसके अनुभव में वृद्धि होती है।

अध्यापन-व्यवसाय के चयन का अन्य कारण है आत्मिक उत्थान। अध्यापक को उत्कृष्ट, उपदेशात्मक, मर्यादागर्भित, नीति-समन्वित तथा सदाचार-पूर्ण साहित्य का अवलोकन करने का सुअवसर मिलता है। उसके माध्यम से वह सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त करता है। वह कभी 'बीजक' में कबीर की पुनीत वाणी सुनता है तो कभी तुलसी के 'रामचरितमानस' में गोते लगाता है। कभी सूर के भक्ति-भाव से लहराते हुए 'सागर' में डुबकी लगाता है, तो कभी भारतेन्दु के 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक में सत्य के साकार स्वरूप के दर्शन करता है। इससे उसके जीवन में नीति, मर्यादा एवं सदाचार का समावेश होता है, उसकी आत्मा उच्चता की ओर अग्रसर होती है। सत्साहित्य का सम्पर्क उसकी आत्मा के लिए पौष्टिक रसायन सिद्ध होता है।

यह तो हुआ अध्यापन-व्यवसाय की उत्तमता का वैयक्तिक पक्ष। अब राष्ट्रीय पक्ष लीजिए। अध्यापन-व्यवसाय राष्ट्र-निर्माण में सराहनीय योगदान करता है। आज का बालक कल का नागरिक है और नागरिक राष्ट्र की इकाई होता है। बालक जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा उसी प्रकार का वह नागरिक बनेगा और तदनुसार राष्ट्र बनेगा। विद्यालय बालक की निर्माण-शाला है। अध्यापक उसका निर्माता है। वही उसके व्यक्तित्व की रचना करता है, उनके अन्दर ज्ञान तथा सद्गुणों का प्रकाश फैलाता है, सदाचार की सृष्टि करता है, कुप्रवृत्तियों एवं कुवासनाओं का संहार करता है। आदर्श अध्यापक अपने विद्यार्थी पर सर्वस्व निछावर कर देता है। उस पर जो कुछ भी मानसिक तथा आत्मिक सम्पत्ति होती है उसे वह अपने छात्र को अर्पित कर देता है। जिस प्रकार बीज स्वयं अपना अस्तित्व मिटाकर नवीन पौधे के रूप में प्रस्फुटित होता है और उसे अपने अन्तर्निहित रूप, रस, गंध आदि गुण सौंप देता है, उसी प्रकार अध्यापक के गुण, प्रतिभा और विद्वत्ता आदि विशेषताएँ विद्यार्थी में प्रकट होती हैं। माता-पिता तो बालक को जन्म देते हैं तथा उसका पालन-पोषण करते हैं, किन्तु अध्यापक उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार लोहे का जंग खाया हुआ कुरूप टुकड़ा मिस्त्री के हाथ से मशीन का सुन्दर पुर्जा बनकर और खराद पर चढ़कर चमचमाने लगता है, उसी प्रकार ज्ञान-रहित तथा गुणहीन बालक अध्यापक के हाथ से ज्ञान-शिरोमणि तथा गुण-सम्पन्न बन जाता है। इस प्रकार अध्यापक राष्ट्र-रूपी भवन के निर्माण के लिए नागरिक-रूपी सुदृढ़ ईंटें तैयार करता है। कैसे आँका जा सकता है उसके इस महान् योगदान का मूल्य ?

अध्यापन-व्यवसाय सेवा एवं परोपकार का भी श्रेष्ठ साधन है। यह सच है कि अध्यापक को वेतन मिलता है, किन्तु उसके कार्य के महत्व को देखते हुए उसे जो कुछ मिलता है वह अत्यल्प हैं। उसे हम पत्र, पुष्प, फल और तो ही कह सकते हैं। उसके अतुलित उपकार तथा सेवा के कारण ही भारतीय संस्कृति में अध्यापक का स्थान, गुरु का पद परमेश्वर से भी ऊँचा रखा गया है। तभी तो गुरु एवं गोविन्द दोनों की उपस्थिति में शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है, गोविन्द के नहीं। कबीर के शब्दों में—

"गुरू गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाँय।
बलिहारी गुरू आपने, जिन गोबिन्द दियौ मिलाय।"

ऐसा होता है महान्, अध्यापक और उसका व्यवसाय। अध्यापन-व्यवसाय परमार्थ-साधना का उत्तम उपाय है। इससे अगणित बालकों को अपना जीवन सार्थक और सफल बनाने का सुअवसर प्राप्त होता है। धन्य है अध्यापन-व्यवसाय और धन्य है अध्यापक जो बीज के समान अपना सर्वस्व बलिदान करके वृक्ष रूपी राष्ट्र को अपनी छात्र-सम्पदा प्रदान करता है!

(18) समाचार-पत्रों का राष्ट्र-निर्माण में योगदान
अथवा
समाचार पत्र और जनजागरण

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—समाचार-पत्र की जनप्रियता
(2) समाचार-पत्र द्वारा जन-जागरण में योगदान
(3) समाचार-पत्र का दायित्व
(4) समाचार-पत्र राष्ट्र का जागरूक प्रहरी
(5) उपसंहार—सारांश

टेलीविजन और रेडियो जैसे समाचार-प्रसारण के उत्तम वैज्ञानिक साधनों के होते हुए भी समाचार-पत्र की जन-प्रियता पूर्ववत् है। उसमें कोई कमी नहीं आयी है। नगर से लेकर गाँव तक, वृद्ध से लेकर साक्षर बालक तक समाचार-पत्र के भूखे रहते हैं। निरक्षर लोग भी समाचार-पत्र-सम्बन्धी क्षुधा-निवृत्ति हेतु साक्षर व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। प्रातः-काल आँख खुलते ही चाय की तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य को समाचार-पत्र की ललक रहती है। कब समाचार-पत्र आये और कब पढ़ने को मिले, यही उत्कंठा रहती है। इसके प्राप्त होते ही सबकी गृद्ध-दृष्टि उसकी शीर्ष-पंक्तियों पर पड़ती हैं। सर्व प्रथम पढ़ने की चाह के कारण बच्चों में छीना-झपटी भी हो जाती है। ऐसी जनप्रियता है समाचार-पत्र की।

हमें समाचार-पत्र से देश-विदेश के समाचार ज्ञात होते हैं, विश्व की गतिविधियों के परिचय द्वारा कूप-मंडूकता से मुक्ति मिलती है, हमारा विचार-क्षेत्र विस्तृत होता है, मानसिक तृप्ति होती है, ज्ञान-वृद्धि होती है, पर सबसे बड़ा लाभ है जन-जागरण। समाचार-पत्र जनता के सोचने-विचारने को सही दिशा देता है इसका मार्ग-दर्शन करता है। इस कार्य में इसका विशेष योगदान रहता है। यह समाज में व्याप्त दोषों के प्रति जनता को सचेत करता है। सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों (नरबलि आदि) भ्रष्टाचार, पक्षपात, अपराधी प्रवृत्ति, साम्प्रदायिकता जाति-पाँति आदि के हानिकारक परिणाम प्रस्तुत करते

हुए इनके उन्मूलन में सहायता प्रदान करता है। राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करने में समाचार-पत्र का विशेष महत्व होता है। हमारा देश विश्व का विशाल जन-तंत्र है। इसमें जन-जन के लिए राजनैतिक चेतना की आवश्यकता है। उसका निर्माण समाचार-पत्र के माध्यम से ही संभव है। देश की राजनैतिक समस्याओं पर भिन्न-भिन्न लोगों, संगठनों के दृष्टिकोण एवं टीका-टिप्पणी तथा उनके समाधान इसे समाचार-पत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसी के द्वारा समय-समय पर होने वाले राजनैतिक आन्दोलनों के समर्थन अथवा विरोध से जनता का सही पथ-प्रदर्शन होता है। यह शासन की नीतियों का गुण-दोष-विवेचन करके उसका सच्चा चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। चुनावों के समय इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनमत निर्माण करने में इसका सर्वाधिक योगदान होता है। यह साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध अथवा संकट-कालीन स्थिति में जनता का मनोबल बढ़ाते हुए समूचे राष्ट्र को शक्ति एवं साहस प्रदान करने में सराहनीय सहायता प्रदान करता है। शांति के समय राष्ट्र-निर्माण की आवश्यकताओं पर बल देते हुए उनकी पूर्ति का पथ प्रशस्त करता है। प्रचार के माध्यम से राष्ट्र की कल्याणकारी योजनाओं को गाँव-गाँव और घर-घर पहुँचाने का प्रयास करता है। आज हमारे देश का किसान भी समाज एवं राष्ट्र की गतिविधियों से परिचित हो रहा है और उनमें रुचि लेता हुआ दिखायी देता है। इस जागृति का श्रेय समाचार-पत्र को है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले सोते हुए देश को जगाने के लिए इसी ने शंखनाद किया था और निम्नांकित पंक्तियों के माध्यम से प्रभात की स्वर्णिम उषा के दर्शन करने के लिए उच्छ्वसित किया था—

"उठ जाग मुसाफिर भोर भयो,
अब रैन कहाँ जो सोवत है?
जो सोवत है सो खोवत है
जो जागत है सो पावत है॥"

समाचार-पत्र के बिगुल-वादन से, प्रेरणादायक स्वरों से हमारी अपहृत स्वतन्त्रता हमें पुनः प्राप्त हुई। इसके उद्बोधन से जन-जन में देश के लिए मर-मिटने की बलवती इच्छा उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप विदेशी साम्राज्य भवन धराशायी हुआ।

समाचार-पत्र पर समाज के उत्थान, राष्ट्र के निर्माण तथा शासन के सुचारु संचालन का दायित्व होता है। लोकतन्त्रीय शासन-पद्धति में तो इसका दायित्व और भी बढ़ जाता है। अपने दायित्व की पूर्ति के लिए इसे स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक, सत्यनिष्ठ एवं जागरूक होना चाहिए। किसी धनी-मानी व्यक्ति, राजनैतिक दल, नेता, संस्था, संप्रदाय आदि के हाथ में खेलने वाला सामाचार-पत्र जनता तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इसे तो अपने कर्तव्य-पालन में सतत सजग रहना चाहिए। तनिक-सी असावधानी घातक सिद्ध हो जाती है। दायित्व के निर्वाह द्वारा अमरीका के समाचार-पत्रों ने अपने देश के राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट-कांड का भंडाफोड़ किया और जनशक्ति जागृत करके उन्हें सत्ता त्यागने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार समाचार-पत्र राष्ट्र एवं जनता की हित-रक्षा करता है और उसके उज्ज्वल भविष्य में योग-दान करता है।

सचमुच समाचार-पत्र राष्ट्र का जागरूक प्रहरी होता है। यह सदैव र[...] रक्षा में संलग्न रहता है। समय के अनुसार बदलती हुई मान्यताओं, जीवन-मू[...] व्यवस्थाओं आदि को जनता तक पहुँचाता है ओर उनको अपनाने के लिए उ[...]

वातावरण उत्पन्न करता है। नैतिक आदर्शों तथा संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसी अनिष्टकारी प्रवृत्ति अथवा घातक मनोवृत्ति को नहीं पनपने देता। समस्याओं के समाधान तथा कठिनाइयों के निराकरण में हाथ बटाता हुआ राष्ट्र का उत्थान-मार्ग परिष्कृत करता है।

सारांश यह है कि समाचार-पत्र की महती उपयोगिता है। राष्ट्रनिर्माण में, राष्ट्र के विकास में राष्ट्र की रक्षा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ वह शासन की गलत नीतियों पर कड़ा प्रहार करता है—वहाँ उसकी जन-कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत करता है और उन्हें जन-जन तक प्रसारित करता है। क्या हमारे देश का समाचार-पत्र अपने दायित्व का पालन कर रहा है? अन्य लोकतन्त्रीय देशों की अपेक्षा हमारे देश का समाचार-पत्र अभी अपने कर्तव्य-पालन में पिछड़ रहा है। कतिपय समाचार-पत्र स्वार्थवश पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर ये अनुचित आन्दोलनों को प्रोत्साहित करते हैं, क्षेत्रीय एवं संकीर्ण धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं। प्रलोभनों के शिकार होकर अश्लील विज्ञापनों को प्रसारित करते हैं, जिससे राष्ट्र का चारित्रिक पतन होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाचार-पत्र स्वार्थ को त्यागकर राष्ट्र के दोषों एवं कमजोरियों का उन्मूलन करते हुए उसे विकास के पथ पर अग्रसर करें और उसके कल्याण में जुट जायें।

(19) यदि मैं देश का प्रधान मन्त्री होता

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—देश की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक : प्रधान मंत्री

(2) यदि मैं देश का प्रधान मन्त्री होता तो—

(क) आर्थिक असमानता को कम करता।

(ख) सामाजिक भेदभाव का निराकरण करता।

(ग) सभी के लिए उन्नति के समान मार्ग खोलता।

(घ) राष्ट्र की रक्षा को प्राथमिकता देता।

(ङ) बेकारी की व्याधि का उपचार करता।

(च) भ्रष्टाचार को समाप्त करता।

(छ) महँगाई पर अंकुश लगाता।

(ज) साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करता।

(झ) सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु ग्राम-पंचायतों को अधिक अधिकार देता।

(3) उपसंहार—सारांश।

भारतीय गणतन्त्र की सर्वोच्च सत्ता प्रधान मंत्री में सन्निहित है, राष्ट्रपति में नहीं। शासन की बागडोर उसी के हाथ में रहती है। वही शासन की नीति निर्धारित करता है और उसे कार्यान्वित करता है। इस प्रकार प्रधान मंत्री राष्ट्र का उच्चतम अधिकारी है।

यदि मैं इस उच्च पद पर आसीन होता तो आर्थिक असमानता को यथा सम्भव कम करता। आज आर्थिक असमानता आकाश चूम रही है। एक ओर गरीबी का करुण-क्रन्दन है, तो दूसरी ओर वैभव का अट्टहास। एक ओर भुखमरी का रोमांचकारी दृश्य है, तो दूसरी ओर विलास का तांडव नृत्य। एक ओर अभाव का अखंड साम्राज्य है, तो दूसरी ओर सम्पन्नता का अथाह समुद्र। एक ओर शोषित मानवता कराह रही है,

तो दूसरी ओर पोषित दानवता किलोल कर रही है। एक ओर श्रम में शरीर होमने वालों के लिए गरमी, सरदी और बरसात से बचाने वाली पर्णशाला भी नहीं है, तो दूसरी ओर लक्ष्मी के लालों के लिए गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ हैं। एक ओर गरीबों के बच्चों के लिए दूध के दर्शन भी दुर्लभ हैं, तो दूसरी ओर धन-कुबेरों के बच्चों के लिए नहाने के लिए भी दूध की कमी नहीं। यह कैसी विषमता है। इस विषमता को कम करने के लिए मैं सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करता। निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति पर शासन का स्वामित्व होता। निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, आवास, निःशुल्क शिक्षा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराता। उनको ऋण भार से मुक्त करता। उन्हें महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कम सूद पर बैंकों से ऋण दिलवाता।

मैं सामाजिक भेदभाव का निराकरण करता। हिन्दू-समाज में हरिजनों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। उनको अस्पर्श्य समझा जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। वे उपेक्षित हैं, निरादृत हैं। मैं उनकी दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयास करता। उनके प्रति दुर्व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित करता। उनको विशेष सुविधायें प्रदान करता। गरीब हरिजन परिवारों को कृषि लिए कम से कम ढाई बीघा और आवास हेतु एक सौ पचास वर्गमीटर भूमि मुफ्त देने की व्यवस्था कराता। जो गरीब हरिजन कृषि के स्थान पर कोई उद्योग-धन्धा करता उसे बैंकों से अल्पकालीन ब्याज, रहित ऋण दिलवाने की व्यवस्था कराता। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता। दहेज एवं बाल-विवाह की कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्यवाही करता। मैं राष्ट्र के सभी वर्गों के लिए उन्नति के समान मार्ग खोलता। पक्षपात एवं सिफारिश के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को वरीयता न देकर मेधावी एवं सक्षम व्यक्तियों को उन्नति के मार्ग में न पिछड़ने देता। आज अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्तियों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। योग्यता की कद्र नहीं है। प्रतिभा सिर धुन रही है। अन्याय पनप रहा है। इससे राष्ट्र खोखला होता जा रहा है। उत्कृष्टता की मान्यता लोकतन्त्र की प्रथम आवश्यकता है। अतः इसमें आड़े आने वाले तत्वों का दमन करता। इसके अतिरिक्त अन्धे, बहरे, लूले, लंगड़े आदि अपंग-विकलांग व्यक्तियों को जीविकोपार्जन योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षणालयों की स्थापना कराता, जिससे वे पराश्रित नहीं रहते। उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी कराता।

मैं राष्ट्र की रक्षा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता। सेना को नवीनतम अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित करता। आणविक अस्त्रों के निर्माण आवश्यकता होने परहेतु भी परमाणु शक्ति का उपयोग करता। सैनिकों की संख्या में वृद्धि करता, क्योंकि देश में आवश्यकतानुसार उनकी संख्या कम है। तटस्थता की नीति का पालन करता और पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले राष्ट्रों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करता। आतंकवाद द्वारा देश को विखण्डित करने के षड़यन्त्र को कुचल डालता।

देश आज बेरोजगारी, बेकारी की महाव्याधि से पीड़ित है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं, जो अपनी जीविका स्वयं नहीं उपार्जित कर सकते। कुटीर हस्त-उद्योगों की उपेक्षा इसका प्रमुख कारण है। प्राचीनकाल में हमारे देश में हस्त-उद्योगों का जाल फैला हुआ था। प्रत्येक घर में कोई-न-कोई उद्योग होता था। मशीनों ने उनका गला घोंट दिया है। मैं उनका पुनरुद्धार करता, बेकार व्यक्तियों को उनका प्रशिक्षण देने के लिए विकास खण्डों के मुख्यालयों पर प्रशिक्षणालयों की स्थापना की व्यवस्था कराता और प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने स्वतन्त्र व्यवसाय हेतु बैंकों से अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण दिलवाता। उनके द्वारा उत्पादित

वस्तुओं के क्रय-विक्रय की व्यवस्था कराता और उन्हें मशीनों की प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करता। भविष्य में शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी के उपचार हेतु शिक्षा को रोजगार-परक बनाता। विश्वविद्यालय के द्वारा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए खुलवाता जो उनमें प्रवेश के पात्र होते। 'प्रत्येक हाथ के लिए काम और प्रत्येक मुँह के लिए रोटी' मेरा नारा होता।

मैं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु युद्ध-स्तरीय अभियान छेड़ता। गुप्तचरों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों एवं व्यापारियों का पता लगवाता और उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करता। आज भ्रष्टाचार ने न्याय को क्रय कर लिया है, प्रशासन को पंगु कर दिया है, योग्यता को पद दलित कर दिया है और खाद्य-पदार्थों को विषाक्त कर दिया है। मैं उसका कड़ाई के साथ दमन करता।

सुरसा के वदन की भाँति बढ़ती हुई महँगाई को रोकथाम के लिए मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाता। मूल्य-नियन्त्रण तथा वितरण-व्यवस्था में सुचारुता का समावेश कराता। कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी उत्पादन-वृद्धि के लिए विशेष प्रयास कराता। आज महँगाई के प्रहार से जन-जन कराह रहा है। उसकी छत्रछाया में गरीबी अट्टहास कर रही है और दरिद्रों का खून चूस रही है।

साम्प्रदायिकता हमारे देश के लिए अभिशाप बनी हुई है। इसके मूलोच्छेदन हेतु कारगर कदम उठाता। साम्प्रदायिकता का विष-बीज वपन करने वालों को कठोर दण्ड दिलाने की व्यवस्था करता। धार्मिक उन्माद में साम्प्रदायिक दंगा कराने वाले नर-पिशाचों के लिए मैं मृत्यु दण्ड का कानून बनाता।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु ग्राम-पंचायतों को अधिक अधिकार देता। आज वे निष्क्रिय हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में विकास के लिए और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु उनको यथोचित अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वित्तीय अधिकार से तो वे पूर्णतः वंचित हैं। इस कमी को पूर्ति करता और पंचवर्षीय विकास योजनाओं में उनका सहयोग प्राप्त करता। गांधीजी के ग्राम-स्वराज्य के स्वप्न को साकार बनाने की चेष्टा करता।

इस प्रकार राष्ट्रोत्थान एवं जन-कल्याण के लिए मैं आजीवन प्रयास करता। प्रधान मंत्री जन-जन का प्रतिनिधि होता है। अतः मैं जन-सेवा के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने में अपने पद की गरिमा समझता। शोषितों एवं पीड़ितों की दयनीय दशा मेरे हृदय को स्पन्दित करती। रोते हुए के आँसू पोंछने में, भूख से बिलबिलाते हुए को रोटी देने में, ठण्ड से ठिठुरते हुए का तन ढकने में तथा आहतों-पीड़ितों की पीड़ा हरने में मैं अपने जीवन की सार्थकता समझता। इस प्रकार राष्ट्र-कल्याण हेतु समर्पित अपने जीवन द्वारा मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के लोकतन्त्र के आदर्श 'रामराज्य' तथा ग्राम-स्वराज्य के सपनों को साकार बनाने में जुटा रहता।

(20) हमारी सामाजिक कुरीतियाँ

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—हमारे समाज की वर्तमान दशा

(2) हमारी प्रमुख सामाजिक कुरीतियाँ

(क) नारी-सम्बन्धी (ख) हरिजन-सम्बन्धी

(ग) जाति-पाँति-सम्बन्धी (घ) विवाह-सम्बन्धी

(3) राष्ट्र का अहित

(4) उपसंहार—सुधार का संदेश

"हिन्दू-समाज सभी गुणों से,
आज कैसा हीन है ?"

इन शब्दों में राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दू-समाज की वर्तमान दशा के प्रति खिन्नता प्रकट की है। निःसन्देह आज हमारा समाज बहुत गिरा हुआ है। अनेक कुरीतियों ने इसे जर्जरित कर रखा है। अनेक कुप्रथाओं ने इसे अपंग बना दिया है।

हमारी एक प्रमुख कुरीति नारी-सम्बन्धी है। यद्यपि देश को स्वतन्त्र हुए चालीस से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तथापि अभी तक नारी की दयनीय स्थिति पूर्णतया नहीं सुधरी है। उसकी करुण दशा से द्रवित राष्ट्रकवि का हृदय निम्नांकित शब्दों में मुखरित हो उठा—

"अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी॥"

आज भी नारी को नर के समान अधिकार नहीं प्राप्त हैं। आज के समाज में उसका स्तर नर के समान नहीं है। आज भी वह नर के अत्याचारों से कराह रही है दहेज-दानव न जाने कितनी अबलाओं को प्रति वर्ष निगल जाता है। पति की यातनाओं से ऊबकर न जाने कितनी असहाय अबलाएँ आत्महत्या कर लेती हैं। किशोरियों का गठ-बन्धन जीवन के अन्तिम चरण में प्रविष्ट बूढ़ों के साथ कर दिया जाता है, जिससे वे आजीवन कष्ट भोगती हैं। विधवा होने पर समाज उनका तिरस्कार करता है। उनको पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित कर रखा है, जब कि पुरुषों को यह अधिकार पत्नी के जीवित रहने पर भी प्राप्त है। कैसा है यह घोर अन्याय! नारी को नर के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी समाज ने नहीं प्रदान किया है। तभी तो स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के प्रतिशत का तिहाई है। बालिका के जन्म को अभिशाप समझा जाता है। यहाँ तक कि कुछ दम्पति लिंग-परीक्षण कराके गर्भस्थ बालिका की हत्या गर्भ-पात द्वारा करते हैं। कितना जघन्य अपराध है यह ! इस प्रकार नारी आज भी सामाजिक अत्याचारों का शिकार है। त्याग की सजीव मूर्ति, सेवा का साक्षात स्वरूप नारी कब तक पददलित रहेगी ?

हमारे समाज में हरिजनों की भी दशा असंतोषजनक है। आज भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। मेहतर को स्पर्श करने में आज भी लोग नाक-भौं सिकोड़ते हैं। भक्ष्याभक्ष्य खाने वाले, सुरापान करने वाले, वेश्यागामी ब्राह्मण को स्पर्श करने में हमें आपत्ति नहीं होती। फिर मेहतर को स्पर्श करने में आपत्ति क्यों ? यद्यपि कानून की दृष्टि से अस्पृश्यता दण्डनीय अपराध है, परन्तु समाज इसे बुरा नहीं समझता। मन्दिरों में प्रवेश करने, कुओं से जल लेने, विद्यालयों में साथ-साथ पढ़ने तथा धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने पर हरिजनों के लिए प्रतिबन्ध है। कुछ दिन पूर्व नाथद्वारा के श्री नाथ मन्दिर में हरिजन-प्रवेश को रोका गया था। कब तक बेचारे हरिजन दुर्व्यवहार की चक्की में पिसते रहेंगे ?

हमारे समाज की अन्य कुरीति जाति-पाँति-सम्बन्धी है। आज अनेक जातियाँ बन गयी हैं। जैसे-लुहार, कुम्हार, बढ़ई आदि जातियाँ व्यवसायों ने बना दी हैं। इस प्रकार जाति-पाँति ने हमारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण कर दिया है। अधिकांश लोग जिस

जाति के हैं उसी के हित की कामना करते हैं और उसी के हित में सदा लगे रहते हैं। जाति की संकुचित परिधि से बाहर निकलकर सार्वजनिक हित का कोई काम नहीं करना चाहते। यह संकीर्णता राष्ट्रीय एकता में बाधक बन रही है। —सचमुच

"जाति-पाँति तो भेदभाव की उठी भीत है।
मानवता के लिए एकता मधुर गीत है॥"

आज जाति-प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। इसी में राष्ट्र का हित है।

हमारे समाज में कई वैवाहिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। बालविवाह को ही लीजिए। यद्यपि अठारह वर्ष से कम अवस्था की लड़की का विवाह कानून द्वारा वर्जित है, तथापि समाज इस कानून की उपेक्षा कर रहा है। धड़ल्ले से बाल-विवाह सम्पन्न हो रहे हैं। कतिपय पिछड़ी हुई जातियों में तो जन्म से पहले ही विवाह पक्के कर दिये जाते हैं। वृद्ध-विवाह भी बुरी प्रथा है। बुड्ढे के साथ विवाहित युवती का जीवन सदा दुःखी रहता है। विधवा होने पर उसके लिए संसार सूना हो जाता है। समाज उस अबला का तिरस्कार करता है और उस बेचारी का जीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है। दहेज अन्य वैवाहिक कुरीति है, जिसके कारण अनेक अभागी किशोरियों का जीवन-कुसुम मुरझा जाता है अथवा उन्हें अकाल ही काल का ग्रास बनना पड़ता है। वे स्वयं ऊबकर अपना प्राणान्त कर लेती हैं अथवा पति, सास, ननद आदि ससुराल वालों द्वारा उसकी जीवन-लीला समाप्त कर दी जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त है, जिससे राष्ट्र का भी बड़ा अहित हो रहा है। जब माताएँ अशिक्षित होंगी, जब गृहणियाँ घर के घेरे में बन्द रहेंगी, जब पत्नियाँ पंगु होंगी तब राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? जब राष्ट्र का अर्द्धांगङ अपंग होगा, तब वह कैसे विकसित होगा? वास्तव में नर और नारी, पति और पत्नी, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर जीवन की इकाई हैं। राष्ट्र-कल्याण के लिए दोनों सक्षम, समर्थ एवं योग्य होने चाहिए। राष्ट्रोत्थान के लिए हरिजनों का, दलित वर्ग का उद्धार नितान्त आवश्यक है। जब तक समाज में हरिजनों के प्रति भेदभाव समाप्त नहीं होगा, जब तक उन्हें निम्न समझा जायगा तब तक राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकेगा। जाति-पाँति का भेद-भाव भी राष्ट्रीय प्रगति में बाधक है। इस रोड़े को भी हटाना होगा।

हर्ष की बात है कि चिर काल से गहरी निद्रा में निमग्न हमारा समाज अब करवट बदल रहा है। पर प्रभात होने पर भी, बालसूर्य की स्वर्णिम रश्मियों की रंगरेलियाँ आरम्भ होने पर भी, वह अभी उठकर खड़ा नहीं हुआ है। वर्तमान समय की पुकार उसके कर्ण-कुहरों में निम्नांकित मधुर स्वर प्रविष्ट करा रही है, नव-जागरण का संदेश भर रही है—

"जाग मुसाफिर भोर भयो,
अब रैन कहाँ जो सोवत है?
जो सोवत है सो खोवत है,
जो जागत है सो पावत है।"

(21) जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण अथवा परिवार-नियोजन

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—जनसंख्या-वृद्धि को समस्या।

(2) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के दुष्परिणाम—
  (क) भोजन वस्त्र की कमी (ख) बेरोजगारी में वृद्धि (ग) गरीबी में वृद्धि (घ) महँगाई (ङ) राष्ट्र के विकास पर कुप्रभाव।

(3) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की समस्या के समाधान के उपाय
  (क) त्वरित (ख) दीर्घकालीन (विवाह की न्यूनतम अवस्था में वृद्धि, बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध)

(4) अवरोधक तत्व (क) अशिक्षा (ख) भाग्यवाद (ग) धार्मिकता

(5) उपसंहार—सरकार द्वारा प्रयास।

हमारा देश जिन ज्वलन्त समस्याओं से जूझ रहा है, जिन ज्वलन्त समस्याओं से त्रस्त हो रहा है उनमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की समस्या भी एक है। यों तो सारे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, पर हमारे देश में इसकी गति तीव्र है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त हमारे देश की जनसख्या दुगुनी से भी अधिक हो गयो है। आज यह लगभग अस्सी करोड़ है। यदि इसी प्रकार वृद्धि होती रही, तो वर्तमान शताब्दी के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या एक अरब हो जायगी और यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। अतः जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने की, परिवार-नियोजन की नितान्त आवश्यकता है।

जनसंख्या-वृद्धि के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। भोजन-वस्त्र-आवास सम्बन्धी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। विकास-योजनाओं द्वारा जितने अधिक लोगों को प्रति वर्ष भोजन, वस्त्र और आवास को सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं उनसे कहीं अधिक लोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः खाद्यान्न, वस्त्र तथा आवास को न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं और इनकी सदा कमी बनी रहती है।

जनसंख्या-वृद्धि से बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। प्रति वर्ष जितने बेरोजगारों को काम देने की व्यवस्था की जाती है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उनसे कहीं अधिक बेरोजगार बढ़ जाते हैं।

देश में विकास—योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का भरसक प्रयास करने पर भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण गरीबी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है।

वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि का प्रमुख कारण उत्पादन की तुलना में माँग का आधिक्य है। हमारे देश में यद्यपि विकास-योजनाओं के फलस्वरूप कृषि एवं उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण माँग पूरी नहीं हो पाती। अतः महँगाई बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या मे तीव्र वृद्धि हमारे देश के विकास में सबसे अधिक बाधक है। इसी अभिशाप के कारण देश की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है। इसने उपर्युक्त ऐसी विकट समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जो विकास के प्रयासों तथा परिणामों को मटियामेट कर रही हैं। हमारी प्रगति रेत की दीवार के समान सिद्ध हो रही है, जिसे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि-रूपी बाढ़ गिराकर नष्ट कर रही है।

अतः जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए, जनसंख्या की तीव्र द्धि के अभिशाप से मुक्त होने के लिए हमें प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। ये पाय दो प्रकार के होंगे — त्वरित और दीर्घकालीन। त्वरित उपायों में परिवार-नियोजन साधनों जैसे – आपरेशन, लूप, नसबंदी, कॉपर टी, निरोध आदि को अपनाना होगा ौर दो बच्चों से, अधिक सन्तान पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। दीर्घकालीन उपायों में विवाह ी न्यूनतम अवस्था में वृद्धि, बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध आदि की व्यवस्था करनी होगी। द्यपि विवाह की न्यूनतम अवस्था लड़के के लिये इक्कीस वर्ष तथा लड़की के लिये अठारह वर्ष ानून द्वारा निर्धारित है, तथापि समाज इस कानून को मान्यता नहीं दे रहा है। इसी प्रकार ाल विवाह भी कानून द्वारा वर्जित है। पर समाज में यह बुराई प्रचलित है। आवश्यकता स बात की है कि इनसे सम्बन्धित कानून का कड़ाई से पालन कराया जाय। अच्छा तो यह ो कि विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम अवस्था तीन वर्ष और बढ़ायी जाय। समाज की रम्परा अथवा धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बाल-विवाह की छूट न दी जाय। मारे देश की कतिपय अविकसित पिछड़ी जातियों में तो जन्म से पहले ही बालक-ालिकाओं की सगाई कर दी जाती है। कितनी निकृष्ट है यह प्रथा ! इसका उन्मूलन होना ाहिए। इन दीर्घकालीन साधनों से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर अंकुश लगेगा, क्योंकि म अवस्था में प्रजनन न हो सकेगा और स्त्रियों की प्रजनन-अवधि कम हो जायगी।

जनसंख्या-वृद्धि के नियंत्रण में कतिपय तत्व बाधक हैं। सबसे बड़ा अवरोधक तत्व अशिक्षा। अशिक्षा के कारण ही लोगों में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियाँ नपती हैं और वे अधिक सन्तान के दुष्परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं। विशेषतः शिक्षित स्त्रियाँ अधिक सन्तान उत्पन्न करती हैं। अतः स्त्री-शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार ी अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता है। ग्रामीण जनता में शिक्षा का प्रकाश प्रसारित किया ाय, क्योंकि वह अभी तक अशिक्षा के अंधकार में डूबी हुई हैं।

अन्य अवरोधक तत्व है भाग्यवाद। सन्तानोत्पत्ति को भाग्य से जोड़ दिया गया है। सी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के भाग्य में विधाता ने जितने बच्चे लिख दिये हैं उस व्यक्ति उतने ही बच्चे पैदा होंगे और प्रत्येक बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। यह अंध-वश्वास है, जिसका निवारण होना चाहिए। वास्तव में सन्तानोत्पत्ति का भाग्य से कोई म्बन्ध नहीं है। यह तो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर है। वह चाहे जितने बच्चे उत्पन्न करे। कर क्यों न कम बच्चे उत्पन्न किये जायं, जिनका पालन-पोषण सुचारुतापूर्वक किया जा के ? 'हम दो, हमारे दो'' के आदर्श को क्यों न अपनाया जाय ? क्यों न परिवार को छोटा खा जाय ?

धार्मिकता अन्य अवरोधक तत्व है। किसी-किसी धर्मानुसार सन्तानोत्पत्ति को प्रति-न्धित करना बुरा समझा जाता है। अतः वे धर्मावलम्बी परिवार-नियोजन द्वारा परिवार ीमित करने की सलाह नहीं मानते। वास्तव में सन्तानोत्पत्ति का धर्म से कोई सम्बन्ध हीं है। धार्मिक सिद्धान्तों में इसका समावेश पाखंड या ढकोसला है। अतः उन्हें विवेक काम लेना चाहिए और परिवार-नियोजन की कल्याणकारी योजना अपनानी चाहिए। ससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि कम बच्चे होंगे तो उनकी क्षा-दीक्षा, पालन-पोषण का कार्य कम व्यय में सम्पन्न हो सकेगा।

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरकार सचेष्ट है। परिवार-नियोजन ार्यक्रम अभियान-रूप में चलाया जा रहा है। करोड़ों रुपये प्रति वर्ष व्यय किये जा रहे हैं। ापरेशन और नसबन्दी की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। आपरेशन और नसबन्दी राने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रलोभन दिये जाते हैं। पुरस्कृत किया जाता है।

टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा आदि प्रचार-माध्यमों से परिवार-नियोजन के लाभ जन-जन तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। निःसंदेह परिवार-नियोजन हमारे गरीब देश के लिए वरदान-स्वरूप है । इससे परिवार का तो हित होगा ही, राष्ट्र का आर्थिक विकास भी होगा, राष्ट्र के समृद्ध एवं सम्पन्न होने में सहायता मिलेगी । अतः हमें निम्नांकित पंक्तियों में मुखरित स्वर जन-जन तक पहुँचाना चाहिए—

"सुखमय जीवन का यह सार ।
दो बच्चों का हो परिवार ।"

(22) पर्यावरण प्रदूषण एवं उसकी रोकथाम

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—औद्योगिक प्रगति का दुष्परिणाम
(2) पर्यावरण—प्रदूषण के विविध रूप—
(क) वायु-प्रदूषण (ख) जल-प्रदूषण (ग) भूमि-प्रदूषण (घ) ध्वनि-प्रदूषण
(3) पर्यावरण-प्रदूषण से हानियाँ ।
(4) पर्यावरण—प्रदूषण की रोकथाम के उपाय—
(क) वायु-प्रदूषण हेतु (ख) जल-प्रदूषण हेतु (ग) भूमि-प्रदूषण हेतु (घ) ध्वनि-प्रदूषण हेतु

"हाय ! वायु जल हुए प्रदूषित,
अब हम कैसे स्वस्थ रहें ?"

सचमुच पर्यावरण-प्रदूषण ने स्वास्थ्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है । वैज्ञानिक प्रगति जहाँ एक ओर विश्व को अधिकाधिक समृद्धि एवं विकास की ओर अग्रसर कर रही है, वहाँ दूसरी ओर वह मानव के लिए अभिशाप भी बनती जा रही है । शहरीकरण तथा उद्योगीकरण की द्रुतगति मानव-जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रही है । उसने पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी है । उसने मानव की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले वायु एवं जल के नैसर्गिक भंडारों को यहाँ तक प्रदूषित कर दिया है कि अब मानव-जीवन संकट-ग्रस्त हो गया है । नगरीय विस्तार के लिए नयी-नयी कॉलोनियों की स्थापना हेतु वनों की अन्धाधुंध कटाई हो रही है, जिससे प्राकृतिक संतुलन-बिगड़ गया है । सृष्टि में जड़ एवं चेतन सभी वस्तुएँ एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना हुआ है। उदाहरण के लिए पेड़-पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं । पेड़ों की कटाई से यह संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण की समस्या उठ खड़ी हुई हैं ।

पर्यावरण-प्रदूषण के प्रमुख रूप चार हैं—वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, भूमि-प्रदूषण और ध्वनि-प्रदूषण । ऑटोमोबाइलों का बढ़ता हुआ प्रयोग, कारखानों की चिमनिओं से निकलता हुआ धुआँ, परमाणु परीक्षणों की विषैली गैस, रेलों-बसों-ट्रकों से निकलता हुआ धुआँ आदि वायु-प्रदूषण के जन्मदाता हैं ।

नाले-नालियों की गंदगी, शव-प्रवाह, सीवरों का मल-मूत्र, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक प्रवाह, कीटाणुनाशक दवाइयाँ, घरेलू अपमार्जन (detergents) नदियों और तालाबों में पहुँचकर जल का प्रदूषण करते हैं । इनसे मिट्टी के अपघटकों (जैसे केंचुए आदि)

की मृत्यु हो जाती है, जिससे भूमि का प्रदूषण होता है। परमाणु-परीक्षणों के फलस्वरूप उत्पन्न रेडियोधर्मी पद्धार्थ भी भूमि का प्रदूषण करते हैं। रेल, वायुयान, ट्रेक्टर आदि वाहनों, कारखानों के साइरनों, मशीनों, लाउडस्पोकरों आदिकी तीव्रध्वनि से वायु-प्रदूषण होता है।

पर्यावरण-प्रदूषण से अनेक हानियाँ हैं। वायु-प्रदूषण से वायुमंडल में कार्बन-डाई आक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और सल्फर डाई-आक्साइड भी पहुँच जाती है जिससे शरीर में श्वसन-सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल-प्रदूषण से गंगाजी, यमुनाजी जैसी पवित्र नदियों का जल भी दूषित हो गया है, जिसका प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। भूमि-प्रदूषण से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जीव-जन्तु मर जाते हैं और उसकी उत्पादन-क्षमता का ह्रास होता है। ध्वनि-प्रदूषण से मनुष्य की श्रवण-क्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। नींद ठीक नहीं आती। शोरगुल से, कोलाहल से मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है।

प्रश्न उठता है कि पर्यावरण-प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाय? कैसे इस महाव्याधि से पिंड छुड़ाया जाय? वायु-प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऑटोमोबाइलों का प्रयोग कम किया जाय, कूड़े के ढेरों को जला दिया जाय अथवा खाद में परिवर्तित कर दिया जाय, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का प्रयोग किया जाय और लकड़ी, कोयला के प्रयोग में कमी की जाय। अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जायँ। औद्योगिक संस्थानों की स्थापना बस्ती से दूर की जाय।

जल-प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहितमल (Sewage) बस्ती से दूर नदियों में गिराया जाय और उसका भौतिक तथा जैविक शुद्धीकरण किया जाय। अपमार्जकों का कम प्रयोग किया जाय। औद्योगिक अवशिष्ट नदियों में न प्रवाहित किये जाँय। गंदे पानी की नालियों के भूमिगत प्रवाह की व्यवस्था की जाय।

भूमि-प्रदूषण की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाइयों तथा अपतृणनाशी पदार्थों (weedicides) का कम से कम प्रयोग किया जाय।

ध्वनि-प्रदूषण की रोकथाम के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग कम किया जाय और चिकित्सालयों के निकट कम से कम ध्वनि की जाय। वाहनों का शोर तकनीक की सहायता से नियंत्रित किया जाय।

वैज्ञानिकों का यह परम कर्तव्य है। कि वे पर्यावरण-प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर साधनों की खोज करें। आज प्रदूषण की समस्या मानव-जीवन को चुनौती दे रही है। यह कैसी बिडम्बना है कि अनेक क्षेत्रों में बिलक्षण प्रगति करने वाला मानव आज स्वयं विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है! भोग-प्रधान सभ्यता की अंधी दौड़ में मानव स्वयं अपने लिए खाई खोदता जा रहा है, प्रकृतिद्वाराप्रदत्त अनुपम उपहारों को दूषित कर रहा है। यदि प्रदूषण-दानव का दमन न हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी के अनेक लोग बहरे, अंधे और क्षय-रोग-ग्रस्त हो जायँगे। कैंसर से भी अधिक अनेक प्राणघातक रोग उत्पन्न होते जायँगे, जिनसे बचना असंभव हो जायगा। हर्ष की बात है कि हमारी सरकार ने गंगाजी और यमुनाजी के जल की पवित्रता कायम रखने के लिए शुद्धीकरण-कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसके अनुसार इन नदियों में प्रदूषणकारी पदार्थ डालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सचमुच मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषण से बचाने से ही मानव की जीवन-रक्षा हो सकती है, क्योंकि—

"मिट्टी पानी और बयार, हैं ये जीवन के आधार।"

(23) हमारे देश की वन-सम्पदा अथवा जीवन में वन

अथवा

वन-महोत्सव

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—जीवन में वृक्षों का महत्व

(2) वनों की प्रमुख उपयोगिताएँ—

(क) वायु शुद्धि (ख) वर्षा के कारण (ग) जड़ी-बूटियों की उपलब्धि (घ) फर्नीचर, भवन-निर्माण एवं ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति (ङ) रेगिस्तान की रोक-थाम (च) भूमि के कटाव की रोक (छ) बाढ़-नियंत्रण

(3) वनों की कटाई के दुष्टपरिणाम

(4) उपसंहार—वन-रक्षार्थ प्रयास

अतीतकाल से प्रकृति मानव की सहचरी रही है। मानव प्रकृति की गोद मे जन्मा और बड़ा हुआ। यहाँ तक कि जीवन-निर्वाह के लिए भी उसी के आश्रित रहा। वृक्षों की छाल व पत्ते उसके वस्त्र व कंद-मूल-फल उसके भोजन थे। वह वृक्षों के ऊपर रहता था और प्रकृति के सौंदर्य से मनोरंजन करता था। हमारी संस्कृति में जो सुन्दरतम एवं श्रेष्ठतम है उसका उद्भव वनों में हुआ था। इसकी आधार-शिला सुविस्तृत काननों के मध्य निर्मल जलाशयों से सुशोभित तथा तरु-लतादि से परिवेष्टित आश्रमों में रखी गयी थी। इस प्रकार हम वनों के चिर ऋणी हैं। सचमुच "Forests are the green gold of the country." अर्थात् वन देश के हरित स्वर्ण हैं।

वनों की अनेक उपयोगिताएँ हैं। वृक्षों से अनेक लाभ हैं। ये प्रकाश-संश्लेषण क्रिया में वायुमण्डल से कार्बन-डाई-ऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसे आक्सीजन प्रदान करते हैं। जीवधारी श्वसन-क्रिया में कार्बन-डाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं जो वायु को दूषित करती है। वृक्षों द्वारा कार्बन-डाई-ऑक्साइड के प्रयोग के कारण वायु-प्रदूषण रुकता है। कारखानों की चिमनियों का धुआँ भी कार्बन-डाई-ऑक्साइड के कारण वायु-को दूषित करता रहता है। वृक्ष इसे भी रोकते हैं। इस प्रकार ये वायु की शुद्धता की रक्षा करते हैं और मानव-समाज का बड़ा उपकार करते हैं, क्योंकि अशुद्ध वायु को श्वसन क्रिया में ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं।

वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। वृक्षों की पत्तियों से वायुमण्डल को प्रचुर मात्रा में वाष्प प्राप्त होती रहती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है और वह बरसाती बादलों को ठंडा कर देती है। अतः उनसे जल-वृष्टि होने लगती है। यही कारण है कि वन्य क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है।

वन हमें अनेक जड़ी-बूटियाँ प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग औषधियाँ बनाने में होता है, जो रोगों का उपचार करती हैं। पेड़ों की जड़ें, पत्ते, तने, फूल एवं फल सभी अंगों से औषधियाँ बनाई जाती हैं। कुनैन, मॉरफीन, एकोनाइट, बेलाडोना, नक्स वोमिका, कोकेन आदि अनेक औषधियों के जनक वृक्ष ही हैं।

वनों से हमें फर्नीचर, भवन-निर्माण तथा ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। शीशम और सागौन की लकड़ी से मेजें, कुर्सियाँ, रेल के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ आदि का निर्माण किया जाता है। साल की लकड़ी मकानों के शहतीर, चौखट, रेलवे स्लीपर, पुल आदि के निर्माण में काम आती है। देवदार तथा चीड़ की लकड़ी से पैकिंग केस आदि बनते हैं। लकड़ी का कोयला और बबूल, धव आदि की लकड़ी घरों में जलाने के काम आती है।

वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। तेज आँधियों को रोककर, वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों से बांधकर रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण रखते हैं।

वन भूमि-कटाव को कम करते हैं। वर्षा के समय वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहने के कारण उसे जल -प्रवाह में बहने नहीं देतीं। इससे भूमि का कटाव रुकता है और उपजाऊ मिटटी बहकर नदियों में नहीं पहुँच पाती। इस प्रकार वनों से मिट्टी के कटाव के साथ-साथ उसकी उर्वरा-शक्ति की भी रक्षा होतीं है।

वनों से बाढ़-नियंत्रण में सहायता मिलती है। भूमि कटाव न होने के कारण मिट्टी बहकर नदियों में नहीं पहुँचती और उनकी तलहटी को उथला नहीं बनाती। अतः नदियों के जल-भराव की शक्ति कम नहीं होती और वर्षा के समय वे जल को बाहर नहीं निकलने देतीं। वृक्षों की जड़ें वर्षा के जल को सोखती भी हैं। इस प्रकार वन बाढ़ को नियन्त्रित करते हैं।

इतने उपयोगी वनों को हम आज नष्ट कर रहे हैं। आवास की समस्या के समाधान हेतु नगरों में नई-नई कॉलोनियाँ कायम की जा रही हैं। औद्योगिक विकास हेतु नये-नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इसके लिए वनों की अन्धाधुन्ध कटाई करके भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार स्वार्थ-लिप्त मानव अपनी आदिम सहचरी प्रकृति पर कुठाराघात कर रहा है, उसके उपकारों को विस्मृत करके कृतघ्न सिद्ध हो रहा है। पर इस कुप्रयास से वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, प्रकृति का तो इससे बाल भी बाँका नही हो रहा है। आज मानव स्वयं शुद्ध वायु से वंचित होता जा रहा है, क्योंकि वह कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुँए से घिर रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। वह स्वयं सूखा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित कर रहा है, जिनकी विभीषिकाओं से चारों ओर त्राहि-त्राहि मच रही है, जन-धन की अपार क्षति हो रही है।

अब वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप हो रहे प्राकृतिक प्रकोपों से घबराकर मानव की आँखें खुली हैं। वह अपनी गलती महसूस कर रहा है। अतः सरकार द्वारा 'वन-महोत्सव' की आयोजना की जा रही है। प्रतिवर्ष वर्षा-ऋतु में वन-महोत्सव मनाया जाता है, जिसके अन्तर्गत गाँव-गाँव और नगर-नगर में नहरों, सड़कों, रेलवे-लाइनों आदि के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसका उद्देश्य वन-क्षेत्र में वृद्धि तथा जनता में वृक्ष लगाने का शौक पैदा करना है। इसके अतिरिक्त हरे वृक्षों की कटाई पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस प्रकार सरकार वनों के विकास एवं रक्षा के लिये व्यापक प्रयत्न कर रही है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण अभियान में सरकार को पूर्ण सहयोग दें और वन-विनाश से हो रही हानियों से अपनी रक्षा करें। वन हमें अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। इन्होंने अपना जीवन मानव-सेवा पर निछावर कर दिया है। इसके उपकारों से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। सचमुच ये हमारे जीवन-आधार हैं, जैसा कि निम्नांकित उक्ति से व्यक्त है—

"वन देते हमको उपहार।
मिट्टी, पानी और बयार।
जो जीवन के हैं आधार॥"

(24) विज्ञान और विश्वशान्ति

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—विज्ञान का व्यापक प्रभुत्व ।

(2) विज्ञान द्वारा विश्व-अशांति ।

(क) विध्वंसात्मक अस्त्र (ख) आर्थिक असमानता (ग) विलास-उपकरण एवं भौतिकता ।

(3) विश्व-शांति के उपाय—

(क) परमाणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग (ख) मशीनीकरण पर नियंत्रण (ग) निरस्त्रीकरण

(4) उपसंहार-सारांश

आज विश्व में विज्ञान की विजय पताका फहरा रही है। इसकी विजय-दुन्दुभी से सारा संसार प्रतिध्वनित हो रहा है। यह छलाँग मारकर चन्द्रलोक पहुँच गया है, ऊँचे से ऊँचा पर्वत लाँघ चुका है, गहरे से गहरा समुद्र नाप चुका है। इसने अंधों को नेत्र दिये हैं, लंगड़ों को टाँगें और बहरों को सुनने की शक्ति। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है। मानव को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे वह घर बैठे ही संसार में कहाँ क्या हो रहा है, यह देख सकता है। मानव को शिवजी के तीसरे नेत्र के समान परमाणु-शक्ति प्रदान की है, जिससे वह पलक मारते-मारते प्रलय कर सकता है। विज्ञान ज्योतिषी की भाँति तूफान, चक्रवात, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करता है। इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। विश्व को जहाँ उन्नति की चरमसीमा पर पहुँचा दिया है, वहाँ उसको विनाश के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ जीवन में सरसता का संचार किया है, वहाँ कटुता का समावेश भी किया है।

आज विज्ञान ने विश्व की शांति भंग कर दी है। इसने मानव को एक से एक अधिक घातक अस्त्र प्रदान किये हैं, जिनका प्रयोग करके वह अपने निर्बल भाइयों को कुचल रहा है, उनको आतंकित कर रहा है। आर्थिक प्रतिद्वन्द्वता एवं साम्राज्य-विस्तार की नीति के कारण आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पना चाहता है, एक राष्ट्र दूसरे से शत्रुता कर रहा है। युद्ध-प्रवृत्ति बढ़ रही है। परमाणु-अस्त्रों के प्रसार ने विश्व-शाँति को खतरा उत्पन्न कर दिया है। इससे आतंकित होकर प्रत्येक राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए परमाणु अस्त्र-निर्माण के प्रयास में संलग्न है। अस्त्रीकरण की होड़ लगी हुई है। इस पर अनाप-शनाप धन व्यय हो रहा है। रूस और अमरीका अधिक से अधिक खतरनाक अस्त्रों का निर्माण करके एक दूसरे को मात देने, एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे हैं। उद्जन बम का भी आविष्कार हो गया है, जिसकी संहार-शक्ति परमाणु बम से सौगुनी बतायी जाती है। इन प्रलंयकारी अस्त्रों ने विश्व-शाति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है, मानवता को चुनौती दी है। परमाणु बम के केवल एक बार के प्रयोग ने संसार में तहलका मचा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों में इसके प्रयोग से जो विध्वंसलीला हुई वह लोमहर्षक थी। वहाँ की लाखों नर-नारियाँ, विशाल अट्टालिकाएँ, भव्य प्रासाद, लहलहाते हुए खेत और सुन्दर उद्यान क्षण भर में लापता हो गये। माताओं की गोदियों में किलकारी मारते हुए बच्चे सदैव के लिए सो गये। इन विभीषिकाओं से चारों ओर हा-हाकार मच गया।

विज्ञान ने आर्थिक असमानता एवं बेरोजगारी द्वारा भी विश्व में अशान्ति को जन्म दिया है। विज्ञान द्वारा औद्योगिक मशीनीकरण हुआ है, जिससे जन-जन का पैसा खिंच-खिंचकर उद्योगपतियों की तिजोरियों में पहुँच गया है और उन्हें पूँजीपति बना दिया है। इस प्रकार धन के केन्द्रीकरण मे जन-साधरण एवं उद्योगपतियों में आँर्थिक असमानता पैदा हुई है। एक गरीब व दूसरा अमोर बन गया है। इससे समाज में अशान्ति फैली है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक मशीनीकरण से बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। एक मशीन सैकड़ों दस्तकारों के बराबर कार्य करके उन्हें जीविका से वंचित कर रही है। यही कारण है कि अब गाँवों में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, रंगरेज, छीपी, जुलाहे आदि दस्तकारों के दर्शन नहीं होते। उनकी हस्तकला मशीनों ने छीन ली है, जिससे वे बेरोजगार हो गये हैं। विवश होकर कुछ खेतों में अल्पकालीन मजदूरी करते हैं और कुछ रोजी-रोटी की तलाश में नगरों को पलायन कर गये हैं। इस प्रकार उनमें गरीबी के कारण अशांति व्याप्त है। आर्थिक असमानता के फलस्वरूप पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवादी आन्दोलन पनप रहे हैं तथा रोटी, कपड़ा और मकान की माँग की जा रही है। सम्पत्ति एवं भूमि की सीमा निर्धारित करने की भी माँग की जा रही है।

विज्ञान ने मानव को अनेक बिलास-उपकरण प्रदान किए हैं। लक्ष्मी के लालों के आवास हेतु वातानुकूलित गृह, शीत से रक्षा करने के लिए विद्युत-तापीय अँगाठी, ग्रीष्मऋतु में प्यास बुझाने वाले शीतल जल के लिए रेफ्रीजरेटर, सैर-सपाटे के लिए वायुयान एवं वातानुकूलित कार, आराम करने के लिए डनलप के मुलायम गद्दे, मनोरंजन के लिए दूरदर्शन आदि विलास-उपकरण जुटाये हैं। उन्हें अब हाथ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे वे निकम्मे और विलासी हो गये हैं। भोग-विलास में निमग्न रहने के कारण उनकी आत्मा मर गयी है, उनका हृदय पत्थर हो गया है। उनके अधिकांश का जीवन जुआरी और शराबी हो गया है। इससे उनकी मानसिक शांति भंग हो गयी है और उनके कार्यकलाप जन-दुःखदायी हैं। इस प्रकार विज्ञान-जन्य भौतिकता का प्रसार भी विश्व-अशांति का एक कारण बन गया है।

विश्व-शांति हेतु विज्ञान के सदुपयोग की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब इसका प्रयोग विकासात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में किया जाय, जिससे मानव-समाज का कल्याण हो। विश्व-अशान्ति के लिए विज्ञान दोषी नहीं है, वरन् विज्ञान का दुरुपयोग दोषी है। जैसे—वही अग्नि जो खाना पकाकर भूख से बिलबिलाते हुए व्यक्ति की क्षुधा निवृत्ति करके उसे सुख प्रदान करती है, उसका सर्वस्व भस्म करके उसे शोक-सागर में निमग्न कर देती है। इसमें अग्नि का क्या दोष ? दोष तो उसके दुरुपयोग का है। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त परमाणु शक्ति से प्रलयंकारी जनसंहारक परमाणु-बमों के स्थान पर परमाणु-बिजलीघर तैयार किये जायें। कोयला, पैट्रोल एवं डीजल का स्थान परमाणु शक्ति ग्रहण करे, जिससे ईंधन की समस्या का समाधान हो। बाँध, नहर आदि सिंचाई के निर्माणार्थ भी इसका प्रयोग किया जाय। खनिजों की खोज तथा चिकित्सा क्षेत्र में इसकी सहायता ली जाय। रेलगाड़ियाँ, बायुयान, जलयान, कल-कारखाने आदि चलाने में इसका प्रयोग किया जाय।

उद्योग मशीनीकरण में विज्ञान का प्रयोग उस ढंग से किया जाय कि हस्त-उद्योग इसके शिकार न हों। गाँवों के उद्योग-धन्धों पर यह कुठाराघात न करे। यदि विज्ञान का उचित प्रयोग होगा और यह हस्त-उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तो न बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी और न पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि से सम्बन्धित उद्योगों के लिए मशीनों की सहायता न ली जाय। ऐसा करने से गाँवों में बेरोजगारी नहीं फैलेगी और अशांति का वातावरण नहीं फैलेगा।

विश्वशांति के लिए निरस्त्रीकरण भी आवश्यक है, विशेषकर परमाणु-निरस्त्रीकरण। अस्त्र-निर्माण के लिए विज्ञान का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । यही नहीं, घातक अस्त्रों का वर्तमान भंडार भी नष्ट किया जाय । ऐसा करने से भयभीत राष्ट्र राहत की साँस लेंगे ।

सारांश यह है कि विज्ञान के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप विश्व-अशांति की समस्या उत्पन्न हुई है । विश्व-शान्ति की स्थापना हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि हिंसा, प्रतिद्वन्द्वता, प्रतिशोध, वैमनस्य आदि की कुभावनाओं का परित्याग किया जाय, जिससे मानव कुकृत्यों द्वारा, विश्व में अशांति न फैलाये। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का सिद्धांत अपनाया जाय । 'Live and let live' की सद्भावना जीवन में उतारी जाय । ईश्वर मानव को सद्बुद्धि दे, जिससे इसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पुनीत भाव विकसित हो और वह ऐसा कोई कार्य न करे, जिससे किसी का अहित हो । वास्तव में मानव-जीवन का लक्ष्य तो इससे भी ऊपर है और वह है परोपकार, दूसरों का हित-साधन । अतः परोपकार को जीवन का लक्ष्य बनाया जाय । इससे विश्व में शान्ति की सुरसरि प्रवाहित होगी । यही मानवता है, क्योंकि—

"वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।"

(25) हमारी नयी शिक्षा-नीति

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना —शिक्षा का उद्देश्य एवं उसकी पूर्ति में कमी

(2) नयी शिक्षा-नीति ।

(3) नयी शिक्षा-नीति के गुण —

(क) व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था (ख) त्रिभाषा फॉर्मूला (ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार (घ) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था (ङ) विज्ञान एवं तकनीक की प्रधानता (च) श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग (छ) शिक्षा में एकरूपता ।

(4) नयी शिक्षा-नीति के दोष—

(क) नवोदय विद्यालय योजना (ख) कृषि-आधारित ग्रामोद्योगों की उपेक्षा (ग) नैतिक शिक्षा की अवहेलना (छ) कार्यान्वन राज्य सरकारों को सौंपना

(5) उपसंहार—भविष्य ।

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास करते हुए उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना है । पर क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हमारी वर्तमान शिक्षा द्वारा हो रही है ? बिल्कुल नहीं । इससे न तो विद्यार्थी का समग्र विकास होता है और न वह जीवन-यापन के लिए सक्षम हो पाता है । वह शारीरिक श्रम को हीन समझता है, हाथ-पैर के काम से घृणा करता है । कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने की क्लर्की उसे पसन्द है । नौकरी की दूषित मनोवृत्ति से वह ओत-प्रोत है । स्वावलम्बन के अमूल्य गुण से वह कोसों दूर है पर नौकरी भी तो नहीं मिलती । उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे नवयुवक दर-दर नौकरी के लिए भटकते फिरते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं । अन्ततोगत्वा बेरोजगारी के अंधकूप में गिर पड़ते हैं और अपने माता-पिता अथवा अभिभावक पर भार बनकर दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होते हैं । कुछ तो भोजन-वस्त्र जुटाने के लिए लूटमार, डकैती आदि जघन्य अपराधों की शरण लेते हैं । यह है हमारी वर्तमान शिक्षा का वरदान । यह है हमारी वर्तमान शिक्षा का उपहार ।

वर्तमान शिक्षा के विरुद्ध देश में चारों ओर आवाज उठायी जाती रही है। इसके स्थान पर ऐसी शिक्षा की माँग की जाती रही है, जो हमारे नवयुवकों का समग्र विकास करती हुई उन्हें जीविकोपार्जन योग्य बनाये और उनमें राष्ट्रोपयोगी नागरिकता विकसित करे। अत: केन्द्रीय सरकार ने नवीन शिक्षा नीति तैयार की है, जिसके अनुसार वर्ष 1995 तक 6 से 11 वर्ष की अवस्था के समस्त बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जायगी। इस प्रकार जो कार्य संविधान के निर्देशानुसार वर्ष 1960 तक सम्पन्न होना था उसे 35 वर्ष बाद 1995 में पूरा करने का वचन दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जायगा। शिक्षा में विज्ञान तथा तकनीक को प्रधानता दी जायगी। श्रव्य-दृश्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जायगा। सारे देश की शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास किया जायगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित कार्य-वाही की जायगी। त्रिभाषा-फॉर्मूला कार्यान्वित किया जायगा।

इस राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का कार्यान्विन शिक्षा-सत्र 1988 से आरम्भ हो गया है, यद्यपि इसकी आलोचना यत्र-तत्र अभी तक हो रही है। आइए अब इसके गुण-दोषों पर दृष्टिपात करें। इस शिक्षा-नीति का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा को जीवन से जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार का पथ प्रशस्त हो जायगा। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके वे अपना रोजगार स्वयं चुनकर उसे अपनी जीविका का साधन बना सकेंगे। उन्हें नौकरी के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

इस नवीन शिक्षा नीति का अन्य गुण है त्रिभाषा फॉर्मूला का कार्यान्वयन। इसके अनुसार हिन्दी-भाषियों को अन्य कोई प्रादेशिक भाषा सीखनी अनिवार्य है इस व्यवस्था से अहिन्दी भाषी हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हिन्दी-भाषियों एवं अहिन्दी भाषियों में पारस्परिक सद्भाव बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप भाषावाद समाप्त हो जायगा और राष्ट्रीय एकता का पथ प्रशस्त होगा।

वर्तमान शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। समझने के स्थान पर विद्यार्थी प्रत्येक बात रटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परीक्षा-प्रणाली स्मरण-शक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित है। अध्यापकों में अपेक्षित योग्यता का अभाव है। उनके वेतनमान भी संतोषजनक नहीं हैं, जिसके कारण वे निष्ठापूर्वक अपना कर्त्तव्य-पालन नहीं करते और ट्यूशन करके अपनी आर्थिक समस्या का समाधान करते हैं। इन दोषों का निराकरण करके नयी शिक्षा-नीति के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

नयी शिक्षा-नीति में प्रौढ़-शिक्षा को अधिक प्रभाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार-नियोजन और साक्षरता का सम्बन्ध है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अशिक्षित प्रौढ़ों और वयस्कों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिससे वे अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से मुक्त होकर छोटे परिवार का महत्व समझ सकें। प्रौढ़-शिक्षा के अतिरिक्त उन गरीब परिवार के बच्चों के लिए, जो विद्यालयों में प्रविष्ट होकर नियमित एवं समयबद्ध कक्षाओं में नहीं उपस्थित हो सकते अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे अपने सुविधानुसार पढ़ सकें।

नवीन शिक्षा-नीति में विज्ञान एवं तकनीक को प्रधानता दी गयी है। रूस, अमेरिका आदि विकसित देश आज छलांग मारकर चन्द्रलोक में जा पहुँचे हैं, उन्हें आज शिवजी के तीसरे नेत्र के समान सारे संसार को भस्म करने की परमाणु शक्ति प्राप्त है। वे आज कम्प्यूटर-जगत में पदार्पण कर चुके हैं, तो फिर हमारा देश क्यों पीछे रह जाय?

दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा आदि दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग से शिक्षा अधिक रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक हो जाती है। पाश्चात्य देशों में इन साधनों से भरपूर सहायता ली जा रही है और इससे बहुत लाभ हो रहा है। अतः नवीन शिक्षा-नीति में इन साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

नवीन शिक्षा-नीति के अनुसार सारे देश की शिक्षा में एक-रूपता लाने का प्रयास किया गया है। समस्त प्रदेशों में एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरण होने पर उनके बच्चों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अब नयी शिक्षा-नीति के दोषों को लीजिए। नयी शिक्षा-नीति के अनुसार समस्त प्रदेशों के प्रत्येक जिले में एक आवासीय आदर्श विद्यालय खोला जा रहा है जिसमें कक्षा 5 उत्तीर्ण उत्कृष्ट प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं का चयन करके उन्हें शिक्षा दी जायगी। ये विद्यालय शिक्षा-सत्र 1988 से चालू हो गये हैं और उन्हें 'नवोदय' विद्यालय नाम दिया गया है। इनमें पढ़ने-वाले बच्चों का सारा व्यय सरकार वहन करेगी और उन्हें पब्लिक स्कूलों की सी विशेष शिक्षा एवं रहन-सहन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जायगी। इस प्रकार इन विद्यालयों में शिक्षा-प्राप्त बच्चों का वर्ग साधारण साधनहीन विद्यालयों में शिक्षा-प्राप्त बच्चों के वर्ग से भिन्न हो जायगा, जिनको बैठने के लिए टाट-पट्टियाँ तक और पढ़ने के लिए एक कमरा भी उपलब्ध नहीं है। एक होगा साधन-सम्पन्न वर्ग और दूसरा होगा साधनहीन वर्ग। इस विषमता-पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था से वर्ग-भेद को प्रोत्साहन मिलेगा और समाजवादी राष्ट्र- निर्माण का स्वप्न आकाश-कुसुम बनकर रह जायगा। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त बालक-बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायँ, जिससे समाज में वर्ग-भेद न उत्पन्न हो। लोकतन्त्र की यही मान्यता है।

अन्य दोष यह है कि देश की लगभग अस्सी प्रतिशत जनता के निवास-स्थान ग्रामों के कल्याण की परवाह न करके नयी शिक्षा-नीति में ग्रामोद्योगों की उपेक्षा की गयी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कहावत "थोडा पढ़े तो घर से जाय और अधिक पढ़े तो गाँव से जाय" के अनुसार गाँवों के बच्चे शिक्षित होकर शहरों को पलायन कर जायँगे और गाँवों का पुनर्निर्माण एवं विकास नहीं हो सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि गाँवों में शिक्षा-व्यवस्था ऐसी हो कि वहाँ की बेरोजगारी दूर हो तथा वहाँ की प्रतिभा का पलायन शहरों को न हो।

नवीन शिक्षा-नीति में नैतिक शिक्षा की अवहेलना की गयी है। इसके अभाव में राष्ट्र को आचरणवान और अनुशासित नागरिकों की प्राप्ति टेढ़ी खीर हो जायगी और उसके नव-निर्माण में बाधा उपस्थित होगी।

नवीन शिक्षा-नीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के सौंपा गया है, जिनके वित्तीय साधन सीमित एवं असंतोषजनक हैं। यह नितान्त आवश्यक है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में ले अथवा अतिरिक्त व्यय-भार वहन करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार धन प्रदान करे।

सारांश यह है कि नवीन शिक्षा नीति महत्वाकांक्षी अवश्य है पर इससे न तो गाँवों का पुनर्निर्माण संभव होगा और न वहाँ की बेरोजगारी का निराकरण ही होगा। इसके अतिरिक्त गांधीजी के ग्रामीण आत्मनिर्भरता तथा वर्गहीन समाज की स्थापना के स्वप्नों को भी साकार करने में यह समर्थ नहीं हो सकेगी।

(26) साम्प्रदायिक सद्भाव

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—हमारी राष्ट्रीय प्रगति के बाधक तत्व

(2) साम्प्रदायिकता के कारण—

(क) धर्मान्धता (ख) अंग्रेजी शासन की कूटनीति

(3) साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम—

(क) राष्ट्रीय एकता में बाधा (ख) शत्रुता एवं दंगे ।

(4) साम्प्रदायिक सद्भाव का महत्व

(5) उपसंहार—निष्कर्ष

हमारी राष्ट्रीय प्रगति में बाधा उपस्थित करने वाले अनेक तत्व हैं । जैसे-जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बेरोजगारी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक कमजोरी, साम्प्रदायिकता आदि । इनके कारण राष्ट्रीय विकास अवरूद्ध है । इन सब में सर्वाधिक खतरनाक है साम्प्रदायिकता ।

साम्प्रदायिकता की जननी है धर्मान्धता । जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धान्तों को न तो जानता है और न उन्हें समझने का प्रयास करता है और दूसरे के धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता है तब उसमें साम्प्रदायिकता उत्पन्न होती है और दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव पनपता है । वास्तव में—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना ।"

धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं । समस्त धर्म एक ही वृक्ष की शाखाएँ हैं अथवा यों समझिए कि एक ही भवन तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं । उन पर चलने वाले पथिकों में प्रतिद्वन्द्वता क्यों? सबका पृथक्-पृथक् मार्ग है। कोई किसी के मार्ग में रुकावट नहीं डालता । हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की सन्तान हैं, जिसे हिन्दू 'राम' कहते हैं और मुसलमान 'खुदा' । सब भाई-भाई हैं । सबमें प्रेम होना चाहिए, न कि शत्रुता ।

साम्प्रदायिकता का बीज अंग्रेजो शासकों ने बोया । जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन से मुक्त होने की राष्ट्रवादी भावना प्रबल हुई और स्वतन्त्रता-आन्दोलन चला, तब अंग्रेजी शासक भयभीत हुए और उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु, राष्ट्रीय भावना को रोकने के लिए "Divide and rule' अर्थात 'फूट डालो और राज्य करो' की कूटनीति का सहारा लिया । उन्होंने इस नीति के अनुसार धार्मिक आधार पर देश की जनता को विघटित करने की योजना बनायी । उन्होंने मुसलमानों का हिमायती बनकर मुसलमान जमींदारों और शिक्षितों को अपनी ओर करने का निर्णय किया । इस योजना में मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । इन्होंने अंग्रेजों की धार्मिक आधार पर पृथकतावादी नीति का शिकार होकर यह घोषणा की कि हिन्दुओं और मुसलमानों के हित समान नहीं, बल्कि भिन्न हैं। इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम-साम्प्रदायिकता की नींव रखी । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में साम्प्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा और 'मुस्लिम-लीग' की स्थापना की गयी, जिसने कांग्रेस की हर राष्ट्रवादी एवं जनतांत्रिक माँग का विरोध करना आरम्भ कर दिया । इस प्रकार अंग्रेजी की कूटनीति सफल हो गयी और हिन्दू तथा मुसलमान एक दूसरे से पृथक् हो गये । यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक् राष्ट्र की माँग की और देश का विभाजन हुआ । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने

इस माँग का विरोध किया, किन्तु अंग्रेजी कूटनीति के कारण सफलता नहीं मिली। अंग्रेज जाते-जाते पाकिस्तान नामक मुस्लिम-राष्ट्र को जन्म देकर हमारे राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर गये।

हमारे नेता साम्प्रदायिकता की विष-बेल का उन्मूलन करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहे हैं, परन्तु यह फूलती-फलती ही जा रही है। महात्मा गाँधी आजीवन इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वधर्मों की समानता का संदेश प्रसारित करते रहे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी उन्होंने साम्प्रदायिक दंगा-ग्रस्त नोआखाली की यात्रा की और घर-घर साम्प्रदायिक सद्भाव का संदेश पहुँचाया, किन्तु उन्हें साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के एक धर्मान्ध व्यक्ति के हाथ मे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। इस दूषित मनोवृत्ति के साथ पृथकतावादी मनोवृत्ति का तालमेल बैठने से राष्ट्रीय एकता में बाधा उपस्थित होती है। धर्मान्ध मुसलमान हिन्दुस्तान को अपना राष्ट्र नहीं मानते। उनकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति है, हिन्दुस्तान के प्रति नहीं। वे 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' का नारा लगाते रहते हैं। पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाते हैं और हार पर मातम। वे राष्ट्र-विरोधी हरकतें करते रहते हैं, विघटनकारी तत्वों के साथ सहयोग करते हैं।

साम्प्रदायिक उन्माद के कारण दंगे होते रहते हैं, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों की जान जाती है तथा करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट होती है। कतिपय धर्मान्ध पथभ्रष्ट लोग दूसरों को भी पथभ्रष्ट करके उत्तेजना, तनाव एवं विद्वेष पैदा करते हैं और दंगे कराते हैं। वे कभी 'इस्लाम खतरे में है' का झूठा नारा लगाते हैं, तो कभी मुसलमानों के साथ सरकार द्वारा भेदभाव की बात कहकर उन्हें भड़काते हैं। कभी मस्जिद-मन्दिर का विवाद उठाते हैं, तो कभी सरकार पर धार्मिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं। दंगा कराने का कोई न कोई बहाना ढूँढ़ते रहते हैं। आजकल बाबरी मस्जिद तथा राम-जन्मभूमि का विवाद उठ खड़ा हुआ है।

इस प्रकार साम्प्रदायिकता एक जटिल समस्या बनी हुई है। इससे देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है, लोकतन्त्र की जड़ें हिल रही हैं। इस महाव्याधि का उपचार नितान्त आवश्यक है। प्रधान मन्त्री राजीव गाँधी ने इससे मुक्ति पाने के लिए देश के समझदार लोगों के सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना के लिए प्रत्येक नगर, गाँव और मुहल्ले में, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में शांति-समितियों के स्थायी गठन का सुझाव दिया है। इन समितियों में सभी सम्प्रदायों तथा सभी वर्गों के स्थानीय लोगों का योगदान अपेक्षित है। ये समितियाँ साम्प्रदायिक सद्भाव, पारस्परिक सौहार्द स्थापित करने के लिए सतत् प्रयत्न करती रहें। विभिन्न सम्प्रदायों के लोग एक दूसरे के धार्मिक उत्सवों, त्यौहारों आदि में समान रूप से सम्मिलित हों। हिन्दू मुसलमानों से ईद मिलें और मुसलमान हिन्दुओं से होली। कोई किसी को न ऊँचा समझे और न नीचा। यदि कभी कोई विवाद उठे तो उसे समझा बुझाकर निबटा दिया जाय। इससे धार्मिक कट्टरता समाप्त होगी, भाईचारे की भावना विकसित होगी और साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने का पथ प्रशस्त होगा।

यदि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम हो, हिन्दू और मुसलमानों के झगड़े मिट जायें तो राष्ट्र का सिर दर्द दूर हो जाय, ऐसा वातावरण बन जाय जिसमें लोगसुख-शांति से जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकें। साम्प्रदायिक सद्भाव कायम होने पर पृथकतावादी एवं विघटनकारी शक्तियाँ सिर नहीं उठा सकेंगी, क्योंकि फिर उन्हें साम्प्रदायिक शक्तियों का वरद हस्त नहीं प्राप्त होगा। फिर सरकार उनकी आतंकवादी हरकतों पर अंकुश लगा सकेगी और उनके द्वारा की जा रही जन-धन की क्षति से जनता की रक्षा हो जायगी। यही नहीं, विघटनकारी शक्तियों को कुचला जा सकेगा और राष्ट्र टुकड़े-टुकड़े होने से बच जायगा।

अतः आइए, हम सब साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना हेतु भरसक प्रयास करें और साम्प्रदायिकता समाप्त करने में सरकार का हाथ बटाएँ। इसका उन्मूलन होने पर ही राष्ट्र फूलेगा-फलेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अतः प्रार्थना है कि भगवान हमारा यह स्वप्न साकार करे—

"हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई।
रहें परस्पर जैसे भाई॥"

(26) विद्यार्थी-जीवन में खेलकूद का महत्व

रूपरेखा –

(1) प्रस्तावना—स्वास्थ्य की महत्ता

(2) विद्यार्थी-जीवन में खेलकूद का महत्व

(क) स्वास्थ्य-रक्षा (ख) मनोरंजन (ग) कतिपय सद्गुणों की उपलब्धि

(3) उपसंहार— विद्यालयों में खेलकूदों की वर्तमान दशा

'चलो खेलने चलें, अभी तक किताब का कीड़ा बने हो। स्वास्थ्य चौपट कर रखा है।" सहपाठी नरेन्द्र के ये शब्द मेरे कान में पड़े। मैंने झटपट किताब मेज पर रख दी और नरेन्द्र के साथ खेल के मैदान की राह ली। सचमुच स्वास्थ्य जीवन की आधार-शिला है। दीर्घायु के लिए स्वस्थ शरीर परमावश्यक है। सौ वर्ष तक जीवित रहने का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। रहे, नीरोग रहे। "तन्दुरुस्ती हजार नियामत" के अनुसार अकेला स्वास्थ्य अगणित दुर्लभ वस्तुओं के बराबर होता है। "Health is wealth" के अनुसार स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य की महत्ता के कारण ही प्राचीन काल में हमारे गाँव-गाँव में व्यायाम-शालाएँ थीं अखाड़े थे जहाँ दंड, बैठक, मुद्गर, कुश्ती आदि की व्यवस्था थी। विशेष अवसरों पर दंगलों की भी आयोजना की जाती थी। कबड्डी, कूद, दौड़ रस्साकशी, गेंद-बल्ला, आँख-मिचौनी आदि खेल-कूद भी प्रचलित थे। शनैः-शनैः यह परम्परा लुप्त हो गयी, जिसका दुष्परिणाम है स्वास्थ्य का ह्रास।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत शारीरिक विकास हेतु खेल-कूद को स्थान दिया गया है। तदनुसार विद्यालयों में फुटबॉल वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़, कूद आदि की व्यवस्था है। अब योगासनों को भी स्थान मिल गया है। खेल-कूद के लिए क्रीड़ा-क्षेत्र की उपलब्धता विद्यालयों की सरकारी मान्यता का प्रमुख प्रतिबन्ध है। विद्यार्थियों से क्रीड़ा-शुल्क भी लिया जाता है, जिसका उपयोग क्रीड़ा-उपकरणों के क्रय तथा क्रीड़ा-प्रतियोगिताओं की आयोजना में होता है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों के लाभार्थ उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की दृष्टि से की गयी है।

खेल-कूद में भाग लेने से विद्यार्थियों का शरीर स्वस्थ रहता है। वे रोगों के आक्रमण से बचे रहते हैं। खेल-कूद से शरीर में रक्त संचार ठीक होता है तथा पाचन-तंत्र ठीक काम करता है और इन दोनों प्रक्रियाओं की सुचारुता से शरीर पुष्ट होता है, उसमें स्फूर्ति आती है नवीन, शक्ति का संचार होता है, रोगों से संघर्ष करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। अध्ययन-कक्ष में घण्टों बैठे-बैठे पढ़ते रहने से रक्त के समुचित प्रवाह में बाधा उपस्थित होने लगती है, अंग-प्रत्यंग की हरकत में कमी आ जाती है जिसका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। जब अध्ययन कक्ष से बाहर निकलकर कोई फुटबॉल में किक लगाता है, कोई गेंद पर स्टिक मारता है, कोई वॉलीबॉल उछालता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है तब उसके अंग-अंग को स्वच्छन्दतापूर्वक हिलने-डुलने का अवसर मिलता है, जिससे रक्त-संचार पुनः पूर्वगति प्राप्त कर लेता है और स्वास्थ्य-रक्षा होती है। "खेलोगे

कूदोगे होगे खराब" उक्ति का आशय यह है कि खेलना-कूदना इतना अधिक न हो कि पढ़ाई-लिखाई में बाधा उपस्थित हो।

खेल-कूद मनोरंजन के भी साधन हैं। खेल-कूद में भाग लेने से विद्यार्थी का मन उल्लास से भर जाता है, पढ़ने की नीरसता दूर होती है, मानसिक थकान छू-मन्तर हो जाती है, बोरियत पलायन कर जाती है। तभी तो खेल का घण्टा बजते ही विद्यार्थी अध्ययन-कक्ष से ऐसे भागता है जैसे बन्दूक से गोली या बन्दी-गृह से बन्दी। खेल-कूद में अधिक समय तक भाग लेने से शरीर थक सकता है, पर मन नहीं। इनमें इतना आकर्षण होता है कि मन कभी नहीं ऊबता, निरन्तर खेलते रहने की इच्छा बनी रहती है। खेल-कूद देखने में भी आनन्द आता है। खेल-कूद प्रतियोगिताएँ देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। मैच देखने के लिए जनता उमड़ पड़ती है। खिलाड़ियों की संख्या तो निर्धारित होती है, किन्तु दर्शकों की संख्या अगणित। विद्यालयों द्वारा आयोजित मैचों से केवल खेलने वाले विद्यार्थियों का ही मनोरंजन नहीं होता वरन् देखने वाले विद्यार्थियों तथा जन-साधारण का भी मनोरंजन होता है। गोल करने पर दर्शक छात्र खुशी में अपने साथी खिलाड़ियों से लिपट जाते हैं, उन्हें गोद में भर लेते हैं, नाचने लगते है, करतल-ध्वनि से आकाश को गुंजा देते हैं।

खेल-कूद से विद्यार्थियों में अनेक सद्‌गुणों का विकास होता है। वे अनुशासन सीखते हैं। विद्यालय में पढ़ाया हुआ अनुशासन का पाठ प्रभावोत्पादक नहीं होता, किन्तु क्रीड़ा-क्षेत्र में उसका व्यावहारिक स्वरूप अपनी छाप छोड़ता है। समय की पाबन्दी, रैफरी का नियन्त्रण, खेलों के नियमों का पालन, कप्तान के निर्देश विद्यार्थियों को अनुशासन-बद्ध बनाते बनाते है। सहनशीलता का सद्‌गुण क्रीड़ा-क्षेत्र पर विकसित होता है। वहाँ विपक्षी खिलाड़ी की टक्कर मन मैला न करते हुए सहन करने का अभ्यास होता है। दर्शकों की अनुचित टीका-टिप्पणी सुनकर क्षुब्ध न होने की आदत पड़ती है। धैर्य का उत्तम गुण खेल सिखाते हैं। विषम से विषम परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाये रखने का अभ्यास खेल के मैदान पर होता है। विपक्षी दल गोल पर गोल किये जा रहा है। समय थोड़ा रह गया है। अब क्या किया जाय ? क्या पराजय स्वीकार कर ली जाय ? नहीं, घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेने पर पराजय विजय में बदली जा सकती है। हिम्मत न हारकर प्रयासरत रहने का स्वर्णिम गुण-क्रीड़ा-क्षेत्र पर ही विकसित होता है। खेल खिलाड़ियों के पारस्परिक सहयोग से खेला जाता है। टीम-स्प्रिट (Team spirit) के अभाव में खेल में विजय प्राप्त करना असम्भव है। फुटबॉल, वालीबाल या हॉकी का खेल हो एक खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी द्वारा तीसरे खिलाड़ी को इस प्रकार टीम के खिलाडियों को, गेंद पास की जाती है। अतः खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग की सद्भावना विकसित होती है। पराजय को सहज भाव से हँसते-हँसते स्वीकार करने की खिलाड़ी की भावना (Sportsman's spirit) भी खेल ही विकसित करते हैं, जिससे विद्यार्थी यह सीखते हैं कि सफलता की अपेक्षा संघर्ष का अधिक महत्त्व होता है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। यदि उसका मानसिक, आत्मिक एवं शारीरिक विकास समुचित होगा तो वह राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। अतः खेल-कूद राष्ट्र-निर्माण में सराहनीय योगदान करते हैं।

पर आज हमारे विद्यालयों में खेल-कूद की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम की उपेक्षा है। न प्रतिदिन विद्यार्थियों को खेल खिलाये जाते हैं, न क्रीड़ा-क्षेत्र एवं क्रीड़ा-उपकरणों के रख-रखाव पर उचित ध्यान दिया जाता है। कुछ विद्यालयों में क्रीड़ा-क्षेत्रों का भी अभाव है। शिक्षा-विभाग को यह कुव्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान दुर्दशा से छात्रों के अहित के साथ-साथ राष्ट्र का भी अहित होने की आशंका है।

(28) बेरोजगारी की समस्या

रूपरेखा -

(1) प्रस्तावना- हमारे देश का आर्थिक दशा

(2) बेरोजगारी के दो रूप—(1) शिक्षितों की बेरोजगारी (2) अशिक्षितों की बेरोजगारी

(3) बेरोजगारी के कारण

(क) दूषित शिक्षा (ख) कुटीर-उद्योग-धन्धों की मृत्यु

(ग) जनसंख्या-वृद्धि की तीव्रता

(4) बेरोजगारी के दुष्परिणाम

(क) नवयुवकों की दुर्गति (ख) अपराध-वृद्धि

(ग) युवाशक्ति का दुरुपयोग (घ) राष्ट्रीय अहित।

(5) बेरोजगारी के उपचार

(क) रोजगार-परक शिक्षा (ख) गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन

(ग) परिवार-नियोजन

(6) उपसंहार – निष्कर्ष

प्राचीन काल में हमारा देश 'सोने की चिड़िया' कहलाता था वह धनधान्य से सम्पन्न था। अंग्रेजी-शासन-काल में इसकी आर्थिक दशा बिगड़ गयी। अंग्रेज शासकों ने यहाँ के कुटीर-उद्योगों का गला घोंट दिया, दस्तकारों के हाथ काट दिए, क्योंकि वे इस देश में अपने देश की मशीन-निर्मित वस्तुओं को खपाना चाहते थे। अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलने पर भी मशीनीकरण के फलस्वरूप जनसाधारण की आर्थिक दशा नहीं सुधरी बल्कि और बिगड़ गयी, क्योंकि मशीनों ने हाथ की अपेक्षा सैकड़ों गुना उत्पादन करके असंख्य दस्तकारों को बेरोजगार कर दिया, उनके मुँह की रोटी छीन ली।

हमारे देश में बेरोजगारी दो रूपों में विद्यमान है—एक शिक्षितों की बेरोजगारी तथा दूसरी अशिक्षितों की बेरोजगारी। इन दोनों में शिक्षितों की रोजगारी अधिक विकराल है। उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे नवयुवक रोजगार के लिए सक्षम नहीं हो पाते और नौकरी के लिए दर-दर भटकते हैं। अशिक्षितों की बेरोजगारी गाँवों में अधिक देखा जाता है। वहाँ के जुलाहे, लुहार, बढ़ई, रंगरेज, तेली, छीपी, कुम्हार आदि दस्तकारों को मशीनों ने बेरोजगार कर दिया है। वैसे भी हमारे देश में शारीरिक श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कलम चलाने वाले क्लर्क को बैठने के लिए कुर्सी मिलती है और दस्तकार को जमीन। अतः इस सामाजिक हीनता के कारण भी कोई व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय नहीं करना चाहता। इससे भी बेरोजगारी फैलती है।

शिक्षितों की बेरोजगारी का प्रमुख कारण है दूषित शिक्षा। वह रोजगार—परक नहीं है। विद्यालयों में ऐसा कोई व्यवसाय या कोई हस्तकला नहीं सिखायी जाती, जिसे शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सके। अतः रोटी वस्त्रादि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह नौकरी के लिए दर-दर भटकता फिरता है। प्रतिवर्ष लाखों नवयुवक विद्यालयों से निकलते हैं। इन सबके लिए नौकरी कहाँ से आये? इतनी नौकरियाँ तो खाली होती नहीं जितने नवयुवक विद्यालयों से बाहर आते हैं। परिणाम होता है बेरोजगारी।

बेरोजगारी का अन्य कारण है हाथ के लिए काम का अभाव। गाँवों में किसान

कई महीने बेकार रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्ष भर के लिए खेती का काम नहीं होता। कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसे वे खाली समय में कर सकें और कुछ कमा सकें। खेतिहर मजदूरों की भी दुर्दशा है। जब खेतों में कोई काम नहीं होता तब वे भी बेकार हो जाते हैं। यदि गाँवों में कोई हस्त-उद्योग होता तो उसके द्वारा कुछ कमा लेते। गृह-उद्योगों की मृत्यु के कारण उनके लिए पेट भरना टेढ़ी खीर हो गया है। किसान तथा खेतिहर मजदूर दोनों ही आज दुःखी हैं।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से बाद हमारी जनसंख्या ढाई गुनी हो गयी है। विकास-योजनाओं द्वारा सरकार रोजगार के अधिक से अधिक साधन जुटा रही है, पर वे 'ऊँट के मुँह में जीरा' कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जितने नये साधन जुटते हैं उनसे कई गुनी जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर कैसे बेरोजगारी से राहत मिले ?

बेरोजगारी की विभीषिका ने हमारे नवयुवकों का जीवन अभिशाप बना दिया है, उनको निराशा के गर्त में डुबो दिया है। उनमें न उत्साह रह गया है और न स्वावलम्बन की भावना, न श्रम के प्रति श्रद्धा है और न आत्मविश्वास। वे नौकरी की मनोवृत्ति से परमुखापेक्षी हो गये हैं। नौकरी न मिलने के कारण उनके जीवन में कटुता का संचार हो गया है। न जाने कितने युवक जीवन से ऊबकर आत्महत्या कर लेते हैं। बेचारे करें भी क्या ? नौकरी मिलती नहीं, व्यवसाय सीखा नहीं। मशीनों ने गृह-उद्योगों का गला घोंट दिया। यदि हाथ का कोई धन्धा किया भी जाय तो वह मशीन की प्रतियोगिता में टिकता नहीं। ऐसी दशा में पेट भरने के लिए रोटी और शरीर ढकने के लिए वस्त्र जुटाने को पैसा कैसे प्राप्त हो ?

यदि आत्महत्या नहीं करते तो वे मानसिक संतुलन खोकर कुमार्गगामी हो जाते हैं। भूखा-नंगा कब तक नीति एवं धर्म के नियंत्रण में रह सकता है ? मरता क्या न करता ? जब वे देखते हैं कि उनको पेट की ज्वाला बुझाने के लिए रूखी-सूखी रोटियाँ भी उपलब्ध नहीं हैं और लक्ष्मी के लालों को रसगुल्ले और रबड़ी उपलब्ध हैं, तब उनके मन में विद्रोह की आग धधकने लगती है और वे लूट-खसोट, डाकाजनी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों की ओर हाथ बढ़ाने से नहीं हिचकिचाते; वे बैंकों को लूटते हैं, डाके डालते हैं और पूँजीपतियों को तलवार के घाट उतारते हैं, गोली का निशाना बनाते हैं। बुरे से बुरा काम करने में उनका मन मैला नहीं होता। इस प्रकार बेरोजगारी से अपराध-वृद्धि होती है।

जो युवा-शक्ति सत्कार्यों में लगनी चाहिए थी, वह कुकृत्यों में लगती है। जिस युवा-शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग होता है। जो शरीर सेवा का मार्ग अपनाकर जीवन को सार्थक बनाता तथा राष्ट्र का भी हित करता, वह कलंकित हो जाता है। जो बुद्धि सन्मार्ग पर चलाकर जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर करती तथा राष्ट्र का भी कल्याण करती, वह दूषित हो जाती है। इस प्रकार बेरोजगार युवकों का जीवन अभिशाप बन जाता है।

बेरोजगारी से राष्ट्रीय अहित होता है। राष्ट्र अगणित मेधावी, प्रतिभाशाली एवं सक्षम व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। यही नहीं, बेरोजगार लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं, संघर्ष करते हैं, आन्दोलन छेड़ते हैं, राष्ट्रीय संस्थानों में आग लगाते हैं, सरकारी वाहनों को क्षति-ग्रस्त करते हैं, हिंसा का तांडव नृत्य करते हैं तथा 'रोटी, कपड़ा और मकान' के नारे से शासन को कँपाते हैं।

प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है ? इस महाव्याधि का उपचार क्या है ? शिक्षितों की बेरोजगारी समाप्त करने के लिए रोजगार-परक व्यवसायोन्मुख शिक्षा की आवश्यकता है। माध्यमिक विद्यालयों में कोई न कोई उद्योग, कोई न कोई व्यवसाय सिखाया जाय, जिसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए पृथक् व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाय। उनमें 2-3 वर्ष की अवधि में सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक नवीनतम ज्ञान प्रदान किया जाय। इतना ही नहीं, इन विद्यालयों में प्रशिक्षित नवयुवकों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए बैंकों से सूद-रहित अल्पकालीन ऋण दिलवाये जायें। विश्वविद्यालयों में केवल उत्कृष्ट छात्रों को प्रविष्ट किया जाय।

अशिक्षितों की बेरोजगारी समाप्त करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-उद्योगों का जाल बिछाया जाय, जिससे प्रत्येक हाथ को काम मिले। जब प्रत्येक हाथ को काम मिल जायगा, तब प्रत्येक मुँह को रोटी उपलब्ध हो जायगी और प्रत्येक शरीर को कपड़ा। रोटी-कपड़ा की उपलब्धि न्यूनतम मानवीय अधिकार है, जिसकी व्यवस्था लोकतंत्र में होनी चाहिए। जनता को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना लोकतन्त्र का दायित्व है। अतः सरकार को गृह-उद्योगों के माध्यम से यह दायित्व निभाना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, गृह-उद्योगों को मशीनों की प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना भी सरकार का कर्त्तव्य है, अन्यथा मशीन-रूपी ग्राह उद्योग-रूपी जलजन्तुओं को निगल जायगा। लघु उद्योगों के क्षेत्रों में मशीनों का पदार्पण निषिद्ध किया जाय। इसके अतिरिक्त गृह-उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था हो। प्रत्येक विकास-खण्ड के मुख्यावास पर स्थानीय विशेषताओं के आधार पर चयनित कतिपय उद्योगों के प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था हो। उत्पादनों के विक्रय हेतु सहकारी समितियों का गठन किया जाय।

बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिये परिवार-नियोजन भी अपेक्षित है। प्रत्येक दम्पत्ति 'हम दो हमारे दो' का नारा अपने जीवन में उतारे। जब तक जनसख्या में हो रही अनाप-शनाप वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जायगा तब तक बेरोजगारी से पूर्णतया पिंड नहीं छूटेगा। छोटा परिवार, दो बच्चों वाला परिवार सुखी होता है, क्योंकि बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा में कम व्यय करना पड़ता है। आज वैसा समय नहीं रहा है जब एक व्यक्ति कमाकर सारे परिवार का पालन-पोषण करता था। आज तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। तब परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या कम होगी तो उन्हें रोजगार मिलने में कठिनाई भी कम होगी, क्योंकि उन्हें प्रतिद्वन्दता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी रोजगार के अवसर जुटाने में समर्थ हो सकेगी।

निष्कर्ष यह है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान की नितान्त आवश्यकता है, जिससे किसी को न भूखा मरना पड़े, न नंगा रहना पड़े और न लूट-मार करनी पड़े। जब समाचार-पत्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि एक भूखी अबला को अपनी दुधमुँही बच्ची बेचने के लिए विवश होना पड़ा, तब हमारी आत्मा सिहर उठती है, हृदय क्रंदन करने लगता है। क्या जनता को स्वराज्य का यही प्रसाद है ? क्या गाँधीजी ने भूखों मरने के लिए ही देश में स्वतन्त्रता की अवतारणा की थी ? हर्ष की बात है कि सरकार राष्ट्र को बेरोजगारी के चंगुल से मुक्त करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। शिक्षा को रोजगार-परक बनाया जा रहा है, गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परिवार-नियोजन कार्यक्रम को गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। आशा है शीघ्र ही हमारा राष्ट्र बेरोजगारी से मुक्त हो जायगा और फिर "नहिं दरिद्र कोउ दुःखी न दीना" वाला रामराज्य का स्वप्न साकार हो जायगा।

(29) विकासशील भारत एवं नारी
अथवा
भारतीय समाज में नारी

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—विकासशील भारतीय समाज में नारी का निम्न स्थान ।

(2) नारी के निम्न स्थान के कारण —

(क) पराधीनता (ख) सम्पत्ति-हीनता (ग) अशिक्षा (घ) दहेज प्रथा (ङ) अनमेल विवाह (च) भेदभाव ।

(3 नारी के निम्न स्थान के दुष्परिणाम ।

(4) नारी को नर के समान स्थान देने की आवश्यकता ।

उपसंहार—(5) नारी की महत्ता ।

"अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी ।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥"

विकासशील भारत में नारी की करुण दशा से व्यथित राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त की आत्मा उपर्युक्त शब्दों में मुखरित हो उठी । सचमुच हमारे समाज में, हमारे देश में नारी का स्थान निम्न है, जिससे उसका जीवन कंटकाकीर्ण बना हुआ है । उसका कोई पृथक् व्यक्तित्व नहीं है । उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में अन्तर्निहित है । वह पति की सहचरी नहीं, गृहस्वामिनी नहीं, सहयोगिनी नहीं, अर्द्धांगिनी नहीं । यद्यपि देश को स्वतन्त्र हुये चालीस से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तथापि अभी तक वह ऊँची उठकर नर के समान स्तर पर नहीं आ सकी है । आज भी वह अबला है । आज भी वह उपेक्षित है । समाज में उसे सम्मान-पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है ।

भारतीय समाज में नारी की निम्न दशा का कारण पराधीनता है । वह कड़े बन्धन में जकड़ी हुयी है । वह आजीवन नर के अधीन रहती है । बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है । स्वतन्त्र वायुमण्डल में साँस लेना तो उसके भाग्य में ही नहीं है । "पराधीन सपनेहु सुख नाहीं" उक्ति के अनुसार उसका सारा जीवन सुख से वंचित रहता है । उसके जीवन-साथी का चयन भी पिता करता है. उससे स्वीकृति नहीं ली जाती है । कभी-कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका पाणिग्रहण करा दिया जाता है, जिसके दुष्परिणाम वह मूक बनकर आजीवन भोगती है ।

भारतीय नारी की निम्न दशा का अन्य कारण सम्पत्ति, हीनता है । आज भी हमारे देश में नारी सम्पत्ति-हीन है । यद्यपि सरकार ने उसे सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार दिये हैं, तथापि समाज ने उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की हैं । अतः उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है और नारी आर्थिक दृष्टि से अपंग है । अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसे नर का मुँह ताकना पड़ता है । निजी सम्पत्ति के अभाव में उसे पिता, पति या पुत्र के रूप में नर की इच्छा के अनुसार अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ क्रय करनी पड़ती हैं । खाने-पीने की वस्तुएँ तक वह अपने इच्छानुसार नहीं प्राप्त कर सकती । विधवा हो जाने पर सम्पत्ति-हीनता नारी के लिए कभी-कभी अभिशाप बन जाती है, विशेषकर उस दशा में जब वह पुत्रहीन हो अथवा उसका पुत्र अवयस्क या कपूत हो । सास, श्वसुर उस बेचारी को भूखी-नंगी रखना चाहते हैं । कभी-कभी तो उसे भार समझकर घर से बाहर निकल जाने के लिए विवश किया जाता है । उसे अपने भरण-पोषण तथा अपने अवयस्क पुत्र (यदि कोई हो) को पढ़ा-लिखाकर सक्षम बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है ।

भारतीय नारी की हीन दशा का अन्य कारण अशिक्षा है। सामाजिक मान्यता के अनुसार लड़की को पढ़ाना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता जितना लड़के को। शिक्षा का सम्बन्ध नौकरी से जोड़ दिया गया है और अशिक्षित लड़के को अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती तथा अच्छा वेतन नहीं मिल सकता। अतः उसे शिक्षित करना आवश्यक समझा जाता है। पर लड़की को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है। अतः उसे शिक्षित करना आवश्यक नहीं समझा जाता। यह मनोवृत्ति दूषित है। शिक्षा से मनुष्य का मानसिक एवं आत्मिक विकास होता है, सफल जीवन के लिए सक्षमता प्राप्त होती है। अतः लड़की एवं लड़का दोनों को समान शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। हमारे विकासोन्मुख देश में शनैः शनैः नारी-शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु आवश्यकतानुसार विद्यालयों की कमी एवं गरीबी के कारण उसका प्रसार अवरुद्ध है।

भारतीय नारी की हीन दशा का अन्य कारण दहेज की कुप्रथा है। समाज की परम्परा के अनुसार कन्या के माता-पिता को वर के माता-पिता को विवाह के अवसर पर इच्छित धन-सम्पत्ति दहेज के रूप में देनी पड़ती है अथवा यह कहिए कि वर का मूल्य चुकाना पड़ता है। उपयुक्त वर प्राप्त करने के लिए कन्या के माता-पिता यथाशक्ति अधिक से अधिक दहेज देने का प्रयास करते हैं। तो भी वर के माता-पिता कभी-कभी संतुष्ट नहीं होते और अधिक दहेज की माँग करते हैं। अतः भारतीय परिवार इस आर्थिक भार के कारण कन्या को आदर नहीं देता। उसे परायी वस्तु समझकर उसकी उपेक्षा करता है।

अनमेल विवाह भारतीय नारी की हीन दशा का अन्य कारण है। दहेज की कुप्रथा के कारण माता-पिता कभी-कभी अपनी कन्याओं का विवाह जीवन के अन्तिम चरण में प्रविष्ट बूढ़ों के साथ कर देते है, जिससे उन्हें आजीवन कष्ट भोगना पड़ता है। विधवा हो जाने पर उनका तिरस्कार होता है, ससुराल वाले उनसे घृणा करते हैं। समाज द्वारा उन्हें पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया है, जबकि पुरुषों को यह अधिकार प्राप्त है चाहे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो अथवा नहीं। कैसा अन्याय है यह ?

भेदभाव भारतीय नारी की हीन दशा का अन्य कारण है। बालक के जन्म को बालिका के जन्म की अपेक्षा श्रेष्ठतर समझा जाता हैं। यही नहीं, उस बेचारी को अभिशाप, स्वरूप समझा जाता है। यहाँ तक कि कतिपय दम्पति लिंग-परीक्षण कराके गर्भपात द्वारा गर्भस्थ बालिका की हत्या करते हैं। कितना जघन्य अपराध है यह ? इसकी रोकथाम के लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए और इसे दण्डनीय अपराध घोषित करना चाहिए। विकास-पथ के पथिक हमारे देश में आज भी दानवता का यह कैसा नग्न नृत्य हो रहा है ! क्या विश्व के किसी सभ्य समाज में इस प्रकार का कुकृत्य सम्भव है ?

हमारा देश, हमारा राष्ट्र नारी की हीन दशा के दुष्परिणाम भुगत रहा है। जब राष्ट्र की मातायें अशिक्षित होंगी, जब राष्ट्र की मातायें पराधीन होंगी, जब राष्ट्र की मातायें अयोग्य होंगी तब सक्षम नागरिक कैसे उत्पन्न होंगे और राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा ? राष्ट्रीय अहित के अतिरिक्त नारी हीन दशा के परिणामस्वरूप नर के अत्याचारों से पीड़ित होकर कराह रही है। उसके आँसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पराधीनता के कारण उसे दासी का-सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सम्पत्ति-हीनता के कारण उसे आजीवन परमुखापेक्षी बना रहना पड़ता है। अशिक्षा के कारण वह अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकती। दहेज कुप्रथा के कारण उसका जीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है। वांछित दहेज न मिलने पर ससुराल में उसे तरह-तरह के कष्ट दिये जाते हैं

जिनसे वह छटपटाने लगती है और शारीरिक एवं मानसिक व्यथा से मुक्त होने के लिये जीवन का अन्त तक कर देती है। यदि वह स्वयं आत्म-हत्या नहीं करती, तो उसके ससुराल वाले कोई न कोई षडयंत्र रचकर उसकी हत्या कर डालते हैं। इस प्रकार की रोमांचक घटनाओं से मानवता कराह उठती है। अनमेल विवाह का दुष्परिणाम प्रायः वैधव्य होता है, क्योंकि किशोरियों का गठबंधन बूढ़ों के साथ कर दिया जाता है। विधवा होने पर उनके लिये संसार सूना हो जाता है और उन्हें तिरस्कृत जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

आवश्यकता इस बात की है कि नारी को नर के समान स्थान प्राप्त हो। नारी गृह-देवी होती है। गृहिणी के रूप में वह घर में सुख की सुरसरि प्रवाहित करती है, पति के जीवन में मधुरिमा का संचार करती है, बच्चों का पालन-पोषण लाड़-प्यार के साथ करती है। वास्तव में नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर जीवन की इकाई हैं। हैं। यदि नर गृहस्वामी है तो नारी गृहस्वामिनी। राष्ट्रीय दृष्टि से भी नारी को नर के समान स्तर पर लाना चाहिए। नारी-रूप में राष्ट्र का अर्द्धांग जब पुष्ट होगा तभी वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा।

सचमुच नारी की महत्ता किसी प्रकार नर से कम नहीं। माता-रूप में वह हमारी पालिका है। पत्नी रूप में हम उसके प्यार एवं सेवा के ऋणी हैं। वह त्याग, बलिदान तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्मबलिदान द्वारा समय-समय पर ऐसी ज्योति जगायी है, जिसके प्रकाश में नर ने अपना मार्ग खोजा है। जीवन के दुःख-सुख में छाया की भाँति पति का साथ देने के कारण वह अर्द्धांगिनी और घर की व्यवस्थापिका होने के कारण गृह-लक्ष्मी है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अन्याय तथा अत्याचार की चक्की में पिस रही नारी को सम्मान के आसन पर आसीन करें। आज हमारे देवता रूठे हुए हैं। यदि हम उन्हें मनाना चाहते हैं तो नारी का सम्मान करें क्योंकि—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

(30) श्रम का महत्व

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—श्रम की आवश्यकता।

(2) श्रम का महत्व -(क) उन्नति एवं समृद्धि, (ख) सुख-शांति, (ग) आत्म-संस्कार (घ) यश।

(3) कतिपय श्रमशील व्यक्ति।

(4) उपसंहार—निष्कर्ष।

"आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्य महान् रिपु" के अनुसार मनुष्यों के शरीर का महान् रिपु आलस्य ही होता है। जो मनुष्य हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है वह कभी ऊँचा नहीं उठ सकता। यहाँ तक कि उसे भूखा मरना पड़ता है। जीवन की सफलता का रहस्य श्रम है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। उसके समक्ष कठिनाइयों के पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं, विपत्तियों के बादल निरोहित हो जाते हैं। जीवन में परिश्रम की सभी को आवश्यकता होती है। हाथ-पैर हिलाये बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। परिश्रम से जी चुराने वाले लोग कह दिया करते हैं—

"अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम।
दास मलूका कहि गये, सब के दाता राम॥"

क्या यह उक्ति सत्य है ? क्या अजगर और पक्षी तनिक भी परिश्रम नहीं करते ? अजगर को अपने भोजन की खोज में इधर-उधर रेंगना पड़ता है। भोजन स्वतः उसके मुख में नहीं पहुँच जाता। पक्षी तो अपने भोजन की खोज में न जाने कहाँ-कहाँ भटकते फिरते हैं। कोई भी जीव परिश्रम से मुख मोड़कर अपना पेट नहीं भर सकता।

श्रम सब प्रकार की उन्नति का मूलाधार है, सफलता की कुंजी है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो श्रम से सम्पन्न न हो सकें। बार-बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। कहाँ कुएँ के घाट का कठोर पत्थर और कहाँ मुलायम रस्सी ? किन्तु कुएँ से जल खींचने में वह बार-बार की रगड़ से पत्थर पर निशान बना ही लेती है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह अवश्य उन्नति करता है, जो छात्र परिश्रम से अध्ययन करता है वह परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होता है। यही नहीं, परीक्षा में उच्च स्थान पाता है, छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, पुरस्कृत होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना और अपने देश का कल्याण करता है। जो आज सौ रुपये का सामान लेकर दुकान लगाता है वह कड़ी मेहनत करके हजारों रुपये कमा सकता है, जो सौ रुपये मासिक की नौकरी आरम्भ करता है वह कड़ी मेहनत करके हजारों रुपया मासिक मिलने वाले पद पर पहुँच सकता है। परिश्रमी व्यक्ति चपरासी से ऊँचे उठते हुए अफसर के पद पर पहुँच जाते हैं। यह सब परिश्रम का प्रताप है। भगवान उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है, जो कठिन परिश्रम करता है। श्रम समृद्धि का द्वार खोलता है। उद्योग से लक्ष्मी मिलती है।

उन्नति के साथ-साथ मनुष्य को परिश्रम से सुख भी प्राप्त होता है। परिश्रम के परिणामस्वरूप जब सफलता मिलती है तब हृदय उल्लास से भर जाता है। यदि किसी कारण-वश सफलता नहीं भी मिलती है तो इस बात का संतोष होता है कि हमने परिश्रम किया, अपने कर्त्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" उक्ति से चित्त को शांति मिलती है। जो अकर्मण्य है, जो मेहनत नहीं करता, जो आलसी है, जो दैव-दैव पुकारता रहता है, उसे सदा भोजन-वस्त्र की चिन्ता बनी रहती है और उसका चित्त अशांत रहता है। इसके विपरीत जो श्रम परायण है, वह सुखी रहता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उसे न रोटी की समस्या सताती है और न कपड़े की, चींटी को देखिए। दिन भर श्रम में जुटी रहकर महीनों के लिए भोजन एकत्र कर लेती है। श्रम बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। क्रियाशीलता जीवन है, निष्क्रियता मृत्यु। श्रमबिंदुओं से सींच-सींचकर किसान मिट्टी से सोना उत्पन्न करके अपना भंडार भरता है और अपने जीवन को सुखी बनाता है।

जो व्यक्ति कठिन परिश्रम की साधना करता है उसकी आत्मा इस प्रकार निखर जाती है जिस प्रकार अग्नि से तपकर सोना। "Work is Worship" के अनुसार परिश्रम ईश्वर की उपासना है। जो मनुष्य अपना कार्य मेहनत से करता है उसे न किसी मन्दिर में जाने की आवश्यकता है और न माला फेरने की। पर इसके विपरीत जो व्यक्ति मेहनत से मुख मोड़ता है, अकर्मण्य बना रहता है, वह स्वतः दुराचार की ओर उन्मुख होता है। "An empty mind is a devil's Workship" के अनुसार निठल्ले व्यक्ति का मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला होता है। उसके मन में बुरे विचार घर करते हैं। अत : परिश्रम आत्मसंस्कार का एक उत्तम साधन है।

परिश्रमी व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। मरकर भी वह अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश शुभ्र आलोक विकीर्ण करता हुआ अनेक लोगों का मार्ग-दर्शन करता है। उसका व्यक्तित्व अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। माता-पिता

अपने बच्चों को उसका अनुकरण करने की शिक्षा देते हैं। जिन महान व्यक्तियों ने कठिन परिश्रम करके ज्ञान-विज्ञान के भंडार के द्वार खोले हैं उनकी कीर्ति-पताका देश एवं काल की सीमाओं से ऊँची उठकर विश्व में फहरा रही है।

विश्व का इतिहास परिश्रमी व्यक्तियों की गौरव-गाथाओं से जगमगा रहा है। नैपोलियन ने दिन रात घोड़े की पीठ पर रहकर बड़ी-बड़ी विजय प्राप्त कीं। ऐडीसन ने एक हजार दो सौ प्रयोगों के बाद विद्युत-बल्ब का आविष्कार किया, बिजली से प्रकाश उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। महात्मा गाँधी ने रात-रात भर देश की समस्याओं पर मनन करते हुए, मानसिक श्रम करते हुए उनका समाधान निकाला, देश को अँग्रेजी शासन की दासता से मुक्त किया।

निष्कर्ष यह है कि श्रम में बड़ी शक्ति है। उसी से मिट्टी सोना उगलती है, पर्वत रत्नराशि प्रदान करते हैं, समुद्र मार्ग देते हैं। उसी के समक्ष हिमालय ने सिर झुकाया है। उसी के समक्ष प्रकृति ने रहस्यों की पिटारी खोली है। दिनकर जी ने ठीक ही कहा है—

"प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से।
सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम बल से।"

(31) अन्तरिक्ष में भारत का प्रवेश

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—विज्ञान के बढ़ते चरण

(2) अन्तरिक्ष में प्रवेश हेतु भारत के प्रयास एवं उपलब्धियाँ

(3) अन्तरिक्ष में भारत के प्रवेश से लाभ

(4) उपसंहार—भविष्य।

"भर न सकी कल्पना उड़ान
पहुँचा आज वहाँ विज्ञान।"

सचमुच विज्ञान आज कल्पना की उड़ान की परिधि को लाँघ गया है, धरती के छोर नाप चुका है, समुद्रों को पार कर चुका है, पर्वतों पर चढ़ चुका है, आकाश का वक्षःस्थल चीर चुका है, पाताल में पहुँचकर भूगर्भ से रहस्यों का उद्घाटन कर चुका है। तीनों लोकों में इसकी विजय-पताका फहरा रही है। इसने अन्तरिक्ष में भी पदार्पण किया है। यह चन्द्रलोक में तो प्रविष्ट हो ही गया है, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों में पहुँचने का भी प्रयास कर रहा है।

रूस और अमेरिका जैसे साधन-सम्पन्न देशों में अन्तरिक्ष-सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रगति में स्पर्द्धा है। एक दूसरे से आगे बढने की चेष्टा कर रहे हैं। भारत के साधन सीमित होते हुए भी अन्तरिक्ष विज्ञान के महत्व को समझते हुए भारत-सरकार ने वर्ष 1962 में इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु अपने वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र मे अनुसंधान के लिये वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय वैज्ञानिकों ने थुम्बा (केरल प्रदेश) नामक स्थान से राकेट यान छोड़कर अन्तरिक्ष-युग का सूत्रपात किया। तत्पश्चात् वर्ष 1972 में अन्तरिक्ष आयोग की स्थापना की गयी जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इससे सम्बद्ध मुख्य अनुसंधान एवं शोध-केन्द्र निम्नलिखित हैं—

(1) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र --यह केरल प्रदेश की राजधानी त्रिवेन्द्रम के समीप स्थित है। यहाँ अन्तरिक्ष-अनुसंधान-कार्य होता है।

(2) श्री हरि कोटा उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र—यह भारत का सबसे बड़ा उपग्रह-प्रक्षेपण केन्द्र है, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जनपद में स्थित है।

(3) थुम्बा राकेट लांचिग केन्द्र—यह राकेट छोड़ने का केन्द्र है जो त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में है।

(4) फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी – यह अन्तरिक्ष विज्ञान से सम्बन्धित शोध-प्रयोगशाला है जो गुजरात प्रदेश अहमदाबाद नामक स्थान पर स्थित है।

एक्सपेरीमेंटल सैटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ-स्टेशन--यहाँ पर अन्तरिक्ष-विज्ञान का विधिवत् अध्ययन किया जाता है। यह भी अहमदाबाद में है।

सीमित साधनों के होते हुए भी भारत ने अन्तरिक्ष-क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें रूस का सहयोग सराहनीय है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के साथ अन्तरिक्ष-क्षेत्र में भारत ने प्रथम चरण 'आर्य भट्ट' उपग्रह के प्रक्षेपण-रूप में रखा। इस उपग्रह का नामकरण प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। यह पूर्णतया भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित था। भारत का द्वितीय चरण 'भास्कर' उपग्रह का प्रक्षेपण था। इस उपग्रह का नामकरण भी प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक भास्कर के नाम पर किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी-तल का सर्वेक्षण करना था। इसके उपरान्त भारत ने स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित 'रोहिणी' उपग्रह श्री हरि कोटा केन्द्र से प्रक्षेपित किया। इसी शृंखला में 'रोहिणी-2' को भी श्री हरि कोटा केन्द्र से प्रक्षेपित किया गया, किन्तु वह तकनीकी गड़बड़ी के कारण नौ दिन बाद अन्तरिक्ष में ही विनष्ट हो गया। पर हमारे वैज्ञानिक इस असफलता पर निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने सतत प्रयासों से दूर संचार उपग्रह 'एपिल' को अन्तरिक्ष में स्थापित किया। इस उपग्रह द्वारा वर्ष 1981 से दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ किया गया और यह उपग्रह इस प्रयास में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। तदुपरान्त इन्सेट-1 ए प्रक्षेपित किया गया, किन्तु यह प्रयास निष्फल रहा। फिर इसी शृंखला में वर्ष 1983 को इन्सेट-1 बी प्रक्षेपित किया गया, जो अब तक कार्यरत है। इसकी उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं।

इन्सेट-1बी हमारे देश में क्रान्तिवाहक सिद्ध हो रहा है। इसने हमारे दूर संचार-साधनों को नवीन शक्ति, नवीन जीवन प्रदान किया है तथा दूर-संचार प्रसारण में नये आयाम जोड़े हैं। देश के दूर-दराज के क्षेत्र शताब्दियों के अकेलेपन से मुक्त होकर विश्व से जुड़ गये हैं। अब देश के किसी भी भाग से लम्बी दूरी के टेलीफोन सर्किट उपलब्ध हो सकते हैं। अब देश तथा विदेश के सुदूर स्थित नगरों में वार्तालाप की सुविधा उपलब्ध हो गयी है, जिससे दूर-दराज के लोगों को एक दूसरे के निकट आने में सहायता प्राप्त हुई है।

इस सुविधा के अतिरिक्त इन्सेट-1बी दिन-रात हमें मौसम-सम्बन्धी जानकारी करा रहा है। यह मौसम, चक्रवात, समुद्र की सतह, बादलों के ऊपर का तापमान, बादलों की स्थिति, हिम आदि के सम्बन्ध में चित्रादि विवरण प्रस्तुत कर रहा है, जिससे तूफान, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के विषय में समय से पूर्व चेतावनी देने में सहायता मिल रही है और उनके विनाशकारी दुष्परिणामों से रक्षा करना संभव हो रहा है।

इन्सेट-1बी आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। नित्य नये प्रसारण-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिनके फलस्वरूप देश की अधिकाधिक जनता दूर-दर्शन कार्यक्रम देखने का लाभ उठा रही है। अब इन कार्यक्रमों को इन्सेट 1बी ने ग्रामीण जनता को भी सुलभ कर दिया है। अब दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर-दर्शन का प्रवेश हो गया है।

इस प्रकार इन्सेट.1बी द्वारा विविध रूपों में जन-हित सम्पन्न हो रहा है। मनोरंजन के साथ-साथ दूर-दर्शन प्रसारण की बढ़ती हुई सुविधा शिक्षात्मक कार्यक्रम द्वारा ज्ञान-वृद्धि में भी सहायक सिद्ध हो रही है। यही नहीं, तूफान, बाढ़, चक्रवात आदि से जन-धन की रक्षा में भी इन्सेट-1बी का योगदान सराहनीय है। दूर संचार-साधनों के विकास के परिणामस्वरूप सुदूर देशों से हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं और अब वे हमारे निकट आ रहे हैं।

ये हैं हमारे उपग्रहों के कमाल। ये हैं हमारे उपग्रहों के करिश्मे। इन्सेट-1सी की असफलता के कारण अब निकट भविष्य में इन्सेट-1 डी प्रक्षेपित किया जायगा, क्योंकि इन्सेट-1बी की कार्यविधि समाप्त हो रही है। अब हमारा देश विश्व के अन्तरिक्ष विज्ञान के सक्षम देशों की श्रेणी में आ गया है। इस प्रकार हमारे वैज्ञानिक अन्तरिक्ष-क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं और मानसून-सम्बन्धी पूर्वानुमान हेतु प्रयासरत हैं। वे अथक परिश्रम, अध्यवसाय, एवं निष्ठा द्वारा देश को इस क्षेत्र में अग्रसर करने में जुटे हुए हैं। धन्य है उनकी साधना! धन्य है उनकी लगन!

(32) पंचायती राज-व्यवस्था

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही लोकतन्त्र का सच्चा स्वरूप

(2) प्राचीन भारत में पंचायती राज

(3) देश में पंचायती राज-व्यवस्था का वर्तमान रूप और उसके दोष

(4) पंचायती राज को अधिक सक्रिय एवं कारगर बनाने की आवश्यकता एव उपाय

(5) उपसंहार—निष्कर्ष

भारत गाँवों का देश है। भारत की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। अतः भारत की उन्नति गाँवों कीउन्नति पर निर्भर है। यही कारण है कि महात्मा गाँधी ने ग्रामोदय तथा ग्राम-स्वराज्य की बात उठायी थी और उसके लिए प्रयास भी किया था। गाँधीजी के ग्रामोदय के स्वप्न की पूर्ति हेतु आचार्य विनोबा भावे ने गाँवों में भूदान-यज्ञ-आन्दोलन चलाया, जो किसानों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण उपचार था। गाँधीजी ने गाँवों को आत्म-निर्भर बनाने और उन्हें आंशिक सत्ता सौंपने का परामर्श दिया था। वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही लोकतन्त्र का, स्वराज्य का सच्चा स्वरूप है।

प्राचीन भारत की उन्नति का रहस्य पंचायती राज था। ग्राम शासन की सबसे-छोटी इकाई होता था। प्रत्येक गाँव में एक ग्रामसभा होती थी जिसका चुनाव ग्रामवासियों द्वारा होता था। ग्राम-सभा का प्रधान 'ग्रामिक' कहलाता था। गाँव की शासन-व्यवस्था

उसी के हाथ में होती थी। पाँच से दस गाँवों का प्रबन्ध करने के लिए 'गोप' का चुनाव किया जाता था। कालान्तर में यह शासन-व्यवस्था नष्ट हो गयी और शासन का केन्द्रीकरण हो गया।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त गाँवों के विकास एव उन्नति के लिए पंचायतों की स्थापना की गयी और पंचायती राज का सूत्रपात हुआ, पर इन पंचायतों में ग्रामवासियों को नाममात्र का अधिकार था। अतः ग्राम-सुधार संभव नहीं हुआ। इससे स्वर्गीय प्रधान मंत्री क्षुब्ध हुए और उन्होंने वस्तु स्थिति की जाँच-पड़ताल हेतु 'मेहता कमेटी' नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया और कहा कि जब तक गाँवों का शासन ग्रामवासियों को नहीं सौंपा जायगा गाँवों की उन्नति नहीं होगी। तदनुसार पंचायती राज की स्थापना की गयी और पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाश, खाद, बीज, कुटीर-उद्योग आदि का प्रबन्ध सौंपा गया। न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्रदान किये गये। किन्तु सत्ता तथा साधनों के केन्द्रीकरण की नीति अपनायी जाने के कारण पंचायतों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और पंचायतें नाममात्र के लिए शासन व्यवस्था की इकाइयाँ रह गयीं। वे ग्राम-विकास का कोई कार्य सम्पन्न नहीं कर पायीं। न अशिक्षा का निराकरण हुआ, न ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य रक्षा हुई, न कृषि सुधार हुआ, न कुटीर-उद्योग-धन्धों का पुनरुत्थान हुआ और न ग्रामीण झगड़ों का निबटारा संभव हुआ।

निःसंदेह पंचायती राज-व्यवस्था लोकतन्त्र का मूलाधार है। यदि पंचायती राज-व्यवस्था मजबूत न होगी तो लोकतन्त्र भी मजबूत न होगा। सदियों से हमारे देश की उन्नति का यही रहस्य रहा है। ग्राम-स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में पंचायत-प्रणाली का अत्यन्त महत्वपूर्ण योग रहा है। ग्राम पंचायतें ही अपने-अपने क्षेत्र में विकास-कार्य के साथ-साथ लोगों के रगड़े-झगडे निबटाने में भी योग देती रही हैं। इस दृष्टि से निचले स्तर पर न्याय-व्यवस्था सँभाले रखने में भी इनका योगदान कम नहीं रहा है। अतः पंचायतों का महत्व स्वीकार करते हुए उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति सुधारने के लिए हमारे प्रधान मंत्री विचार कर रहे हैं और उन्हें अधिक अधिकार देना चाहते हैं। यदि कानून बनाकर पंचायतों को वित्तीय अधिकार दे दिये गये तो वे अपने-क्षेत्र के विकास में अवश्य सक्षम एवं सक्रिय हो सकेंगी। पैसे-बिना कोई विकास-कार्य संभव नहीं है। जब पंचायतों के पास पैसा होगा, तभी वे विकास हेतु कारगर कदम उठा सकेंगी। वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण नितान्त आवश्यक है। पंचायतों को वित्तीय साधन अवश्य उपलब्ध कराये जाँय।

इसके अतिरिक्त उन्हें नगर निगम तथा नगरपालिका जैसे अधिकार भी मिलने चाहिए। क्षेत्रीय विकास की योजनाएँ तैयार करने और उन्हें पूरा करने का दायित्व उन्हीं को सौंपा जाय। पंचवर्षीय योजना की तैयारी में उनका सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाय। क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ परिगणित जातियों एव जनजातियों की कल्याण-योजनाओं के कार्यान्वयन में भी पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उनकी विविध समस्याएँ जिला प्रदेश अथवा केन्द्र स्तर पर नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर ही सुचारु रूप से हल हो सकती हैं।

पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने के साथ-साथ यह अत्यावश्यक है कि उन्हें राजनीति से पृथक् रखा जाय। दलीय आधार पर चुनाव कराने से उनमें राजनीति का विष फैलता है। गाँवों की अधिकांश जनता अशिक्षित है। वह अपना दायित्व एवं

कर्तव्य नहीं समझती। दलगत-राजनीति के दाँव-पेंच और हथकंडे ग्रामीण जनता को पथ भ्रष्ट करके गलत एवं अक्षम व्यक्तियों का चुनाव कराते हैं, जिसके फलस्वरूप पंचायत-शासन स्वार्थ-लिप्त निकम्मे लोगों के हाथ में आ जाता है जो पक्षपात और पारस्परिक द्वेष के आधार पर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उन्हें सार्वजनिक हित तथा अपने क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में कोई रुचि नहीं होती। सारे गाँव में पार्टीबन्दी की विभीषिका छा जाती है।

निष्कर्ष यह है कि पंचायती राज-व्यवस्था को मजबूत, सक्षम एवं सक्रिय बनाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे हमारा लोकतन्त्र मजबूत हो और देश का सामूहिक तथा संतुलित विकास हो सके। आज गाँव उपेक्षित हैं। नगरों का विकास द्रुति गति से हो रहा है। गाँवों में न शिक्षा का सम्यक् प्रसार हुआ है, न स्वास्थ्य-रक्षा के समुचित साधन उपलब्ध हैं, न कुटीर-उद्योग-धन्धों के माध्यम से रोजगार-व्यवस्था है, यहाँ तक कि कुछ गाँवों में पेयजल तक का अभाव है। अतः लोगों का पलायन गाँवों से नगरों को हो रहा है। लोकतन्त्र की रीढ़-स्वरूप पंचायतों को सुदृढ़ बनाने से ही गाँधीजी का ग्रामोदय' को स्वप्न साकार होगा और निम्नांकित उक्ति सार्थक होगी।

'सुख समृद्धि संस्कृति के वाहक भारत के ये सुन्दर ग्राम।''

(33) परम्परा और आधुनिकता

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—देश की आवश्यकताओं के अनुसार परम्पराओं का जन्म

(2) परम्परा और आधुनिकता में विरोध

(3) कालान्तर के अनुसार परम्पराओं में परिवर्तन

(4) भारत का उदाहरण—

  (क) समाज-व्यवस्था (वर्ण व्यवस्था, बालविवाह प्रथा आदि)

  (ख) शासन-पद्धति

(5) उपसंहार—सारांश

प्राचीन काल से चली आती हुई रीति या व्यवस्था को परम्परा कहते है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति हेतु कुछ व्यवस्था करता है। वही व्यवस्था आगे चलकर परम्परा कहलाती है। जैसे—भारत के वैदिक युग में समाज को चार वर्गों में बाँटा गया था जिन्हें वर्ण कहते थे। (1) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय (3) वैश्य और (4) शूद्र। यह विभाजन कार्य के आधार पर हुआ था। ब्राह्मण उन लोगों का वर्ग था जो विद्याध्ययन, शिक्षण, चिंतन एवं समाज का मार्गदर्शन करते थे। क्षत्रिय उन लोगों का वर्ग था जो बाह्य एवं आन्तरिक्ष संकटों से समाज की रक्षा करते थे। वैश्य उन लोगों का वर्ग था जो कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य द्वारा समाज के भरण-पोषण के लिए धनोपार्जन करते थे। शूद्र उन लोगों का वर्ग था जो समाज के उपर्युक्त तीनों वर्गों की सेवा करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता अथवा योग्यता के अनुसार अपने लिए कार्य का चयन कर सकता था और तदनुसार उसका वर्ग निर्धारित होता था। किन्तु धीरे-धीरे इस वर्ग-व्यवस्था ने जाति-व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया और इसका आधार कार्य के स्थान पर जन्म हो गया। आज इसी व्यवस्था को वर्ण-परम्परा या जाति-परम्परा कहा जाता है।

परम्परा परिवर्तनशील होती है। वह शाश्वत नहीं होती। अंग्रेजो की एक उक्ति है—

"The old order changeth, yielding place to new
And God fulfils himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world."

अर्थात् प्राचीन व्यवस्था बदलती है और उसका स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण करती है, जिससे कहीं अच्छी रीति या प्रथा भी विश्व को भ्रष्ट न कर दे। भाव यह है कि कालान्तर में अच्छी से अच्छी प्राचीन व्यवस्था भी समाज अथवा देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः वह अपना स्थान नवीन व्यवस्था को देती है।

प्राचीन और नवीन व्यवस्थाओं में, परम्परा और आधुनिकता में विरोध होता है। परम्परा आधुनिकता को नहीं चाहती तथा आधुनिकता परम्परा को नहीं पसन्द करती। दोनों में संघर्ष होता रहता है। यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी के लोग नयी पीढ़ी के लोगों के वृद्ध नवयुवकों के आचार-विचार, खान-पान, तौर-तरीकों की निन्दा करते हैं और नवयुवक बृद्धों के पुरानपंथी विचारों एवं मान्यताओं की। बृद्धों के लिए अतीत उज्ज्वल होता है और नवयुवकों के लिए वर्तमान। वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है और नवयुवक भविष्य को खींचकर वर्तमान में। बृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं और नवयुवक क्रान्ति के समर्थक। पर आज के नवयुवक जब वृद्ध हो जायेंगे तब वे भी अतीत का गौरव-गान करेंगे। इस प्रकार अतीत तथा वर्तमान का, परम्परा और आधुनिकता का विरोध-चक्र घूमता रहता है। अन्ततोगत्वा परम्परा को आधुनिकता के समक्ष आत्म-समर्पण करना पड़ता है, पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है। परिवर्तन बिना, क्रान्ति बिना कोई समाज अथवा देश आगे नहीं बढ़ सकता।

काल के अनुसार समाज बदलता है, समाज की मान्यताएँ बदलती हैं। जो परम्परा अतीत में कल्याणकारी थी वह आज के युग में समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उसका परित्याग किया जाय, अन्यथा वह समाज को नष्ट-भ्रष्ट कर देगी। प्रत्येक देश का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। सर्वत्र परम्पराओं का स्थान आधुनिकता लेती रही है।

भारतवर्ष को ही लीजिए। वर्ण-व्यवस्था वैदिक युग में नितान्त आवश्यक थी, पर आज के युग में यह अभिशाप सिद्ध हो रही है। आज जातिवाद हमारी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे ऊँच-नीच का भेदभाव उत्पन्न होता है। अपनी जाति के प्रति निष्ठा एवं अंधभक्ति दूसरी जातियों के प्रति घृणा को जन्म देती है। सवर्णों और हरिजनों का संघर्ष जातिवाद का ही परिणाम है। अतः आज की परिस्थितियों में इसका परित्याग आवश्यक है। इसी प्रकार मुस्लिम शासन-काल में हिन्दुओं को कन्याओं के रक्षार्थ बाल-विवाह की आवश्यकता थी। अतः बाल-विवाह प्रचलित हुए। पर आज बाल-विवाहों की व्यवस्था अभिशाप सिद्ध हो रही है। आज परिवार-नियोजन के लिए, देश की द्रुतगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बाल-विवाह की परम्परा का परित्याग आवश्यक हो गया है और अब 18 वर्ष से कम अवस्था की लड़की तथा 21 वर्ष से कम अवस्था के लड़के के विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त शासन-व्यवस्था में भी परम्परा का स्थान आधुनिकता ने ले लिया है। अतीत में एकतंत्र शासन-प्रणाली प्रचलित थी। शासन पर एक व्यक्ति का

और उसके निधन के बाद उत्तराधिकार के रूप में उसके परिवार का आधिपत्य था। पर आज यह परम्परा समाप्त हो गयी है और इसके स्थान पर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली कायम हुई है, जिसके अनुसार प्रजा अपना शासक (राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री के रूप में) स्वयं चुनती है।

सारांश यह है कि परम्परा आधुनिकता को स्थान देती है, अतीत वर्तमान को जन्म देता है। परिवर्तन ईश्वरीय विधान है। यदि इस विधान में व्याघात उपस्थित हुआ तो फिर मानव-समाज ही नहीं समस्त सृष्टि का अस्तित्व मिट जायगा।

(34) नैतिक शिक्षा का महत्व

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—नैतिकता की महत्ता।
(2) नैतिक शिक्षा का महत्व।
(3) नैतिक शिक्षा के अभाव का दुष्परिणाम।
(4) नैतिक शिक्षा का स्वरूप।
(5) उपसंहार—नैतिक शिक्षा का परिणाम।

नैतिकता ही जीवन है। नैतिकता-रहित जीवन प्राणरहित शरीर के समान है। नैतिकता ही मानव का श्रृंगार है। अनैतिकता पशुता का प्रतीक है, दानवता का आभूषण है। नैतिकता-रहित व्यक्ति अपना ही अहित नहीं करता, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, बल्कि अपने परिवार एवं राष्ट्र का भी बड़ा अहित करता है। उसके अनैतिक आचरण से सारा परिवार दुःखी होता है, स्त्री एवं बच्चों को उसके कुकृत्यों के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। यदि कोई शराबी, जुआरी, चोर, डाकू, लुटेरा या हत्यारा हो तो उसका परिवार सदा कष्टों से घिरा रहता है। परिवार का जीवन अन्धकारमय हो जाता है, सुख-शांति की एक किरण भी उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकती, बच्चे बिगड़ जाते हैं। वे भी अपने पिता के दुराचार का अनुकरण करने लगते हैं। "एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है" कहावत के अनुसार एक अनैतिक व्यक्ति के आचरण से समूचे राष्ट्र को हानि पहुंचती है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का सूत्रपात किया जाय। बच्चों पर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव सरलतापूर्वक डाला जा सकता है। उनकी दशा उस कच्चे घड़े के समान होती है जिस पर कुम्हार कोई भी चिह्न अनायास बना सकता है, जिसको कुम्हार चाहे जैसा रूप दे सकता है। घड़े के पकने के बाद उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। इसी प्रकार बच्चों पर बाल्यावस्था में जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी होता है और आजन्म बना रहता है। इसलिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा द्वारा उनमें अच्छे आचरण की स्थापना की जाय, जिससे वे अच्छे नागरिक बनकर अपने जीवन को सफल बना सकें और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान कर सकें। विद्यालयों में उनमें नैतिकता के अंकुर उगाये जाय, सावधानी से अंकुरों की रक्षा की जाय और उन्हें पोषित किया जाय। ऐसा करने से राष्ट्र को सदाचारी एवं कर्त्तव्य-परायण नागरिक उपलब्ध हो सकेंगे।

अभी तक नैतिक शिक्षा के अभाव में राष्ट्र एवं व्यक्ति दोनों का बहुत अहित हुआ है। आज अनैतिकता का तांडव नृत्य हो रहा है। चारों ओर उसका साम्राज्य है। नैतिक

ूल्यों एवं मान्यताओं को पददलित किया जा रहा है। आचरण-भ्रष्टता बढ़ती जा रही । बेईमानी, रिश्वतखोरी, अन्याय, अत्याचार, गबन व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, ूट आदि कुकृत्यों का बाजार गर्म है। एक व्यक्ति दूसरे की रोटी छीनना चाहता है। Live and let live" (स्वयं जीवित रहो और दूसरों को जीवित रहने दो) नीति-सद्धान्त का पालन कोई नहीं करना चाहता। सर्वत्र अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, निरकुंशता, स्वार्थांधता. विश्वासघात, ईर्ष्या आदि का बोल बाला है। नैतिक शिक्षा के भाव में राष्ट्र के भावी नागरिक, राष्ट्र-नौका के भावी कर्णधार, हमारे नवयुवकों की रतूतों की झांकी कीजिए। कैसा है उनका व्यवहार? कैसा है उनका आचरण? हू-हुल्लड़, क्का-मुक्की, गाली-गलौज, लड़कियों से छेड़-छाड़, बे-टिकट यात्रा, राष्ट्रीय सम्पत्ति को ति, गुण्डागर्दी आदि उनका दैनिक कार्यक्रम है।

अब प्रश्न उठता है कि नैतिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो? क्या धर्म-ग्रन्थों के ीरस उपदेश बच्चों को रटाये जायें? क्या सदाचार के महत्व पर लिखे हुए निबन्धों को ाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जाय? क्या नैतिक शिक्षक की नियुक्ति करके उसके द्वारा तिदिन चरित्र-निर्माण पर एक घण्टा भाषण कराया जाय? नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नष्फल होगी। आवश्यकता इस बात की है कि नैतिक शिक्षा को एक पृथक् विषय के रूप ें पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाय और उसमें परीक्षा भी ली जाय। परीक्षा में उत्तीर्ण ोने के लिए अन्य विषयों की भाँति उसको भी मान्यता प्रदान की जाय। पाठ्यक्रम में भिन्न धर्म, जाति एवं देश के महान् नर-नारियों की जीवन-गाथाओं, आत्मकथाओं, स्मरणों. प्रेरणादायक नाटकों, उपन्यासों, कहानियों, कविताओं, महाकाव्यों. खण्डकाव्यों वं सन्तों की वाणियों के अंश सम्मिलित किए जायें। प्रति माह पाठ्यक्रम में सम्मिलित था-साहित्य के किसी न किसी अंश का अभिनय आयोजित किया जाय, जिससे बच्चे ाचरण की प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उदाहरण-स्वरूप बच्चे में सत्य बोलने का ण हृदयंगम कराने के लिए 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, सका अभिनय कराना भी आवश्यक होगा।

यदि उपयुक्त ढंग से तथा उपर्युक्त रूप में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, तो सका परिणाम सुखद होगा, व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए कल्याणकारी होगा। हमारी तिकता की धाक पुनः स्थापित हो जायगी। राष्ट्रोत्थान का मार्ग प्रशस्त हो जायगा। ोया हुआ सम्मान हमें पुनः प्राप्त हो जायेगा।

(35) दहेज प्रथा

रेखा—

(1) प्रस्तावना—भारतीय नारी की दयनीय दशा

(2) सती प्रथा

(3) दहेज प्रथा एवं उसके दुष्परिणाम—

(क) पारिवारिक कलह (ख) यातनाओं से ऊबकर प्राणान्त (ग) पति आदि ससुराल ों द्वारा बध (घ) विवाह-विच्छेद (ङ) माता-पिता की आर्थिक दशा पर कुठाराघात) अनमेल विवाह, व्यभिचार आदि।

(4) दहेज-प्रथा की समाप्ति के उपाय—

(क) अन्तर्जातीय एवं प्रेमाधारित विवाह (ख) आर्थिक आत्म-निर्भरता (ग) सरकार ा कड़ा प्रतिबन्ध (घ) नारी-आन्दोलन

(5) उपसंहार—दहेज प्रथा : सामाजिक कोढ़ ।

"अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी ।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।।"

भारतीय नारी की दयनीय दशा देखकर राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त की वेदन उपर्युक्त शब्दों में मुखरित हो उठी है। त्याग तथा सेवा की सजीव मूर्ति भारतीय नारि आज उपेक्षित है, समाज में उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। उसे नर के समान स्तर पर नहीं रखा गया है. नर के समान अधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं। वह स्वाधीनता से वंचित है। स्वतन्त्र वायुमण्डल में साँस लेना उसके भाग्य में कहाँ? बाल्या वस्था में उसे पिता की, युवावस्था में उसे पति की और वृद्धावस्था में उसे पुत्र की अधीनता में रहना पड़ता है। नर ने नारी पर अनेक अत्याचार किये हैं। उसे न्यायोचित अधिकारों से बंचित रखा है। उसे अपना जीवन-साथी चुनने तक का कोई अधिकार नहीं इसके लिए पिता की अनुमति अनिवार्य है। वह स्वेच्छानुसार शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए भी उसे पिता की इच्छा का अनुसरण करना पड़ता है। पति के परलोक सिधारने पर वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती, जबकि पुरुष पत्नी के जीवित रहते हुए भी पुनर्विवाह कर सकता है। इस प्रकार नर-वर्चस्व समाज ने नारी को कड़े बन्धनों से जकड़ दिया है।

आज नारी अनेक कुपरम्पराओं और कुप्रथाओं का शिकार बनी हुई है। सती प्रथानुसार उसे मृत पति की चिता में भस्म होना पड़ता है। यद्यपि सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित करते हुए दण्डनीय अपराध बना दिया है तथापि यह कुप्रथा अभी पूर्णतय समाप्त नहीं हुई है और यत्र-तत्र सती की घटनाएँ घटित होती रहती है, जो हिन्दू-समाज के लिए कलंक हैं।

दहेज अन्य कुप्रथा है, जिसके अनुसार विवाह के समय कन्या के माता-पित द्वारा वर के माता-पिता को वांछित धनराशि दहेज के रूप में देनी पड़ती है अथवा य कहिए कि वर का मूल्य चुकाना पड़ता है। उपयुक्त वर प्राप्त करने के लिए कन्या के माता-पिता यथाशक्ति अधिक से अधिक दहेज देने का प्रयास करते हैं, फिर भी कभी-कभी वर के माता-पिता सन्तुष्ट नहीं होते और अधिक दहेज की माँग करते हैं। यदि वांछित दहेज प्राप्त नहीं होता तो वधू के प्रति ससुराल में दुर्व्यवहार होता है। माता-पिता के दुलार के स्थान पर उस बेचारी को सास-ससुर का तिरस्कार मिलता है। घर में कल होता है। पति रूँठा रहता है। सास-ननद के ताने और प्रहार भी सहन करने पड़ते हैं वह छटपटाने लगती है। विवाहित जीवन के सुखों का उसका स्वप्न ध्वस्त हो जाता और वह शारीरिक एवं मानसिक कष्टों की चक्की में पिसने लगती है। क्या दुःख भोग के लिए ही उसका विवाह हुआ था? कैसी है यह विडम्बना!

इस व्यथा से मुक्त होने के लिए वह अपने जीवन का अन्त कर देती है, ससुरा की यातनाओं से ऊबकर आत्महत्या कर लेती है, दहेज-दानव पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देती है। आये दिन समाचार-पत्रों में वस्त्रों में आग लगाकर, गले में फांसी लगाक अथवा नदी में छलाँग मारकर प्राणांत करने की रोमांचकारी घटनाएँ पढ़ने को मिलत रहती हैं। इनसे मानवता कराह उठती है।

यदि कोई वधू अपने जीवन का अन्त नहीं करती और पातिव्रत-धर्म अनुसार मन-मसोसकर ससुराल की यातनाओं को सहन करती रहती है, तो उसके ससुरा वाले उसे जीवित नहीं रखना चाहते। कोई न कोई षड़यन्त्र रचकर उस बेचारी की हत

कर डालते हैं। मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला देते हैं अथवा धोखे में विषपान कराके उसका वध करते हैं। दानवता का यह कैसा तांडव नृत्य ! अत्याचार का यह कैसा अट्टहास !

कोई पीड़ित वधू विवाह-विच्छेद का मार्ग अपनाती है। जब उसके धैर्य का बाँध टूट जाता है, जब उसकी सहन-शक्ति जवाब देने लगती है, तब वह बन्धन-मुक्ति चाहती है और न्यायालय की शरण लेकर पति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती है। वह निराश्रित अबला भगवान के भरोसे अपनी जीवन-नौका संसार-सागर में छोड़ देती है और अपने बल-बूते अपना निर्वाह करती है। दीनानाथ भगवान उसकी जीवन-नौका पार कर ही देता है।

दहेज के दुष्परिणाम वधू को ही नहीं, उसके माता-पिता को भी भुगतने पड़ते हैं। वर के माता-पिता की माँग-पूर्ति हेतु पैसा जुटाने के लिए वे भरसक प्रयास करते हैं, जिससे उनके परिवार के रहन-सहन पर कभी-कभी कुप्रभाव पड़ता है और वे ऋण-ग्रस्त तक हो जाते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा तो वे खपा ही देते हैं, अपने घर तक को बेचकर दहेज के लिए धन जुटाते हैं। इसका दुष्परिणाम उनको ही नहीं वरन् उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है। वे आजीवन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ होकर गरीबी से जूझते रहते हैं। यह है दहेज का अभिशाप।

दहेज प्रथा का दुष्परिणाम अनमेल विवाह भी है ! दहेज देने में असमर्थ व्यक्तियों को अपनी पुत्रियों का विवाह वृद्ध अथवा विकलांग पुरुषों के साथ करना पड़ता है। इससे समाज में अनैतिकता भी फैलती है। धनाभाव के कारण जब गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों का विवाह दीर्घावस्था तक सम्पन्न नहीं कर पाते, तब उनकी बेटियाँ काम-वासना का शिकार होकर कभी कभी अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाती हैं। कभी-कभी वे अपने प्रेमियों के साथ घर से पलायन कर जाती हैं। कोई-कोई लोक-लज्जा के कारण ऐसा न करके अविवाहित जीवन से ऊबकर आत्महत्या कर लेती हैं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा का अन्त हो। पर कैसे इससे पिंड छुड़ाया जाय, इसका अन्त किया जाय ? अन्तर्जातीय विवाह एक साधन है। जाति के संकुचित घेरे से बाहर निकलने पर विवाह का क्षेत्र बढ़ जाता है और दहेज का बन्धन शिथिल हो जाता है। किसी जाति में अधिक दहेज लिया जाता है और किसी में कम। अतः कम दहेज वाली जाति में विवाह करने में दहेज का कम भार वहन करना पड़ेगा। पारस्परिक प्रेम पर आधारित विवाहों में भी दहेज की बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि उनमें माता-पिता की मध्यस्थता नहीं होती।

कन्या की आत्म-निर्भरता भी दहेज प्रथा की समाप्ति में सहायक सिद्ध होगी। कमाने वाली लड़कियों के लिए या तो दहेज का प्रतिबन्ध लगाया ही न जायगा या उनके विवाह में कम दहेज देना पड़ेगा। वह स्वयं चैक होगी। अतः उसे प्राप्त करने के लिए कौन हाथ नहीं बढ़ायेगा ?

यद्यपि सरकार ने दहेज-विरोधी कानूनी बनाकर दहेज प्रथा का अन्त करने का प्रयास किया है, किन्तु वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि दहेज-निषेध कानून में कड़ा दण्ड-विधान हो। दहेज का पता लगाने के लिए गुप्तचर-विभाग का उपयोग किया जाय, जिससे कोई भी दहेज-लोलुप व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच न सके।

नारी संगठनों को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। वे इस कुप्रथा के

विरुद्ध आवाज बुलन्द करें, आन्दोलन करें, जनमत तैयार करें। किशोरियाँ संकल्प कर कि वे दहेज माँगने वाले व्यक्तियों के पुत्रों का पाणिग्रहण नहीं करेंगी। प्रबुद्ध युवा-वर्ग भी संकल्प करे। किशोरों द्वारा अपने विवाहों में दहेज न लिए जाने का सकल्प करना चाहिए। वे दहेज वाले विवाहों का बहिष्कार करें। दूरदर्शन, सिनेमा, रेडियो आदि प्रचार-माध्यम दहेज-विरोधी प्रचार करें। चित्रपट पर दहेज के दुष्परिणाम, उसकी विभीषिकाएँ प्रदर्शित की जाँय। तभी इस सामाजिक कोढ़ का उपचार संभव होगा। तभी नारी इस सामाजिक अभिशाप से मुक्त होगी। तभी उसके जीवन में सुख की सुरसरि प्रवाहित होगी। तभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तभी गृहस्थ-जीवन स्वर्ग बनेगा क्योंकि —

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

(36) छात्र एवं अनुशासन

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना —अनुशासन का महत्व

(2) छात्रों को अनुशासन की आवश्यकता

(3) आजकल के छात्रों में अनुशासन का अभाव

(4) अनुशासन-हीनता के कारण।

(5) छात्रों को अनुशासन-प्रिय बनाने के उपाय।

(6) उपसंहार– भविष्य

जीवन में अनुशासन का महत्व कौन नहीं स्वीकार करेगा ? प्रकृति को देखिए उसमें सर्वत्र सदैव अनुशासन के दर्शन होते हैं। उसका प्रत्येक कार्य अनुशासन-बद्ध है। कहीं कभी किसी कार्य में शिथिलता अथवा नियमोल्लंघन नहीं देखा जाता। सूर्य-चन्द्र नियमानुसार उदय-अस्त होते हैं। दिन-रात समय की पाबन्दी का पालन करते हैं। वृक्षों का फूलना-फलना निश्चित समय पर होता है। ऋतु-परिवर्तन का नियमित चक्र है। उसमें क्रमबद्धता भी है। इस प्रकार प्रकृति मानव को अनुशासन की प्रेरणा देती है। उसका मानव को संदेश है कि उसके समान मानव भी अपने जीवन में अनुशासन की अवतारणा करे। वस्तुतः अनुशासन ही जीवन है। इसी से जीवन-कुसुम सुवासित होता है। इसी से जीवन में सफलता, सुख एवं समृद्धि की उपलब्धि होती है। यह प्रगति की सीढ़ी है।

छात्रों को तो अनुशासन की विशेष आवश्यकता है। छात्र-जीवन नागरिक जीवन की नींव है, आधार-शिला है। यह वह साँचा है जिसमें नागरिक ढलते हैं। छात्र-जीवन के अनुसार नागरिक जीवन निर्मित होता है। आज का छात्र कल का नागरिक है। शिक्षा समाप्त करके नागरिक जीवन में प्रविष्ट होने पर उसे राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के उत्थान में योगदान करना होगा। यह भी संभव है कि राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में सँभालनी पड़े। आज के छात्र में कल के जवाहर लाल नेहरू, कल के वल्लभभाई पटेल छिपे हैं। छात्र-जीवन एक साधना है। उसमें नियमों का पालन, समय की पाबन्दी, संयम, शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण, आज्ञा-पालन आदि का अभ्यास करना पड़ता हैं। अनुशासन का पाठ सीखना पड़ता है, अनुशासन का बीज बोना पड़ता है, जिससे वह विकसित होकर फूल फल रूपी सुख-समृद्धि प्रदान कर सके। अनुशासन के अभाव में छात्र न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न शिष्ट आचरण। न तो उसका स्वस्थ मानसिक विकास संभव है और न आध्यात्मिक उत्थान।

आजकल प्रायः छात्रों में अनुशासन का अभाव देखा जाता है। उनकी अनुशासन-हीनता केवल विद्यालय की परिधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालय की सीमा लाँघकर बाहर भी पदार्पण कर गयी है। विद्यालय में इसके दर्शन शोर मचाना, निर्धारित समय पर उपस्थित न होना, अकारण अनुपस्थित रहना, परीक्षा में नकल करना, प्रश्नपत्र आउट करना, फर्नीचर तोड़ना, सहपाठियों से झगड़ा करना, मारपीट करना, पुस्तकें चुराना, अध्यापकों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करना आदि के रूप में होते हैं। विद्यालय के बाहर इसके दर्शन आपस में धक्का-मुक्की करना, गाली-गलौज करना, लूट-मार करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना, सड़क के नियमों का पालन न करना आदि के रूप में होते हैं। कभी इसकी विकरालता हड़ताल, बन्द, घेराव, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि रूप धारण कर लेती है।

प्रश्न उठता है कि हमारे छात्र अनुशासनहीन क्यों हैं? उनकी अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं? इसके कारण चार प्रकार के हैं—पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक। आज के व्यस्त जीवन में माता-पिता प्रायः अपने बच्चों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। विद्यालय से लौटने पर वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, यह वे नहीं जानते। अतः बच्चे कुसंग में पड़कर बिगड़ने लगते हैं। यहीं से अनुशासनहीनता का श्रीगणेश होता है। फिर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, मिलावट, विभिन्न संगठनों की नारेबाजी, अभद्र व्यवहार आदि का उन पर कुप्रभाव पड़ता है। राजनैतिक नेताओं द्वारा अपनाये गये हथकंडों, मंत्री-स्तर तक व्यापारियों की साँठ-गाँठ विधान-सभाओं एवं संसद में जूते-चप्पलों की बौछार तथा गाली-गलोज आदि के समाचारों से भी वे अनुशासनहीनता सीखते हैं। वर्तमान दूषित शिक्षा, जो उन्हें बेरोजगारी के गर्त में ढकेलती है और दर-दर नौकरी के लिए भटकाती है, उनमें अनुशासनहीनता अंकुरित करती है। नौकरियों में आरक्षण-नीति ने भी उनके अनुशासन-बाँध को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार छात्रों के चारों ओर अनुशासनहीनता का वातावरण है।

ऐसे दूषित वातावरण में छात्रों को किस प्रकार अनुशासन-प्रिय बनाया जा सकता है? क्या उनकी अनुशासनहीनता का कोई उपचार है? सामाजिक तथा राजनैतिक विकृतियाँ दुरुस्त करना टेढ़ी खीर है। किन्तु पारिवारिक एवं शैक्षिक स्थितियों में सुधार संभव है। घर पर माता-पिता में से किसी-न-किसी को बाल-बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, उनके क्रिया-कलापों पर दृष्टि रखनी चाहिए, उन पर यथोचित नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे वे कुसंग में न पड़ें। उनके पढ़ने लिखने, सोने, खाने-पीने, मनोरंजन और खेलने का समय निर्धारित हो। वे यथास्थान अपनी पुस्तकें, लेखन-सामग्री, वस्त्र आदि रखा करें। ऐसा करने से वे घर पर ही अनुशासन का प्रारम्भिक पाठ सीखेंगे। उनके जीवन में समय की पाबन्दी एवं व्यवस्था-प्रियता का प्रवेश होगा। विद्यालय में प्रधानाचार्य की सजगता तथा कड़ा निरीक्षण छात्रों में अनुशासन विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। वह अनुशासनहीन छात्र को विद्यालय के समस्त छात्रों के समक्ष दण्डित करे, जिससे अन्य छात्र अनुशासनहीनता का साहस न कर सकें। शिक्षा को रोजगार-परक बनाने से छात्रों की नैराश्य-जन्य अनुशासनहीनता का निराकरण होगा। उज्ज्वल भविष्य की आशा में वे दत्तचित्त होकर रुचिपूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे उनका जीवन अनुशासन-बद्ध होगा। छात्र अनुकरण प्रिय होते हैं। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि शिक्षक विद्यालय में पूर्णतया अनुशासन का पालन करें। वे ठीक समय पर विद्यालय और कक्षा में उपस्थित हों, गप्प-शप्प में समय नष्ट न करें, परीक्षा में नकल कराने अथवा प्रश्न-पत्र आउट कराने की कुचेष्टा न करें। इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

सारांश यह है कि राष्ट्र-हित एवं छात्र-हित दोनों की दृष्टि से अनुशासन का बड़ा महत्व है। इसके बिना छात्र जीवन में न सफलता प्राप्त कर सकता है और न सुख, न उन्नति प्राप्त कर सकता है और न समृद्धि, न चरित्र का निर्माण कर सकता है और न व्यक्तित्व का विकास। वस्तुतः अनुशासन वह कड़ुआ रसायन है जिसका सेवन करने से छात्र में मानसिक एवं आत्मिक पुष्टता आती है, जो उसे भावी जीवन में राष्ट्र का सक्षम नागरिक बनाता है, जो राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(37) प्रगतिशील भारत में छात्रों की भूमिका

अथवा

भारत के नव-निर्माण में छात्रों का योगदान

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—प्रगति के पथ पर भारत के चरण।

(2) छात्रों की भूमिका—

(क) श्रमदान (ख) प्रौढ़-शिक्षा में योगदान (ग) परिवार-नियोजन सम्बन्धी जन-जागरण (घ) सामाजिक कुरीतियों के निराकरण में सहायता (ङ) साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद के विरुद्ध अभियान

(3) उपसंहार—छात्रों की भूमिका का महत्व

आज हमारा देश प्रगति-पथ का पथिक है। क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, क्या राजनैतिक, क्या शैक्षिक सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। प्रगति के लिए जन-सहयोग अपेक्षित है, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं। देश की शिक्षित युवा-शक्ति इस कार्य में सराहनीय भूमिका अदा कर सकती है।

आजकल नव-निर्माण की कई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। उनमें कुछ को श्रमदान की आवश्यकता है। छात्र श्रमदान करें। यह कार्य उनके लिए सुलभ है। हमारा देश गरीब है। हमारे यहाँ धन की कमी है, पर जनशक्ति की कमी नहीं। अतः धन की कमी की पूर्ति जनशक्ति से करनी होगी। बड़े-बड़े ऊसर भूभागों को कृषि-योग्य बनाना, यातायात के लिए जनमार्ग तैयार करना, सिंचाई हेतु नहरों, कुओं अथवा तालाबों को गहरा करना, नदियों के जल-संचय हेतु बांध बनाना, मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए गन्दे पानी के गड्ढ़ों को पाटना, वृक्षारोपण आदि सार्वजनिक हित के कार्य श्रमदान द्वारा संभव हैं। छात्र ग्रीष्मावकाश में यह कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। प्रत्येक ग्राम में पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, अध्यापकों की देखरेख में छात्र श्रमदान करें।

हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है। बालक-बालिकाओं में तो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, किन्तु अधिकांश प्रौढ़ नर-नारियों की दशा संतोषजनक नहीं है। लाखों लोगों के लिए 'काला अक्षर भैंस बराबर' ही है। अतः प्रौढ़ शिक्षा हेतु आन्दोलन होना चाहिए। इस राष्ट्रोपयोगी कार्य को छात्र-वर्ग अपने हाथ में ले। 'Each one teach one' नारा बुलन्द करता हुआ प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रौढ़ को ग्रीष्मावकाश में साक्षर करे। प्रौढ़ माताओं और बहिनों को साक्षर करने के कार्य छात्राएँ अपने हाथ में लें। साक्षर करने के साथ-साथ साक्षरता कायम रखने का भी प्रयास वांछनीय है। इसके लिए वाचनालयों की स्थापना की जाय। प्रत्येक गाँव में एक वाचनालय हो, जहाँ अवकाश के समय गाँव के लोग समाचार-पत्र पढ़कर देश-विदेश के समाचारों से परिचित हो सकें। वाचनालयों का व्यय-भार गाँव के सम्पन्न व्यक्ति सामूहिक रूप से वहन करें।

हमारे देश की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। तेतीस करोड़ की जनसंख्या आज बढ़कर अस्सी करोड़ हो गयी है। इसे नियंत्रित करने की महती आवश्यकता है, अन्यथा भुखमरी फैलेगी, गरीबी आकाश को चूमेगी। सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु परिवार-नियोजन कार्यक्रम निर्धारित किया है। 'हम दो हमारे दो' नारा गाँव-गाँव और जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रचार हेतु टेलीविजन और रेडियो का भी आश्रय लिया जा रहा है। इस राष्ट्र-कल्याणकारी कार्य में छात्र सरकार का हाथ बटा सकते हैं। वे अपने निवास-स्थान के आस-पास के परिवारों को परिवार-नियोजन के लाभों से परिचित कराते हुए अपने परिवार को दो बच्चों तक ही सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार जन-जागरण में छात्र महत्वपूर्ण योग-दान करें।

अनेक सामाजिक कुरीतियाँ हमारे देश की प्रगति में, उसके नव-निर्माण में बाधक सिद्ध हो रही हैं। दहेज की कुप्रथा को ही लीजिए। इस कुप्रथा का शिकार होकर न जाने कितनी होनहार किशोरियाँ, जो राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकती थीं, अकाल ही काल के गाल में चली जाती हैं। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए छात्र सर्वाधिक सक्षम हैं। वे प्रतीज्ञा करें कि अपने विवाह में माता-पिता को दहेज न लेने देंगे। यदि माता-पिता इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो वे विवाह का बहिष्कार करेंगे।

हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार हमारे समाज की अन्य कुरीति है। हम हरिजनों को निम्न समझते हैं। उनके साथ खान-पान, उठता-बैठना हमें असहनीय है। यहाँ तक कि मेहतर को स्पर्श करने से हमें घृणा है। हम हरिजनों को मन्दिरों में पूजा नहीं करने देते, कुओं से पानी नहीं लेने देते, विद्यालयों में साथ बैठकर पढ़ने नहीं देते और अपने मोहल्ले में बसने नहीं देते। इस प्रकार का भेदभाव हमारे देश की प्रगति में बाधक बना हुआ है। जब तक हरिजनों को ऊँचा उठाकर समान स्तर पर नहीं लाया जायगा, तब तकराष्ट्र का सम्यक् विकास संभव नहीं है। जाति-पाँति ने समाज को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट रखा है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुँची है। छात्र हरिजनोद्धार तथा जाति-पाँति-समाप्ति की दिशा में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अन्तर्जातीय विवाह और हरिजनों के साथ बैठकर खान-पान द्वारा वे स्वयं समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें।

साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता एवं भाषावाद की समस्याएँ हमारे राष्ट्र के लिए अभिशाप बनी हुई हैं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से घृणा करता है और उसे मिटाना चाहता है। आए दिन साम्प्रदायिक संघर्ष होते रहते हैं। क्षेत्रीयता की संकीर्ण कुप्रवृति भी राष्ट्र के लिए अहितकर है। प्रत्येक क्षेत्र के निवासी निजी क्षेत्र के हित की बात ही सोचते हैं। उनके लिए वही समूचा राष्ट्र है, पूरा देश नहीं। यह संकीर्ण प्रवृत्ति राष्ट्र को विश्रृंखल कर रही है। तभी तो खालिस्तान आदि पृथकतावादी आन्दोलन पनप रहे हैं। भाषावाद भी खतरनाक है। हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं। सभी को अपने-अपने क्षेत्र में विकास की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फिर भी भाषावाद की संकुचित मनोवृत्ति से कुछ लोग अपनी भाषा को समूचे राष्ट्र पर थोपना चाहते हैं, उसे राष्ट्रीय स्तर के कामकाज का माध्यम बनाना चाहते हैं। छात्र-वर्ग को इन अराष्ट्रीय तत्वों के विरुद्ध अभियान छोड़ना चाहिए।

वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित युवा, वर्ग राष्ट्र-प्रगति के पथ को प्रशस्त कर सकता है। भारत-माता अपने सपूतों का आह्वान कर रही है अपने मार्ग के कंटक बटोरने के लिए, आगे बढ़ने को सहारा देने के लिए। क्या उसके शूर, साहसी एवं सक्षम युवा पुत्र और पुत्रियाँ उसकी सहायता नहीं करेंगे। हम सबका परम कर्तव्य है कि —

"बढ़ें आगे सेवार्थ सहर्ष।
हमारा प्यारा भारत वर्ष॥"

(38) राष्ट्रीय एकता

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना—हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की कमी के दुष्परिणाम।

(2) राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता।

(3) राष्ट्रीय एकता की स्थापना के साधन—

(क) राष्ट्रभाषा हिन्दी की मान्यता (ख) साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता एवं भाषावाद का निवारण (ग) जातीय भेद-भाव का निराकरण (घ) पृथकतावादी आन्दोलनों का दमन (ङ) अन्तर्जातीय एवं अन्तर्प्रादेशिक विवाह (च) अन्तर्प्रादेशिक उत्सवों, मेले एवं सम्मेलनों की आयोजना।

(4) उपसंहार—राष्ट्रीय एकता की महत्ता।

प्राचीन काल में जब-जब देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव हुआ तभी देश पर वज्रपात हुआ, तभी देश संकट-ग्रस्त हुआ। राष्ट्रीय एकता के अभाववश पोरस को विदेशी आक्रमणकारी सिकन्दर से एवं पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी से पराजित होना पड़ा और देश में पहले यूनानी तथा बाद को इस्लामी शासन कायम हुआ। राष्ट्रीय एकता की कमी से बाद में देश अंग्रेजी शासन के चंगुल में फँसा, भारत-माता गुलामी की बेड़ियों से जकड़ दी गयी, देश का आर्थिक शोषण हुआ। वह देश जो 'सोने की चिड़िया' था तन ढकने के लिए भी परमुखापेक्षी हो गया। वह देश जिसमें घी-दूध की नदियाँ बहती थीं छाछ के लिए भी मोहताज हो गया। इस दुर्दशा से महात्मा गांधी आदि देशभक्तों की आत्मा व्यथित हुई और उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया। भारत-माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए जनता का आह्वान किया। राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हुई, राष्ट्रीय एकता कायम हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप देश स्वतन्त्र हुआ। भिन्न-भिन्न प्रदेशों को केन्द्रीय शासन-सूत्र में पिरोकर राजनैतिक एकता कायम की गयी। पर राष्ट्रीय एकता पलायन कर गयी। इसका प्रमुख कारण विविध धर्म, जाति, भाषा और प्रदेश-सम्बन्धी स्वार्थलिप्त आकांक्षाएँ हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या विविधता राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है? क्या विविध धर्म, जाति, भाषा तथा प्रदेश वाले लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार विविध रंग के फूल एक सूत्र में पिरोये जाने पर सुन्दर हार बनाते हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझते हुए स्वार्थों को तिलांजलि दी जाय। एकता राष्ट्र को शक्ति देती है। इसके अभाव में राष्ट्र शक्तिहीन हो जाता है। वही राष्ट्र का प्राण है। जब तक वह कायम रहती है, राष्ट्र कायम रहता है। जब वह टूटती है, राष्ट्र टूट जाता है, राष्ट्र बिखर जाता है।

अतः राष्ट्रीय एकता की पुनर्स्थापना के लिए अनेक साधन अपनाये जा रहे हैं। समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा स्वीकार की गयी है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं को विकास हेतु सभी सुविधाएँ दी गयी हैं, पर राष्ट्रीय स्तर के कामकाज के लिए हिन्दी का चयन किया गया है। इससे मुसलमान और दक्षिण निवासी कुछ लोग असंतुष्ट हैं। मुसलमान उर्दू के हिमायती हैं और दक्षिण वाले अंग्रेजी के। किन्तु देश के कोने-कोने में प्रचलित होने के कारण हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के सर्वाधिक उपयुक्त है। उसी को प्रत्येक देशवासी राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान करे।

साम्प्रदायिकता एक विकट समस्या है। इसी ने देश को विभाजित करके पाकिस्तान को जन्म दिया। आज भी वह राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप बनी हुई है। हमारे देश

में अनेक सम्प्रदाय हैं, जो छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से लड़ते हैं। क्षेत्रीयता की भावना भी बहुत हानिकारक है। एक क्षेत्र के निवासी दूसरे क्षेत्र के निवासियों को विदेशी जैसा समझते हैं। अपने क्षेत्र के प्रति ही उनमें निष्ठा होती है। भाषावाद भी बहुत अहित कर है। भाषा के आधार पर प्रदेश-निर्माण की माँग की जाती है। एक भाषा-भाषी दूसरी भाषा-भाषी जनता से घृणा करते हैं। इन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। हमें स्वार्थ के संकुचित घेरे से बाहर निकलकर पारस्परिक सद्भाव के सहारे एक दूसरे के निकट आना चाहिए और सार्वजनिक हितार्थ राष्ट्रीय एकता की पुनर्स्थापना करनी चाहिए।

जातीय भेद-भाव का निराकरण भी अपेक्षित है। यह भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ऊँच-नीच की भावना, हरिजनों का तिरस्कार, अस्पृश्यता आदि निन्दनीय हैं। हरिजनों को भी अपना भाई समझकर हमें पूजा-स्थलों, विद्यालयों, भोजनालयों, जलाशयों, जलपान गृहों आदि के द्वार उनके लिए खोल देना चाहिए।

पृथकतावादी आन्दोलनों का दमन राष्ट्रीय एकता के लिए परम आवश्यक है। खालिस्तानी आन्दोलन देश को खण्डित करके पृथक् खालिस्तान नामक प्रदेश बनाना चाहता है। पाकिस्तान आदि कतिपय देश गोपनीय रूप से इस आन्दोलन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से जनता को आतंकित किया जा रहा है। नृशंस हत्या बम-विस्फोट एवं लूटमार करके आन्दोलनकारियों ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया है। इन आतंकवादी देश-द्रोहियों को सख्ती से कुचला जाना चाहिए।

अन्तर्जातीय एवं अन्तर्प्रदेशिक विवाह भी राष्ट्रीय एकता की उपलब्धि में योगदान कर सकते हैं। भारत सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनान की राजकुमारी हैलेन से विवाह करके भारत यूनानी मैत्री की नींव डाली थी। मुगल-सम्राट अकबर ने भी यह साधन अपनाया था। उसने राजपूत-कन्या जोधाबाई का पाणि-ग्रहण करके राजपूतों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किया था।

अन्तर्प्रदेशिक उत्सवों, मेलों एवं सम्मेलनों की आयोजना भी अच्छा साधन है। जब विभिन्न प्रदेशों के निवासी साथ-साथ बैठेंगे, उठेंगे, खायेंगे, पीयेंगे, विचार-विमर्श करेंगे, गायेंगे, बजायेंगे तब उनमें पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होगा। यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्र-ध्वज, एक राष्ट्र-चिह्न और राष्ट्रीय-पर्व भी राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व हैं।

अन्त में यही कहना है कि राष्ट्रीय एकता वह रसायन है जो राष्ट्र को पुष्टता प्रदान करता है। यह वह संजीवनी बूटी है जो मरणासन्न राष्ट्र की प्राण-रक्षा करती है। इसकी नितान्त आवश्यकता है हमें अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, जिसका निर्माण न जाने कितने बलिदानों से, न जाने कितनी तपस्या से, न जाने कितना साधना से हुआ और जिसको इसके निर्माता यह कहते हुए हमें सौंपा गये हैं —

"तूफां से लाए देश की नौका निकालकर।
डूबने देना इसे मत, रखना सँभालकर॥"

(39) राष्ट्र-भाषा हिन्दी की समस्याएँ (1989)

रूपरेखा —(1) प्रस्तावना—देश को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता।
(2) राष्ट्र भाषा—आसन पर आसीन हिन्दी की समस्याएँ
(क) अंग्रेजी का वर्चस्व (ख) मुसलमानों द्वारा विरोध (ग) दक्षिण के कतिपय अहिन्दी भाषी प्रदेशों द्वारा विरोध।

(3) दुष्परिणाम।

(4) उपसंहार—निष्कर्ष।

राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता कौन स्वीकार नहीं करेगा ? राष्ट्रभाषा द्वारा राष्ट्र की भिन्न-भिन्न इकाइयाँ एकता के सूत्र में पिरोयी जा सकती हैं, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। उसके अभाव में विभिन्न प्रदेशों की स्थिति ऐसी हो जायगी जैसी पृथक-पृथक देशों की, जिनकी भाषा पृथक-पृथक होगी। फिर उनको संगठित करके एक राष्ट्र कैसे बनेगा ? पर ध्यान रहे कि राष्ट्रभाषा प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं लेती। वह तो केवल अन्तर्प्रादेशिक पत्र-व्यवहार, राष्ट्रीय स्तर के कामकाज तथा विभिन्न प्रदेशों के मध्य विचार-विनिमय का माध्यम होती है। प्रदेशों के अन्दर प्रादेशिक भाषाएँ ही समस्त काम-काज और शिक्षा-दीक्षा का माध्यम होती हैं। इस प्रकार राष्ट्रभाषा एव प्रादेशिक भाषा दोनों के पृथक-पृथक् क्षेत्र होते हैं। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में विकास तथा प्रगति करती हैं।

हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि यद्यपि देश को स्वतन्त्र हुए चालीस वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तथापि अभी तक हमारी राष्ट्र-भाषा का प्रश्न खटाई में पड़ा हुआ है। हमारे संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किए जाने के उपरान्त भी अंग्रेजी उसका स्थान हड़पे हुए है। भारत-सरकार का सम्पूर्ण कामकाज अंग्रेजी में होता है। संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएँ अंग्रेजी में ली जाती हैं। लज्जा की बात है कि अंग्रेजी शासन की गुलामी से मुक्त होने पर भी हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी अपनाए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, विनोबा भावे आदि महापुरुषों ने अहिन्दी भाषी होते हुए भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की हिमायत की थी, क्योंकि देश की समस्त भाषाओं में हिन्दी को ही उन्होंने इसके उपयुक्त समझा था।

तो भी स्वतन्त्र भारत में हिन्दी को आज राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त नहीं है। उसका स्थान अंग्रेजी हड़पे हुए है, जिसका ज्ञान जनता के केवल सात प्रतिशत भाग को है। उसमें भी वह बोलचाल की भाषा नही बन पायी है, क्योंकि उस भाग के परिवारीजन अंग्रेजी नहीं जानते। गाँधीजी ने इस सम्बन्ध में आज से पचास वर्ष पूर्व जो बात कही थी वह आज भी अक्षरशः सत्य है। उन्होंने 'हरिजन' नामक समाचार-पत्र में लिखा था—

"अंग्रेजी ने हमारा बहुत नुकसान किया है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने मेरे व मेरे परिवारीजनों के बीच एक ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया है जिसे पार नहीं किया जा सकता। मैं अपने घर में ही अजनवी हो गया हूँ, क्योंकि मेरे परिवारीजनों ने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं पायी है।"

अंग्रेजी के वर्चस्व से हमारे राष्ट्र का बहुत अहित हो रहा है। अंग्रेजियत भारतीयता का गला घोंट रही है। अंग्रेजी सभ्यता हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है। खान-पान, वेश-भूषा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तक कि 'पिताजी' और 'माताजी' का स्थान 'मम्मी' और 'पापा' ने ले लिया है। भारतीय स्तर की परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण मातृभाषा के माध्यम से शिक्षित अगणित प्रतिभासम्पन्न नवयुवकों की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध है। उनका भविष्य अन्धकारमय है। अंग्रेजी-माध्यम से शिक्षित अपेक्षाकृत हीन प्रतिभावाले मुट्ठीभर नवयुवक उनको कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनको तो हानि हो ही रही है, राष्ट्र को भी मेधावी एवं प्रतिभाशाली नागरिकों की सेवाओं से वंचित रहने के कारण अपार क्षति उठानी पड़ रही है। पर इसकी चिन्ता किसे है ?

वास्तविक वस्तुस्थिति यह है कि अंग्रेजीदाँ सात प्रतिशत व्यक्ति जो देश के भाग्य-विधाता बने हुए हैं, जो देश के शासन की बागडोर सँभाले हुए हैं जिससे कि उनका तथा उनकी भावी पीढ़ियों का वर्चस्व कायम रहे और जनता की प्रतिभा उभरकर ऊपर उठकर उन्हें पद्च्युत न कर सके। यही स्वार्थलिप्त आकांक्षा हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग में रोड़ा बनी हुई है। अंग्रेजी के विरुद्ध आज प्रबल आन्दोलन हो रहा है। संघ लोक-सेवा आयोग के भवन के सामने सत्याग्रह किया जा रहा है। प्रदर्शन, भूख-हड़ताल, अनशन करने पर भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रश्न उठता है कि क्या आयोग अंग्रेजी की अनिवार्यता थोपकर प्रत्याशियों की प्रतिभा एवं क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है अथवा मुट्ठीभर अंग्रेजीदाँ लोगों की स्वार्थ-रक्षा ? क्या वह जनता के मातृभाषा-माध्यम से शिक्षित तिरानबे प्रतिशत भाग की बौद्धिक उत्कृष्टता की अवहेलना नहीं कर रहा है ? लोकतन्त्र का यह कैसा उपहास ! न्याय का यह कैसा मखौल !

दूसरी समस्या है मुसलमानों द्वारा विरोध। मुसलमान हिन्दी का विरोध करते हैं और इसे राष्ट्रभाषा बनाना उन्हें अखरता है। वे उर्दू को राष्ट्रभाषा-पद पर आसीन करना चाहते हैं। यह है साम्प्रदायिक संकीर्ण मनोवृत्ति। अधिकांश हिन्दुओं की भाषा होने के कारण मुसलमानों को हिन्दी से द्वेष है। उर्दू में राष्ट्रभाषा का एक भी गुण नहीं है। न वह हिन्दी की भाँति देश के कोने-कोने में प्रचलित है, न उसकी लिपि वैज्ञानिक है और न उसका देश की प्राचीन संस्कृति से सम्बन्ध है। दूषित लिपि होने के कारण उर्दू में लिखा हुआ वाक्य कभी-कभी गलत पढ़ लिया जाता है। जैसे—'चाचाजी अजमेर गये हैं' वाक्य को 'चाचाजी आज मर गये हैं' पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कतिपय ध्वनियों के लिए उर्दू में एक से अधिक वर्ण हैं। हिन्दी में यह दोष नहीं है। फिर उर्दू को कैसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है ?

तीसरी समस्या है कतिपय अहिन्दी-भाषी प्रदेशों द्वारा विरोध, जिनमें तमिलनाडु प्रमुख है। यद्यपि इन प्रदेशों की भाषाओं को अपने विकास एवं संवर्द्धन की समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथापि यहाँ के निवासी हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करना चाहते और इसके स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने के हिमायती हैं। अपने देश की भाषा का परित्याग करके विदेशी भाषा की गुलामी उन्हें पसन्द है। यह अराष्ट्रीय मनोवृत्ति कितनी निन्दनीय है !

निष्कर्ष यह है कि जन-कल्याण एवं राष्ट्रहित की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है कि अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करके हिन्दी को राष्ट्रभाषा के आसन पर प्रतिष्ठित किया जाय। अंग्रेजी का अध्ययन ऐच्छिक हो, अनिवार्य नहीं। वह किसी पर थोपी न जाय। वह मातृभाषा के माध्यम से शिक्षित होनहार नवयुवकों के प्रगति-मार्ग में बाधक न बने। सबके लिए उन्नति के मार्ग समान रूप से खुले हों। तभी राष्ट्र को योग्यतम नागरिकों की सेवाएँ उपलब्ध होंगी और तभी राष्ट्र का समुचित विकास होगा। आशा है, अंग्रेजी के पुजारियों में सद्बुद्धि का संचार होगा और वे हिन्दी को उसके न्यायोचित अधिकार से वंचित नहीं रखेंगे। सचमुच हिन्दी की उन्नति में राष्ट्र की उन्नति निहित है। भारतेन्दुजी ने ठीक ही कहा है--

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।"

(40) मेरे सपनों का भारत (1989)

रूपरेखा—(1) प्रस्तावना—मेरा महान देश।

(2) अपने देश के लिए मेरे सपने—

(क) धनधान्य की प्रचुरता (ख) आवास-सुविधा (ग) बेरोजगारी का अन्त (घ) चिकित्सा-सुविधा (ङ) शिक्षा-सुविधा (च) न्याय-सुविधा (छ) उन्नति के समान अवसर (ज) राष्ट्रीय एकता (झ) नैतिकता।

(3) उपसंहार—हमारा कर्तव्य।

"मेरे भारत की माटी है चन्दन और अबीर।
सौ-सौ नमन करूँ मैं मैया, सौ-सौ नमन करूँ ॥"

सचमुच मेरी देश की धरती का कण-कण वन्दनीय है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत जैसे स्वर्गोपम देश में जन्म लिया, जहाँ की शस्य-श्यामला वसुन्धरा, मुस्कराती हुई वनस्थली, हेमकलश-वाहिनी उषा, पीयूषवर्षी चन्द्रिका एवं कल-कल नाद करती हुई सरिताओं से शृंगारित शैल-श्रेणी मन मोहित करती हैं, जहाँ की श्रेष्ठ संस्कृति एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना सराहनीय है, जो संत-महात्माओं के पुनीत चरण-चिह्नों से चिह्नित है, जो स्वतन्त्रता के पुजारी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी एवं महारानी लक्ष्मीबाई, सती सावित्री, उर्मिला एवं यशोधरा तथा भक्त-शिरोमणि मीरा, कबीर, सूर एवं तुलसी के यश-सौरभ से सुरभित है, जो मानवता की जन्मभूमि है।

पर आज इसकी हीनावस्था है। यह कैसा हो? इसके लिए मैंने क्या सपने सँजोये हैं? मैं चाहता हूँ कि यह पूर्ववत् उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो, महात्मा गाँधी का रामराज्य का सपना साकार हो, जिसमें न कोई दरिद्र था, न कोई दीन, न कोई दुःखी। सब सुखी एवं सम्पन्न थे। सब में पारस्परिक प्रेम था, भेदभाव नहीं। नैतिकता थी, आचरण-हीनता नहीं। मेरा प्रथम सपना यह है कि भारत में धन-धान्य की प्रचुरता हो। न कोई भूखा हो और न कोई नंगा। आज तो भारत-माता के न जाने कितने अभागे लाल भूख से तड़प-तड़पकर दम तोड़ देते हैं, न जाने कितने लाल वस्त्राभाव में ठंड से ठिठुरते हैं, जाने कितने लाल अपने लिए जाँघिया-मात्र तथा अपनी पत्नी की लाज ढकने के लिए केवल एक साड़ी जुटा पाते हैं और बच्चों को नंगे रखते हैं। ऐसी दुर्दशा का अन्त होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देश में न कोई व्यक्ति अभाव-ग्रस्त रहे और न कोई गरीबी का शिकार हो। आर्थिक विषमता का अन्त हो। यह नहीं कि एक दाने-दाने को तरसे और दूसरा धन में गड़ा हो।

मेरा अन्य सपना यह है कि प्रत्येक देशवासी को आवास-सुविधा प्राप्त हो। प्रत्येक के पास अपना घर हो, जिसमें वह अपने परिवार-सहित हर ऋतु में सुखपूर्वक निवास कर सके। आज तो आवास-समस्या इतनी विकराल है कि अपने घर की बात तो दूर रही, किराये पर भी अनेक लोगों को मकान नहीं मिल पाता। कितने ही अभागों को सड़क के किनारे फुटपाथों पर रात काटनी पड़ती है, अथवा गंदे स्थानों पर बनी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहना पड़ता है।

भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याओं के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि देश में बेरोजगारी समाप्त हो। हर हाथ के लिए काम हो, हर व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करे। यह सपना कैसे साकार हो? इसके लिए सरकार को देशभर में उद्योग-धंधों का जाल बिछाना होगा, हस्त-उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। गाँव-गाँव में प्राचीन घरेलू उद्योगों को पनपाना होगा, जिनका गला मशीनों ने घोंट दिया है। देश के औद्योगिक विकास में मशीनों का योगदान ऐसा होगा कि वे हस्त-उद्योगों के क्षेत्र में पदार्पण न करें। खेतों में भरपूर उत्पादन हेतु सिंचाई-साधनों में वृद्धि करनी होगी तथा उत्तम बीजों,

उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, समुन्नत तकनीक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। फल-स्वरूप हमारे देश में धन की वर्षा होगी और यह समृद्ध होकर पुनः 'सोने की चिड़िया' हो जायगा।

मेरा अन्य सपना है हर व्यक्ति को चिकित्सा-सुविधा की उपलब्धता। कम से कम साधनहीन व्यक्तियों को तो यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो। आज तो वे बेचारे रोग-ग्रस्त होने पर कुत्ते की मौत मरते हैं, अकाल ही काल के गाल में चले जाते हैं अथवा आजीवन आहत-पीड़ित बने रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा गाँव-गाँव में स्वास्थ्य एवं प्रसूति-केन्द्रों की स्थापना की जाय।

मेरा अन्य सपना है शिक्षा-सुविधा की उपलब्धता। यह सुविधा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर तक सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाय। गरीब बच्चों को विद्यालय के मध्यावकाश में उपाहार दिया जाय। धनी-निर्धन सभी प्रकार के बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो, जिससे देश में वर्ग-भेद न उत्पन्न हो। प्रौढ़ों एवं वयस्कों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। शिक्षा रोजगार-परक हो, जिससे शिक्षा समाप्त करने के बाद नवयुवक अपनी जीविका उपार्जन करने में सक्षम हों, नौकरी के लिए दर-दर न भटकें।

मैं चाहता हूँ कि न्याय-सुविधा जन-जन को सुलभ हो। उसे प्राप्त करने के लिए न चिरकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़े और न अधिक व्यय। "Justice delayed is justice denied" के अनुसार न्याय में विलम्ब न्याय के लिए घातक सिद्ध होता है। व्यय-साध्य होने के कारण न्याय की प्राप्ति गरीब व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर हो जाती है।

प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। सिफारिश, भाई-भतीजा-वाद, साँठ-गाँठ, तिकड़म, जुगाड़, चमचागीरी, रिश्वत, राजनैतिक प्रभाव आदि की सहायता से अक्षम व्यक्ति सक्षम व्यक्ति को रौंदता हुआ उन्नति के मार्ग में आगे न बढ़ सके। निष्पक्षतापूर्वक योग्यता की कसौटी पर कसकर ही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु चयन किया जाय। ऐसा करने से देश का प्रशासन सुचारु रूप से चलेगा और प्रतिभा का पलायन विदेशों को नहीं होगा।

राष्ट्रीय एकता मेरा अन्य स्वप्न है। सारा देश एकता-सूत्र से बँधा हो। धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातीय भेदभाव आदि कुप्रवृत्तियाँ उसकी एकता पर कुठाराघात न कर सकें। संकीर्णता एवं स्वार्थ राष्ट्रहित के मार्ग में रोड़े न अटकाएँ। साम्प्रदायिकता विष है। धर्मान्धता पिशाचिनी है। इनसे न जाने कितने लोगों के प्राण जाते रहते हैं, न जाने कितनी सम्पत्ति नष्ट होती रहती है। वास्तव में धर्म का संदेश प्रेम है। उसका कार्य हृदयों का जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सचमुच—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा।"

मैं उस स्वर्णिम दिन की कामना करता हूँ जब समस्त भेदभाव दूर होकर, सारी विविधताएँ एक सूत्र में इस प्रकार गुँथ जायेंगी जिस प्रकार माला में विविध रंगों के फूल।

नैतिकता, आचरण की श्रेष्ठता भी अपेक्षित है, जिससे हमारा देश भौतिकता के जंगल में फँसकर आध्यात्मिकता से वंचित न हो जाय। हमारी संस्कृति का मूलाधार सदाचार है। आज यह आधार डगमगा गया है और हमारे देश में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय तक बिक रहा है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से सदाचार की पुनर्स्थापना की जाय।

अतः आइए हम संकल्प करें कि अपने देश को ऊँचा उठाने के लिए उसका नव निर्माण करने के लिए प्राणपण से जुटेंगे और बड़े से बड़ा बलिदान करने में भी नहीं हिचकिचायेंगे, जिससे "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा" उक्ति यथार्थ प्रमाणित हो और हमारी संस्कृति के "वसुधैव कुटुम्बकम्', के मंजु घोष से सारा विश्व प्रतिध्वनित हो जाय।

(41) राजस्थान के दर्शनीय स्थल (1989)

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—राजस्थान की महत्ता

(2) राजस्थान के दर्शनीय स्थल —
(क) जयपुर (ख) जोधपुर (ग) उदयपुर (घ) आबू (ङ) कोटा (च) अजमे

(3) उपसंहार—प्रेरणा के स्रोत

"वीर-प्रसविनी है यह धरती राजस्थान प्रदेश की।
बलिदानों से सुरभित माटी राजस्थान प्रदेश की।"

सचमुच राजस्थान की भूमि को स्वतन्त्रता का अलख जगाने वाले वीर-रत्न महाराणा प्रताप, महावीर दुर्गादास, बलिदान की सजीव मूर्ति पन्ना धाय, सती-शिरोमणि महारानी पद्मिनी आदि महान विभूतियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। इसकी रज में इनकी भस्म की सुरभि विद्यमान है। इन वीर-वीरांगनाओं के बलिदानों की आहुतियों ने स्वतन्त्रता का श्रृंगार और आर्य-संस्कृति का मस्तक ऊँचा किया है। भक्ति के क्षेत्र में भी राजस्थान की कीर्ति-पताका गगन-स्पर्शी है। जन-मानस को आप्लावित करने वाले भजनों की गायिका भक्तश्री मीरा के पावन संगीत की स्वर-लहरी से क्या कुटीर क्या प्रासाद सभी ओत-प्रोत हैं। ऐसी है महत्ता राजस्थान की।

यों तो राजस्थानी में अनेक स्थल दर्शनीय हैं जिनसे राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी परम्परा झाँकती है, पर उनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आबू, कोटा तथा अजमे नगर प्रमुख हैं।

जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबों का नगर कहा जाता है प्राचीन काल में जयपुर-केन्द्रित पृथक् राज्य था और मुगलों के शासन काल में समृद्धि पा था। यहाँ के राजा मानसिंह की बूआ जोधाबाई का विवाह मुगल-सम्राट अकबर के साथ हुआ था। यह बहुत सुन्दर है। यहाँ के भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आमेर का किला, जन्तर-मन्तर, राजमहल तथा संग्रहालय दर्शनीय हैं नगर के मध्य हवामहल एवं चन्द्रमहल स्थित हैं। हवा महल की छटा पर्यटकों क आकर्षित करती है। यह भवन-निर्माण कला का अनूठा नमूना है। यदि इसे जयपुर क ताजमहल कहें, तो अत्युक्ति नहीं होगी।

जोधपुर राजस्थान का अन्य प्रसिद्ध नगर है। पहले जोधपुर को पृथक रियासत थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राजस्थान प्रदेश में उसका बिलय हो गया। इ नगर के राजमहल एवं छीतर पैलेस दर्शनीय स्थल हैं। ये पच्चीकारी, चित्रकारी औ स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। जोधपुर-निवासियों में राजस्थान की परम्परा की झलक आज भी देखी जाती है। उनकी वेश-भूषा पर प्राचीनता की छाप है। आकर्षक वेश-भूषा के भक्त हैं।

उदयपुर नगर का सम्बन्ध महाराणा प्रताप से है। यह उनके राज्य मेवाड़ की राजधानी था। यह वीरता एवं त्याग का प्रतीक तीर्थ-स्थल है। इसे महाराणा प्रताप के पावन चरण-चिह्नों से चिह्नित होने का गौरव प्राप्त है। इसके निकट अरावली पर्वत है। मेवाड़ का यह प्रहरी आज भी अपना सिर ऊँचा किये खड़ा है। यहीं जातीय गौरव के संरक्षक महाराणा प्रताप ने कुटी बनाकर निवास किया था। पास ही हल्दीघाटी का मैदान है जिस पर महाराणा प्रताप के शौर्य तथा उनके घोड़े चेतक की स्वामिभक्ति की अमर कथा अंकित है। हल्दीघाटी की पवित्र माटी पर उनकी वीरता की प्रेरणादायक कथा लिखी हुई है। आज भी उनकी देश-सेवा का आमरण व्रत मातृभूमि की रक्षा का दृढ़ सकल्प एवं स्वाधीनता-प्रेम हल्दीघाटी में मुखरित है। आज भी उनकी निम्नांकित प्रतिज्ञा से अरावली पर्वत गूँज रहा है --

"अडिग आज तक रहा एक संकल्प न शीश झुकेगा।
रुके कालगति भले, न राणा का अभियान रुकेगा।"

उदयपुर के मार्ग में चित्तौड़ का विख्यात दुर्ग है, जिसमें महारानी पदिमनी के जौहर की पावन भस्म रूपी अमूल्य धरोहर सुरक्षित है। इसी में राणा कुम्भा का गगन-स्पर्शी कीर्ति-स्तम्भ उनकी वीरता की अमर कहानी कह रहा है।

नाथद्वारा नामक स्थान वैष्णव भक्तों के लिए आकर्षण-केन्द्र है जो वहाँ श्रीनाथजी के दर्शन हेतु जाते हैं।

कृष्णजी की अनन्य उपासिका मीराबाई की ससुराल उदयपुर में थी। राणा साँगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, जिनका स्वर्गवास होने पर ये पूर्णतः गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गयीं और उन्हीं को अपना पति मानकर उनके प्रेम में पागल होकर मन्दिरों में नाचती-गाती फिरती थीं। अन्त में द्वारका जाकर वहाँ कृष्ण-मूर्ति के सम्मुख 'हरि तुम हरो जन की पीर' पद गाते हुए उसी मूर्ति में समा गयीं। आज भी उनकी स्वर-लहरी राजस्थान के जन-मानस को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस प्रकार उदयपुर वीरता की दृष्टि से ही नहीं भक्ति-भावना की दृष्टि से भी पुण्यभूमि है और उसके दर्शन प्रेरणा के स्रोत हैं।

आबू एक रमणीक स्थान है। ग्रीष्म-ऋतु में मैदानों की भीषण गरमी से घबराकर लोग मसूरी, नैनीताल, शिमला की भाँति आबू पर्वत पर आकर निवास करते हैं। यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ, घाटियाँ, रंग-बिरंगे पुष्प तथा द्रुम-लताएँ मनोहारिणी हैं और दर्शकों को आह्लादित करती हैं। यहाँ से थोड़ी दूर दिलवारा में दो प्रसिद्ध जैन मन्दिर दर्शनीय हैं। इनका निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी में करोड़ों रुपयों से हुआ था। ये तत्कालीन वास्तुकला के भव्य प्रतीक हैं।

कोटा राजस्थान का प्राचीन नगर है। यह नगर चम्बल नदी के किनारे स्थित है, जिसने इसे मानो जीवन ही प्रदान किया हो। चम्बल परियोजना के फल-स्वरूप कोटा की धरती आज रत्नों से भर रही है। इस परियोजना द्वारा निर्मित सागरों से कोटा नगर ने एक नयी करवट ली है, इसमें नवीन युग का सूत्रपात हुआ है। 'कोटा परमाणु बिजलीघर' ने इसके औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान की है और अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना कोटा-वासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आज कोटा राजस्थान का एक प्रमुख दर्शनीय स्थान हो गया है।

पृथ्वीराज चौहान के नगर अजमेर की ऐतिहासिक प्रसिद्धि है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में आनासागर झील, तारागढ़ दुर्ग और संग्रहालय उल्लेखनीय हैं। यहाँ मुसलमानों

की पवित्र, ख्वाजा साहब की दरगाह है। कुछ दूर हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर है, जहाँ ब्रह्माजी का मंदिर और पवित्र सरोवर है। दरगाह में प्रति वर्ष उर्स का विशाल मेला लगता है।

उपर्युक्त दर्शनीय स्थानों के अतिरिक्त सवाई माधोपुर से कुछ आगे रणथम्भोर का किला, जैसलमेर का किला, बूंदी का किला आदि अन्य दर्शनीय स्थान भी हैं। वास्तव में राजस्थान पुरातत्व-सम्बन्धी दर्शनीय सामग्री का भण्डार है। यहाँ के राजमहल, यहाँ के मन्दिर, यहाँ के किले, यहाँ के शिलालेख यहाँ की प्राचीन समृद्धि की अमूल्य धरोहर हैं। ये राजस्थान की ही नहीं, हमारे समूचे राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। इन दर्शनीय स्थलों की झाँकी दर्शकों को त्याग, बलिदान, भक्ति, देश-प्रेम आदि पवित्र भावों से ओत-प्रोत करती है। धन्य है राजस्थान की वसुन्धरा जो अपनी गोद में हृदय-तंत्री को झंकृत करने वाले, प्रेरणा के शाश्वत स्रोत सँजोये हुए है !

(42) टी० वी० सीरियल 'रामायण' का जन-मानस पर प्रभाव

रूपरेखा—

(1) प्रस्तावना—टी० वी० की जन-प्रियता।

(2) टी० वी० सीरियल 'रामायण' का जन-मानस पर प्रभाव—(क) मनोरंजन (ख) सांस्कृतिक प्रभाव (ग) नैतिक प्रभाव।

(3) उपसंहार—सारांश।

आज टेलीविजन को सर्वाधिक जनप्रियता प्राप्त है। प्रातःकाल हो अथवा मध्याह्न सायंकाल हो अथवा रात्रि, जब कभी टेलीविजन-प्रसारण होता है, जब कभी टेलीविजन द्वारा संगीत, नृत्य, अभिनय, दृश्य, घटना आदि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तभी बालक, युवक, वृद्ध, स्त्री-पुरुष घर के सभी लोग अपना-अपना काम छोड़कर टेलीविजन सैट के सामने आ बैठते हैं तथा दत्तचित्त होकर उस पर आँख गड़ाये प्रसारित कार्यक्रम देखते हैं और मन्त्रमुग्ध होते हैं। उस समय उनकी भूख, प्यास, नींद पलायन कर जाती है बच्चे खेलना छोड़ देते हैं और विद्यार्थी पढ़ना-लिखना। ऐसा आकर्षण होता है टेलीविजन कार्यक्रम में। ऐसा मोहक प्रभाव डालता है टेलीविजन।

आज टेलीविजन मनोरंजन का नवीनतम सर्वोत्तम साधन है। यों तो इसके द्वार प्रसारित समस्त कार्यक्रम मनोरंजक होते हैं। पर इसके द्वारा प्रसारित सीरियल 'रामायण' विशेष मनोरंजक था। इसे देखने के लिए क्या किसान, क्या मजदूर, क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या आस्तिक, क्या नास्तिक सभी आतुर रहते थे और लालसा से इसके प्रसारण की प्रतीक्षा करते थे। यहाँ तक कि आवश्यक से आवश्यक कार्य को स्थगित कर देते थे। जिनके पास टेलीविजन सैट नहीं था वे आकर निकटस्थ टेलीविजन सैट पर 'रामायण' देखने का आनन्द लेते थे। कुछ लोग तो कई किलोमीटर चलकर 'रामायण' सीरियल देखने के लिए इकट्ठे होते थे और मार्ग की थकान भूल जाते थे। पात्र-पात्रियों की वेश-भूषा की अकृत्रिमता दृश्यों की मनोहरता; अभिनय की स्वाभाविकता, घटनाओं का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण, संवाद की सजीवता, तत्कालीन वातावरण, रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, साज सज्जा परम्परा, शिष्टाचार आदि के दर्शन करके दर्शक ऐसा अनुभव करते थे मानो वे भगवान राम के जीवन की साक्षात झाँकी कर रहे हों।

उस कल्पना-लोक में, उस अतीन्द्रिय जगत में पहुँचकर वे आनन्द-सागर में निमग्न हो जाते थे और सुध-बुध खो बैठते थे। प्रसारण की समाप्ति पर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने उन्हें झकझोर के जगा दिया हो। तब उनका स्वप्न बिखर जाता था।

ऐसा था जादू 'रामायण सीरियल' के प्रसारण में। ऐसी थी वशीकरण शक्ति इसके दर्शन में।

मनोरंजन के अतिरिक्त 'रामायण सीरियल' के प्रसारण का सांस्कृतिक प्रभाव भी जन-मानस पर कम नहीं पड़ा है। वास्तव में 'रामायण' आर्य-संस्कृति की प्रज्वलित दीपशिखा है, जिसका शुभ्र आलोक 'रामायण सीरियल' ने गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचाया। शरणागत की रक्षा हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके अनुसार यदि जघन्य अपराधी भी शरण में आये तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। शत्रु रावण का भाई विभीषण जब रामचन्द्रजी की शरण में आता है तब वे क्या कहते हैं, देखिए—

"कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आयें सरन तजउँ नहिं ताहू॥

× × ×

जो सभीत आवा सरनाईं। रखिहउँ ताहि प्रान की नाईं॥"

यह है हमारी संस्कृति का आदर्श। क्या विश्व की अन्य किसी संस्कृति में शरणागत की रक्षा का विधान है? इस विधान के कारण हमारे देश को कई बार अपनी आजादी तक दाँव पर लगानी पड़ी, पर उसने इसका परित्याग नहीं किया। अभी कुछ वर्ष पूर्व बंगला देश से प्रताड़ित, अर्द्धनग्न, भूखे एक करोड़ शरणार्थियों की भोजन-वस्त्र एवं आवास-व्यवस्था में अपने समूचे साधन जुटाकर हमारे देश ने अपनी परम्परागत संस्कृति का निर्वाह किया। आर्य-संस्कृति के इस समुज्ज्वल अंश का पोषण 'रामायण सीरियल' ने किया है। फलस्वरूप आज घर आनेवाले संकटग्रस्त व्यक्तियों को प्रत्येक हिन्दू यथाशक्ति सहायता प्रदान करता है और कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता।

"वसुधैव कुटुम्बकम्" आर्य-संस्कृति की अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार विश्वभर के प्राणी अपने ही कुटुम्ब के सदस्य माने जाते हैं और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता है। 'रामायण सीरियल' ने इस उदात्त भावना को रामचन्द्र जी द्वारा कोल, किरात, भील, निषादादि नीच जातियों को ही नहीं, भालु एवं बंदरों तक को अपनाये जाने के माध्यम से पुष्ट किया है। परिणाम-स्वरूप जन-जन में भाई-चारे का भाव विकसित हो रहा है और ऊँच-नीच की भावना समाप्त हो रही है।

'रामायण सीरियल' का जन-मानस पर नैतिक प्रभाव भी पड़ा है। 'रामायण' गार्हस्थ्य जीवन की पथ-प्रदर्शिका है, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन की शुभ्र-ज्योति है, मर्यादा एवं नीति की सुरसरि है। रामचन्द्रजी के आदर्श चरित्र में मानव हृदय की पवित्र से पवित्र वृत्ति, आचरण का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वरूप, मानव हृदय का भव्य से भव्य रूप प्रस्फुटित हुआ है। उसकी झाँकी 'रामायण सीरियल' में करके दर्शक उल्लसित ही नहीं हुए, बल्कि उन पर रामचन्द्रजी के सद्गुणों की अमिट छाप भी पड़ी है। पातिव्रत-धर्म की सजीव मूर्ति सीताजी के उज्ज्वल चरित्र की झाँकी ने नारियों को प्रभावित किया है। दशरथजी सत्यव्रत के, भरतजी त्याग के, लक्ष्मणजी एवं हनुमानजी सेवा के आदर्श पात्र हैं। इनके चरित्र की झाँकियों ने भी दर्शकों को उत्तम आचरण के साँचे में ढालने का प्रयास किया है।

'रामायण ने मर्यादा-पालन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रेम का मर्यादित स्वरूप जनकजी की पुष्पवाटिका में सीताजी एवं रामचन्द्रजी के साक्षात्कार में तथा पारिवारिक मर्यादा का स्वरूप रामचन्द्रजी द्वारा बालि-वध में देखने को मिलता है। 'रामायण सीरियल' ने इनकी झाँकी कराके जन-साधारण को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है।

पारिवारिक जीवन के अतिरिक्त समाज-कल्याण एवं राष्ट्रहित के आदर्शों का प्रति-

पादन भी 'रामायण' में हुआ है। उसमें समाज की सुव्यवस्था हेतु बड़ों का आदर, गुरुओं एवं विद्वानों का सम्मान, वीरों के प्रति श्रद्धा, अत्याचारियों का दमन आवश्यक ठहराया गया है। राष्ट्र की भिन्न-भिन्न इकाइयों को संगठित करके एकता के सूत्र में पिरोने की उपादेयता प्रतिपादित की गयी है। राम-राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जो एकतन्त्रात्मक एवं प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणालियों का सुन्दर समन्वय था, जिसका स्वप्न गाँधीजी ने हमारे नव-निर्मित राष्ट्र के लिए सँजोया था। 'रामायण सीरियल' ने इन विशेषताओं का दिग्दर्शन कराके भारतीय जनता का महान् उपकार किया है।

सारांश यह है कि हमारी सरकार ने टी० वी० द्वारा 'रामायण सीरियल' के माध्यम से जन-जन को भारतीय प्राचीन संस्कृति, नैतिक आदर्श, मर्यादा, आदर्श सामाजिक एवं राष्ट्रीय व्यवस्था और आदर्श परिवार की झाँकी करायी है, जिससे जन-मानस तरंगित होकर उच्चता की ओर अग्रसर हो रहा है। यह लक्षण जन-कल्याण का मूलाधार है, क्योंकि सच्चरित्रता अमृत है, संजीवनी बूटी है, राष्ट्र-निर्माण की सुदृढ़ नींव है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर चार सौ शब्दों का निबन्ध लिखिए—

(1) राष्ट्रीय एकता।
(2) राष्ट्र-निर्माण में छात्रों का योगदान।
(3) नयी शिक्षा-नीति।
(4) अन्तरिक्ष में विज्ञान के बढ़ते चरण।
(5) छात्र-अनुशासन।
(6) पंचायत-राज-व्यवस्था।
(7) पर्यावरण प्रदूषण की समस्या।
(8) परिवार-नियोजन।
(9) बेरोजगारी की विभीषिका।
(10) साम्प्रदायिकता का उपचार।
(11) हमारी वर्तमान आरक्षण नीति के गुण-दोष।
(12) विकासशील भारत एवं नारी।

खण्ड 5

1. छन्द

जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति (विराम), गति (लय) और चरणान्त में समानता के नियम पाये जाते हैं उसे 'छन्द' कहते हैं।

मात्रा—वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे **मात्रा** कहते हैं। जो समय ह्रस्व वर्ण (अ, इ, उ, क, कि, कु आदि) के उच्चारण में लगता है उसकी एक मात्रा मानी जाती है। जो समय दीर्घ वर्ण (आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः आदि के उच्चारण में व्यतीत होता है उसकी दो मात्राएँ गिनी जाती हैं। ह्रस्व और दीर्घ वर्ण को छन्द-शास्त्र में क्रमशः 'लघु' और 'गुरु' कहते हैं। लघु का चिह्न (।) तथा गुरु का चिह्न (ऽ) होता है।

तुलसीदास (। । ऽ ऽ ।) में 7 मात्राएँ हैं।

विशेष—(1) संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे—**सत्य** का **स** गुरु है।

(2) संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण जिस पर उच्चारण में जोर नहीं पड़ता लघु ही माना जाता है। जैसे—**तुम्हारी** का तु लघु है।

(3) अर्द्ध चन्द्र बिन्दु (ँ) वाला लघु वर्ण लघु ही माना जाता है। जैसे—**हँसी** का हँ लघु है।

(4) कहीं-कहीं उच्चारण के अनुसार गुरु को लघु और लघु को गुरु मान लिया जाता है। जैसे—

"अब मोहिं भा भरोस हनुमन्ता।" में मों गुरु होते हुए भी लघु माना जाता है, क्योंकि उसका उच्चारण ह्रस्व का-सा है।

यति (विराम)—छन्द के प्रत्येक चरण में पढ़ते समय मध्य अथवा अन्त में जो क्षणिक रुकावट होती है उसे **यति** अथवा **विराम** कहते हैं। जैसे—

> "जिहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिबर वदन।
> करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धि-राशि शुभ गुण सदन।"

यहाँ **होइ, वदन, सोइ** और **सदन** के पश्चात् पढ़ने में थोड़ी-सी रुकावट होती है। अतः इन स्थानों पर यति है।

गति (लय)— छन्द की संगीतात्मक नियमित धारावाहिकता को **गति** कहते हैं। इसका दूसरा नाम **लय** भी है।

चरण (पद)—प्रत्येक छन्द के प्राय: चार भाग होते हैं। इन्हें **चरण अथवा पद** कहते हैं। **यति** के उदाहरण में दिये हुए छन्द में (1) जिहि सुमिरत सिधि होइ (2) गणनायक करिवर वदन (3) करहु अनुग्रह सोइ और (4) बुद्धि राशि शुभ गुण सदन चरण हैं। किसी-किसी छन्द में छः चरण होते हैं।

गण—तीन वर्णों के समूह को **गण** कहते हैं। वर्णों की लघुता और गुरुता के विचार से 8 गण माने गये हैं—(1) यगण (2) मगण (3) तगण (4) रगण (5) जगण (6) भगण (7) नगण और (8) सगण। गणों को समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र उपयोगी है—

यमाताराजभानसलगं।

इस सूत्र द्वारा जिस गण का रूप जानना हो उसके आदि के अक्षर के साथ आगे के दो अक्षर और मिला लीजिए। **जैसे**—भगण का रूप जानना है। उपर्युक्त सूत्र में **भा** के आगे दो अक्षर **न** और **स** हैं। उन्हें मिलाकर **भानस** हुआ (अर्थात् ऽ।।)। यही भगण का रूप है। इसी प्रकार अन्य गणों के रूप ज्ञात किये जा सकते हैं।

छन्द के भेद

मात्रा और वर्ण की दृष्टि से छन्द दो प्रकार के होते हैं—(1) मात्रिक और (2) वर्णिक।

मात्रिक छन्द—जिस छन्द में मात्राओं की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है उसे **मात्रिक छन्द** कहते हैं।

वर्णिक छन्द—जिस छन्द में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है उसे **वर्णिक छन्द** कहते हैं।

मात्रिक और वर्णिक छन्दों के तीन-तीन भेद हैं—(1) सम (2) अर्द्धसम और (3) विषम।

सम—जिस छन्द के चारों चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे **सम** कहते हैं। जैसे—चौपाई आदि।

अर्द्धसम—जिस छन्द के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे **अर्द्धसम** कहते हैं। जैसे—दोहा, सोरठा आदि।

विषम—जिस छन्द में चार से अधिक छः चरण हों और प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो उसे **विषम** कहते हैं। जैसे—छप्पय, कुंडलिया आदि।

सम छन्द के भेद

सम छन्द के दो भेद हैं—(1) साधारण और (2) दण्डक।

साधारण—जिस छन्द के प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण अथवा 32 तक मात्राएं होती हैं उसे साधारण कहते हैं।

दण्डक—जिस छन्द के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 26 से और मात्राओं की संख्या 32 से अधिक होती है उसे दण्डक कहते हैं।

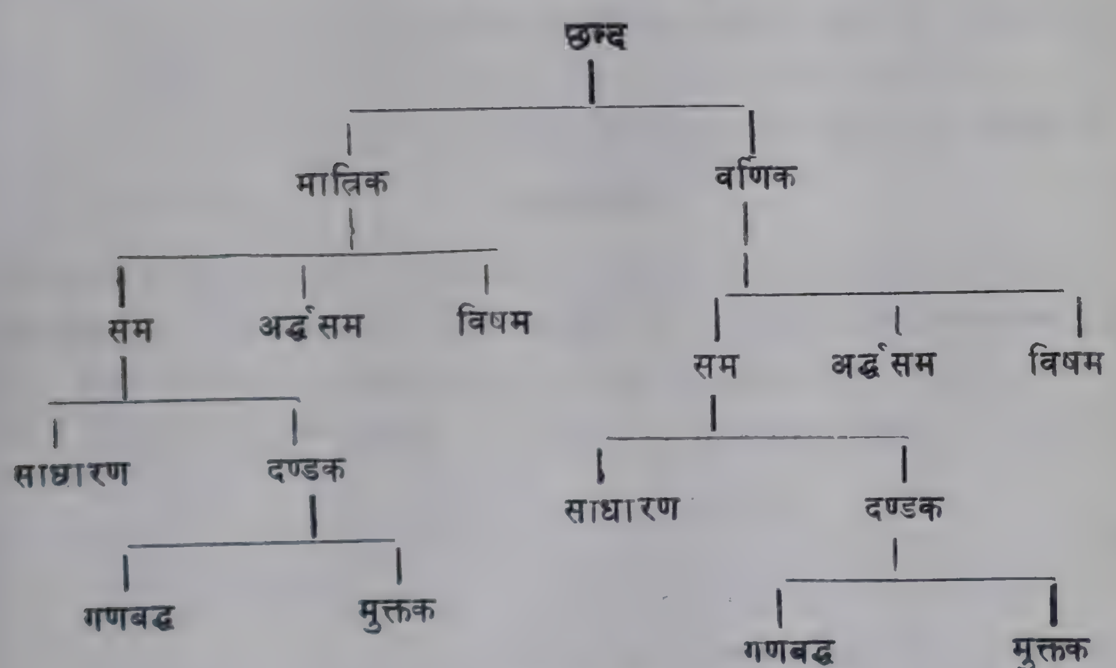
दण्डक के भेद

दण्डक के दो भेद हैं—(1) गणबद्ध और (2) मुक्तक।

गणबद्ध—गणबद्ध दण्डक में वर्ण गणों के अनुसार नियमित होते हैं।

मुक्तक—मुक्तक दण्डक में गणों का बन्धन नहीं होता।

छन्दों का वर्गीकरण



प्रमुख मात्रिक छन्द

सम मात्रिक छन्द

1. चौपाई

इस छन्द के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अन्त में जगण (ISI) अथवा तगण (SSI) नहीं होता। यदि चरण के अन्त में दो गुरु हों तो चौपाई में अच्छी गति आ जाती है, पर चौपाई के लिए चरणांत में दो गुरु होना आवश्यक नहीं है।

उदाहरण—

2 2 1 2 111 1122   2 1 21 211 1122
आगे चले बहुरि रघुराई। ऋष्य मूक पर्वत निअराई॥

11 11 111 111 222   2 11 21 111 11 22
जहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा ॥
चौपाई के दो चरणों को **अर्द्धाली** कहते हैं ।

2. रोला

इस छन्द के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर विराम देकर 24 मात्राएँ होती हैं। किसी-किसी आचार्य के मतानुसार प्रत्येक चरणान्त में दो गुरु होने चाहिए। पर यह आवश्यक नहीं है।

उदाहरण —

111 122 11 1 21 1111 11 22
तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये।
12 21 2 11 1111 11 111 122
झुके कूल सों जल परसन हित मनहुँ सुहाये ॥
1 2 111 2 111 111 11 11 11 2 2
किधौं मुकुर में लखत उझकि सब निज-निज सोभा ।
2 1111 11 21 111 211 11 22
कै प्रनवत जल जानि, परम पावन फल लोभा ॥"

3. गीतिका

इस छन्द के प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर विराम देकर 26 मात्राएँ होती हैं। चरणांत में एक लघु और एक गुरु का होना आवश्यक है। इस छन्द की तीसरी, दसवीं, सत्रहवीं, और चौबीसवीं मात्राएँ सदा लघु होती हैं। अन्त में रगण (ऽ।ऽ) कर्ण-मधुर होता है। इसमें कभी-कभी 12 और 14 मात्राओं पर भी विराम दिया जाता है।

उदाहरण —

2 1 2 11 2 1 2 2 2 1 2 11 212
पाय के नर जन्म प्यारे, कृष्ण के गुण गाइए।
21 211 21 2 11 2 1 2 11 212
पाद-पंकज चित्त में रख, जन्म को फल पाइए।
2 1 2 11 2 12 2 21 11 11 2 12
सार जीवन का यही है, भूल यह मत जाइए।
2 1 2 211 111 2 21 2 11 2 12
मुक्त हो जीवन-मरण के, चक्र से छुट जाइए।

4. हरगीतिका

इस छन्द के प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर विराम देकर 28 मात्राएँ होती हैं। चरणान्त में एक लघु और एक गुरु होना आवश्यक है। इस छंद की पाँचवीं, बारहवीं, उन्नीसवीं और छब्बीसवीं मात्राएँ लघु होती हैं। अन्त में रगण कर्णप्रिय होता है।

उदाहरण—

2 2 1 2 11 2 1 2 1 1 2 1 2 112 12
ये दारिका परिचारिका करि, पालवी करुणामयी ।
11 21 1 12 2 1 112 111 2 2 2 1 2
अपराध छमियो बोलि पठये, बहुत हौं ढीठी दयी ।।
1 1 2 1 11 211 111 1121 1 1 11 2 12
पुनि भानुकुल भूषन सकल सनमान-विधि समधी किये ।
1 1 2 1 11 11 2 12 11 21 11211 12
कहि जाति नहि विनती परस्पर, प्रेम परिपूरन हिये ।।

5. चौपाई

इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएँ होती हैं। चरणांत में गुरु-लघु [ऽ।] होना आवश्यक है।

चौपाई से इसमें यही प्रमुख अन्तर है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में केवल 15।

उदाहरण—

111 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 11 2 11 2 21
चहहु जो साँचो निज कल्यान। तो मिलि सब भारत संतान।
1 2 1 211 21 1 21 2 2 2 2 2 2 21
जपो निरंतर एक जबान। हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ।।

अर्द्ध सम मात्रिक छन्द

1. उल्लाला

इस छन्द के पहले और तीसरे चरणों में 15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएँ होती हैं।

उदाहरण—

2 21 1211 11 1 11 1 1 1 21 11 2 111
लंगूर लपेटत पटकि भट, जयति राम जय उच्चरत।
11 21 111 211 111 21 21 2 11 111
तुलसीस पवन-नंदन अटल, जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत ।।

2. दोहा

इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएँ होती हैं। पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगण (।ऽ।) नहीं रखा जाता। दूसरे और चौथे चरणों के अन्त में लघु होना आवश्यक है।

उदाहरण—

111 111 2 2 12 2 1 12 1 1 21
कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय।
11 2 2 2 21 11 11 2 2 2 2 1
वह खाये बौरात नर, यह पाये बौराय ।।

3. सोरठा

इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएँ होती हैं। पहले और तीसरे चरणों के अन्त में लघु (।) होना आवश्यक है। यह दोहे का ठीक उलटा होता है।

उदाहरण —

1 1 1 111 1 1 2 1 11 2 11 1 111 111
जिहि सुमिरत सिधि होइ, गण-नायक करिवर वदन ।
111 1211 2 1 2 1 21 1 111 111
करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन ।।

रोला से इसमें यह भिन्नता है कि यह अर्द्ध सम मात्रिक छंद है और रोला सम मात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं और इसके पहले तथा तीसरे चरणों में 11 एवं दूसरे तथा चौथे चरणों में 13 मात्राएँ होती हैं।

विषम मात्रिकछन्द

1. कुण्डलिया

इस छद में 6 चरण होते हैं। आदि में एक दोहा और फिर एक रोला जोड़कर इसकी रचना की जाती है। दोहा का चौथा चरण रोला का प्रथम चरणांश बनाया जाता है। इस छंद के आदिम तथा अन्तिम चरण कुछ समान होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं।

उदाहरण —

1 2 1 2 2 2 12 2 2 2 1 1 21
बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय ।
2 1 1 2 2 2 1 2 112 2 1 121
काम बिगारे आपनो, जग में होत हँसाय ।
11 2 21 1 2 1 21 2 2 1 1 2 2
जग में होत हँसाय, चित्त में चैन न पावे ।
2 1 2 1 2 2 1 21 21 11 1 1 2 2
खान पान सम्मान, राग-रंग मनहि न भावे ।
11 1 111 1 1 2 1 21 11 111 1 22
कह गिरिधर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे ।
1111 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 22
खटकत है जिय माँहि, कियो जो बिना बिचारे ।।

2. छप्पय

इस छंद में भी 6 चरण होते हैं। इसके आदि में एक रोला और उल्लाला के दो चरण रखे जाते हैं। अतः पहले चार चरणों में 24-24 तथा अन्तिम दो चरणों में 28-28 मात्राएँ होती हैं।

उदाहरण —

2 2 2 1 12 1 12 11 2 1 1211
त्रेता काव्य-निबंध, करी सत कोटि रमायन ।
11 2 11 2 12 21 2 2 1 12 11

इक अच्छर उच्चरे, बह्म हत्यादि परायन।
11 2 11 11 2 1 111 2 2 2 2 2
अब भक्तन सुख देन, बहुरि लीला बिस्तारी।
2 1 111 11 21 111 11 11 11 22
रामचरन रस-मत्त, रहत अहनिसि ब्रतधारी ॥
2 21 1 21 2 2 1 2 111 21 2 2 1 2
संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो।
1 1 1 11 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
कलि कुटिल जीव निस्तार-हित, बालमीकि तुलसी भयो ॥

कुण्डलिया और इसमें यह भिन्नता है कि कुण्डलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, परन्तु इसके प्रथम चार चरणों में 24-24 और अन्तिम दो चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। कुण्डलिया के अन्तिम चार चरण रोला और प्रथम दो चरण दोहा होते हैं, परन्तु इसके प्रथम चार चरण रोला और अन्तिम दो चरण उल्लाला के होते हैं। इसके अतिरिक्त कुण्डलिया की भाँति इसमें कोई चरण किसी अन्य चरण का अंश नहीं होता और न आदिम तथा अन्तिम चरणों में कुछ समानता होती है।

कतिपय प्रमुख वर्णिक छन्द

सम वर्णिक छन्द

1. द्रुत विलम्बित

इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण [।।।], दो भगण [ऽ।।] और एक रगण [ऽ।ऽ] मिलकर कुल 12 वर्ण होते हैं। यह छंद चार चरण का होता है।

उदाहरण

111 ऽ 11ऽ1 1 ऽ1 ऽ
दिवस का अवसान समीप था।
111 ऽ 11 ऽ11 ऽ 1 ऽ
गगन था कुछ लोहित हो चला।
11 1 ऽ 11 ऽ 11 ऽ।ऽ
तरु शिखा पर थी अवराजती।
11 1 ऽ 11 ऽ 11 ऽ 1ऽ
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥

2. बसन्ततिलका

इस छंद के प्रत्येक चरण में एक तगण [ऽऽ।], एक भगण [ऽ।।], दो जगण [।ऽ।] और दो गुरु [ऽऽ] मिलकर कुल 14 अक्षर होते हैं। यह छंद चार चरण का होता है।

उदाहरण

ऽ ऽ 1 ऽ 1 1 1 ऽ 1 1 ऽ 1ऽ ऽ
बंशी निनाद सुन त्याग निकेतनों को,
ऽ ऽ 1 ऽ 1 । 1 ऽ 11 ऽ 1 ऽऽ
दौड़े समस्त स-विनोद उमंग डूबे।

ऽऽ ।ऽ। ।। ऽ। ।ऽ। ऽऽ
गोपी असंख्य बहु गोप अनेक बाला
ऽऽ ।ऽ। ।।ऽ।। ऽ।ऽ ऽ
आईं विहार-रुचि से बन-मेदिनी में ॥

3. शिखरिणी

इस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगण [।ऽऽ], एक मगण [ऽऽऽ], एक नगण [।।।], एक सगण [।।ऽ] एक भगण [ऽ।।] एक लघु (।) और एक गुरू (ऽ) मिलकर 17 अक्षर होते हैं। यह छंद चार चरण का होता है। इसमें 6 और 11 अक्षरों पर विराम होता है।

उदाहरण

।ऽऽ ऽ ऽ ऽ ।।। ।।ऽ ऽ ।।।ऽ
अनूठी आभा से, सरस सुखमा से सुरस से,
।ऽ ऽऽऽऽ ।। ।।।ऽ ऽ ।।। ऽ
बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन की।
।ऽऽ ऽऽ ऽ ।।। ।। ऽऽ ।।।ऽ
निराले फूलों की, विविध दलवाली अनुपमा,
।ऽ ऽऽ ऽऽ ।। ।।।ऽऽ ।।।ऽ
जड़ी बूटी नाना, बहु फलवती थीं बिलसती ॥

4. मालिनी

इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण [।।।] एक मगण [ऽऽऽ] और दो यगण [।ऽऽ] मिलकर कुल 15 वर्ण होते हैं। इसमें 8 और 7 अक्षरों पर विराम होता है तथा चार चरण होते हैं।

उदाहरण

।। ।। ।।ऽ ऽऽ ।ऽ ऽ ।ऽ ऽ
प्रिय वर हमको क्यों, त्यागते जा रहे हो ?
।।। ।। ।ऽ ऽ ऽ।ऽ ऽ ।ऽ ऽ
प्रणय गति बढ़ा के, भागते जा रहे हो।
। । ।।। ।ऽ ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ
इमि उचित नहीं है, त्यागना प्रेमियों को।
।।। ।।।ऽ ऽऽ।ऽ ऽ।ऽ ऽ
अहह निठुरता यों धारना नेमियों को ॥

5. मन्दाक्रान्ता

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक मगण [ऽऽऽ], एक भगण [ऽ।।], एक नगण [।।। दो तगण [ऽऽ।] और दो गुरु [ऽऽ] कुल 17 अक्षर होते हैं। इसमें 4,6 और 7 अक्षर पर विराम होता है तथा चार चरण होते हैं।

उदाहरण

ऽ ऽ ऽ ऽ ।।। ।। ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ
सूखी जाती, मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो,

S S S S 111 11 S S 1 S S 1 S S
तो तू पाँवों, निकट उसको, श्याम के ला गिराना।
S S S S 111 11 S S 1 S S 1 S S
यों सीधे तू, प्रगट करना, प्रीति से वंचिता हो,
S S S S 1 1 1 1 1 S S 1 S S 1 S S
मेरा होना, अति मलिन औ, सूखते नित्य जाना ॥

6. सवैया

22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक के कई छन्द **सवैया** कहलाते हैं। सवैया के तुकान्त अवश्य मिलने चाहिए, अर्थात् चारों चरणों के अन्त्याक्षर समान होने चाहिए। इस छन्द में वर्णों का गुरुत्व एवं लघुत्व पूर्णतः उच्चारण पर निर्भर होता है, लिखने पर नहीं। अतः छात्रों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

मत्तगयंद सवैया

इस सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगण (SII) और दो गुरु (SS) मिलाकर कुल 23 वर्ण होते हैं। इस सवैया को **मालती** भी कहते हैं। इसका बहुत प्रचार है।

S 11 S 11 S 1 1 S 11 S 11 S 11 S 11 S S
दूलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं।
S 1 1 S 1 1 S 1 1 S 11 S 1 1 S 1 1 S 1 1 S S
गावति गीत सबै मिलि सुन्दरि वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं।
S 1 1 S 1 1 S 1 1 S 1 S S 11 S 11 S 11 SS
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं।
S 1 1 S 1 1 S 1 1 S 1 1 S 1 1 S 11 S 11 S S
यातें सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥

विशेष—तीसरी और चौथी पंक्तियों में क्रमशः **को** (S) तथा **तें** (S) के उच्चारण क (।), तथा त (।) किए जाते हैं।

दंडक सम वर्णिक छन्द (**मुक्तक**) : **मनहरण कवित्त अथवा घनाक्षरी**

इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 वर्णों पर विराम देकर 31 वर्ण होते हैं। चरणांत में एक गुरु होना आवश्यक है। इसमें गणों का कोई बन्धन नहीं होता। यदि 8,8,8 और 7 वर्णों पर विराम हो तो यह छंद अधिक मधुर हो जाता है। इसमे चार चरण होते हैं।

उदाहरण—

मुनि मुनि ऊधव की अकथ-कहानी कान,
  कोऊ थहरानी कोऊ, थानहि थिरानी हैं।
कहै 'रतनाकर' रिसानी बररानी कोऊ,
  कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी हैं।
कोऊ सेदसानी, कोऊ भरि दृग-पानी रही,
  कोऊ घूमि-घूमि परी, भूमि मुरझानी हैं।
कोऊ स्याम स्याम कै बहकि बिललानी कोऊ,
  कोमल करेजो थामि, सहमि सुखानी हैं ॥

अभ्यासार्थ प्रश्न

(1) **दोहा** छन्द में क्या परिवर्तन करने पर वह **सोरठा** छन्द बन जाता है ?

(2) **उल्लाला** को अर्द्धसम मात्रिक छन्द क्यों माना गया है ?

(3) **छप्पय** को मात्रिक विषम छन्द क्यों कहते हैं ?

(4) **सोरठा** छन्द की कौनसी पाबन्दी हटाने से वह रोला छन्द बन जाता है ?

(5) **मनहरण कवित्त** को वर्णिक मुक्तक दण्डक छन्द क्यों कहते हैं ?

(6) निम्नलिखित **दोहे** के चरणों में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएँ अंकित कीजिए—

"रैदास रात न सोइये, दिवस न करिये स्वाद।
अहनिसी हरिजी सुमिरिये, छाँड़ि सकल प्रतिवाद ॥"

(7) **कुण्डलिया** छन्द में **दोहा** और **रोला** छन्द का मिश्रण किस प्रकार किया जाता है ?

(8) निम्नलिखित **चौपाई** की पंक्ति में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएँ अंकित कीजिए।

"रिपुसम मोहि मारेसि अतिभारी।
हरि लीन्हेसि सरबसु अरु नारी ॥"

(9) "परहित सरिस धर्म नहिं भाई।" पंक्ति किस छन्द का चरण है ?

(अ) दोहा (ब) सोरठा (स) चौपाई (द) चौपई (य) रोला। ( )

(10) "प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण इस क्रम से 15 वर्ण होते हैं तथा 8,7 पर यति होती है।" यह लक्षण किस छन्द पर घटित होता है ?

(अ) मालिनी (ब) मन्दाक्रान्ता (स) गीतिका (द) उल्लाला (य) छप्पय। ( )

(11) **दोहा** छन्द के विषय में कौनसी उक्ति असंगत है ?

(अ) दोहा जगण से आरम्भ नहीं होता। (ब) दोहे के आरम्भ में जगण आना चाहिए। (स) दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएँ होती हैं (द) दोहे के दूसरे चरण में 11 मात्राएँ होती हैं। (य) दोहे के दूसरे और चौथे चरण सम होते हैं। ( )

(12) निम्नांकित में से कौनसी उक्ति असंगत है ?

(अ) कुण्डलिया संयुक्त छन्द है। (ब) छप्पय मात्रिक विषम छन्द है। (स) चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। (द) हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 15 और 13 मात्राओं के क्रम से यति होती है। (य) सवैया वर्णिक छन्द है। ( )

(13) कौनसा छन्द मात्रिक विषम छन्द है ?

(अ) रोला (ब) उल्लाला (स) मालिनी (द) सवैया (य) कुण्डलिया। ( )

(14) "चार चरणों का छन्द, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ, 11वीं मात्रा पर यति, फिर 13 मात्राओं के बाद चरण पूर्ण" उपर्युक्त लक्षण किस छन्द के हैं ?

(अ) उल्लाला (ब) दोहा (स) सोरठा (द) रोला (य) गीतिका। ( )

(15) नीचे लिखी उक्तियों में से कौनसी उक्ति गलत है ?

(अ) मालिनी सम वर्णिक छन्द है। (ब) वर्णिक छन्दों में गण-योजना भी रहती है। (स) रोला मात्रिक सम छन्द है। छप्पय मात्रिक विषम छन्द है। (य) कुण्डलिया वर्णिक विषम छन्द है। ( )

(16) निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द में तीन मात्राएं हैं ?

(अ) सौन्दर्य (ब) स्वास्थ्य (स) सावित्री (द) सर्वत्र (य) स्वर। ( )

(17) "यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थीं।
न कथन कर पातीं कण्ठ था रुद्ध होता।"

उपर्युक्त चरण किस छन्द का है ?

(अ) द्रुतविलम्बित (ब सवैया (स) मालिनी (द) छप्पय (य) गीतिका। ( )

(18) "करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की।
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की।।"

उपर्युक्त उदाहरण किस छन्द का है ?

(अ) शिखरिणी (ब) रोला (स) उल्लाला (द) हरिगीतिका (य) दोहा।

(19) यति किसे कहते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

(20) 'गण' किसे कहते हैं ? इसका सूत्र लिखते हुए 'सगण' में लघु, गुरु वर्ण बताइए।

उत्तर

(1) दोहे के पहले और तीसरे चरणों को क्रमशः दूसरे और चौथे चरणों में तथा दूसरे और चौथे चरणों में को क्रमशः पहले और तीसरे चरणों बदलने पर दोहा सोरठा बन जाता है।

(2) उल्लाला को अर्द्धसम मात्रिक छन्द माना गया है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है।

(3) छप्पय को मात्रिक विषम छन्द कहते हैं, क्योंकि इसके चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर नहीं होती और इसके चरणों की संख्या भी 4 से अधिक 6 होती है।

(4) सोरठा छन्द अर्द्धसम मात्रिक है और रोला सममात्रिक। यदि सोरठा के प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या बराबर कर दी जाय और उस संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया जाय तो वह रोला बन सकता है।

(5) मनहरन कवित्त को वर्णिक मुक्तक दण्डक छन्द कहते हैं, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 26 वर्णों से अधिक 31 वर्ण होते हैं और उसमें वर्णों का बन्धन नहीं होता।

|21 21 1 212 111 1 112 21
(6) रैदास रात न सोइये, दिवस न करिये स्वाद।
1111 112 1112 21 111 1121
अहनिसी हरिजी सुमिरिये, छाँड़ि सकल प्रतिवाद ।।"

प्रथम पंक्ति के रै तथा द्वितीय पंक्ति के सी दीर्घ अक्षरों के ऊपर ह्रस्व मात्राएं अंकित की गयी हैं, क्योंकि इन अक्षरों का उच्चारण क्रमशः र तथा सि ह्रस्व अक्षरों की भाँति होता है।

(7) उत्तर के लिए कुण्डलिया छन्द का लक्षण पढ़िए।

11 11 11 211 11 22 11 211 1111 11 22

(8) "रिपु सम मोहि मारेसि अतिभारी। हरि लीन्हेसि सरबस अरु नारी॥"

प्रथम चरण के **मो** तथा रे दीर्घ अक्षरों का उच्चारण क्रमशः **मु** तथा **र** ह्रस्व अक्षरों की भाँति होने के कारण इन पर ह्रस्व मात्राएँ अंकित की गयी हैं।

(9) "परहित सरिस धर्म नहिं भाई।" चरण के छन्द का क्रमांक (स) है।

(10) क्रमांक (अ)
(11) क्रमांक (अ)
(12) क्रमांक (द)
(13) क्रमांक (य)
(14) क्रमांक (द)
(15) क्रमांक (य)
(16) क्रमांक (ब)
(17) क्रमांक (स)
(18) क्रमांक (स)
(19) ऊपर 'छन्द प्रकरण' देखिए।

(20) ऊपर 'छन्द प्रकरण' देखिए। सगण में दो लघु और फिर एक गुरु होता है (IIS)।

2. अलंकार

आचार्य दण्डी ने अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- "काव्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारान्प्रचक्षते।"

अर्थात् काव्य की शोभा करनेवाले धर्म 'अलंकार' कहलाते है। अतः **'अलंकार'** कथन की वह युक्ति है जिससे काव्य अथवा साहित्य के अन्य अंग में रमणीयता का समावेश होता है।

जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी सुन्दरी की शोभा और बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों की योजना से काव्य में अधिक सुन्दरता आ जाती है। किन्तु जिस प्रकार किसी सुन्दर स्त्री की सौन्दर्य-रक्षा हेतु आभूषण नितान्त आवश्यक नहीं होते, उसी प्रकार उत्तम काव्य के लिए अलंकार अनावश्यक हैं।

अलंकार के भेद

अलकार के प्रमुख भेद दो हैं- (1) शब्दालंकार और (2) अर्थालंकार।

शब्दालंकार

जहाँ शब्दों के कारण काव्य में रमणीयता आती है वहाँ शब्दालकार होता है।

अर्थालंकार

जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है।

शब्दालंकार के भेद

प्रमुख शब्दालंकार चार हैं—(1) अनुप्रास (2) यमक (3) श्लेष और (4) वक्रोक्ति।

1. अनुप्रास

जहाँ वर्णों को आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर (मात्राएँ) मिलें या नहीं, वहाँ **अनुप्रास** अलंकार होता है।

इसके दो प्रमुख भेद हैं—(1) वर्णानुप्रास (2) लाटानुप्रास।

वर्णानुप्रास—इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे—

"**चारु चन्द्र** की **चंचल** किरणें खेल रही हैं जल थल में" पंक्ति में **च** वर्ण की आवृत्ति हुई है। अतः वर्णानुप्रास है।

लाटानुप्रास—इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। उनके अर्थ में अन्तर नहीं होता। परन्तु अन्वय करने पर तात्पर्य में भेद उत्पन्न हो जाता है। जैसे—

"पराधीन जो जन. नहीं सरग नरक ता हेतु।
पराधीन जो जन नहीं, सरग नरक ता हेतु॥"

यहाँ दोनों पंक्तियों में समान शब्दों की आवृत्ति हुई है और उनके अर्थ भी समान हैं, केवल अन्वय से तात्पर्य में भेद है। पहली पंक्ति का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नहीं नरक है। दूसरी पंक्ति का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। अतः लाटानुप्रास है।

2. यमक

जहाँ भिन्न-भिन्न अर्थवाले अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ **यमक** अलंकार होता है।

उदाहरण—

"कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय।
वा खाये बौरात जग, या पायै बौराय॥"

यहाँ **कनक** शब्द का दो बार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहली बार प्रयुक्त कनक का अर्थ है **धतूरा** और दूसरी बार प्रयुक्त कनक का अर्थ है **सोना**। अतः यमक अलंकार है।

इसमें लाटानुप्रास से यह भिन्नता है कि इसमें कई बार प्रयुक्त शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थ होता है, पर लाटानुप्रास में शब्द के अर्थ में भिन्नता नहीं होती, केवल तात्पर्य भिन्न होता है।

3. श्लेष

जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसके दो अथवा दो से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ **श्लेष** अलंकार होता है।

उदाहरण—

"चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गँभीर।
को घटि ये बृषभानुजा, वे हलधर के बीर॥"

यहाँ **बृषभानुजा** शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—एक अर्थ है बृषभानु की पुत्री

राधा और दूसरा अर्थ है **वृषभ** की अनुजा अर्थात् गाय। इसी प्रकार **हलधर** शब्द के भी दो अर्थ हैं—एक अर्थ है **बलराम** और दूसरे अर्थ है **बैल**। अतः श्लेष अलकार है।

4. वक्रोक्ति

जहाँ किसी उक्ति (कथन) का श्रोता श्लेष (दो या दो से अधिक अर्थ) के कारण अथवा काकु (व्यंग्य) द्वारा इच्छित अर्थ से अन्य अर्थ लगाये वहाँ **वक्रोक्ति** अलंकार होता है।

उदाहरण—

(1) "को तुम हो इत आये कहाँ ?
घनश्याम हैं, तो कितहूँ बरसो।"

यहाँ राधिकाजी कृष्णजी से परिहास करती हुई पूछती हैं कि आप कौन हैं और इधर कहाँ आये हैं? कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम घनश्याम (कृष्ण) हैं। राधिका जी **घनश्याम** शब्द का अन्य अर्थ (जल से भरा हुआ) **काला बादल** लगाती हुई कहती हैं कि आप कहीं जाकर जल बरसाओ। अतः वक्रोक्ति है।

(2) "कह कपि धर्म शीलता तोरी।
हमहु सुनी कृत परतिय चोरी॥"

यहाँ रावण से कही हुई अंगद की इस उक्ति का, कि हे रावण! तेरी धर्मशीलता हमने भी सुनी है तूने दूसरे की पत्नी को चुराया है, व्यंग्य से यह अर्थ निकलता है कि तू अधर्मी है। अतः वक्रोक्ति है।

कुछ प्रमुख अर्थालंकार

1. उपमा

जहाँ भेद रहते हुए भी दो वस्तुओं में समानता कही जाय वहाँ **उपमा** अलंकार होता है।

इसके चार अंग होते हैं—(1) उपमेय (2) उपमान (3) साधारण धर्म और (4) उपमावाचक शब्द।

उपमेय—जिस वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान कहा जाय उसे **उपमेय** कहते हैं। जैसे—मुख कमल के समान है। यहाँ **मुख** को **कमल** के समान कहा गया है। अतः **मुख उपमेय** है।

उपमान—जिस वस्तु से समानता दी जाती है, उसे **उपमान** कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में **मुख** की समानता **कमल** से दी गयी है। अतः **कमल** उपमान है।

उपमेय को **प्रस्तुत** और **उपमान** को **अप्रस्तुत** भी कहते हैं।

साधारण धर्म—उपमेय और उपमान में जिस गुण, रूप आदि विशेषता की समानता बतायी जाती है उसे **साधारण धर्म** कहते हैं। जैसे—मुख कमल के समान **सुन्दर** है। यहाँ उपमेय मुख और उपमान कमल में **सुन्दरता** की समानता बतायी गयी है। अतः **सुन्दर** साधारण धर्म है।

उपमा-वाचक शब्द—उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले शब्द को **उपमा-वाचक शब्द** कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में **समान** शब्द उपमेय मुख और उपमान चन्द्रमा में समानता बताता है। अतः **समान** उपमा-वाचक शब्द है।

समान के अतिरिक्त सरिस, सम, तुल्य, सदृश, इव, सा, सी, से, सों आदि अन्य कई उपमा-वाचक शब्द भी होते हैं।

उपमा के भेद

उपमा अलंकार के दो प्रधान भेद हैं—(1) पूर्णोपमा और (6) लुप्तोपमा।

पूर्णोपमा में उपमा के चारों अंग होते हैं। जैसे—मुख कमल के समान सुन्दर है। यहाँ उपमेय **मुख**, उपमान **कमल**, साधारण धर्म **सुन्दरता** और उपमावाचक **शब्द समान** उपमा के चारों अंग विद्यमान है। अतः पूर्णोपमा है।

लुप्तोपमा में एक, दो अथवा तीन अंगों का लोप होता है। जैसे - मुख कमल के समान है। यहाँ **साधारण धर्म** का लोप है। अतः **धर्म लुप्तोपमा** है। इसी प्रकार वाचक-शब्द लोप होने पर **वाचक लुप्तोपमा**, उपमेय लोप होने पर **उपमेय लुप्तोपमा** और उपमान लोप होने पर **उपमान लुप्तोपमा** होती हैं।

2. उत्प्रेक्षा

जहाँ उपमेय की किसी उपमान में कल्पना की जाती है वहाँ **उत्प्रेक्षा** अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मनु, मनो, मानहु, जनु, जानो, जानहु आदि होते हैं।

उदाहरण

"सोहत ओढ़े पीतपट, स्याम सलोने गात।
मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात।"

यहाँ पीताम्बर धारण किये कृष्णजी के श्याम शरीर उपमेय की प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलम मणियों के पर्वत के शिखर उपमान में कल्पना की गयी है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है।

3. रूपक

जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो अर्थात् उपमेय को उपमान कहा जाय वहाँ **रूपक** अलंकार होता है।

उदाहरण

"चढ़यो गगन तरु धाइ, दिनकर-बानर अरुण मुख।
कीन्हों झुकि झहराइ, सकल तारका कुसुम बिन॥"

यहाँ **गगन, दिनकर** और **तारका** उपमेयों को क्रमशः **तरु, बानर** और **कुसुम** कहा गया है। अतः रूपक अलंकार है।

इसमें लुप्तोपमा से यह भिन्नता है कि लुप्तोपमा में उपमेय की उपमान से समानता बतायी जाती है। पर इसमें उपमेय को उपमान कहा जाता है।

4. अनन्वय

जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाय वहाँ **अनन्वय** अलंकार होता है।

उदाहरण

"राम से राम, सिया सी सिया,
सिरमौर बिरंचि बिचारि सँवारे।"

यहाँ **राम** और **सिया** उपमेयों को ही इनके लिए अन्य उपमान न मिलने के कारण उपमेय मान लिया गया है। अतः अनन्वय अलंकार है।

उपमा से इसमें यह भिन्नता है कि उपमा में उपमेय की समानता उपमान से बताय़ी जाती है। पर इसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान का अभाव होता है।

5. अतिशयोक्ति

जहाँ किसी वस्तु को इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाय कि उक्ति लोक-मर्यादा का अतिक्रमण करके असंभव प्रतीत हो वहाँ **अतिशयोक्ति** अलंकार होता है।

उदाहरण

(1) "इस महल का कलश आकाश को स्पर्श करता है।"

यहाँ **कलश** द्वारा **आकाश** स्पर्श करने की बात इतनी बढ़ा-चढ़ाकर कही गयी है कि वह लोक-मर्यादा का अतिक्रमण करके असंभव प्रतीत होती है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है।

(2) 'हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।
लंका सिगरी जरि गई, गये निसाचर भाग ॥"

यहाँ हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका का जलना और निशाचरों का भाग जाना असंभव बातें कही गयी हैं। अतः **अतिशयोक्ति** अलंकार है।

6. अन्योक्ति

जहाँ प्रस्तुत किसी बात को स्पष्ट न कहकर किसी अप्रस्तुत दूसरी बात की सहायता से इस ढंग से कहा जाय कि असली बात स्पष्ट हो जाय वहाँ **अन्योक्ति** अलंकार होता है।

उदाहरण

"नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहिं काल।
अली कली ही सो बँध्यो, आगे कौन हवाल ?"

यहाँ प्रस्तुत किसी विलासी व्यक्ति की अपनी अवयस्क पत्नी के प्रेम-पाश में आबद्ध होने की बात अप्रस्तुत अली (भौंरा) की अविकसित कली से आबद्ध होने की बात की सहायता से इस ढंग से कही गयी है कि असली बात (अवयस्क पत्नी के प्रेम-पाश में आबद्ध होना) स्पष्ट हो जाती है। अतः अन्योक्ति अलंकार है।

7. दृष्टान्त

जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का विम्ब-प्रतिविम्ब भाव हो वहाँ **दृष्टान्त अलंकार** होता है। जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिविम्ब गिरता है उसी प्रकार इसमें भिन्नता होते हुए भी साधारण धर्म-सहित उपमेय-वाक्य का उपमान-वाक्य में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव रहता है।

उदाहरण

"दुसह दुराज प्रजान के क्यों न बढ़ें दुःख द्वन्द ?
अधिक अँधेरो जग करत मिलि पावस रविचन्द ॥"

यहाँ पहली पंक्ति उपमेय-वाक्य है और दूसरी पंक्ति उपमान-वाक्य है। दोनों

पृथक् पृथक् धर्मों **दुख द्वन्द्व बढ़ें** और **अधिक अँधेरो करत** में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है। अतः दृष्टान्त अलंकार है।

8. उदाहरण अलंकार

जहाँ किसी सामान्य बात को विशेष बात का सहारा लेकर भली भाँति समझाया जाय वहाँ **उदाहरण अलंकार** होता है। इसमें **ज्यों**, **जैसे** आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

उदाहरण

"मेरी मन अनत कहाँ सुख पावै ?
जैसे उड़ि जहाज की पच्छी, फिरि जहाज पै आवै ।"

यहाँ **मन का अन्यत्र सुख न पाना** सामान्य बात को **जहाज के पक्षी का पुनः उड़कर जहाज पर लौट आना** विशेष बात का सहारा लेकर समझाया गया है। अतः उदाहरण अलंकार है।

इसमें दृष्टान्त अलंकार से यह भिन्नता है कि इसमें विम्ब-प्रतिविम्ब भाव नहीं रहता और **ज्यों, जैसे** आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

कोई-कोई आचार्य इसे उपमा अलंकार ही मानते हैं।

9. भ्रान्तिमान

जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाय वहाँ **भ्रांतिमान अलंकार** होता है।

उदाहरण

"पायँ महावर देन कों, नाइन बैठी आय ।
फिरि-फिरि जानि महावरी, एँड़ी मीड़त जाय ॥"

यहाँ किसी स्त्री की एड़ी के गोल एवं लाल होने के कारण उसमें नाइन को महावर की गोली का (जो गोल एवं लाल होती है) भ्रम हुआ है। अतः **भ्रांतिमान अलंकार** है।

10. सन्देह

जहाँ सादृश्य के कारण संशय बना रहे कि कोई वस्तु वही है अथवा अन्य, वहाँ **संदेह अलंकार** होता है। इसमें **कि, किधौं, कैधौं** आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं।

उदाहरण

"सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है ।
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ।"

यहाँ चीर-हरण के समय द्रौपदी को देखकर यह संशय बना रहता है कि साड़ी के बीच स्त्री है, अथवा स्त्री में से साड़ी निकल रही है, अथवा साड़ी की ही बनी हुई स्त्री है, अथवा स्त्री की ही साड़ी बन गयी है। अतः संदेह अलंकार है।

इसमें भ्रांतिमान से यह भिन्नता है कि इसमें निश्चय का अभाव रहता है, पर भ्रांतिमान में निश्चय जम जाता है।

11. दीपक

जहाँ उपमेय और एक अथवा अनेक उपमानों का एक धर्म कहा जाय वहाँ **दीपक** अलंकार होता है।

उदाहरण

"संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ज्ञान पान ते लाजा।
प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी। नासहिं वेगि नीति अस सुनी॥"

यहाँ राजा उपमेय है। जती, ज्ञान, लाज, प्रीति और गुनी उपमान हैं। यहाँ उपमेय और सभी उपमानों का एक धर्म (नासहिं) कहा गया है। अतः **दीपक** है।

12. विभावना

जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति कही जाय वहाँ **विभावना** अलंकार होता है।

उदाहरण

"बिनु पद चलै सुनै विनु काना। कर बिनु कर्म करै बिधि नाना।"

यहाँ चलना, सुनना और कर्म करना कार्य बिना कारण के सम्पन्न होना कहा गया है। अतः **विभावना** है।

13. विरोधाभास

जहाँ वास्तव में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना कहा जाय वहाँ **विरोधाभास** अलंकार होता है।

उदाहरण

"या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहिं कोइ।
ज्यों ज्यों बूढ़ै स्याम रंग, त्यों-त्यों उज्ज्वल होइ।"

यहाँ चित्त श्याम (काले) रंग में डूबने से उज्ज्वल होना कहा गया है। इससे विरोध का आभास होता है, पर श्याम का अर्थ कृष्ण जी और उज्ज्वल का अर्थ पापरहित होने के कारण वास्तव में विरोध नहीं है। अतः **विरोधाभास** है।

14. नदर्शना

जहाँ दो वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनका पारस्परिक ऐसा आरोप किया जाय कि दोनों समान जान पड़ें वहाँ **निदर्शना** अलंकार होता है।

उदाहरण

"सुनु खगेस हरि भक्ति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई।
ते सठ महासिन्धु बिन तरनी। पैरि पार चाहत जय करनी॥"

यहाँ 'हरि भक्ति बिहाई सुख चहहिं' और 'बिनु तरनी सिन्धु पैर पार चाहत वाक्यों के अर्थ में भिन्नता है। पर इनका पारस्परिक आरोप इस प्रकार का है कि दोनों समान जान पड़ते हैं, क्योंकि दोनों में 'असम्भावना' का भाव है। अतः यहाँ **निदर्शना** है।

कोई-कोई आचार्य यह अलंकार वहाँ भी मानते हैं जहाँ अपने कार्य और कारण का सम्बन्ध अपनी ही क्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है।

उदाहरण

"लघु ऊँचौ चढ़ि जात वह, आपुहि सहज गिरात।
गिरि ते काँकर बात-बस, गिरत कहत यह बात॥"

यहाँ 'छोटे कंकड़ का पर्वत के ऊपर से नीचे गिरना' कार्य है और 'छोटा होकर ऊँचा पद प्राप्त कर लेना' कारण है। इन दोनों का सम्बन्ध जो छोटा होता है वह यदि ऊँचे स्थान पर पहुँच जाय तो अवश्य नीचे गिरता है, 'गिरत' क्रिया द्वारा प्रकट हुआ है। अतः निदर्शना है।

15. मानवीकरण

जहाँ निर्जीव वस्तु अथवा भाव को सजीव वस्तु कथन किया जाय वहाँ **मानवीकरण अलंकार** होता है।

उदाहरण

"मन अगहुँड़ तनु पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर।
गड़त गोड़ मनो सकुच-पंक महँ, कढ़त प्रेम-बल धीर॥"

यहाँ **प्रेम-बल** भाव को सजीव कहा गया है। अतः **मानवीकरण अलंकार** है।

उदाहरण

"चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ।
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ।
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे! हरि डाला जाऊँ।
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ॥"

यहाँ **पुष्प** अपनी उपर्युक्त इच्छा प्रकट कर रहा है। मनुष्य ही अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पुष्प एक निर्जीव वस्तु है। वह अपनी इच्छा नहीं प्रकट कर सकता। पुष्प को यहाँ मनुष्य के समान सजीव कहा गया है और कवि ने उसके द्वारा उपर्युक्त इच्छा प्रकट करायी है। अतः यहाँ **मानवीकरण अलंकार** है।

16. अपन्हुति

जहाँ सत्य वस्तु का निषेध करके मिथ्या वस्तु की स्थापना की जाय वहाँ **अपन्हुति अलंकार** होता है।

उदाहरण

"है न सुधा यह है सुधा संगति साधु समाज।"

यहाँ सुधा में सुधा-कर्म का निषेध करके उसकी स्थापना साधु-समाज की संगति में की गयी है। इस प्रकार सत्य वस्तु के स्थान पर असत्य वस्तु का कथन किया गया है। अतः **अपन्हुति अलंकार** है।

"आँखें अति सीतल भईं, दीनों ताप निबारि।
क्यों सखि साजन को लखें? न सखि ससिहि निहारि॥"

यहाँ साजन (पति) को देखकर नेत्रों के शीतल होने की सच्ची बात छिपाकर मिथ्या बात चन्द्रमा को देखकर नेत्रों का शीतल होना कही गयी है। अतः **अपन्हुति अलंकार** है।

17. व्यतिरेक

जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणाधिक्य के कारण उत्कृष्टता कही जाय वहाँ **व्यतिरेक अलंकार** होता है।

उदाहरण

"संत-हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पै कहइ न जाना।
निज परिताप द्रवै नवनीता। पर दुःख द्रवैं सुसन्त पुनीता॥"

यहाँ **संत-हृदय** उपमेय में **नवनीत** उपमान की अपेक्षा गुणाधिक्य (दूसरे के दुःख से पिघलना) के कारण उत्कृष्टता कही गयी है । अतः **व्यतिरेक अलंकार** है ।

18. प्रतीप

जहाँ उपमान में उपमेय से हीनता बतायी जाय अथवा उपमेय की समता उपमान न कर सके वहाँ **प्रतीप अलंकार** होता है ।

उदाहरण

"सोहति धोती सेत में, कनक बरन तन बाल ।
सारद-बादर-बीजुरी, भा रद कीजत लाल ।।"

यहाँ **बाला** (नवयुवती) उपमेय से **बिजली** उपमान को हीन बताया गया है। अतः **प्रतीप अलंकार** है।

इस अलंकार में व्यतिरेक से यह भिन्नता है कि व्यतिरिक में उपमेय को गुणाधिक्य के कारण उपमान से उत्कृष्ट कहा जाता है, पर इसमें अकारण ही उपमेय की अपेक्षा उपमान को हीन कहा जाता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. श्लेष और वक्रोक्ति अलंकारों का अन्तर बताइए ।

2. "सठ सुधरहिं सत-संगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ।।"

उपर्युक्त उदाहरण किस अलंकार का है ? उसके लक्षण इस उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।

3. संदेह अलंकार का उदाहरण कौनसा है ?

(अ) ये हैं तरल ओस की बूँदें अथवा मंजुल मोती । (ब) पेशी समझ माणिक्य को, वह बिहग देखो ले चला । (स) ओस-बिन्दु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान । (द) माह ससि भ्रम सूर तन, रही चकोरी चाहि । (य) जानि स्यामघन स्याम को नाचि उठे बन मोर । ( )

4. "स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा देखि बिहंग बिचारि ।
बाज पराये पानि परि तू पच्छीनु न मारि ।।"

उपर्युक्त उदाहरण में कौनसा अलंकार है ?

(अ) अतिशयोक्ति (ब) वक्रोक्ति (स) अन्योक्ति (द) दृष्टान्त (य) अनन्वय। ( )

5. निम्नांकित में कौनसा कथन असंगत है ?

(अ) रूपक में अभेद-आरोप होता है । (ब) श्लेष में संदर्भ-भेद में अर्थ-भेद होता है । (स) दृष्टान्त में एक कथन सामान्य और दूसरा विशेष होता है । (द) अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है । (य) अनन्वय में उपमान-उपमेय एक ही होता है । ( )

6 "धनि रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाइ ।
उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाइ ।"

इस उक्ति में कौनसा अलंकार है ?

(अ) अतिशयोक्ति (ब) वक्रोक्ति (स) दृष्टान्त (द) भ्रांतिमान (य) अन्योक्ति । ( )

7. निम्नांकित में कौनसा अलंकार है ?

"जो है चाकर तो ना चाकर,
जो ना चाकर तो ना चाकर ।"

(अ) अनन्वय (ब) लाटानुप्रास (स) वक्रोक्ति (द) श्लेष (य) दृष्टान्त । ( )

8. निम्नांकित में से किस पंक्ति में उपमा अलंकार है ?

(अ) हा ! एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया । (ब) सुन्दर नन्दकिशोर से सुन्दर नन्दकिशोर । (स) तंबोली के पात ज्यूं दिन दिन पीला होइ । (द) उदर अघासुर के परे ज्यों हरि गाइ गुवाल । (य) यह हरि का मधुर मुख अथवा मंजु मयंक । ( )

9. निम्नाकित पंक्ति में रेखांकित शब्द हटाने पर कौनसा अलंकार होगा ?

"ए सेवक सतत अनन्त अति ज्यों चातकहि एक गति धन की" ।

(अ) उपमा (ब) दृष्टान्त (स) अन्योक्ति (द) अतिशयोक्ति (य) अनन्वय । ( )

10. लाटानुप्रास और यमक का सोदाहरण अन्तर स्पष्ट कीजिए।

11. उदाहरण और दृष्टान्त अलंकारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

12. निम्नांकित पंक्ति का रेखांकित शब्द हटाने पर कौनसा अलंकार होगा ?

"देखि चांद अस पद्मिनी रानी । सखी कुमोद सबे बिगसानी ।।"

(अ) उत्प्रेक्षा (ब) रूपक (स) अन्योक्ति (द) अनन्वय (य) अतिशयोक्ति । ( )

13. लुप्तोपमा और रूपक अलंकारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

14. संदेह और भ्रांतिमान अलकारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

15. उपमा और अनन्वय अलंकारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

16. "पंखुरी लगें गुलाब की, परि है गात खरोंच ।" में कौनसा अलंकार है ?

(अ) अन्योक्ति (ब) अतिशयोक्ति (स) वक्रोक्ति (द) दृष्टान्त (य) उपमा ( )

17. व्यतिरिक तथा प्रतीप अलंकारों का भेद स्पष्ट कीजिए।

सखर सकोमल मंजु दोष-रहित दूषन सहित ।"

उपर्युक्त दोहे में कौनसा अलंकार है ?

(अ) विभावना (ब) विरोधाभास (स) अपन्हुति (स) व्यतिरेक (य) प्रतीप ( )

19. "सीय बदन सम हिमकर नाहीं ।" में कौनसा अलंकार है ?

(अ) विभावना (ब) दीपक (स) निदर्शना (द) प्रतीप (य) उपमा। ( )

उत्तर

1. श्लेष अलंकार में किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ अभिप्रेत होते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार में किसी शब्द का अन्य अर्थ अभिप्रेत न होते हुए भी लगा लिया जाता है। यही दोनों में अन्तर है जैसे – "घनस्याम हैं तो कितहूँ बरसो" में **घनस्याम** का अन्य अर्थ **काला बादल** अभिप्रेत न होते हुए भी राधिका जी यह अर्थ लगाती हैं।

2. "सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई" दृष्टान्त अलंकार का उदाहरण है। लक्षण और उदाहरण के लिए 'अलंकार प्रकरण' पढ़िए।

3. क्रमांक (अ), 4. क्रमांक (स), 5. क्रमांक (स), 6. क्रमांक (स), 7. क्रमांक (ब), 8. क्रमांक (स), 9. क्रमांक (ब), 10. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' देखिए। 11. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' देखिए। 12. क्रमांक (ब), 13. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' देखिए। 14. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' देखिए । 15. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' देखिए। 16. क्रमांक (ब), 17. ऊपर 'अलंकार प्रकरण' पढ़िए। 18. क्रमाक (ब), 19. क्रमांक (द)

7. रस

कविता, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य के विविध अंगों को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है उसे **रस** कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है।

रसों के आधार **भाव** होते हैं।

भाव

मन के विकार को **भाव** कहते हैं। भाव के दो भेद हैं—1. स्थायी भाव और 2. संचारी भाव।

स्थायीभाव

जो मुख्य भाव किसी अन्य भाव से दबाया न जा सके और हृदय में चिर काल तक रहकर उसे तन्मय कर दे तथा पुष्ट होकर रस में परिणत हो जाय **स्थायी भाव** कहलाता है।

स्थायी भाव 9 माने गये हैं—1. रति 2. हास 3. शोक 4 क्रोध 5. उत्साह 6. भय 7. जुगुप्सा 8. विस्मय और 9. शम या निर्वेद।

रति—स्त्री-पुरुष के पारस्परिक प्रेम भाव को **रति** कहते हैं। यह **श्रृंगार रस** का स्थायी भाव है।

हास—किसी के अंग, वेश-भूषा, वाणी आदि के विकार से उत्पन्न प्रफुल्लता को **हास** कहते हैं। यह **हास्य रस** का स्थायी भाव है।

शोक—इष्ट के अनर्थ अथवा नाश के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को **शोक** कहते हैं। यह **करुण रस** का स्थायी भाव है।

क्रोध—अपना काम बिगाड़ने वाले व्यक्ति को दण्ड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को **क्रोध** कहते हैं। यह **रौद्र** रस का स्थायी भाव है।

उत्साह—वीरता, दया, दान आदि के प्रसंग से विकसित होनेवाली मनोवृत्ति को **उत्साह** कहते हैं। यह **वीर रस** का स्थायी भाव है।

भय—अनिष्ट करने में समर्थ सिंहादि को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। यह भयानक रस का स्थायी भाव है।

जुगुप्सा—किसी बुरी अथवा गन्दी वस्तु को देखकर उससे घृणा करने वाली मनोवृत्ति को **जुगुप्सा** कहते हैं। यह बीभत्स रस का स्थायी भाव है।

विस्मय—किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे **विस्मय** कहते हैं। यह **अद्भुत रस** का स्थायी भाव है।

शम या निर्वेद—संसार के प्रति वैराग्य भाव को **शम या निर्वेद** कहते हैं। यह शान्त रस का स्थायी भाव है।

संचारी भाव

जो भाव जल के बबूलों की भाँति शीघ्र उत्पन्न और नष्ट होता रहे और अन्य भाव द्वारा दबाया जा सके उसे **संचारी भाव** कहते हैं। यह स्थायी भाव का सहायक एवं पोषक होता है।

स्थायी भावों के अतिरिक्त अन्य सभी भाव संचारी होते हैं। पर आचार्यों ने निम्नांकित 33 ही संचारी भाव माने हैं – निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विवोध, स्वप्न, ग्लानि, शंका, असूया, आलस्य, चिन्ता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, अमर्ष, अवहित्था, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, और वितर्क।

स्थायी भाव भी अपने रस के अतिरिक्त अन्य रसों में संचारी हो जाते हैं। जैसे— हास्य रस का स्थायी भाव **हास** शृंगार रस का संचारी हो जाता है।

वास्तव में संचारी भावों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

संचारी भावों के लक्षण इस प्रकार हैं :

1. **निर्वेद**— इष्ट वस्तु के वियोग आदि से उत्पन्न विपत्ति और ईर्ष्यादि के कारण अपने आपको **धिक्कारने** को **निर्वेद** कहते हैं।

2. **ग्लानि** – मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न **शिथिलता** को **ग्लानि** कहते हैं।

3. **शंका**—अनिष्ट की चिन्ता को **शंका** कहते हैं।

4. **असूया**—दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी **निन्दा** करना **असूया** है।

5. **मद**—धन, रूप, यौवन मदिरा आदि का **नशा मद** है!

6. **श्रम**—मार्ग चलने आदि के कारण **थकान श्रम** है।

7. **आलस्य**—श्रम, गर्भ, व्याधि के कारण कार्य करने से विमुख होना **आलस्य** है।

8. **दैन्य**—दुःख, दरिद्रता आदि से उत्पन्न **हीनता दैन्य** है।

9. **चिन्ता**—इष्ट वस्तु की अप्राप्ति आदि से चित्त की व्याकुलता **चिन्ता** है।

10. **मोह** – श्रम, वियोग आदि से चित्त की ऐसी दशा हो जाय कि किसी बात का ज्ञान न रहे उसे **मोह** कहते हैं।

11. **स्मृति**—पहले अनुभव किये हुए विषय का **पुनः स्मरण स्मृति** है।

12. **धृति**—**धैर्य** को धृति कहते हैं।

13. **व्रीड़ा**—दुराचार, पराजय अथवा प्रेम के कारण **लज्जा व्रीड़ा** है।

14. **चपलता**—क्रोध, विरोध, अनुराग आदि से **चित्त की चंचलता चपलता** है।

15. **आवेग**—अनर्थ आदि से उत्पन्न चित्त की **घबराहट आवेग** है।

16. **हर्ष**—इष्ट की प्राप्ति आदि से उत्पन्न **सुख हर्ष** है।

17. **जड़ता**—इष्ट अथवा अनिष्ट, दर्शन, श्रवण से **उत्पन्न किंकर्त्तव्य-विमूढ़ता जड़ता** है।

18. **गर्व**—रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न **अभिमान** गर्व है।

19. **विषाद**—कार्य की असफलता से **हतोत्साह विषाद** है।

20. **औत्सुक्य**—किसी वस्तु की प्राप्ति, दर्शन आदि की उत्कट **इच्छा औत्सुक्य** है।

21. **निद्रा**—परिश्रम आदि से **नेत्रों का मिचना, जंभाई,** अँगड़ाई निद्रा है।

22. **अपस्मार**—मानसिक संताप से उत्पन्न एक व्याधि, जिसमें **मूर्छा**, **मुख से फेन**, निकलना **कंपादि** देखे जाते हैं. **अपस्मार** है।

23. **स्वप्न**—निद्रा की बढ़ी हुई अवस्था **स्वप्न** है।

24. **विबोध**—मानसिक अथवा शारीरिक चेतनता **विबोध** है।

25. **अमर्ष** – निद्रा, अपमान आदि के कारण **गर्जन-तर्जन अमर्ष** है।

26 **अवहित्था**—लज्जा के कारण **हर्षादि भावों का छिपाना** अवहित्था है।

27. **उग्रता—**अपमान आदि से उत्पन्न **तेजी उग्रता** है।

28. **मति—**वस्तु का **यथार्थ ज्ञान मति** है।

29. **व्याधि**—रोग, वियोगादि के कारण उत्पन्न **मानसिक दुःख व्याधि** है।

30. **उन्माद—**भय, वियोग, शोक आदि के कारण **चित्त का भ्रमित होना** उन्माद है।

31. **मरण**—मृत्यु से पूर्व की अवस्था अथवा मृत्यु **मरण** है।

32. **त्रास**—बिजली, उल्कापात आदि से उत्पन्न भय **त्रास** है।

33. वितर्क—संदेह के कारण **बिचार** उत्पन्न होना **वितर्क** है।

विभाव

स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को **विभाव** कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता **है**—(1) आलम्बन (2) आश्रय और (3) उद्दीपन।

आलम्बन—स्थायी भाव उत्पन्न करनेवाली वस्तु को **आलम्बन** कहते **हैं** जैसे—सिंह को देखकर स्थायी भाव भय उत्पन्न होता है। अतः सिंह **आलम्बन** विभाव है।

आश्रय—स्थायी भाव जिस व्यक्ति में उत्पन्न होता है उसे **आश्रय** कहते हैं। जैसे – सिंह को देखकर भयभीत होनेवाला व्यक्ति **आश्रय** विभाव है।

उद्दीपन—स्थायी भाव को उत्तेजित करनेवाली देश-कालिक परिस्थितियाँ अथवा आलम्बन की चेष्टाओं को **उद्दीपन विभाव** कहते हैं। जैसे—सिंह का चिंघाड़ना।

अन्य उदाहरण

सुन्दर, पुष्पित और एकान्त उद्यान में शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के हृदय में रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यहाँ शकुन्तला **आलम्बन** विभाव, दुष्यन्त **आश्रय** विभाव और सुन्दर, पुष्पित एवं एकान्त उद्यान **उद्दीपन** विभाव हैं।

अनुभाव

स्थायी भाव का अनुभव (ज्ञान) करानेवाली आश्रय की चेष्टाओं को **अनुभाव** कहते हैं। जैसे—सिंह को देखकर **काँपने लगना** स्थायी भाव भय का **अनुभाव** है।

अनुभाव के भेद

अनुभाव चार प्रकार के होते हैं—(1) कायिक (2) मानसिक (3) आहार्य और (4) सात्विक।

कायिक अनुभाव—आँख, भौंह, हाथ आदि शारीरिक अंगों द्वारा की गयी चेष्टाओं को **कायिक अनुभाव** कहते हैं।

मानसिक अनुभाव—मानसिक चेष्टाओं को **मानसिक अनुभाव** कहते हैं।

आहार्य अनुभाव—वेश-भूषा द्वारा भाव-प्रदर्शन को **आहार्य अनुभाव** कहते हैं।

सात्विक अनुभाव—शारीरिक अंग-विकार (जैसे—स्वेद, स्तम्भ, रोमांच, स्वर-भंग, कंपन, अश्रु आदि) को **सात्विक अनुभाव** कहते हैं।

विशेष—1. स्मरण रहे कि यदि आँख, भौंह, हाथ आदि शारीरिक अंगों द्वारा की

गयी चेष्टाएँ **आलम्बन** की होंगी तो ये **उद्दीपन विभाव** के अन्तर्गत मानी जायँगी। **अनुभाव** के अन्तर्गत तभी मानी जायँगी जब ये **आश्रय** की होंगी।

2. **सात्विक अनुभाव** को **सात्विक भाव** भी कहते हैं और इसे अनुभाव से भिन्न भी कहा जाता है। ये आठ हैं—

1. **स्तम्भ** (शोक, भय, हर्षादि के वेग से हाथ-पैर आदि की चेष्टाओं का रुक जाना) 2 स्वेद (पसीना), 3. रोमांच, 4. स्वर-भंग, 5. वेपथू (कंपन), 6. अश्रु और 7. प्रलय (चेष्टा करने का ज्ञान न रहना)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट स्थायी भाव रस अवस्था को प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि रस के चार अंग होते हैं—1. स्थायी भाव, 2. विभाव, 3. अनुभाव और 4. संचारी भाव।

रस-परिपाक

रस-परिपाक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके सभी अंग शब्दों द्वारा प्रकट किये जायँ। कभी-कभी कुछ रसांगों का आरोप करके रस-परिपाक सम्भव होता है।

वात्सल्य रस एवं भक्ति रस

1. शृंगार, 2. हास्य, 3. करुण, 4. वीर, 5. रौद्र, 6. भयानक, 7. अद्भुत 8. वीभत्स और 9. शान्त रसों के अतिरिक्त संतान-विषयक रति पर अवलम्बित **वात्सल्य रस** तथा देव-विषयक रति पर अवलम्बित **भक्ति रस** भी माने जाते हैं। किन्तु आचार्यों ने इन दोनो को पृथक् स्थान नहीं दिया है।

शृंगार रस के भेद

शृंगार रस के दो भेद हैं—1. संयोग शृंगार और 2. वियोग शृंगार अथवा विप्रलम्भ शृंगार।

पुरुष (नायक) और स्त्री (नायिका) के पारस्परिक दर्शन, आलिंगन, संलाप, चुम्बन आदि से **संयोग शृंगार** की उत्पत्ति होती है।

नायक और नायिका के संयोग के अभाव से **वियोग शृंगार** (विप्रलम्भ शृंगार) की उत्पत्ति होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. "मेरो सब पुरुषारथ थाको।
 बिपति बँटावनहार बंधु बिनु करों भरोसो काको ?"
उपर्युक्त पद्यांश का स्थायी भाव कौनसा है।
(अ) रति (ब) शोक (स) भय (द) निर्वेद (य) वात्सल्य। ( )

2 "अश्रु सहित थे नेत्र शब्द कंठस्थ रुके थे।"
उपर्युक्त पंक्ति में आये कोई दो सात्विक अनुभाव बताइए।

3. "रे मन ! आज परीक्षा तेरी।
 बिनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी।"
उपर्युक्त पंक्तियों में आये किन्हीं दो संचारी भावों के नाम लिखिए।

4. "कहती थी माता मुझे सदा राजीवनयन ।
दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुनश्चरण ।
पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन ।"
उपर्युक्त पद्यांश में कौनसा स्थायी भाव है ?
(अ) उत्साह (ब) निर्वेद (स) भय (द) हास्य (य) क्रोध । ( )

5. स्तम्भ और प्रलय सात्विक अनुभावों का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

6. "मन अगहुँड़ तनु पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर ।
गडत गोड़ मनो सकुच-पंक महँ, कढ़त प्रेम-बल धीर ।"
उपर्युक्त पंक्तियों में आये किन्हीं दो संचारी भावों के नाम लिखिए ।

7. भाव और अनुभाव का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

8. आलम्बन और उद्दीपन विभावों का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

9. "हेरी ! मैं तो प्रेम-दिवाणी मेरो दरद न जाणै कोय ।
सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होय ?"
उपर्युक्त उदाहरण करुण रस का है अथवा वियोग श्रृंगार का ?

10. "बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ ।
सौंह करै भौंहनु हँसे, दैन कहै नटि जाइ ।।"
उपर्युक्त दोहे का स्थायी भाव रति है अथवा हास ?

11. विप्रलम्भ श्रृंगार और करुण रसों का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

12. जुगुप्सा तथा शम स्थायी भावों का भेद बताइए ।

उत्तर—

1—क्रमांक (ब), 2—दो सात्विक अनुभाव अश्रु और स्तम्भ हैं। 3—दो संचारी भाव चिन्ता और आवेग हैं। 4 क्रमांक (अ) 5—स्तम्भ और प्रलय सात्विक अनुभावों में यह अन्तर है कि स्तम्भ में शोक, भय, हर्षादि के वेग से हाथ-पैर आदि की चेष्टाएँ रुक जाती हैं और प्रलय में चेष्टा करने का ज्ञान नहीं रहता । 6—इन पंक्तियों में आये दो संचारी भाव औत्सुक्य और ग्लानि हैं। 7—भाव और अनुभाव के अन्तर के लिए ऊपर **'रस-प्रकरण'** पढ़िए । 8—आलम्बन और उद्दीपन विभावों के अन्तर के लिए ऊपर **'रसप्रकरण'** पढ़िए। 9—यह उदाहरण वियोग श्रृंगार का है । 10—इस दोहे में स्थायी भाव **रति** है । 11—विप्रलम्भ श्रृंगार का स्थायी भाव रति और करुण रस का स्थायी भाव शोक है । विप्रलम्भ श्रृंगार की उत्पत्ति प्रिय-वियोग से होती है, पर करुण रस की उत्पत्ति प्रिय के अनिष्ट अथवा मृत्यु से होती है। 12—जुगुप्सा और शम स्थायी भावों का अन्तर ऊपर **'रसप्रकरण'** में देखिए ।

(8) हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास

हिन्दी-साहित्य के इतिहास को मुख्यतः चार भागों में बाँटा गया है । यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। यह इस प्रकार है—

1. आदिकाल (वीरगाथा काल)—संवत् 800 से 1400 तक

2. पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल)—संवत् 1400 से 1700 तक
3 उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) – संवत् 1700 से 1900 तक
4. आधुनिक काल (गद्य काल)—संवत् 1900 से अब तक

आदिकाल (वीरगाथा काल)

आदिकाल अथवा वीरगाथा काल में हमारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये वीर, साहसी और विलासी थे। छोटी-छोटी बातों पर मन-मुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण इनमें प्रायः युद्ध हुआ करते थे। मुसलमानों के वाह्य आक्रमण भी इसी समय आरम्भ हो गये थे। अतः वीर पुरुषों का यशोगान और वीरता का अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन ही इस काल की कविता के मुख्य विषय रहा।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ

इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं—

1. आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा
2. सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव
3. युद्धों का सुन्दर एवं सजीव वर्णन
4. वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन
5 ऐतिहासिक तथ्यों में कल्पना का मिश्रण
6. वीर गाथाओं के दो रूप – प्रबल काव्य एवं मुक्तक (वीर गीतों के रूप में)
7. रासो ग्रन्थों की भाषा डिंगल
8. छप्पय, त्रोटक, तोमर, आर्या आदि छन्दों का प्रयोग

प्रमुख कवि एवं रचनाएँ

इस काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है—

कवि	रचना	रचना का रूप
दलपति विजय	खुमाण रासो	प्रबन्ध काव्य
चन्द बरदाई	पृथ्वीराज रासो	,,
शारंगधर	हमीर रासो	,,
नल्लसिंह	विजयपाल रासो	,,
जगनिक	परमाल रासो (आल्हखण्ड)	वीरगीत
नरपति नाल्ह	बीसलदेव रासो	,,

वीर-गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आल्हखण्ड है। जगनिक नामक भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन है। इस काव्य के गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तरी भारत के गाँवों में ढोलक की थाप के साथ गाये जाते हैं।

पृथ्वीराज रासो हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है।

इस काल में कुछ फुटकर रचनाएँ भी हुईं। इनमें भक्तकवि **विद्यापति** की **पदावली** तथा **खुसरो** की **पहेलियाँ** प्रसिद्ध हैं।

पूर्व मध्यकाल (भक्ति काल)

आदि काल समाप्त होते-होते हमारे देश में मुलसमानों का राज्य स्थापित हो गया और परस्पर लड़ने वाले छोटे-छोटे राजा अब नहीं रहे। इस परिवर्तित परिस्थिति में जनता में गौरव और उत्साह के स्थान पर निराशा छा गयी। हताश जाति के लिए भगवान् की भक्ति ही एक सहारा थी। अतः युग-द्रष्टा कवियों ने जनता के हृदय को सँभालने के लिए भक्ति-काव्य की रचनाएँ कीं और यह काल 'भक्ति' काल कहलाया। इस काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल के काव्य को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है – 1. निर्गुण शाखा और 2. सगुण शाखा। प्रथम शाखा की दो उपशाखाएँ ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी और द्वितीय शाखा की दो उपशाखाएँ रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति हैं।

निर्गुण भक्ति शाखा (ज्ञानाश्रयी)

ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा में ब्रह्म (ईश्वर) के निराकार स्वरूप की उपासना अपनायी गयी। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवि रैदास (रविदास), नानक, दादू, मलूकदास हैं। इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. जाति-पाँति, तीर्थ-व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध
2. साहित्यिक सौन्दर्य की अधिकता नहीं
3. भाव की दृष्टि से प्रभावोत्पादकता
4. सधुक्कड़ी भाषा जिसमें अनेक बोलियों का मिश्रण है
5. प्रधान छन्द साखी (दोहा) और पद
6. निराकार ईश्वर की उपासना
7. रहस्यवाद
8. मुक्तक काव्य-रचना

निर्गुण भक्ति शाखा (प्रेमाश्रयी)

प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा को पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को है। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं, जिनका पद्मावत (महाकाव्य) हिन्दी साहित्य का अनूठा रत्न है। इस शाखा की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. हिन्दू राजकुमारों एवं राजकुमारियों की प्रेमगाथा (प्रेमाख्यान) के माध्यम से अलौकिक प्रेम-व्यंजना
2. फारसी की मसनवी शैली
3. भाषा ठेठ अवधी
4. छन्द दोहा एवं चौपाई
5. प्रेम की पीर और विरह-वेदना की तीव्रता
6. कल्पना तथा इतिहास का समन्वय
7. रहस्यवाद (ईश्वर को प्रेमिका मानकर)
8. प्रबन्ध-काव्य रचना

सगुण भक्ति शाखा (रामभक्ति)

स्वामी रामानन्दजी ने जनता में ईश्वर के अवतार राम की भक्ति का प्रचार
कया। रामभक्ति शाखा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए, जिनकी
धान रचनाएँ रामचरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और
ष्ण गीतावली हैं। रामभक्ति शाखा की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं—

1. मानव-जीवन की विविध दशाओं का समावेश
2. हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का उद्घाटन
3. मर्मस्पर्शी भाव-व्यंजना
4. बाह्य दृश्यों का सजीव चित्रण
5. प्रबन्ध काव्य एवं मुक्तक काव्य दोनों की रचनाओं में सफलता
6. प्रबन्ध-पटुता
7. अवधी तथा ब्रजभाषा में रसानुकूल शब्द-योजना
8. प्रचलित समस्त काव्य-शैलियों का प्रयोग
9. सुन्दर अलंकार-योजना
10. लोक-आदर्श और मर्यादा की प्रतिष्ठा

रामचरितमानस उत्कृष्ट महाकाव्य है और हिन्दी-साहित्य का अमूल्य रत्न है।

सगुण भक्ति शाखा (कृष्णभक्ति)

सगुणोपासना की दूसरी शाखा ईश्वर के अवतार कृष्ण की भक्ति की थी, जिसके
चार का श्रेय स्वामी बल्लभाचार्य को है। इस शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास हैं,
न्होंने बाल-कृष्ण की लीलाओं के मधुर-पदों की ऐसी धारा प्रवाहित की, जिसमें डुबकी
गाकर जन-जन का हृदय आनन्द-मग्न हो गया। इनका काव्य **सूरसागर** हिन्दी-साहित्य
ी अक्षय निधि है। इनके अतिरिक्त नन्ददास, मीराबाई और रसखान कवि विशेष
ल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. कृष्ण की बाल-सुलभ चेष्टाओं एवं भावों की मार्मिक व्यंजना
2. वात्सल्य और श्रृंगार रसों के क्षेत्रों की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का मर्मस्पर्शी
द्घाटन
3. कृष्ण के लोक-कल्याणकारी स्वरूप की झांकी का अभाव
4. रूप-चित्रण की सजीवता एवं सुन्दरता
5. उक्ति का अनूठापन
6. सुन्दर अलंकार-योजना
7. ब्रजभाषा की मधुरता तथा लालित्य
8. गीत-पद्धित पर पद-रचना
9. मुक्तक काव्य-रचना

भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ

भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं—

1. ईश्वर में सहज विश्वास
2. ईश्वर की दीन-वत्सलता, नाम-स्मरण की महत्ता, कीर्तन-भजन का अवलम्बन

3. गुरु की महिमा
4. भाव-गाम्भीर्य
5. जाति-पाँति और धर्म के मिथ्याडम्बरों का विरोध
6. लोक-मंगल की भावना
7. प्रेम-महिमा
8. संत-जीवन का आदर्श
9. प्रबन्ध और मुक्तक दोनों काव्य-रूपों में रचना
10. दोहा, चौपाई, पद, कवित्त, सवैया छंदों का प्रयोग
11. ब्रजभाषा और अवधी भाषा का प्रयोग

भक्तिकाल की साहित्यिक देन

इस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि उत्कृष्ट भक्त-कवियों की शाश्वत दिव्य वाणी देश के कोने-कोने में फैली। इन महात्माओं के सात्विक जीवन और उच्च विचारों से ओतप्रोत रचनाएँ जनता के हृदयों पर अमिट प्रभावोत्पादक सिद्ध हुईं। भाव, भाषा एवं कला की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का यह उत्कर्ष-काल माना जाता है। अन्य किसी काल में इस काल से श्रेष्ठतर काव्य-रचना नहीं हुई। इस काल में ऐसे साहित्य का सृजन हुआ जो किसी विशेष देश या काल तक सीमित नहीं होता, वरन् सार्वभौम एवं सर्वकालीन होता है। यही कारण है कि भक्ति-काल को हिन्दी साहित्य का **स्वर्ण-युग** कहा जाता है।

उत्तर मध्यकाल (रीति काल)

सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक हमारे देश में मुगल-साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था और वैभव के शिखर पर था। जन-जीवन भी सुख-शांति-पूर्ण था। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जो कृष्ण और राधा भक्ति के आलम्बन थे वे ही अब श्रृंगार रस के आलम्बन बन गये। इसके अतिरिक्त कवियों का ध्यान साहित्य-शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छन्द और नायक-नायिका-भेद आदि के लक्षण बताते हुए उदाहरण—रूप में काव्य-रचना आरम्भ की। इस प्रकार की रचनाओं को लक्षण-ग्रन्थ अथवा **रीति-ग्रन्थ** कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाओं की अधिकता के कारण इसे **रीति काल** कहते हैं।

इस काल के प्रमुख कवि बिहारी, देव, पद्माकर, सेनापति, घनानन्द, मतिराम भूषण और केशव हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। वृन्द, गिरिधर और दीनदयाल गिरि नीति-परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति-चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति उल्लेखनीय हैं। इस काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ निम्नांकित हैं—

1. केशवः रामचन्द्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया
2. भूषणः शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक
3. बिहारीः सतसई

इस काल के कवि प्रायः राजाश्रयी थे। अतः इनकी रचनाओं में आश्रयदाताओं की प्रशस्ति (प्रशंसा) भी मिलती है।

रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

1. रीतिग्रन्थों की रचना द्वारा काव्यांगों का परिचय

2. शृंगार रस की प्रधानता
3. काव्य-भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग
4. सवैया, दोहा और कवित्त छंदों का प्रयोग
5. प्रकृति का उद्दीपन-रूप में चित्रण
6. आश्रयदाताओं की प्रशंसा
7. कला पक्ष की प्रधानता
8. चमत्कार-विधान
9. नीति-परक रचनाओं की प्रवृत्ति

आधुनिक काल (गद्य काल)

आधुनिक काल को गद्य काल, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल आदि भी कहा जाता है। इसका विभाजन इस प्रकार किया गया है—

1. पुनर्जागरण काल 2. सुधार काल 3. छायावाद काल 4. छायावादोत्तर काल (क) प्रगतिवादी काल (ख) प्रयोगवादी काल (ग) नयी कविता काल

पुनर्जागरण काल (भारतेन्दु युग)

पुनर्जागरण काल को भारतेन्दु युग भी कहते हैं। हिन्दी-साहित्य में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेन्दुजी की रचनाओं में मुखरित हुआ। उनमें स्वदेशानुराग, अंग्रेजी शासन द्वारा आर्थिक शोषण, मातृ भाषा की प्रतिष्ठा, सामाजिक सुधार, प्रकृति के प्रति प्रेम आदि के दर्शन हुए। रीति काल में कवियों का नाता जन-जीवन से टूट चुका था। भारतेन्दुजी तथा उनके साथी साहित्यकारों ने यह नाता फिर स्थापित किया और जन-भावना को वाणी दी। काव्य के क्षेत्र में स्वदेश-प्रेम, समाज-सुधार, प्रकृति-चित्रण आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ। गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, आलोचना आदि का सूत्रपात हुआ। यही कारण है कि भारतेन्दुजी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इस युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्री निवासदास, राधाकृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' हैं।

सुधार काल (द्विवेदी युग)

सुधार काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भाषा (खड़ी बोली) के परिमार्जन का कार्य सम्पन्न किया। उसे समृद्ध एवं गतिशील बनाया। इस युग में भाषा के शब्द-भण्डार की वृद्धि के साथ-साथ उसकी अभिव्यंजना तथा लाक्षणिक शक्तियों की भी अभिवृद्धि हुई। विविध प्रकार की भाषा-शैलियों के जन्म के साथ-साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ। द्विवेदीजी के निर्देशन से ललित और उपयोगी दोनों प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ। जयशंकर 'प्रसाद', प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, अध्यापक पूर्णसिंह प्रमुख गद्य-लेखक तथा मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' और जगन्नाथदास 'रत्नाकर' प्रमुख कवि इसी युग की देन थे। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रिय प्रवास महाकाव्यों की रचना इसी युग में की।

छायावाद काल या युग

द्विवेदी युग के उपरान्त छायावाद का युग आरम्भ हुआ। विदेशी शासन के अत्याचारों

एवं आर्थिक कष्टों से उत्पन्न असंतोष साहित्यकारों को वास्तविक जगत से किसी कल्पना-जगत में ले गया। छायावादी कवि जीवन को अपनी भावना और कल्पना से अनुरंजित करके प्रस्तुत करता है। वह कविता तथा समाज की रूढ़ियों एवं परम्पराओं का विरोधी एवं स्वच्छन्दतावादी होता है। वह मूलतः सौन्दर्योपासक होता है और उसकी सौन्दर्य-साधना कभी मानवीय रूप में प्रकट होती है, कभी प्रकृति के प्रति उन्मुख तथा कभी किसी दिव्य अनुभूति से प्रेरित होती है। वह जगत के विविध पदार्थों में, विशेषकर प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में परब्रह्म का छायाभास पाता है। इसी आध्यात्मिक छायादर्शन की प्रवृत्ति (रहस्य भावना) के कारण इन कवियों की कविता को छायावादी कहा गया। किन्तु समस्त छायावादी कवियों का काव्य इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत नहीं है।

छायावादी कविता में कल्पना की स्वच्छन्द उड़ान दृष्टिगत होती है। उसमें निराशा का भी स्वर है। चित्रात्मक कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली ने उसे सजीवता प्रदान की है। इस युग के प्रमुख कवि जयशंकर 'प्रसाद', सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं—

1. मुक्तक गीतों की रचना
2. करुणा और नैराश्य की भावनाएं
3. प्रकृति का मानवीकरण
4. आध्यात्मिक रहस्य भावना
5. सौंदर्य-साधना
6. कल्पना की उड़ान एवं चित्रात्मकता
7. लाक्षणिकता
8. प्रतीकात्मकता
9. परम्परागत रूढ़ियों से मुक्ति

प्रगतिवादी काल

छायावादी काव्य की कल्पना की अतिशयता के कारण कविता ने स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से नाता तोड़ दिया। किन्तु—

"कितनौ चिड़िया उड़े अकास।
दाना है धरती के पास॥"

के अनुसार उसे धरती पर लौटना ही था। अतः कविता को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास हुआ। वह समाज की घोर आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध, शोषितों-पीड़ितों के दयनीय जीवन की ओर उन्मुख हुई। साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी-कपड़ा-मकान की समस्या और मजदूरों एवं किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया और पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठायी गयी। इन प्रवृत्तियों से ओतप्रोत कविता को प्रगतिवादी कविता और इस काल को प्रगतिवादी काल कहा गया। प्रगतिवादी कविता की मूल प्रेरणा आर्थिक विषमता थी।

प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानन्दन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', रामधारीसिंह 'दिनकर', भगवतीचरण वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगलसिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' उल्लेखनीय हैं।

प्रगतिवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं—

1. प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध
2. मानवतावादी प्रवृत्ति
3. शोषक वर्ग (पूंजीपतियों) के प्रति घृणा
4. शोषितों (मजदूरों, किसानों आदि) के प्रति सहानुभूति
5. विद्रोह एवं क्रांति की भावना
6. समाज का यथार्थवादी चित्रण
7. समाज के उपेक्षित अंग, नारी एवं हरिजनों के प्रति सहानुभूति

प्रयोगवादी काल

प्रगतिवाद के साथ-साथ मनुष्य के मन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली **प्रयोगवादी** काव्यधारा भी सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। इस काव्यधारा को प्रयोगवाद की संज्ञा देने के सम्बन्ध में अज्ञेयजी का वक्तव्य निम्नांकित है—

"प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। किन्तु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है या जिनको अभेद्य मान लिया गया है।"

प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेयजी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और गजानन माधव 'मुक्ति बोध' उल्लेखनीय हैं।

प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं निम्नांकित हैं—

1. घोर वैयक्तिकता
2. अति यथार्थवादी दृष्टिकोण
3. कुंठा और निराशा के स्वर
4. विद्रोह का स्वर
5. व्यंग्य एवं कटूक्तियाँ
6. नवीन उपमानों का प्रयोग
7. हिन्दी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बँगला तथा अन्य आंचलिक शब्दों का प्रयोग।

नयी कविता काल

अब कविता प्रयोगवाद का क्षेत्र छोड़कर नये क्षेत्र में पदार्पण कर रही है। **नयी कविता** प्रयोग-शीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर अब उससे पूर्ण पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। सुमित्रानन्दन पंत ने 'कला और बूढ़ा चाँद' तथा दिनकर ने 'चक्रवाल' की कुछ रचनाओं में इसी नवीन काव्य-प्रवृत्ति को अपनाया है।

नयी कविता की आधारभूत विशेषता यह है कि वह किसी भी दर्शन के साथ बँधी हुई नहीं है। वह वर्तमान जीवन के सभी स्तरों के यथार्थ को नयी भाषा, नवीन अभिव्यंजना-विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में संलग्न है।

नयी कविता वाद-मुक्त होकर चल रही है। वह किसी प्रवृत्ति, स्कूल या वाद से नहीं बँधी है।

हिन्दी-गद्य का विकास

हिन्दी-गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलते हैं। खड़ी बोली-गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित **चन्द छन्द बरनन की महिमा**, नामक ग्रन्थ में होते हैं। किन्तु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी से ही माना जाता है। खड़ी बोली-गद्य के विकास में सदासुख लाल, इंशा अल्ला खाँ, लल्लू लाल और सदल मिश्र को विशेष श्रेय दिया जाता है। यदि इन्हें खड़ी बोली-गद्य का जन्मदाता कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। खड़ी बोली-गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद खड़ी बोली में कराया और उसे उत्तर भारत में वितरित करके अपने धर्म के साथ हिन्दी का भी प्रसार किया। फिर आर्य-समाज आंदोलन से भी हिन्दी-प्रसार को बल मिला। आगे चलकर राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' और राजा लक्ष्मणसिंह ने खड़ी बोली गद्य का विकास किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा प्रचलित शिक्षा-योजना के अन्तर्गत निर्मित पाठ्य पुस्तकों से भी खड़ी बोली-गद्य विकसित हुआ।

गद्य की विभिन्न विधाएँ

हिन्दी-गद्य की प्रमुख विधाएँ निम्नांकित हैं—

1. निबन्ध 2. कहानी 3. उपन्यास 4. जीवनी 5. नाटक 6. आत्मकथा 7. रेखा-चित्र 8. संस्मरण 9. यात्रा-साहित्य 10. गद्य-काव्य 11. रिपोर्ताज और 12. भेंटे-वार्ता (इण्टरव्यू)

निबन्ध

गद्य की विधाओं में निबन्ध का सर्वाधिक महत्व है। इसे गद्य की कसौटी कहा जाता है। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है तथापि इसका सम्बन्ध हृदय तत्व से भी रहता है। यह एक छोटे आकार की रचना है। इसकी शैली कलात्मक होती है। विषय तथा शैली के अनुसार इसके चार भेद होते हैं—

1. विचारात्मक निबन्ध 2. भावात्मक निबन्ध 3. वर्णनात्मक निबन्ध 4. विवरणात्मक निबन्ध।

विचारात्मक निबन्ध में बुद्धि तत्व की प्रधानता तथा **भावात्मक निबन्ध** में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। **वर्णनात्मक निबन्ध** में किसी वस्तु, दृश्य, स्थान, व्यक्ति आदि का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबन्ध में ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं का वर्णन होता है।

प्रमुख निबन्ध-लेखकों में **भारतेन्दु युग के** प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, **द्विवेदी युग के** अध्यापक पूर्णसिंह, श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, बाबू गुलाबराय और **वर्तमान युग के** हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, नगेन्द्र, रामविलास शर्मा उल्लेखनीय हैं।

आलोचना समीक्षात्मक मिबन्ध को कहते हैं।

कहानी

कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली एक कलात्मक जनप्रिय गद्य-विधा है। कहानी-लेखकों में **द्विवेदी युग** के प्रेमचन्द, सुदर्शन, छायावादी युग के जयशंकर 'प्रसाद' और **वर्तमान युग** के जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, उपेन्द्र नाथ 'अश्क', शिवानी, धर्मवीर भारती, भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय आदि उल्लेखनीय हैं।

उपन्यास

हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवासदास कृत **परीक्षा गुरु** है। उपन्यास-लेखकों में द्विवेदी युग के प्रेमचन्द और आधुनिक काल के जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, उपेन्द्र नाथ अश्क, भगवतीचरण वर्मा, वन्दावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती आदि उल्लेखनीय हैं।

नाटक

हिन्दी में मौलिक नाटकों का आरम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इस गद्य-विधा का विकास नहीं हुआ। **छायावादी युग** में जयशंकर 'प्रसाद' हरिकृष्ण प्रेमी और छायावादोत्तर युग में लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्द दास, रामकुमार वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' उल्लेखनीय हैं।

एकांकी

नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप **एकांकी** है। इसमें केवल एक अंक होता है और इसकी रचना किसी एक महत्वपूर्ण घटना को लेकर की जाती है। एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से हुआ है। एकांकी नाटककारों में रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्द दास, उपेन्द्रनाथ अश्क आदि उल्लेखनीय हैं।

जीवनी

गद्य की इस विधा में किसी महान् व्यक्ति के जीवन की समस्त घटनाओं को काल-क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी-लेखकों में **द्विवेदी युग** के लक्ष्मीधर बाजपेयी, सम्पूर्णानन्द, **छायावादी युग** के गणेशशंकर विद्यार्थी, मन्मथनाथ गुप्त, राजेन्द्रप्रसाद, प्रेमचन्द और **छायावादोत्तर युग** के काका कालेलकर, जैनेन्द्र, रामनाथ 'सुमन', बनारसी दास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन उल्लेखनीय हैं।

आत्मकथा

इस गद्य-विधा में लेखक अपना जीवन स्वयं लिखता है। इस क्षेत्र में बाबू श्यामसुन्दर दास, वियोगी हरि, राजेन्द्रप्रसाद, बाबू गुलाबराय, वृन्दावनलाल वर्मा, सुमित्रानन्दन पंत और राहुल सांकृत्यायन उल्लेखनीय हैं।

रेखाचित्र

इस गद्य-विधा में लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रण थोड़े से शब्दों में इस प्रकार करता है जिस प्रकार एक चित्रकार थोड़ी-सी रेखाओं द्वारा चित्र खींचता है। महादेवी वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और नगेन्द्र के रेखाचित्र उल्लेखनीय हैं।

संस्मरण

इस गद्य-विधा में लेखक अपने निकट सम्पर्क में आनेवाले किसी व्यक्ति, घटना अथवा दृश्य को स्मृति के सहारे शब्दांकित करता है। श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिभाऊ उपाध्याय आदि के संस्मरण उल्लेखनीय हैं।

इसमें आत्मकथा से यह भिन्नता होती है कि यह लेखक के अपने जीवन से सम्बन्धित होता है अथवा अन्य व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित, पर आत्मकथा केवल लेखक के निजी जीवन से सम्बन्धित होती है।

इसमें रेखाचित्र से यह भिन्नता है कि रेखाचित्र में कम से कम शब्दों का प्रयोग

होता है और इससे व्यक्ति या वस्तु का अपूर्ण परिचय मिलता है। पर संस्मरण में स्मृति के सहारे पूर्ण परिचय मिलता है और अधिक से अधिक शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं।

यात्रा-साहित्य

इस गद्य-विधा में अविस्मरणीय यात्राओं का वर्णन आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, देवेन्द्र सत्यार्थी, अज्ञेय, यशपाल, नगेन्द्र आदि उल्लेखनीय हैं।

गद्य-काव्य

इस गद्य-विधा में प्रेम, करुणा, भक्ति आदि भावनाएँ छोटे-छोटे कल्पना-चित्रों के माध्यम से अन्योक्ति अथवा प्रतीक-पद्धति पर व्यक्त की जाती हैं। इस क्षेत्र में रायकृष्ण दास और वियोगी हरि उल्लेखनीय हैं।

रिपोर्ताज

इस गद्य-विधा में सम-सामयिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस क्षेत्र में रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' उल्लेखनीय हैं।

भेंट-वार्ता (इंटरव्यू)

इस गद्य-विधा में लेखक किसी महान व्यक्ति से मिलकर उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करता है और उससे प्राप्त उत्तरों को लेखनी-बद्ध करता है। यह विधा प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती है। इस क्षेत्र में पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' और रणवीर रांग्रा उल्लेखनीय हैं।

कुछ प्रमुख विधाओं के लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएँ

विधा	लेखक	रचना
निबन्ध	रामचन्द्र शुक्ल	1. मित्रता 2. करुणा
,,	अध्यापक पूर्णसिंह	1. मजदूरी और प्रेम 2. आचरण की सभ्यता
कहानी	प्रेमचन्द	1. मन्त्र 2. नमक का दारोगा
,,	जयशंकर 'प्रसाद'	1. ममता 2. पुरस्कार
उपन्यास	प्रेमचन्द	1. गोदान 2. कर्मभूमि
,,	जैनेन्द्र	1. सुनीता 2. त्यागपत्र
नाटक	जयशंकर 'प्रसाद'	1. चन्द्रगुप्त 2. अजात शत्रु
,,	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	1. भारत दुर्दशा 2. सत्य हरिश्चन्द्र
गद्य-काव्य	वियोगी हरि	1. अन्तर्नाद 2. श्रद्धाकण
,,	रायकृष्णदास	1. साधना 2. छायापथ
एकांकी	रामकुमार वर्मा	1. दीपदान 2. बादल की मृत्यु
,,	सेठ गोविन्ददास	1. ईद और होली 2. स्पर्द्धा
आत्मकथा	बाबू गुलाबराय	मेरी असफलताएँ
,,	राहुल सांकृत्यायन	मेरी जीवनयात्रा
संस्मरण	महादेवी वर्मा	प्रणाम
,,	हरिभाऊ उपाध्याय	आचार्य द्विवेदीजी
रेखाचित्र	महादेवी वर्मा	गिल्लू

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कौनसा कथन असत्य है ?

(अ) वीरगाथा-काव्य राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत है। (ब) भक्ति-काल का काव्य भाव-गाम्भीर्य से पूर्ण है। (स) रीतिकाल में जीवन की अनेक रूपता नहीं है। (द) भारतेन्दु युग हिन्दी साहित्य का पुनर्जागरण-काल है। (य) आंचलिक उपन्यास नवीन युग की देन है। ( )

2. द्विवेदी-युग की प्रमुख विशेषता क्या हैं ?

(अ) काव्य में भाव-प्रवणता (ब) गद्य-पद्य की भाषा का एकीकरण (स) कलापूर्ण-शब्द-विधान (द) भाषा-शैली में लाक्षणिकता (य) सामाजिक शैली का प्रयोग। ( )

3. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की हिन्दी-गद्य को प्रमुख देन क्या है ?

(अ) अलंकृत शैली (ब) भाषा का परिमार्जन (स) सशक्त अनुवाद (द) गम्भीर समीक्षा (य) शैलियों की विविधता। ( )

4. हिन्दी-गद्य की दो प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए।

5 सगुण भक्त कवियों के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

6. भक्ति-काल को हिन्दी-काव्य का 'स्वर्ण युग' कहने के दो प्रमुख कारण बताइए।

7. कौनसा कथन सही है ?

(अ) भारतेन्दु-युग के लेखकों की भाषा व्याकरण-सम्मत थी। (ब) आधुनिक युग के लेखकों की भाषा में विविधता नहीं है। (स) द्विवेदी युग के निबन्धों के विषय सीमित रहे। (द) ईसाई धर्म प्रचारकों से हिन्दी-गद्य का प्रसार हुआ। (य) भारतेन्दु से पहले गद्य नहीं लिखा जाता था। ( )

8. निर्गुण भक्त-कवियों के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

9. द्विवेदी युग के बाद हिन्दी-कविता में आये किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

10. निम्नांकित में से कौनसी प्रवृत्ति मुख्यतः रीति-कालीन काव्य की है ?

(अ) राष्ट्रीयता की संकीर्ण भावना (ब) लक्षण-ग्रन्थों की रचना (स) प्रेमाख्यान काव्यों की रचना (द) प्रबन्ध काव्यों की प्रचुरता (य) लोकमंगल की भावना। ( )

11. वीरगाथा काल के काव्य की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

12. रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

13. "छायावादी कविता ने परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त कर हिन्दी कविता को नई दिशा दी।" इस कथन की पुष्टि पचास शब्दों में कीजिए।

14. प्राचीन और प्रगतिवादी कविता के मध्य के दो अन्तर बताइए।

15. स्वतन्त्रता के बाद कहानी में आये किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

16. भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की किन्हीं तीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।

17. आधुनिक युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों का नामोल्लेख कीजिए और प्रत्येक के दो-दो उपन्यासों के नाम लिखिए।

18. ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की किन्हीं दो विशेषताओं का परिचय दीजिए।

19. प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए।

20. हिन्दी के किन्हीं दो सुप्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए और उनके द्वारा लिखी गयी दो-दो कहानियों का नामोल्लेख कीजिए।

21. नई कविता की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए।

उत्तर—

1—क्रमांक [अ], 2—क्रमांक [द], 3—क्रमांक [द], 4—निबन्ध और कहानी हिन्दी-गद्य की दो प्रमुख विधाएँ हैं। 5—सगुण भक्त-कवियों के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—1. ईश्वर के अवतार राम और कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना की व्यंजना और 2. भाव तथा कला पक्षों का उत्कृष्ट स्वरूप। 6—भक्ति काल को हिन्दी-काव्य का स्वर्णयुग कहने के दो प्रमुख कारण हैं—1. भक्त कवियों की आत्म-विभोर करने वाली शाश्वत दिव्य वाणी और 2. भाव एवं कलापक्ष का उत्कृष्ट स्वरूप। 7—क्रमांक [द] 8—निर्गुण भक्त-कवियों की दो विशेषताएँ हैं—1. निराकार ईश्वर के प्रति भक्ति-भावना की व्यंजना और 2. जाति-पाँति आदि धर्म के बाह्याडम्बरों का विरोध। 9—द्विवेदी युग के बाद हिन्दी-कविता में आये दो परिवर्तन हैं—1. छायावाद और 2. प्रगतिवाद। 10—क्रमांक [ब] 11—ऊपर **वीरगाथा काव्य की विशेषताएँ** पढ़िए। 12—ऊपर **रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएँ** पढ़िए। 13—सचमुच छायावादी कवियों ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, भक्ति-काव्य की नैतिकता, उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता तथा रीतिकाल के वासनामय प्रेम के बन्धन से हिन्दी-कविता को मुक्त करके नयी दिशा दी। विषय के अतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी छायावादी कविता ने परम्परागत छन्द-बन्धन एवं अलंकार-विधान से अपने को मुक्त किया और नवीन छंदों, मुक्त छंदों तथा नवीन उपमानों को अपनाया। इस तथ्य की पुष्टि सभी छायावादी कविताओं से होती है। 14—प्राचीन और प्रगतिवादी कविता के मध्य के दो अन्तर हैं—1. प्राचीन कविता का सम्बन्ध ईश्वर-भक्ति अथवा राजाओं की प्रशंसा से रहा, पर प्रगतिवादी कविता के सम्बन्ध समाज के दीन-हीन, शोषित-पीड़ित एवं दलित अंग से है। 2. प्राचीन कविता आदर्शवादी थी, पर प्रगतिवादी कविता यथार्थवादी है। उसमें प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं के प्रति विरोध है। 15—स्वतन्त्रता के बाद कहानी में आये दो परिवर्तन हैं—1. नगर के जीवन की जटिलताओं का विशेष अंकन हो रहा है और 2. आज के युग की कुंठा, तनाव, घुटन आदि के चित्र अधिक उभर रहे हैं। 16—ऊपर **प्रेमाश्रयी शाखा** शीर्षक देखिए। 17—दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम हैं—(1) प्रेमचन्द और (2) जैनेन्द्र। प्रेमचन्द के दो उपन्यासों के नाम **गोदान** और **कर्मभूमि** तथा जैनेन्द्र के दो उपन्यासों के नाम **सुनीता** तथा **त्यागपत्र** हैं। 18—ऊपर **ज्ञानाश्रयी शाखा** शीर्षक देखिए। 19—ऊपर **प्रगतिवादी काल** शीर्षक देखिए। 20—दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम हैं—1. प्रेमचन्द 2. जयशंकर 'प्रसाद'। प्रेमचन्द की दो प्रसिद्ध कहानियों के नाम **नमक का दारोगा** और **मन्त्र** तथा जयशंकर 'प्रसाद' की दो प्रसिद्ध कहानियों के नाम **पुरस्कार** और **ममता** हैं। 21—ऊपर **नयी कविता काल** शीर्षक के अन्तर्गत उत्तर देखिए।

परिशिष्ट

वर्ष 1989 की परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर

सीनियर हायर सेकण्डरी परीक्षा, 1989

अनिवार्य हिन्दी

मय 30 मिनट भाग 'अ' पूर्णांक 30

6. निम्नलिखित में से कौनसा वाक्य शुद्ध है ? अंक : 1

(क) कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है।
(ख) मेरे पास केवल मात्र एक रुपया है।
(ग) उमेश पत्र लिखने को बैठा था।
(घ) सुषमाजी विद्वान महिला हैं।
(च) वृक्षों पर कौआ बोल रहा था। (क)

7. निम्नलिखित में से कौनसा शब्द शुद्ध है ? अंक : 1

(क) उज्ज्वल (ख) जाग्रति (ग) पैत्रिक (घ) तदन्तर (च) प्रतक्ष (क)

8. निम्नलिखित में से कौनसा शब्द उपसर्ग-युक्त है ? अंक : 1

(क) इष्ट (ख) आहार (ग) कुशल (घ) सदैव (च) निष्कपट। (च)

9. निम्नलिखित मे से किस शब्द से निर्मित विशेषण सही है ? अंक : 1

(क) सुन्दर-सुन्दरता (ख) प्रकृति-प्राकृतिक (ग) घर-घरेलू (घ) श्रम-श्रमिक (च)
(च) बिहार-बिहारी। (ख)

0. निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें शुद्ध विराम-चिह्न लगे हैं ? अंक : 1

(क) नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। (ख) विज्ञान के प्रयोग, सत्य की खोज हैं। (ग) चलो; कहीं मारपीट न हो जाये; (घ) अरे मोहन ! क्या कर रहे हो ? (च) सदा-सर्वदा सच ही बोलो। (घ)

सीनियर हायर सेकण्डरी परीक्षा, 1989

अनिवार्य हिन्दी

मय 2½ घण्टे भाग 'ब' पूर्णांक 70

प्रश्न 12. प्रताप छात्रावास से रजनीकान्त के रूप में अपने पिताजी को एक पत्र खिए जिसमें विद्यालय में मनाये गये नेहरू-जन्म-शताब्दी समारोह का विवरण हो।

(उत्तर सीमा 100 शब्द) 5 अंक

उत्तर—

प्रताप छात्रावास,
उदयपुर
दिनांक 18 नवम्बर, 1988

पूज्य पिताजी,

सादर चरण स्पर्श।

गत 14 नवम्बर को हमारे विद्यालय में नेहरू-जन्म-शताब्दी समारोह धूमधाम साथ मनाया गया। इस अवसर पर खेल-कूद प्रतियोगिता, भाषण-प्रतियोगिता एवं कवि सम्मेलन की आयोजना की गयी। उत्कृष्ट प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। भाष प्रतियोगिता का विषय था 'चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति स्नेह'। इस प्रतियोगिता जनपद के अन्य विद्यालयों ने भी भाग लिया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करके पुरस्कृत हुआ। कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता आगरा-निवा प्रसिद्ध कवि सोम ठाकुर ने की। इसमें बाल-कवियों के अतिरिक्त राजस्थान के कई उत्कृ कवियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने चाचा नेहरू के त्याग, स्वतन्त्रता-संग्राम में भूमिका एवं रा ने नवनिर्माण में योगदान से सम्बन्धित कविताओं का रसास्वादन कराके श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर दिया। इस समारोह ने सारे विद्यालय को आनन्द-सागर में निमग्न कर दिया।

माताजी को चरण-स्पर्श तथा मुन्नी एवं राजू को प्यार।

आपका वात्सल्य-भाजन,
रजनीकान्त

प्रश्न 13. मौन रूपी व्याख्यान की महिमा इतनी प्रभावशाली होती है कि उस सामने क्या मातृभाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचार की मौन भाषा ईश्वरीय है। विचार करके देख मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी में सुन्दरता पिरो देता है। वह व्याख्या ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को न बदल दिया। चन्द्रमा की मन्द-म हँसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस देखो। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभु कितनी दिव्य है?

(क) उपर्युक्त अवतरण का सार लिखिए।
(ख) रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए।
(ग) उपर्युक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 5 अ

उत्तर—(क) आचरण का मौन एवं लोकोत्तर प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को अ वश में कर लेता है। कवियों पर मौन प्रभाव डालने वाले मनोहर उपमानों की त आचरण की मौन भाषा की भी महत्ता है।

(ख) केवल आचरण की मौन भाषा अर्थात् मौन प्रभाव मानव को सांसारिकता ऊपर उठाकर ईश्वरोन्मुख करता है। अन्य किसी भाषा में यह अलौकिक गुण नहीं होत भाव यह है कि कोई शाब्दिक उपदेश आचरण के प्रभाव के समान मानव को आध्याति उन्नता नहीं प्रदान कर सकता।

(ग) उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है 'आचरण की महत्ता'।

प्रश्न 14. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए।

(उत्तर सीमा 300 शब्द)—15 अंक

(क) मेरे सपनों का भारत (ख) राष्ट्र भाषा हिन्दी की समस्याएँ (ग) राजस्थान दर्शनीय स्थल (घ) टी० वी० सीरियल 'रामायण' का जन-मानस पर प्रभाव (च) जब ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।

उत्तर—'निबन्ध प्रकरण' देखिए।

सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1989

विशेष हिन्दी

मय 30 मिनट | भाग 'अ' | पूर्णांक 30

6. "जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जासु।
मुकताहल गुनगन चुनइ, राम बसहु हियँ तासु॥"

उपर्युक्त पंक्तियों में विद्यमान अलंकार का नाम लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि हां किस कारण वह अलंकार है। (उत्तर सीमा 40 शब्द) अंक : 4

उत्तर—अलंकार का नाम रूपक

कारण—रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप कहा जाता है, नों में कोई भेद नहीं होता। उपर्युक्त पंक्तियों में **जीहा, जसु** और **गुनगन** उपमेयों तथा **सिनि, मानस** और **मुकताहल** उपमानों को एक रूप कहा गया है। अतः **रूपक** अलंकार है।

7. "रावन सो राजरोगु बाढ़त बिराट-उर,
दिनु-दिनु बिकल, सकल सुख राँक सो।
नाना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, मुनि,
होत न बिसोक, औत पावै न मनाक सो॥"

उपर्युक्त पंक्तियाँ किस छन्द की हैं? उस छन्द का नाम लिखिए और उसका लक्षण ष्ट कीजिए। (उत्तर सीमा 40 शब्द) अंक : 4

छंद का नाम—मनहरण कवित्त

लक्षण—'मनहरण' कवित्त में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16, 15 णों पर यति (विराम) देकर 31 वर्ण होते हैं। चरणांत में एक गुरु होना आवश्यक है।

सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1989
विशेष हिन्दी

समय 2½ घण्टे　　　　भाग 'ब'　　　　पूर्णांक 7

प्रश्न 9. आदि कालीन हिन्दी-साहित्य की किन्हीं तीन प्रवृत्तियों का सोदाहर विवेचन कीजिए।　　　(उत्तर सीमा 200 शब्द) 5 अं

उत्तर—आदिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रमुखपहली प्रवृत्ति है वीरगाथा काव्य-रचना किसी राजा के कन्या के रूप का संवाद पाकर उस पर चढ़ाई करना और उसे पराजि करके कन्या को हरकर लाना वीरों के लिए गौरव एवं गर्व का काम माना जाता था जहाँ राजनैतिक कारणों से युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न करके किस रूपवती स्त्री को ही युद्ध का कारण मान लिया जाता था। इस प्रकार वीरगाथा-काव्य का विषय प्रेम और युद्ध था। इनमें वीररस एवं शृंगार रस दोनों का समावेश हुआ है उदाहरण के लिए 'पृथ्वीराज रासो' नामक वीरगाथा-काव्य में पृथ्वीराज द्वारा जयच की कन्या संयोगिता का हरण जयचन्द से युद्ध तथा एक रूपवती स्त्री को पृथ्वीराज द्वा शरण देना शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध का कारण बताया गया है।

दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। राज्याश्रित क और चारण अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन अपनी रचना में करते थे। जैसे—'पृथ्वीराज रासो' के रचयिता चन्द बरदाई तथा 'बीसलदेव रासो' रचयिता नरपति नाल्ह ने अपने आश्रयदाता क्रमशः पृथ्वीराज तथा बीसलदेव की प्रशं अपनी-अपनी रचनाओं में की है।

तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि वीरगाथ-काव्य दो रूपों में मिलते हैं—(1) प्रब काव्य के साहित्यिक रूप में और (2) वीरगीतों के मुक्तक-रूप में पहले प्रकार की रचना उदाहरण 'पृथ्वीराज रासो' और दूसरे प्रकार की रचना का उदाहरण 'बीसल रासो' है।

प्रश्न 10. हिन्दी भक्ति-काल की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेममार्गी शाखा के अन्त को प्रकट करने वाली कोई तीन विशेषताएँ लिखिए। (उत्तर सीमा 200 शब्द)　6 अ

उत्तर—भक्ति-काल की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेममार्गी शाखा की काव्य-रचना में प्रथम अन्तर यह है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संत-कवियों ने मुक्तक-काव्य के रूप रचनाएँ की हैं, पर प्रेममार्गी शाखा के सूफी कवियों ने प्रबन्ध-काव्य लिखे है जिन फारसी साहित्य की मसनबी शैली अपनायी गयी है, भारतीय साहित्य की सर्गबद्ध-शै नहीं। मसनबी शैली के अनुसार खुदा की वन्दना, पैगम्बर की स्तुति, तत्कालीन बादश की प्रशंसा करने के पश्चात् कहानी का आरम्भ किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने फुटकल रचनाएँ की हैं।

दूसरा अन्तर यह है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने धर्म के बाह्याडम्बरों खण्डन किया है। उन्होंने हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा आदि तथा मुसलमानों की बांग (मस में नमाज के लिए पुकार) आदि का खण्डन किया हैं। जैसे—

"दुनियाँ ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाय ।
घर की चकिया कोऊ ना पूजै, जाको पीसा खाय ।।" (मूर्ति पूजा का खण्डन)
"काँकर पाथर जोरिकै, मसजिद लई चुनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ।" (बाँग का खण्डन)

पर प्रेममार्गी शाखा के सूफी कवियों ने खण्डन से अलग रहकर प्रेम के माध्यम से मानव-हृदय को स्पर्श करने का प्रयास किया है। इन्होंने प्रेम-गाथाओं द्वारा प्रेममय ईश्वर का साक्षात्कार कराने का प्रयास किया है।

तीसरा अन्तर यह है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं जो हठयोगियों एवं तांत्रिकों का प्रभाव था। कबीर की वाणी में सूफियों के सत्संग के कारण भावात्मक (प्रेमात्मक) रहस्यवाद की झलक भी मिलती है। जैसे—"हरि मोर पिउ मैं राम की बहुरिया।" प्रेममार्गी सूफी कवियों की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के ही दर्शन होते हैं, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन हुआ है। जायसी के पद्मावत की प्रेमिका पद्मिनी ईश्वर का तथा प्रेमी रतनसेन भक्त का प्रतीक है, जो अनेक कष्ट सहता हुआ अन्त में पद्मिनी को प्राप्त करता है।

प्रश्न 11. भक्ति-काल की कृष्ण-भक्ति शाखा की कोई चार विशेषताएँ लिखिए।
(उत्तर सीमा 200 शब्द) 4 अंक

उत्तर—कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्णजी के शैशव-काल एवं यौवन-काल की क्रीड़ाओं को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। उनको कृष्णजी के लोकरंजक स्वरूप ने ही आकृष्ट किया है, लोकरक्षक स्वरूप ने नहीं। अतः वात्सल्य एवं शृंगार रस ही उनके काव्य के विषय हुए। उन्होंने प्रेम जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का उद्घाटन किया है। वियोग-शृंगार की जैसे अभिव्यंजना कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने अपने 'सूरसागर' में की है वैसी अभिव्यंजना अन्त्र मिलना असंभव है।

कृष्णभक्त कवियों के काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने बाल-सुलभ भावों एवं बाल-क्रीड़ाओं का बड़ा सजीव तथा हृदयग्राही वर्णन किया है। जैसे सूरदास द्वारा बालकों के स्पर्द्धा-भाव की यह स्वाभाविक व्यंजना देखिए—

"मैया कबहि बढ़ैगी चोटी ?
कितिक बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी।
तू जो कहति 'बल' की बेनी ज्यों ह्वै है लाँबी मोटी ।।"

सूर के बाल-क्रीड़ा-वर्णन की भी सुन्दर झाँकी कीजिए—

"सोभित कर नवनीत लिये।
घुटुरुन चलत, रेनुतनमंडित, मुख दधि-लेप किये ।।"

तीसरी विशेषता यह है कि कृष्णभक्त-कवियों ने प्रायः मुक्तक रूप में काव्य-रचना की है। उनके द्वारा लिखे गये पद, कवित्त-सवैया फुटकल रचनाएँ हैं, प्रबन्ध-काव्य नहीं।

चौथी विशेषता यह है कि कृष्णभक्त कवियों के काव्य का कलापक्ष भावपक्ष की भाँति उत्कृष्ट है। क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छन्द, क्या उक्ति सभी का भव्यस्वरूप उनकी रचनाओं में देखा जाता है। ब्रजभाषा का माधुर्य, अलंकारों की रमणीयता, पदों की संगीतात्मकता और उक्ति का अनूठापन उनकी काव्य की विशेषताएँ हैं। सूर के 'भ्रमरगीत' से उक्ति के अनूठेपन का एक नमूना लीजिए—

Kamla Bakhtiani

"उर में माखन चोर गड़े ।
अब कैसेहुं निकसत नहिं ऊधो, तिरछे ह्वै जु अड़े ॥"

प्रश्न 12. 'साहित्य समाज का दर्पण है ।' इस मत की समालोचना हिन्दी-साहित्य के आदि काल की विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर लगभग 200 शब्दों में कीजिए । 6 अंक

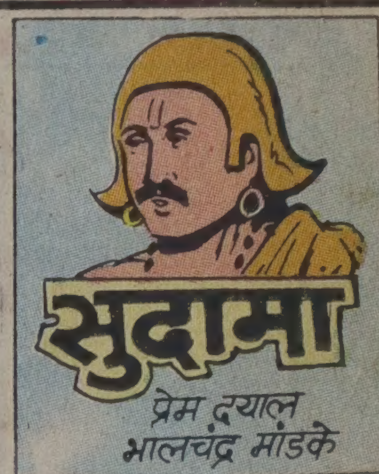
उत्तर—जिस प्रकार निर्मल जल में तट के वृक्ष आदि प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में समाज की भावनाओं, कल्पनाओं, विचारों, आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ता है । वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति पर समाज की छाप पड़ती है । जब कोई व्यक्ति साहित्य-सृजन करता है, तब सामाजिक भावनाएँ, विचार, कल्पनाएँ, आकांक्षाएँ जिन्होंने उसके सारे जीवन को ओत-प्रोत कर रखा है उसकी लेखनी के माध्यम से निकलती हैं । इस प्रकार साहित्य पर समाज अपना प्रतिबिम्ब फेंकता रहता है । यह स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रत्येक भाषा के साहित्य में पायी जाती है । हिन्दी-साहित्य इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

हिन्दी-साहित्य के आदि-काल की विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करने पर इसकी पुष्टि होती है । वीरगाथा कालीन साहित्य युद्ध-वर्णनों से भरा पड़ा है । उसमें राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन मिलता है । इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं । यह लड़ाई-भिड़ाई का समय था । भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे । उन्हें रोकने के लिए राजा अवरोधात्मक युद्ध करते थे । इसके अतिरिक्त राज्य-विस्तार और रूपवती कन्या-अपहरण के लिए भी वे आपस में लड़ते रहते थे । इस समय देश में चारों ओर तलवारों की खपाखप सुनायी पड़ती थी । कन्यादान में राजपूत अपनी हेठी समझते थे । यदि किसी राजा ने विवाह का प्रस्ताव किया और उसका वंश कुलीनता की कसौटी पर ऊँचा न ठहरा तो युद्ध अनिवार्य था । विवाह-मंडप में भी तलवारें चल जाती थीं ।

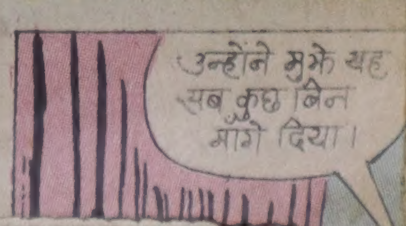
इन परिस्थितियों के कारण तत्कालीन रचनाओं में वीररस एवं श्रृंगार रस की धाराएँ प्रवाहित हुई हैं । प्रधान धारा वीररस की है और सहायक धारा श्रृंगार रस की ।




और संतरी
अपने पास


सुदामा
प्रेम दयाल
भालचंद्र मांडके


उसके बच्चे आकर उसकी टांगों से लिपट गए।


उन्होंने मुझे यह सब कुछ बिन मांगे दिया।




जब से रा मुख्यालय में हत्यारे का कत्ल हुआ था, मुझे तुम पर शक था. पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था. पर अब सबूत मिल गया है.
पर... तु... तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ ?
पर हत्या उसकी गया था हमला करने काफी नजदी
उसी को देता जिसे जानता
और फिर लाश से निकली गोली भी तुम्हारी रिवाल्वर की गोलियों से मेल खाती जरा अपनी बांयी आस्तीन ऊंची करो... तुम्हारे बांह पर अंकित गोदना... मुखबिर और हत्यारे... दोनों की बांहों पर ठीक ऐसा ही चिन्ह गुदा था! साफ जाहिर है कि तुम सब एक ही गिरोह से संबंधित हो :
खटक
यह कैसी माया है? क्या मैं दोबारा द्वारिका आ गया हूं।
तभी उसकी पत्नी कल्याणी जो एक देवी जैसी सौम्य और सुन्दर दिखाई दे रही थी, आई और उसका चरणस्पर्श किया।
मेरे देवता, आपका स्वागत है।
यह सब कुछ श्रीकृष्ण की कृपा से हुआ। एक ही रात में हमारी झोंपड़ी एक सुन्दर महल में परिवर्तित हो गई।
श्रीकृष्ण तो राजा हैं। उन्होंने मुझ धन धान्य से कर दिय
© INDIAN FEATURES SYNDICATE Bombay-400092
उस विशल हृदय के लिए मुट्ठी भर चिवड़ा, शहद और अमृत से अधिक रुचिकर था।
सुदामा और उसकी पत्नी कल्याणी श्रीकृष्ण के भक्त हो गए और श्रीकृष्ण द्वारा प्रदान की गई सम्पन्नता का उपभोग करते हुए उनका गुणगान करते रहे।